Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या 25

मंगलवार, दिनांक 27 अप्रैल, 1971.

विधान सभा की बैठक म.प. 1.31 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत्, श्रम, वित्त, चिकित्सा, पशुपालन, परिवार नियोजन, यातायात, पंचायत, शिक्षा, आबकारी, स्वास्थ्य, सिंचाई वन, भाषा-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या 472

श्री किशनलाल वर्मा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ !

बेरोजगार व्यक्ति

473. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल बेरोजगार कितने हैं? जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में हरिजन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कितने बेरोजगार हैं? संख्या की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य में बेरोजगार खेत-मजदूरों तथा अन्य कार्य करने वाले मजदूरों को भी पंजीकृत किया जाता है? यदि हां, तो ऐसे कितने श्रमिक हैं जिन्हें पंजीकृत किया गया है?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) राज्य के 22 नियोजन सेवा कार्यालयों में कुल 1,28,095 बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य में 5,062 हरिजन, 11,211 अनुसूचित जाति, 5,417 अनुसूचित जन जाति के बेरोजगार पंजीकृत हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) राज्य में सब श्रेणियों के बेरोजगार पंजीकरण करा सकते हैं किन्तु पंजीकृत व्यक्तियों को खेत-मजदूरों या अन्य मजदूरों की श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया जाता अतः ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। (कृपया परिशिष्ट 11 देखिये) सं.

श्री केदारनाथ : प्रश्न दो का जो जवाब दिया, क्या उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों शामिल हो जाते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हां !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 474

श्री पृथ्वीसिंह चौहान !

अनुपस्थित, (कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं रिलेक्स करने की मांग

475. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उप शासन सचिव, चिकित्सा विभाग के पत्र संख्या एफ 17(215)एम.पी.एच. 167, दिनांक 24 मार्च, 1971 द्वारा डा. एस. के. पाठक की फारेन्सिक मेडिसन में लेक्चरार के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम योग्यतायें रिलेक्सेशन करने के लिए लिखा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि रिलेक्सेशन की मांग उक्त विषय में डाक्टरों की अनुपलब्धि बता कर की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों में बहुत अधिक संख्या में एम. एस. व एम. डी. डाक्टर हैं जो कि इस पद के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस 65 के आधार पर योग्य हैं ? यदि हां, तो उन डाक्टरों को अवसर न दिया जाकर डाक्टर एस. के. पाठक के केस में रिलेक्सेशन की मांग क्यों की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि इस पद को गत कई वर्षों से विज्ञापित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उप सचिव के उक्त पत्र में योग्य डाक्टरों का अभाव किस आधार पर बताया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यवाही डाक्टर एस. के. पाठक को अनुचित लाभ उठाने की नियत से की गई है ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार के कौन कौन अधिकारी किस किस सीमा तक उत्तरदायी हैं ?

(6) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने विश्वविद्यालय को गलत तथ्य भेजे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(7) डाक्टर के सम्बन्ध में जो पत्र विश्वविद्यालय को भेजा गया उसके रद्द करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह सही है कि विभिन्न जिलों में बहुत से डाक्टर एम. डी. व एम. एस. की योग्यता रखते हैं किन्तु लेक्चरार फारेन्सिक मेडिसन के पद के लिए जो योग्यता निर्धारित की हुई है यह एम. डी. (फारेन्सिक मेडिसन) है। इस विषय में एम. डी. उपलब्ध नहीं हैं,

Page No 3

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जो है उन्हें लगाया जा चुका है। डा. एस. के पाठक को इस विषय में लेक्चरार के पद के लिए वांछित अध्यापन अनुभव प्राप्त हो चुका है किन्तु वे इस विषय में एम. डी. नहीं है. इसलिए विश्वविद्यालय को उनके मामले में योग्यता (पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन) में शिथिलन करने के लिए निवेदन किया गया है किन्तु उनको विश्वविद्यालय द्वारा योग्यता किये जाने पर ही लेक्चरार नियुक्त कर दिया जायेगा इससे पूर्व नहीं। ऐसा पूर्व में भी डा. दूगड़ एवं डा. भटनागर के मामलों में किया गया था व विश्वविद्यालय द्वारा योग्यता शिथिल किये जाने पर उन्हें लेक्चरार के पद पर रखा गया था। इस समय में भी इस विषय में योग्यता व अनुभव प्राप्त डाक्टरों की कमी होने से ऐसा प्रस्ताव किया गया है जो अनुचित व नियम विरुद्ध नहीं है। अब शीघ्र ही यह पद लोक सेवा आयोग को चयन हेतु भेजा जा रहा है, अस्थायी नियुक्ति चयन होने तक के लिए ही की जावेगी।

(4) जी नहीं, अगस्त 1969 में यह पद सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिये विज्ञापित किया गया था पर किसी योग्यता प्राप्त डाक्टर ने आवेदन नहीं दिया। दुबारा लेक्चरार फारेन्सिक मेडिसन में दो पदों की विज्ञप्ति नवम्बर, 1969 में की गई थी लेकिन केवल एक ही डाक्टर ने इस पद हेतु प्रार्थनापत्र दिया और यह चयन कर लिया गया। इसी आधार पर जो विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया था उसमें इस विषय में योग्यता प्राप्त डाक्टरों का अनुपलब्ध होना बताया गया है।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि फारेन्सिक मेडिसन के सम्बन्ध में दिनांक 19-4-71 को प्रश्न संख्या 193 का भी मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि उनके विभाग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फारेन्सिक मेडिसन में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह जयपुर से सम्बन्धित प्रश्न था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं मैं प्रश्न पढ़ कर सुना देता हूं, जयपुर से सम्बन्धित सवाल नहीं है, उसका एक प्रश्न था–क्या यह सही है कि राज्य में उक्त विषय में आवश्यक पदों का सृजन इसलिये नहीं किया जा रहा है कि इनके लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं ?

आपने उत्तर दिया, जी नहीं। वर्तमान में कालेजों की कार्यक्षमता को देखते हुए अधिक पदों के सृजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। आवश्यकतानुसार ही पद सृजित किये जाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पदों के सृजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि लेक्चरार के पद सृजित हैं। जयपुर में लेक्चरार एक्स्ट्रा मांगा गया था, वैसे लेक्चरार के पद सब जगह हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न बहुत स्पष्ट था, प्रश्न फिर से सुन लीजिये। क्या यह सही है कि राज्य में उक्त विषय में अर्थात् फारेंसिक मेडिसन में, आवश्यक पदों का सृजन इसलिये नहीं किया जा रहा है कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
इनके लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है।

मेरा क्वेश्चन पर्टीक्यूलर मेडिकल कालेज के लिए नहीं था, सारे राजस्थान के लिए था। आपने कहा था, जी नहीं, और आज दूसरा उत्तर दे रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा क्लेरीफाई कर दूं। हर एक कालेज में जयपुर कालेज में रीडर का पद सृजित है, दूसरे हर एक कालेज में लेक्चरार का पद सृजित है, इसलिए इन पदों को सृजित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि आलरेडी फारेंसिक मेडिसन का पद है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पद है, लेकिन आपने कहा कि कमी नहीं है। खैर दूसरा प्रश्न ले लीजिये, क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी सीनेट ने, सिण्डीकेट ने अपने प्रस्ताव के द्वारा इस फारेंसिक मेडिसन की आवश्यक योग्यता को रिलेक्स करने से इन्कार कर दिया और राज्य सरकार को यह कन्वे कर दिया? क्या यह सही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस मामले में आया नहीं है।

श्री केदारनाथ : रिजोल्यूशन पास हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रिजोल्यूशन पास हुआ है, आपके पास आया नहीं है। यह रिजोल्यूशन है, सीनेट का 21 मई, 70 का और सिण्डीकेट का रिजोल्यूशन 11 अप्रैल 70 का है। दोनों में लिखा गया है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन दुःख यह है कि मन्त्री महोदय को कुछ पता नहीं है, सेक्रेटेरियट के द्वारा जिस प्रकार की सूचना आपको दे दी जाती है उसी प्रकार आप यहां पर उत्तर दे देते हैं। सेक्रेटेरियट व्यक्ति विशेष से इन्ट्रेस्टेड है। इस सदन में पहले मैंने दूगड़ का मामला उठाया था, उसके सम्बन्ध में आपको डार्क में रखा, अब मैं पाठक का प्रश्न उठा रहा हूं, इस सम्बन्ध में भी आपको डार्क में रख रहे हैं। इसलिए मैं जानकारी के लिए आपको जो सिण्डीकेट का डिसीजन हुआ, वह सुनाता हूं।

सीनेट का रिजोल्यूशन है :

"मेडीकल फैकल्टी ने अपनी गत बैठक (दिनांक 22 नवम्बर, 1969) में फारेन्सिक मेडीसन के अध्यापकों की वर्तमान न्यूनतम योग्यताओं को घटाए जाने की जो संस्तुति की है उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए" और सिण्डीकेट का है 11 अप्रैल 1970 का :

"In this connection the Syndicate also considered the observation made by the Senate at its meeting held on 21-3-70 to the effect that recommendation made by the Faculty of Medicine vide its resolution No. 12 lowering down the minimum qalifications for Readers, and Lecturers in Forensic Medicine be not accepted.

Resolved that the recommendation of the Academic Council be accepted with the following modification ;

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

The minimum qualifications recommended for Readers and Lecturers in Forensic Medicine be referred back to the Academic Council for re-consideration with the observation that the Syndicate was not in favour of lowering the minimum qualifications as Forensic Medicine was a Subject of examination and involved a lot of medico-legal work."

श्री अध्यक्ष : (मन्त्री महोदय से) यह आपकी जानकारी में होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मार्च, 1970 व अप्रैल, 1970 के प्रस्ताव हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जनरल क्वालीफिकेशन्स के रिजोल्यूशन्स का मुझे मालूम हैं। दूगड़ के मामले में मालूम हो गया था लेकिन परटीक्यूलर केसेज के बारे में जो रैफरेंस होता है अगर विश्वविद्यालय किसी स्थिति में रिलेक्स कर देता है तभी जाकर होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यह है कि जब विश्वविद्यालय, सिंडीकेट और सीनेट आपको वार बार कह रहे हैं कि फारेंसिक मेडीसिन के अन्दर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन्स को किसी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता जैसा हैंडबुक में प्रेस्क्राइब्ड है तो बार वार इस प्रकार से कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए और जो व्यक्ति राजस्थान में उपलब्ध हैं जिनको आज तक आपके विभाग ने और सरकार ने एडवर्टाइज करके पी. एस. सी. के जरिए बुलाया नहीं, उसके आप उपेक्षित करके इन लोगों के लाभ के लिये क्वालिफिकेशन्स को रिलेक्स कराने के लिये वार बार लिख रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पी. एस. सी. को दो बार रिकुइजीशन भेजी। दोनों बार विज्ञापन निकले और एक व्यक्ति का चयन हुआ है बाकी दो जगह अभी तक खाली पड़ी हैं उसके लिए रिकुइजीशन फिर भेजी है। यदि विश्वविद्यालय रिलेक्स नहीं करती तो प्रश्न पैदा नहीं होता कि किसी को नियुक्त किया जाए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप बतायें कि पी. एस. सी. को कब लिखा। क्या यह सही है कि आपने कभी भी पी. एस. सी. को फारेंसिक मेडीसिन के लेक्चरर्स के लिए कभी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कहा न रिकुइजीशन की गई न एडवर्टाइजमेंट हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मई 1969 में फारेंसिक मेडीसन के लेक्चरर्स के दो पद एडवर्टाइजमेंट किए गए थे पी. एस. सी. के द्वारा परन्तु किसी भी योग्य व्यक्ति का चयन नहीं हो सका। नवम्बर 1969 में पुनः दो पद एडवर्टाइज किये गये। केवल एक श्री गुप्ता का चयन हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपको याद होगा मंत्री महोदय कि डाक्टर कोठारी आए थे एम. डी. थे। उनको आपने ट्यूटर लगाया था। उन्होंने कहा मैं क्वालीफाइड लेक्चरार हूं और उस पद पर नियुक्त किया जाय और नहीं करते तो मैं रिजाइन करता हूं। आपने उनका इस्तीफा स्वीकार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किया लेकिन लेक्चरार की पोस्ट पर प्रोमोशन नहीं किया। उधर जो व्यक्ति विशेष जो क्वालीफाइड़ भी नहीं हैं आप उनके क्वालीफिकेशन्स को रिलैक्स कराने के लिए बार बार विश्वविद्यालय को लिख रहे हैं, विश्वविद्यालय मना कर रहा है क्या यह उचित नहीं है आप लोगों से दरखास्तें इन्वाइट करें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक डाक्टर कोठारी का प्रश्न है, उनको दो साल का अनुभव नहीं था। फ्रैश एम. डी. करके आया था इस कारण से वह क्वालीफाइड़ नहीं हो सकता था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि इसके लिए जल्दी से जल्दी पोस्ट एडवर्टाइज की जाएगी और उसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा। इससे पहले रिलैक्सैशन के आधार पर था और किसी आधार पर....

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढ़ा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसमें आरम्भ से ही फारेंसिक मेडीसिन विभाग के अन्दर मेडीकल कालेजिज के अन्दर पक्षपात चला आ रहा है और किसी योग्य व्यक्ति का चयन करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने इतना समय ले लिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक आश्वासन मंत्री महोदय से चाहता हूं जिस प्रकार से आपने श्री पाठक के लिए, क्योंकि वह योग्यता नहीं रखता उसको क्वालीफिकेशन्स को रिलैक्स करने के लिए विश्वविद्यालय को लिखा है, आप उस पर विचार करेंगे उससे पहले पी. एस. सी. के द्वारा पोस्ट विज्ञापित करके, उसके रिजल्ट के बाद दुबारा विचार करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर इस महीने के अन्दर विश्वविद्यालय का कोई जवाब नहीं आता है, रिलैक्सेशन नहीं होता है तो विभाग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट भेजी जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : विश्वविद्यालय को बार-बार लिखते रहे हैं।

प्रश्न सं. 476

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिए)

श्रीमती मदन कौर।

बालोतरा नगर को बिजली की सप्लाई

477. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) दिसम्बर 1970 से अब तक बालोतरा नगर को प्रति दिन किस किस समय विद्युत् उपलब्ध कराई जाती रही है ?

(2) क्या यह सही है कि बालोतरा के नलकूप को सर्दी के मौसम में भी दो तीन दिन बाद और वह भी रात के बारह और दो बजे विद्युत् दी जाती रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जाता रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस विद्युत् की दुर्व्यवस्था के फलस्वरूप बालोतरा के नागरिकों को कड़ाके की सर्दी में भी रात को पानी भरना पड़ता था ?

(श्रीमती मदन कौर)

(4) क्या यह सही है कि उप-मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर पूर्व में दिलाया गया था ? यदि हां तो उनके द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि बालोतरा की विद्युत् सप्लाई में आज भी गड़बड़ी है और पानी की उपलब्धि में इसी वजह से भारी कठिनाई है ? इसी परेशानी को दूर करने के लिए क्या राज्य सरकार तत्काल कारगर कदम उठायेगी ?

उप मंत्री विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) प्रति दिन 24 घंटे बिजली दी जाती है। आकस्मिक ब्रेक डाउन होने अथवा लाइनों पर कार्य करने पर कुछ समय के लिए बिजली बन्द रही है उसका विवरण सूची 'अ' पर सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं । बालोतरा के नलकूपों को बराबर 24 घंटे प्रति दिन बिजली दिए जाने का प्रयास रहा है।

(3) बालोतरा के नागरिकों को सर्दी में रात को पानी भरने की असुविधा विद्युत् की दुर्व्यवस्था के कारण नहीं हुई बल्कि यह असुविधा वहां के उस नलकूप जिससे पानी अधिक सप्लाई होता है, का मीटर खराब हो जाने के कारण हुई है।

(4) जी हां।

(5) ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल गड़बड़ी है पर पिछले कुछ अर्से से काफी इन्टरपशन्स हुए हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्रीमती मदन कौर : जनवरी माह में उपमंत्री महोदय बालोतरा पधारे थे और स्वयं जानकारी की थी। उसके बाद में यह आश्वासन दिया कि जोधपुर जाकर वहां से अलग से ट्रांसफार्मर भेजा जायगा तो वह किस आधार पर कहा गया था ?

श्री खेतसिंह : इसी आधार पर कहा गया था ताकि आपके यहां सुविधा हो जाएगी लेकिन ट्रांसफार्मर्स की कमी के फलस्वरूप असुविधा रही है। भविष्य में प्रयास किया जाएगा कि असुविधा दूर हो जाए ।

श्रीमती मदन कौर : जवाब तो आपने दिया है कि बिजली की गड़बड़ी के कारण पानी भरने की असुविधा नहीं हुई अब उप-मंत्रीजी कहते हैं कि गड़बड़ी तो थी ।

श्री खेतसिंह : सारे नागरिकों के लिए जो परेशानी रही उसके बाद मैंने जिक्र किया । प्रश्न के दूसरे भाग में आपने पूछा है नलकूपों के बारे में । तो नलकूप बन्द रहे मीटरों की वजह से, ये अब वाटर वर्क्स के नीचे हैं, सुमित्रा जी से पूछिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया ।

परिवार नियोजन के प्रचार एवं प्रचार के लिए फिल्म

478. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(1) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन के प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार ने परिवार नियोजन संबंधी फिल्म बनवाई है ? यदि हां, तो कब और किस भाषा में तथा उस पर कितना कितना रुपया व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि अंग्रेजी भाषा की फिल्म खरीद की गई है ?

राज्यमंत्री, परिवार नियोजन (श्रीमती सुमित्रासिंह) : (1) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी नहीं । एक भी अंग्रेजी भाषा की फिल्म इस संस्थान द्वारा क्रय नहीं की गई है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या परिवार नियोजन के प्रचार प्रसार हेतु फिल्म बनाए जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है या विचाराधीन है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने का विचार है मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : एक लाख रुपये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितनी फिल्में तैयार होंगी ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : एक ही फिल्म तैयार होगी ।

प्रश्न सं. 479

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम गंगाराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 480

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 481

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 482

श्री नंदलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 483

श्री शंकरसिंह रावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 484

श्री हंसराज आर्य !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अमीलाल यादव !

ग्राम माजरा में बि[illegible]

485. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम माजरा तहसील बहरोड़ विद्युत् के लिए स्वीकृत है और उस ग्राम में ट्रांसफोरमर भी लगा हुआ है ? यह किस वर्ष से स्वीकृत है ?

Page No 9

(श्री अमीलाल यादव)

(2) क्या उस ग्राम में किसानों द्वारा कनेक्शन्स अपने कुओं में लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दिए हुए हैं तथा ग्रामवासियों ने दुकानों में कनेक्शन्स के लिए तथा आटा पीसने की चक्की के लिए भी प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो सूची उन प्रार्थीगण की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उन प्रार्थीगण ने सिक्योरिटी भी जमा कर दी है ?

(4) क्या उक्त प्रार्थीगण को कुओं में और घरों में तथा चक्की के कनेक्शन दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्या कारण है ?

उप मंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। ग्राम स्वीकृत हैं और ट्रान्सफारमर भी लगा हुआ है। ग्राम का विद्युतिकरण दिनांक 20–3–1967 को हुआ था।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) आठ प्रार्थियों से सिक्योरिटी जमा करा ली गई है।

(4) जी नहीं। पिछले दिनों खम्बों की कुछ कमी पड़ गई थी। अब ग्राम में खम्बें पहुंचाये जा चुके हैं। शीघ्र ही कार्य कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अमीलाल यादव : आपने अपने उत्तर में बताया है कि 1967 में यह ग्राम स्वीकृत था और लिस्ट में खंम्बों की कमी के कारण बिजली न देने का लिखा है तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे, 1967 से आज तक यह खम्बों की कमी चलती रहेगी और यदि नहीं तो फिर यह ग्राम 1967 से स्वीकृत होते हुए भी दरख्वास्तें जो दी हुई हैं आपने 8 आदमियों के नाम बताए हैं क्योंकि मेरा खुद का ग्राम है इसलिए मुझे पता है सिक्योरिटी जमा करवाई है और डिमांड नोटिसेज हाउस कनेक्शन्स के एक एक हजार रुपये भेजे हैं जब कि उसी पड़ोस के अन्दर प्रत्येक का नाम बताऊंगा कि केवल 50) व 30) रु. तक के सिक्योरिटी के डिमांड नोटिस भेजे हैं कि जमा करवा दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री अमीलाल यादव : यह आपके खम्बों की कमी कितने वर्षों तक चलती रहेगी ? और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि एक आदमी के यहां तो 30 रुपये का डिमांड नोटिस आता है और पड़ोस के ही दूसरे आदमी के पास 1900 रुपये का डिमांड नोटिस आता है यह डिसपैरिटी क्यों ?

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय प्रश्नकर्त्ता उस गांव के है, इसलिये मेरा ख्याल हैं उनको ज्यादा जानकारी के अनुसार 20–8–68 के पहले किसी व्यक्ति ने न तो प्रार्थना-पत्र दिया और न ही सिक्यूरिटी जमा करवाई, और इसलिये यह बाद में कार्यवाही शुरू कर दी गई। आठ आदमियों ने एप्लीकेशनें भेजी हैं और उन आठ को अगले माह तक विद्युत् कनेक्शन दिया जायगा। और मैं प्रश्नकर्त्ता से भी निवेदन करूंगा कि गांववालों के मानस को बनायें ताकि विद्युतिकरण जल्दी हो सके।

श्री अर्जुनलाल यादव : आपने बताया कि खम्भों की कमी थी, तो ये खम्भे कब तक पहुंच जायेंगे ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के भाग (4) के उत्तर में मैं निवेदन कर चुका हूं कि खम्भे पहुंच चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रामेश्वरराम : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाये। क्या यह सही है . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न ले लिया है।

सांचोर में मोबाइल सर्जीकल डिस्पेन्सरी की मांग

486. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में एक मोबाइल सर्जीकल डिस्पेन्सरी की जनता की मांग है ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या सरकार तहसील सांचोर में मोबाइल सर्जीकल डिस्पेन्सरी खोलना उपयुक्त समझती है ? अगर हां, तो वह डिस्पेन्सरी कब तक खोल दी जायेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) मोबाइल सर्जीकल डिस्पेन्सरी किसी स्थान पर खोलने के सरकार के क्या क्या आधार हैं ? क्या ये सारे आधार सांचोर में मौजूद हैं ? अगर हां, तो डिस्पेन्सरी अब तक क्यों नहीं खोली गई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) विभाग में ऐसी कोई योजना का प्रावधान नहीं है।

(3) राजस्थान में मोबाइल सर्जीकल डिस्पेन्सरी कहीं पर भी कार्यरत नहीं है और न इसका दूसरा कोई आधार ही बनाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्न सं 487

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामचन्द्र आर्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

जयपुर में जिला अस्पताल

488. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर नगर में वर्तमान जनाना अस्पताल के स्थान पर जिला अस्पताल कायम करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी ?

(2) राज्य सरकार इस दिशा में क्या विचार रखती है। और इस घोषणा को पूर्ण करने हेतु अब तक क्या कार्य किया गया है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) जी हां।

(2) राज्य सरकार शीघ्र ही नये जनाना अस्पताल का भवन बनाने का विचार रखती है। भवन बनाने के लिए नक्शे बनवाये गये हैं तथा इनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। दान देने के लिए जे. के. सिंथेटिक्स द्वारा घोषणा की जा चुकी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वे तो रोज-रोज करते हैं, लेकिन मैं तो सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि बजट में प्रावधान रखा है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बजट में प्रावधान रखना आवश्यक नहीं है, 15 लाख उन्होंने डोनेशन देने का ऐलान कर दिया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो फिर सरकार अपनी मन्द गति से द्रुत गति की ओर कब जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, मन्द गति से द्रुत गति में कब आयेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जल्दी से जल्दी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो अवधि पूछता हूं। कितने समय तक हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, सरकार समय निश्चित करने में भी असमर्थ है। क्या यह सही है कि एस. एम. एस. अस्पताल में रोगियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां पर रोगियों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो सकती और जयपुर नगर के लिए चिकित्सा की पूरी व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

जंगली जानवरों का शिकार

489. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा शेर या बघेरा के शिकार की मनाही है और इनके परमिट भी नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो यह कब से बन्द किये गये हैं ?

(2) उक्त जङ्गली जानवरों का शिकार बन्द करने से किस किस वन खण्ड में कितने कितने शेर व बघेरों की संख्या में वृद्धि हुई है ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिकार रोकने से चोरी से ज्यादा शिकार होने लग गये हैं ?

(4) क्या सरकार नाजायज चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करती है ? यदि हां, तो उक्त आदेश के पश्चात् अब तक कुल कितने केस पकड़े गये और कितनों में सजा दी गई ?

वन मन्त्री (श्री नारायण सिंह) : (1) जी हां। शेर (टाइगर) के शिकार को जून 1968 से तथा बघेरा (पेंथर, लेपर्ड) के अगस्त 1960 से परमिट देना बन्द हैं।

(2) शिकार बन्द होने के कारण मिले संरक्षण के कारण बूंदी, कोटा, टोंक चित्तौड़-

(श्री नारायणसिंह)

गढ़, बारां, भरतपुर, बांसवाड़ा, जयपुर तथा सिरोही वन मण्डलों में शेर व बघेरों की संख्या में कुछ वृद्धि होने की सूचना मिली है, किन्तु गणना नहीं होने से वन खण्डवार वृद्धि की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। आदेश के पश्चात् नाजायज शिकार के कुल 38 केसेज पकड़े गये जिनमें शेर व बघेरे के केवल 4 हैं। जो न्यायालय के विचाराधीन हैं। पकड़े गये मुआमलों में से 30 मामले में मुआवजा स्वीकार कर समाप्त किया गया, 6 मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं तथा 2 में जांच जारी है। किसी मामले में दण्डित अभी कोई नहीं हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह : यह जो आप कह रहें हैं कि वृद्धि हुई है, यह किस आधार पर कह रहे हैं ? जब गणना नहीं हुई तो आप कैसे कह रहे हैं कि वृद्धि हुई है ?

श्री नारायणसिंह : अनुमान किया गया है। कुछ टाइगर्स के बच्चे वहां देखे गये हैं। कई पैरों के चिन्ह दिखाई दिये हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब तो देने दें उन्हें।

श्री नारायणसिंह : कई जगह पर पग-मार्क्स देखे गये हैं, इससे भी अन्दाजा लगाया जाता है कि वृद्धि हुई है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय गणना तो पग मार्क्स से ही की जाती है, और नहीं तो ये टाइगर्स और बघेरे सामने आते हैं क्या ? इनकी गणना तो फुटप्रिंट्स को देखकर ही होती है। मैंने यही तो पूछा था कि कितने शेर व बघेरों की संख्या में वृद्धि हुई है।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि वृद्धि हुई है।

श्री दौलतराम सारण : आप बघेरों और शेरों को बात कह रहे हैं, इनको तो आदमियों का ही पता नहीं कि राजस्थान के अन्दर कितने आदमी बेरोजगार हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : यह जो आपने बताया कि शेर व बघेरे के कुल चार केसेज पकड़े गये, तो ये चार आदमी कौन कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष : इन आदमियों का पता है क्या ?

श्री नारायणसिंह : नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : चार मामले हैं और चार ही आदमी हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि ये चारों मंत्री महोदय के रिश्तेदार हैं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना नहीं है कि ये चारों मंत्री महोदय के रिश्तेदार हैं। लेकिन ये चार आदमी जिन्होंने परमिट बन्द होने के बाद शिकार किया है, वे कौन हैं, उनके नाम तो आपके पास होंगे।

श्री नारायण सिंह : नाम मेरे पास नहीं हैं ?

एक माननीय सदस्य : क्या ये कोई सामन्त हैं ?

श्री नारायणसिंह : सामन्त भी नहीं हैं, रिश्तेदार भी नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : हो सकता है कोई विभागीय अधिकारी हों ।

प्रश्न संख्या 490

श्री अध्यक्ष : । नेक्स्ट श्री वृद्धिचन्द जैन ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 491

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 492

श्री मनोहरसिंह मेहता ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीसिंह हाडा ।

बंसोली बांध

493. श्री केशरीसिंह हाडा : (हिन्डोली)। क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील नैनवा में बन्सोली बांध का कार्य 1966 में शुरू किया गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक कुल कितनी रकम किस की स्वीकृति से व्यय की गई ? सालवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस बांध के निर्माण में ग्राम गाडरिया के करीब 8-10 कुओं की जमीन बरबाद हो गई थी, क्योंकि बांध के निर्माण हेतु मिट्टी इन्हीं खातों की जमीनों से ली गई ?

(3) क्या सरकार ने ग्राम गाडरिया के किसानों को खाते की जमीन का कुओं का और मकानों का उचित मुआवजा दे दिया है ? यदि हां, तो कितना कितना ? यदि नहीं, तो अब तक नहीं देने का क्या कारण है ? और मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

(4) क्या जो जमीन बांध के डूब में आवेगी उसकी पेटा काश्त की भूमि पर उसी ग्राम के काश्तकारों का अधिकार होगा ?

(5) क्या सरकार इस ग्राम के काश्तकारों को भूमि का मुआवजा नहीं देकर उनको जमीन के स्थान पर जमीन देना उपयुक्त समझती है ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम गाडरिया डूब में आवेगा ? यदि हां, तो उस ग्राम को दूसरे स्थान पर बसाने की सरकार की क्या योजना है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी हां, सूची संलग्न है ।

(2) कुछ कुओं की कुछ जमीन में से बांध के निर्माण हेतु कुछ मिट्टी उठाई गई थी ।

(श्री जसराज)

(3) ग्राम गाडरिया के किसानों की डूब में आनेवाली जमीन के मुआवजे का अंशतः भुगतान कर दिया गया है और बाकी के किसान जमीन का मुआवजा कुओं व मकानों के मुआवजे के साथ लेना चाहते हैं। कुओं तथा मकानों का मुआवजा भूमि अधिनियम की धारा 6 व 7 की पूर्ति होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

(4) जी हां, यदि बदले में दूसरी जमीन न लेना चाहें या मुआवजा न लेना चाहें।

(5) जी हां।

(6) जी हां, ग्राम गाडरिया बंसोली बांध के डूब में आवेगा उनके किसानों को बसाने के लिये बंसोली बावडी ग्राम में उनकी इच्छानुसार राजस्व विभाग द्वारा भूमि सुरक्षित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे प्रश्न के खण्ड दो में बताया कि कुछ मिट्टी काम में आई है। कितनी मिट्टी काम में आई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीन चार कुओं की।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि जितने कुए डूब में आते हैं सब की मिट्टी साफ हो गई? फिर इन कुओं का बदस्तूर लगान लिया जा रहा है। मन्त्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि इनका लगान नहीं लिया जावेगा फिर क्यों लिया जा रहा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सिंचाई विभाग तो लगान नहीं लेता। अगर वाकई में कहीं लिया जा रहा है पता लगा कर बन्द करावेंगे उनका जिनकी जमीन बान्ध के डूब में आ गई है या आ रही है। राजस्व विभाग से यह जानकारी लेंगे।

श्री केशरीसिंह हाडा: प्रश्न के खण्ड तीन में लिखा है कि कुओं का कितना मुआवजा दे रहे है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने इसमें जवाब दिया है कि कुओं का मुआवजा का अवार्ड अभी नहीं हुआ है। होने पर ही कहा जा सकता है कि कितनी रकम दी जावेगी।

श्री केशरीसिंह हाडा : मेरा प्रश्न यह है कि यह कुओं का मुआवजा दो दो हजार और पन्द्रह पन्द्रह सौ प्रति कुआ दिया जा रहा है। तो एक डेढ हजार या दो हजार में तो कुआ छोड, खड्डा भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिये जानना चाहूंगा कि कम से कम कुओं का कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना देना चाहते हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : देना चाहते हैं का सवाल नहीं है। यह तो जूडीसियल अवार्ड होता है और जो मार्केट वेल्यू के हिसाब से जो लैंड एक्वीजीशन अधिकारी अवार्ड देता है उसके हिसाब से हम पेमेन्ट करेंगे।

श्री केशरीसिंह हाडा: मुझे अफसोस है कि विभाग ने मुआवजे की लिस्ट बना कर गांवों में दे दी है, जिनमें अनेकों कुओं का दो दो हजार डेढ डेढ हजार और हजार हजार से किया है कम्पेन्सेशन देना। वे लोग कम्पेन्सेशन लेना नहीं चाहते इतना थोड़ा

Page No 15

(श्री केशरीसिंह हाडा)
थोडा। इतने में कोई कुआ नहीं बन सकता आप उपयुक्त मुआवजा तो दें ताकि थोड़ा बहुत उसमें और मिला कर वे लोग अपना कुआ अलग से तो बना सकें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपयुक्त मुआवजा जो अवार्ड के द्वारा दिया जाता है उसका भी टेन पर्सेन्ट और एडीशनल देते हैं, कम देने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री केशरी सिंह : टेन पर्सेन्ट देना तो दूर रहा जो उनकी लागत है उसका आधा भी सरकार नहीं देती उनको।

प्रश्न संख्या 494

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सोनी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 495

श्री परसराम गंगाराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

लकड़ी के कोयले का ठेका

496. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों में सिरोही डिविजन के लकड़ी कोयले का ठेका वन पांडली कूप नम्बर 10, मातर-माता, नम्बर 20 डी व मातर माता नम्बर 20 सी. में दिया गया था? अगर हां, तो कब कब, किस किस को कितने कितने रुपये में कितने कितने क्षेत्र का?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ठेकेदारों पर नाजायज कटाई के लिये पेनल्टी लगाई गई थी? अगर हां, तो कब कब व कितनी कितनी? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रक्खें।

(3) क्या यह सही है कि पेनल्टी की वसूली के लिये लेण्ड रैवेन्यू एक्ट के अधीन जिलाधीश के पास लिखा गया था?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त पेनल्टी की वसूली को रोक दिया गया है? अगर हां, तो क्यों व किसके आदेश से? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) :
(1) जी हां। सूची "क" संलग्न है।

(2) जी हां। सूची "ख" संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। ठेकेदारों के राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थियों की सुनवाई लेकर अन्तिम निर्णय होने तक वसूली की कार्यवाही रोकी गई थी। आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है। मातरमाता नम्बर 20 डी. की वसूली रोकने के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो ठेके पर आपने पेनल्टी इम्पोज की इसका क्या कारण था?

श्री नारायणसिंह : नाजायज कटाई इत्यादि।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो पेनल्टी इम्पोज की थी वह इन तीनों में से कौन कौन था ? और किसके आदेश थे ?

श्री नारायणसिंह : पहले में डी. एफ. ओ. सिरोही के द्वारा 22782 (की पेनल्टी इम्पोज की गई । दूसरे में पालड़ी के डी.एफ.ओ. ने 2235) की पेनल्टी इम्पोज की । कुछ अधिक खराबी पाई जाने पर 11250) की पेनल्टी और इम्पोज की गई । तीसरे में भी डी.एफ. ओ. ने की ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पेनल्टी को वसूली की कार्यवाही के लिये कागजात पी.डी.आर. के तहत रैफर कर दिये गये थे ।

श्री नारायणसिंह : जी हां । पर विशेष कारणों से स्टे करना पडा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार के ऐसे स्पष्ट इन्स्ट्रक्शन हैं कि पी.डी.आर. के तहत वसूली के लिये कार्यवाही जब एक बार रैफर कर दी जाती है तो किसी स्तर पर उसे स्टे नहीं किया जावे ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक विषय में उनकी कठिनाई यह थी कि ....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न बिलकुल सीधा है । क्या यह सही है कि राज्य सरकार के इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि एक बार वसूली के लिये पी. डी. आर. में मामला दिये जाने के बाद किसी भी स्तर पर उसे स्टे नहीं किया जा सकता ?

श्री नारायणसिंह : विशेष कारणों से किया जाता है . . .

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं स्पष्ट उत्तर हां या ना में चाहता हूं । विशेष कारणों का इसमें कोई कहीं उल्लेख नहीं है । उसमें तो स्पष्ट है कि किया हीं नहीं जा सकता स्टे ।

श्री नारायणसिंह : इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो पेनल्टी ठेकेदारों पर इम्पोज की गई, उनमें से किसी ने किसी प्रकार की अपील नहीं की ?

श्री नारायणसिंह : एक ठेकेदार ने सवाल शुरू किया था । दूसरे के बारे में प्रश्न उठ गया था कि आया एक बार पेनल्टी लगाये जाने के बाद दूसरी बार फिर लगाई जा सकती है या नहीं । लॉ डिपार्टमेंट को भी रेफर किया गया है और इसलिये इसको स्टे करने का आर्डर दिया था ।

अब इसमें सिवाय एक मामले को जो लॉ विभाग को रेफर किया गया है, जो दोनों का स्टे आर्डर था वह निरस्त कर दिया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि एप्लीकेशन पर स्टे इश्यू करने से पहले राज्य सरकार ने या मन्त्री महोदय ने विभाग से या कन्सर्ड विभागीय अधिकारी से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट या रेकार्ड नहीं मांगा । बाला बाला ही ठेकेदार के कहने से ही उसकी एप्लीकेशन के आधार पर स्टे जारी कर दिया ।

श्री नारायणसिंह : उसकी एप्ली-केशन पर सारी जानकारी करके फिर स्टे दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : टेलीफोन पर।

प्रश्न सं. 497

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 498

श्री पृथ्वीसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

(19-4-71)

डेसू की फ्लाई ऐश पर बिक्री कर

334. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नियमानुसार डेसू की फ्लाई ऐश पर राजस्थान में बिक्री होने पर बिक्री कर देय है ?

(2) क्या यह सही है कि जवाहर सागर बांध के निर्माण हेतु एक ठेकेदार डेसू की फ्लाई ऐश कोटा में बेच रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फ्लाई ऐश का चुकारा विभाग कोटा में वजन के आधार पर निश्चित दर से ठेकेदार को करता है ?

(4) क्या यह सही है कि अभी तक वाणिज्य कर विभाग ने कोई बिक्री कर वसूल नहीं किया ? अगर हां, तो क्यों ?

वाणिज्य कर मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (1) फ्लाई ऐश पर राजस्थान बिक्री कर नियमानुसार देय है।

(2) जी नहीं।

(3) दिल्ली कोल एण्ड सिंडर ट्रेडर्स, नई दिल्ली, अधिशासी अभियन्ता, सिविल डिविजन व जवाहर सागर बान्ध को फ्लाई ऐश एफ. ओ. आर. कोटा सप्लाई करती है। अधिशासी अभियन्ता उसे बांध के निर्माण कार्य के ठेकेदार को बिना किसी मूल्य के बान्ध निर्माण कार्य हेतु सप्लाई करते हैं।

(4) जी हां, प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या विभाग ने इस सम्बन्ध की जानकारी ईरिगेशन विभाग से की थी ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यही है कि जितना भी पेमेन्ट इस फ्लाई ऐश के अगेन्स्ट किया गया, वेमेन्ट के आधार पर किया गया था और वह वेमेन्ट कोटा में होता रहा है और इसी के आधार पर पेमेन्ट होता रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह प्रश्न पहले भी उठाया गया था। ईरिगेशन पर चर्चा चली तब भी उठाया था। इसका पेमेन्ट वेमेन्ट के आधार पर होता है। वेमेन्ट कोटा में होता है।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक मेरी सूचना है ईरिगेशन के चीफ इन्जीनियर से जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार

(श्री मथुरादास माथुर)
यह सप्लाई ऐश दिल्ली में परचेज की जाती है और उसके लिये इन्टरस्टेट टैक्स दिया जाता हैं। वह सप्लाई यहां फ्री आफ कास्ट की जाती है। यह मेरे पास लिखा हुआ आया है। इसलिये इस पर केवल दिल्ली में सेल्स टैक्स बनता है इन्टरस्टेट सेल्स टैक्स। राजस्थान में सेल्स टैक्स वसूल करने का सवाल नहीं आता। इसलिए चार्ज नहीं कर सकते हम इस पर कोई टैक्स। अब यह प्रश्न अलग है कि वे यहां तुलाते हैं। तुलाते होंगे अपने वेरिफिकेशन के लिये। इससे क्या अन्तर पड़ता है। दुबारा तोलें। उनकी मरजी है। सवाल तो यह है कि उस पर बिक्री कर हम ले। मैं बिक्री कर तभी ले सकूंगा जब राजस्थान में उसकी सेल हो। अब चूंकि यहां वे फ्री देते हैं, इन्टरस्टेट टैक्स दिल्ली में वे देते हैं और यहां हमारा विभाग खुद कहता है कि हम फ्री सप्लाई करते हैं इसलिये सेल्स टैक्स देने का लेने का सवाल पैदा नहीं होता।

प्रश्न सं. 472

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री किशनलाल वर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 474

श्री पृथ्वीसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 476

श्री बालसिंह सोढा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 479

श्री परसराम गंगाराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

मेजर फतेहसिंह (ब्यावर) : Sir, This question may be answered:

श्री अध्यक्ष : I shall come to it later on when I exhaust the list.

श्री भैरोंसिंह।

विदेशी मदिरा की दुकानें

480. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में विदेशी मदिरा की कहां कहां दुकानें हैं और 1 अप्रेल सन् 1967 से अब तक किस किस व्यक्ति को इन दुकानों का कब कब लाइसेन्स दिया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) सूखे क्षेत्रों में कहां कहां ऐसी दुकानें हैं और कब से ?

(3) विदेशी मदिरा का लाइसेन्स किस प्रकिया के आधार पर दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (1) चाही गई सूची 'क' व तालिका 'ब' संलग्न है।

(2) सूची 'ग' संलग्न है।

(3) विदेशी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये प्राप्त

(श्री मथुरादास माथुर)
पत्रों की उनकी योग्यता के अनुसार जांच की जाकर राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 47, 48 व 49 के अनुसार लाइसेन्स जारी किये जाते है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भैरोंसिंह : मद्य निषेध क्षेत्र में जिस समय मद्य निषेध लागू किया गया था क्या विदेशी शराब की दुकानें बंद कर दी गई थीं ? यदि हां, तो किस वर्ष में ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां। जब लागू किया गया था हमारे रूल्स 4-ए के अनुसार प्रोहिबिशन के अन्दर ब्रांडी का परमिट देते थे। उसके बाद रूल्स में अमेण्डमेण्ट कर के ब्रांडी की जगह फ़ारेन लीकर इन्सर्ट किया गया क्योंकि यह सवाल पैदा हो गया था कि जो परमिट होल्डर्स हैं वे फोरेन लीकर ही पीते हैं इसलिये जो पुराने परमिट होल्डर्स हैं उनको ही लाइसेन्स देंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह जो आपने रूल्स में संशोधन किया है यह प्रोहिबिशन लागू होने के बाद ही किया है। ब्राण्डी की जगह फोरेन लीकर सब्सटीट्यूट किया है, यह संशोधन मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित होने के बाद किया है।

श्री मथुरादास माथुर : जी।

श्री भैरोंसिंह : आवश्यकता क्या थी ?

श्री मथुरादास माथुर : आवश्यकता यूं थी कि जो प्रोहिबिटेड एरिया है, वहां लोगों को परमिट द्वारा ही ब्राण्डी दी जाती है। हमारे पास यह मांग थी कि वहां पर कई लोग फोरेन लीकर के परमिट होल्डर्स हैं। उनके लिए शराब मिलने का इन्तजाम कैसे किया जाय यह सवाल पैदा हो गया। उस पर यह निर्णय लिया गया है। हिन्दुस्तान के जिन राज्यों में प्रोहिबीशन लागू किया गया है वहां पर भी यह व्यवस्था है।

श्री भैरोंसिंह : मेडिकल एडवाइज के अनुसार कोई शराब उपयुक्त समझी जाती है तो वह ब्राण्डी है फोरेन लीकर नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैडिकल एडवाइज के अनुसार व्हिस्की भी, ब्राण्डी भी बीयर भी पी जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : व्हिस्की तो कोई डाक्टर नहीं लिख सकता।

श्री मथुरादास माथुर : एक आदमी जो परमिट होल्डर है, बीमारी की वजह से या ओल्ड ऐज की वजह से पीने वाला है, उन लोगों को परमिट मिलता है। उसके लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : इस बात का अनुमान लगाया है कि सिंडिकेटेड व्हिस्की के कितने आदमी हैं जिनके आधार पर यह किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : दस, बीस, पच्चीस आदमी हो सकते हैं। और अगर बिक्री नहीं होगी तो दुकानदार लाइसेंस नहीं लेगा।

श्री भैरोंसिंह : जालोर में जिस व्यक्ति को आपने लाइसेन्स दिया है क्या वह उसी व्यक्ति को दिया गया है जिसके पास पहले

(श्री भैरोंसिंह)
लाइसेन्स था। उसने जोधपुर में शराब का कान्ट्रैक्ट लिया है उसका नाम सोहनलाल है?

श्री मथुरादास माथुर : यह मुझे पता नहीं है कि मोहनलाल है या कौन है। जालोर, बाडमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा उन सब जगहों पर जहां पर पुराने लाइसेन्स बन्द कर दिये गये थे। और उन्होंने ब्राण्डी का लाइसेन्स लेने से इन्कार कर दिया था, फोरेन लीकर का लाइसेन्स उन्हीं लोगों को दिया गया है जो कि पुराने थे।

श्री भैरोंसिंह : और बाड़मेर, जैसलमेर में भी दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : उन्हीं लोगों को दिया है जो पुराने लाइसेन्स होल्डर थे। सभी जिलों में ऐसा ही किया गया है। अगर उनमें से किसी ने इन्कार कर दिया है तो उसके लिए एप्लीकेशन लेकर दूसरे को दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बाड़मेर, जैसलमेर में जिन लोगों की एप्लीकेशन्स आई थीं उनको खारिज कर दिया गया है?

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं है, खारिज किसी की एप्लीकेशन नहीं की गई है। फोरेन लीकर का लाइसेन्स उन्हीं लोगों को दिया गया है जो पुराने लाइसेन्स होल्डर थे। अगर वह लेने को तैयार नहीं है तो फिर दूसरों को दिया जायेगा। राज्य सरकार इसके लिए दरख्वास्तें मांगेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

राजाओं को शराब के लिये रियायतें

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजाओं को शराब की बिक्री में क्या क्या रियायतें दी जाती है?

(2) क्या यह सही है कि राजाओं को सालाना कुछ बोतलें शराब की बिना कीमत दी जाती है?

(3) यदि हां, तो सालाना किस किस राजा को कितनी कितनी गैलन कौन कौन सी शराब बिना कीमत दी जाती है?

(4) क्या किसी राजा में शराब का पैसा बकाया है?

(5) यदि हां, तो किस किस राजा में कितना कितना है?

(6) सूची सदन की मेज पर रखी जावे?

वित मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): 1. जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के राजाओं को निर्धारित मात्रा तक हर साल देशी और विदेशी शराब बिना आबकारी ड्यूटी वसूल किये हुए दी जाती है।

2. जी नहीं।

3. बिना कीमत किसी राजा को कोई शराब नहीं दी जाती।

4. 5. 6. शराब की कीमत वसूल करने के पश्चात् ही सप्लाई की जाती है अतः शराब की बकाया रहने का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

श्री हंसराज आर्य : यह ड्यूटी माफ कब तक रखेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : जब तक प्रिन्सेज जो के प्रिविलेजेज हैं वे खत्म न हो जायं ।

श्री हंसराज आर्य : इनको कितनी शराब सप्लाई की गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर के राजाओं को कन्टरी लोकल 250 एल पी गैलन्स पर ईयर इंडिया मेड फोरन लीकर 50 बल्क गैलन पर ईयर, बीयर 3711 गैलन बल्क, पर ईयर, सप्लाई की गई है ।

श्री हंसराज आर्य : इस पर टैक्स का कितना असर पड़ता है ।

श्री मथुरादास माथुर : इसको केलकुलेट करना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुछ मंत्रियों ने भी राजाओं की तरह इसी प्रकार के प्रिविलेज की मांग की है ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास तो मंत्रियों की क्या माननीय सदस्यों की भी कोई दरख्वास्त नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री सब बाथ रूम में पीते हैं ।

प्रश्न सं. 490

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द जैन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 483

श्री शंकर सिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 492

श्री मनोहरसिंह मेहता !

सवाईपुर मिडिल स्कूल के भवन के लिये स्वीकृत राशि

492. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटड़ी के प्रधान ने सवाईपुर मिडिल स्कूल को भवन निर्माण के निमित्त स्वीकृत मदद को कटवा कर दूसरे स्कूल को दिलवाई है?

(2) यदि यह सही है कि डेढ़ माह पूर्व स्वीकृत रकम को कटवा कर दूसरे स्कूल में दिलवाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार स्कूलों को इस प्रकार की मदद देती है तो क्या पहले प्रधानों से पूछती है ?

(4) यदि नहीं, तो फिर उनके ही चाहने से यह रकम क्यों काटी गई ?

(5) क्या यह सही है कि सवाईपुर की रकम जिस दांतड़ा गांव के स्कूल को दिलवाई गई है वह भी पंचायत समिति का ही स्कूल है ?

उप मंत्री, शि ा (राव श्री धीरसिंह) : (1) सवाईपुर चूंकि पहले नियमित रूप से

(राव श्री धीरसिंह)

खुला हुआ नहीं था इसलिये सवाईपुर की स्वीकृति निरस्त की गई थी लेकिन ऐसी अन्य कई शालाओं को देखने पर इस स्कूल को भी स्वीकृति दे दी गई थी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) सरकार स्वीकृति देते समय प्रधानों का भी ध्यान रखती है।

(4) प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : धन्यवाद दे चुका हूँ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बीच में छूट गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

जीवनदेसर में गंग केनाल से सिंचाई के लिये पानी

487. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रायसिंह नगर तहसील के गांव जीवनदेसर की भूमि में गंग केनाल का पानी लग सकता है ?

(2) क्या यह सही है कि जीवनदेसर गांव इस नहर से दो मर्तबा डूब गया है ? नुकसान गांव डूबने से किस वर्ष में कितना कितना हुआ ? यदि हां, तो कब कब नहर टूटी और कितना नुकसान गांव डूबने से कौन से वर्ष में हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(3) क्या यह सही है कि जीवनदेसर की जनता गंग केनाल से सिंचाई के लिये पानी की मांग कई वर्षों से करती आई है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब होगा ?

उप-मंत्री (श्री जसराज) : (1) जी हां।

(2) रेकार्ड के देखने से प्रकट होता है कि राजस्थान के निर्माण के बाद यह नहर न तो कभी टूटी है और न ही जीवनदेसर गांव कभी डूबा है।

(3) जी हां। पोंग बांध के बंध जाने के बाद इस पर विचार किया जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय जो सूची मैंने मांगी थी वह नहीं दी गई है। यह दो दफा डूबा है और कहते हैं कि जी नहीं। इसका असली नाम जीवनदेसर है।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जीवनदेसर राजस्थान बनने के बाद कभी नहीं डूबा है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इस गांव की जमीन में पानी लग सकता है और गांव के पास होकर नहर गई है। यह भी कह सकते हैं कि यह नहर राजस्थान बनने के बाद टूटी है। यह रिकार्ड में है। इसको आप अच्छी तरह से देख लें। इस गांव को पीने तक का पानी नहीं दिया जाता है। इ की सारी जमीन सिंचित हो सकती है और इसके करीब होकर नहर गई है। वहां की जनता ने बराबर इसकी मांग की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय ऐसी लाखों एकड़ जमीन है जहां पर कि सिंचाई हो सकती है और पानी पहुंच सकता

(श्री रामप्रसाद लड्ढा):

हैं। परन्तु वहां पर नॉन पेरिनियल सिस्टम है और अब पेरिनियल करना चाहते हैं तो उसको भी सिंचित करना अभी सम्भव अभी नहीं है। जब पौंग बांध का निर्माण पूरा हो जायेगा उसके बाद जब अतिरिक्त पानी होगा तब हम इस सिस्टम को पेरिनियल करेंगे और तभी इस समस्या पर विचार किया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि यह नहर के नजदीक है और नहर आगे तक भी गई है। उस गांव के एक साइड पर पानी लगता है और दूसरी साइड में नहीं लगता है। इसलिए गांव वालों की मांग वाजिब है। क्या इस पर आप विचार करेंगे

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया जितना कमाण्ड इस नहर के अन्दर है उसमें भी पूरा पानी हम नहीं दे पा रहे हैं। कई माननीय सदस्य यहां पर पानी की कमी के लिये अपना असन्तोष व्यक्त कर ने लिये अपना असन्तोष व्यक्त कर चुके हैं। ऐसी सूरत में नया कमाण्ड बनाना संभव नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान बनने से पहले इस जीवनदेसर गांव में पानी लगता था

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सूचना नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या आप इसकी जांच करवायेंगे कि पाकिस्तान बनने से पहले वहां पर पानी आता था। वहां के लोगों की यह बराबर मांग रही है और आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है। आप इसकी जांच कराने का आश्वासन दें।

रामप्रसाद लड्ढा : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय कैसे आवश्यकता नहीं है। एक नहर गांव के पास है और लोग बराबर पानी मांग रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले इस पानी से सिंचाई होती थी। एक तरफ पानी बहाया जाता है और दूसरी तरफ पानी नहीं मिलता है। 20-20 फुट टीलों में पानी चला जाय। यह आपकी राज्य सरकार की व्यवस्था है? आप इस तरह कहते हैं और जो उत्तर देते हैं वह गलत देते हैं। आपकी पूरी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय मैं इसकी जांच चाहता हूं। उन गांव वालों की मांग सही है।

प्रश्न सं. 497

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रश्न पर आश्वासन चाहता हूं, जांच चाहता हूं इसकी पुन: जांच करवाई जाय। सिंचाई मंत्रीजी जाकर देखें कि वहां की हालत क्या है?

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम गंगाराम।

स्कूटरों का अलाटमेंट

479. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : की अनुपस्थित में श्री मेजर फतेहसिंह (ब्यावर) द्वारा पूछा गया। क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) सन् 1967-68 से 1970-71 तक राजस्थान को वास्पा तथा लेम्ब्रेटा स्कूटर का कितना कितना कोटा मिला ?

(2) क्या सच है कि मंत्री महोदय अपनी मर्जी के अनुसार बिना मीटिंग बुलाये वास्पा तथा लेम्ब्रेटा स्कूटरों का अलाटमेंट करते हैं? अगर हां, तो सन् 67-68 से

(श्री परसराम गंगाराम)

70-71 तक किन किन को अलाटमेंट किया है और जिनमें अनुसूचित जाति के सदस्यों को कितना दिया ?

(3) क्या मंत्री महोदय अपनी इच्छानुसार स्कूटरों का अलाटमेंट करते वक्त किन्हीं नियमों का पालन करते हैं ? अगर हां, तो क्या अनुसूचित जाति के सदस्यों का भी ध्यान रखा जाता है ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं दी है । यह प्रश्न का गलत उत्तर दिया गया है । इसकी सूची दिलाई जाय ।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री महोदय ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ओर से व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य किसकी सूची चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आगे प्रश्न ले लिया गया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, गंग नाल में पानी · · ·

श्री अध्यक्ष : अङ्कित न हो · · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सूची चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय । इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला इसलिये असन्तोष है । आप मुझे सन्तोष दिलवायें । सरकार से सही उत्तर दिलवायें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके कहने से पूरा उत्तर नहीं है क्या ?

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, जांच करने से · · ·

श्री अध्यक्ष : अङ्कित न हो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

एक माननीय सदस्य : सूची देने में क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : विवेचन न हो । प्रश्न समाप्त हुये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस गंग · ·

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, कृपया ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे आश्वासन दिलाया जाय वह सूची मुझे मिलनी चाहिये । आप आश्वासन दें जांच कराने का ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । दूसरा प्रश्न ले लिया गया है ।

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री रामचंद्र आर्य : यह मामला दबने वाला नहीं है। यह मेरा प्रश्न है। इसकी सूची मिलनी चाहिये और जांच होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, रेकार्ड में यह आज भी मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन यह प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हंसराज आर्य (व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा प्रश्न ले लिया है मेरी भी तो जिम्मेदारी है···

श्री अध्यक्ष : अङ्कित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय सूची दिलाई जाय···

श्री अध्यक्ष : सूची का प्रश्न पैदा होता है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं। मेजर फतेहसिंह !

श्री रामचन्द्र आर्य : पाकिस्तान में चला गया और गांव वाले···

श्री मेजर फतेहसिंह : पिछली चार साल में इस विधान सभा में कितने सदस्यों को···

(दोनों माननीय सदस्य साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आग्रह न करें, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो मैं ही जानता हूं या तो आप बाहर निकालने का आदेश देंगे या सदन का परित्याग करायेंगे। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो आसन की मेरे प्रति उदासीनता रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अङ्कित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं नाम से पुकारता हूं। श्री आर्य।

श्री रामचंद्र आर्य : यह तो मुझे मालूम है यह कोई नई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नियमों की अवहेलना करने के आधार पर···आर्डर प्लीज... अब भी शान्त हो जायं, माननीय सदस्य। मेजर फतेहसिंह।

मेजर फतेहसिंह : पिछले चार साल···

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय इसकी जांच का आश्वासन दिला दें, मैं बैठ जाऊंगा।

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अङ्कित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप थोड़े से बाहर जाकर शान्ति ले लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं बाहर से ही आया हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को आर्डर प्लीज !

(माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे)

मैं माननीय सदस्य को सदन त्याग करने का आदेश करता हूं · · · कृपया बाहर चले जायं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं तो इसको मानता ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : यदि आप नहीं मानते तो मैं मार्शल को आदेश देता हूं। आप दुराग्रह न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, आश्वासन की बात है· · ·

श्री अध्यक्ष : आप दुराग्रह न करें। सीमा होती है सभी प्रश्नों की। फिर भी शान्त बैठ जाते हैं तो मैं दूसरा प्रश्न ले लूं।

(माननीय आर्य बराबर बोलते रहे)

एक माननीय सदस्य : ये बैठेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी आधा ही आदेश दिया है। मैं अब मार्शल को आदेश देता हूं। मा. सदस्य ! सदन का त्याग कर दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं त्याग नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं मार्शल को आदेश देता हूं।

मेजर फतेहसिंह : पिछले चार साल में।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : May I appeal to Professor Kedar to persuade him not to create an instance of this type. Can he prevail upon the hon. Member

श्री रामचन्द्र आर्य : हम इसको बर्दाश्त करते रहे·····

श्री अध्यक्ष : आप सदन का परित्याग कर दें थोड़े समय के लिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह आसन बार बार नाम पुकारता है। यह तो रोजाना का····

श्री अध्यक्ष : शंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

मेजर फतेहसिंह : पिछले चार साल से···

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकार अभी····

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार, उस प्रकार का तो अभी मेरा ही प्रश्न है। आप रहने दीजिए।

+++ अध्क्षीय पीठ के आदेशानुसार अङ्कित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

I understand the whole position. I know how to control.

अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : +++

श्री अध्यक्ष : मेजर फतेहसिंह। सप्लीमेण्टरी क्वेश्चन।

श्री फतेहसिंह : पिछले सालों में इस सदन के कितने माननीय सदस्यों को स्कूटर एलाट किये गए हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिस्ट हमारे पास सारी है। माननीय सदस्य चाहें तो जो लिस्ट है, वह मैं उन्हें बता सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : पूरी सुनाइए। हम सभी इण्टरेस्टेड हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 860 नाम हैं। बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री फतेहसिंह : विधान सभा के सदस्यों की आप बतायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलग अलग नहीं है।

श्री फतेहसिंह : विधान सभा के जिन सदस्यों की अप्लीकेशन दो-दो तीन-तीन वर्ष से पेण्डिग है। ऐसी कितनी अप्लीकेशन पेण्डिग हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेन्डिग की संख्या की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री विजयसिंह : आप स्कूटर किस हिसाब से एलाट करते हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आवश्यकता, प्राथमिकता और उपलब्धि के आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : एम. एल.एज. के अन्दर प्राथमिकता किस आधार पर निर्धारित करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विरोधी दल के सदस्यों के नाम भी आजायें और कांग्रेस के नाम भी आ जायं। हर क्वार्टर में 4-4 देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : विरोधी दल और सरकारी पक्ष के बीच में कितना कितना कोटा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आधा-आधा है।

श्री भैरोंसिंह : जिसकी अप्लीकेशन पहले होती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कई बार माननीय सदस्य अपनी तात्कालिक आवश्यकता बताते हैं तो उस आधार पर उनको तरजीह दे दी जाती हैं।

श्री लाभचन्द वैद : आपकी खुशामद करें। आपके पीछे पीछे घूमें तो उसको मिल जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विजयसिंह : यह सुनते ही नहीं हैं। मैंने भी तीन दफा अप्लीकेशन दी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप को मिल तो चुका है।

श्री विजयसिंह : पैसे से मिला है, फोकट में थोड़े ही दिया है।

+++ अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 28

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! प्वाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज जो सदन का कीमती समय बरबाद किया गया है। सदन के सदस्यों को अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाला गया है।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाये। अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था दी जाये।

श्री अध्यक्ष : यह सदन का प्रश्न है। अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

472. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष जून के महीने में जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर में आयोजित की गई किसान रेली के अवसर पर मुख्य मंत्री ने जयपुर जिले में विद्युतिकरण किये जाने के लिए करीब ढाई करोड़ रुपया उस वर्ष खर्च किये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस रुपये में से कितना रुपया ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए जयपुर जिले में खर्च किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इसी समय पर जयपुर जिले की प्रत्येक तहसील में 40 किलो मीटर लम्बी लाइन डालकर विद्युतिकरण किये जाने के लिए सर्व सम्मति से जिला परिषद्, जयपुर एवं जिला उत्पादन समिति, जयपुर ने सिफारिश की कि? यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत कार्य किया जावेगा ? यदि किया जावेगा, तो कब ?

(3) जयपुर जिले में ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी मील लम्बी 11 के. वी. लाइन डाली गई है ?

XXX अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

1. जी हां । वर्ष 1970–71 में इस जिले में कुल मिलाकर करीब 216.22 लाख रुपये के कार्यों की स्वीकृतियां दी गई हैं । फरवरी 1971 तक जयपुर जिले में ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए 113.98 लाख रुपये का खर्चा बुक किया जा चुका है । मार्च में हुआ खर्चा इसके अतिरिक्त होगा, जिसके आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं ।

2. जिला कृषि उत्पादन समिति ने प्रत्येक पंचायत समिति में 40 किलो मीटर लम्बी लाइन डालने की सिफारिश की थी मगर कार्य राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत योजना के अनुसार ही किया जाता है । अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

3. वर्ष 1970–71 में जयपुर जिले में लगभग 225 किलोमीटर 11 के. वी. लाइनें खेंची गई हैं ।

बिक्री कर की बकाया राशि

174. श्री पृथ्वीसिंह **चौहान** (बाली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अभी कुल कितनी बिक्री कर की राशि बकाया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि बिक्री कर की करदाताओं से अग्रिम कर के रूप में भी वसूली की जाती है ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ?

(3) इस वर्ष 1970–71 में अग्रिम कर कुल कितना वसूल किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

1. वाणिज्यिक कर सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यों के लिए सम्पूर्ण राज्य वृत्तों में विभक्त है ; वृत्तों का अधिकार-क्षेत्र राजस्व जिलों के समानान्तर नहीं है । एक ही जिले के लिए एक से ज्यादा वृत्त भी हैं और किन्हीं वृत्तों में एक से ज्यादा जिले भी हैं । अतः बकाया की जिलेवार सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं है । वृत्तवार बकाया की राशि की सूची 1–1–71 तक की इसके साथ संलग्न है । (परिशिष्ट क)

(2) करदाता राजस्थान बिक्री अधिनियम की धारा सपठित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुसार रिटर्न के साथ कर जमा कराते हैं । मार्च मास का जो रिटर्न जो अप्रेल में आता है उसका कर व्यापारी मार्च में जमा करा देते हैं । इसी प्रकार जिन व्यापारियों का व्यापार वर्ष दिवाली पर होता है उनके रिटर्न मार्च में ही शुरू हो जाते हैं । वे भी अपना कर मार्च में ही जमा करा देते हैं ।

(3) बिन्दु 2 के अनुसार अप्रेल में प्राप्त होने वाला ऐसा अग्रिम कर जो कि मार्च में ही व्यापारियों द्वारा जमा करा दिया जाता है उसकी वर्ष 70–71 की सूचना संलग्न है । (परिशिष्ट ख)

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

चांधण पशुपालन फार्म

476. श्री **बाल सिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(1) जैसलमेर जिले में चांधण पशुपालन फार्म किस वर्ष से प्रारम्भ किया गया और अब तक उस पर कितना खर्च हुआ है ? वर्ष वार खर्च की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में थारपारकर नस्ल की गायें पर्याप्त संख्या में हैं ? अगर हां, तो क्या कारण है कि सरकार चांधण थारपारकर नस्ल की गायों के फार्म को वहां से बीकानेर या गंगानगर जिले में ले जाने का विचार कर रही है ?

(3) उपरोक्त फार्म के विकास के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है।

उत्तर

1. जैसलमेर जिले में चांधण पशुपालन फार्म वर्ष 1964–65 में प्रारंभ किया गया था। अब तक उस पर जो खर्च हुआ है तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. जी हां। चांधण फार्म की थारपारकर नस्ल की गायों को केन्द्रीय फार्म सूरतगढ़ पर भेजने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने वहां थारपारकर नस्ल का बड़ा फार्म स्थापित करने की योजना बनाई है।

3. राज्य सरकार ने चांदण फार्म पर कांकरेज नस्ल के छोटे बछड़ों को पालकर सांडों के रूप में वितरण करने की योजना बनाई है इससे फार्म का विकास होता रहेगा।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पंचायत समितियों में ओवरसियर

481. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत समिति में पहले एक ओवरसियर रहता था, और अब दो तीन पंचायत समितियों के बीच में एक ओवरसियर रख दिया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि ओवरसियर फुल टाइम पंचायत समिति में न होने के कारण वहां के विकास के कार्यों का नुकसान होता है ?

(3) क्या जिन पंचायत समितियों में कुआ तथा तालाब आदि के काम हैं उनमें फुल टाइम ओवरसियर की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ?

उत्तर

1. पूर्व में 231 पंचायत समितियों में प्रत्येक में एक पद स्वीकृत था व एक पंचायत समिति में 2 पद थे। अब जिला स्तर पर ओवरसियर्स के पद स्वीकृत किये हुए हैं।

2. जी नहीं।

3. जी नहीं। जिला स्तर पर नियुक्त ओवरसियर विकास कार्यों को देखते हैं।

हायर सैकण्डरी स्कूल शाहबाद में विज्ञान विषय की पढ़ाई

482. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री नन्दलाल)

(1) क्या यह सही है कि शाहबाद में जहां हायर सैकण्डरी स्कूल है वहां विज्ञान विषय अब तक नहीं खुल पाया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि शाहबाद की जनता ने 14,000 रुपये की धनराशि शिक्षा विभाग के कहने से राजस्थान बैंक में जमा करवा रक्खी है ? यदि हां, तो उसका अब क्या हो रहा है ?

उत्तर

1. यह सही है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहबाद में विज्ञान विषय नहीं खोला गया है। विज्ञान विषय खोलने के लिए जहां 3 प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है वहां एक भी प्रयोगशाला बनी हुई नहीं है।

2. जी नहीं यह सही नहीं है।

गगवाना चिकित्सालय में दूध का वितरण

483. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या यह सही है कि गगवाना (अजमेर) चिकित्सालय में 4835 बच्चों को 1।। औंस प्रति बच्चे के हिसाब से दिनांक 28–9–70 से 30–11–70 तक दूध पिलाया गया है ?

2. क्या ये बच्चे गगवाना ग्राम के ही हैं ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी नहीं। आस पास के गांवों के बच्चे भी थे। मिल्क पाउडर दूध के वितरण रजिस्टर में बच्चों के नाम पिता के सहित अंकित नहीं किये जाते हैं। दूध पिलाये गये बच्चों के नाम रजिस्टर में अंकित हैं।

राज कार्य में हिन्दी का उपयोग

490. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या भाषा विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

1. राजस्थान सरकार द्वारा अब तक हिन्दी को राज काज के उपयोग में लाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

2. कौन कौन से विभाग पूरी तरह हिन्दी में ही अपना कार्य करते हैं ? कौन से विभाग अभी तक अंग्रेजी में कार्य करते हैं और किस कारण ? कब तक सभी विभागों में पूरी तरह हिन्दी में ही कार्य होने लगेगा ?

3. न्यायालयों में किस स्तर तक हिन्दी का कितना प्रयोग होने लगा है ? न्यायालय में सम्पूर्ण रूप से हिन्दी में कार्य कब तक होने लगेगा ? निश्चित समय से सूचित करें।

(4) शिक्षा का माध्यम हिन्दी किस स्तर तक हो चुकी हैं ?

(5) सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम हिन्दी कब तक बनादी जायेगी ?

उत्तर

1. क्रमिक योजना के अनुसार 26-1-68 से सभी विभागों में राजकार्य हेतु हिन्दी

(मंत्री, भाषा विभाग)

को लागू कर दिया गया है अलबत्ता अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को छूट अपवाद स्वरूप दी गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को हिन्दी टंकण/शीघ्रलिपि प्रशिक्षण नियमों आदि का हिन्दी में अनुवाद, हिन्दी टंकण यंत्रों का वितरण, शब्दावली आदि संदर्भ साहित्य का वितरण एवं अन्य योजनाओं द्वारा विभागों को हिन्दीकरण की साधन सुविधायें दी गई हैं व दी जा रही हैं।

2. तकनीकी विभागों में राजकार्य हिन्दी में होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तकनीकी विभागों में जिनमें इंजीनियरी संबंधी विभाग शामिल हैं, तकनीकी कार्य तथा केन्द्र से पत्र व्यवहार का कुछ कार्य अब भी अंग्रेजी में हो रहा है। अपवाद स्वरूप इस प्रकार के पत्र-व्यवहार में अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दी गई थी। यथा-संभव उस कार्य को भी हिन्दी में करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

3. राजस्थान के उच्च न्यायालय तक समस्त कार्य जिनमें निर्णय, डिक्री आदि शामिल हैं हिन्दी में किया जा सकता है, ऐसे प्रावधान कर दिये गये हैं। इसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में समस्त कार्यवाही यथासंभव हिन्दी में ही होती है। अलबत्ता सत्र न्यायालयों में वे निर्णय अंग्रेजी में लिख दिये जाते हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना रहती है। मुन्सिफी एवं सिविल न्यायालयों में अधिकतर कार्य हिन्दी में होता है, यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उच्च न्यायालय में भी यदि कोई आवेदन, बहस का काम हिन्दी में प्रस्तुत किया जाता है तो नियमतः उसे स्वीकृत किया जाता है।

4. जो कार्यवाही पक्षकारों द्वारा हिन्दी में की जाती हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं की जाती। वादी, प्रतिवादी वकील आदि यदि चाहें तो अतिशीघ्र समस्त कार्यवाही हिन्दी में होने में कोई बाधा नहीं है।

5. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में हिन्दी माध्यम का प्रयोग ही होता है। विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर को छोड़कर, विश्वविद्यालय स्तर पर भी सभी स्तरों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी स्वीकृत है। संदर्भ साहित्य हिन्दी में उपलब्ध होने पर सभी स्तरों पर हिन्दी माध्यम लागू करने की केन्द्रीय योजना है।

गोंगेरा व कारवान बांधों का निर्माण कार्य

491. श्री रामकिशन (बैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि गोंगेरा व कारवान पंचायत समिति बैर तथा कैर पंचायत समिति बयाना के बांधों का निर्माण सरकार के विचाराधीन है?

2. क्या यह सही है कि 7 साल से इन योजनाओं पर विचार चल रहा है और अभी तक भी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है?

3. इन योजनाओं को कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

उत्तर

1. जी हां।

(सिंचाई मंत्री)

2. जी नहीं।

3. आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर कारवान व गैर योजनाओं को 1972 की वर्ष से पूर्व व गोगेरा योजना 1973 की वर्ष के पूर्व पूरा कर दिये जाने की सम्भावना है।

मेड़ता हाई स्कूल की गेम्स फण्ड की राशि

494. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि लगभग 2-3 वर्ष पूर्व सरकार ने मेड़ता हाई स्कूल के एकत्रित गेम्स फण्ड को स्कूल के विकास के लिये लगाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(2) क्या यह सही है कि मेरे बार-बार ध्यान आकर्षित करने पर भी इस रकम को स्कूल के विकास के लिये नहीं लगाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस समय भी हाई स्कूल में गेम्स एण्ड स्पोर्ट्स फण्ड की काफी राशि एकत्रित है ? यदि हां, तो कितनी ? सन् 68, 69 व 70 की एकत्रित राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) जी हां, अभी तक रकम विकास हेतु छात्र संसद् की स्वीकृति न होने से प्रयोग न होने से प्रयोग में नहीं ली गई।

(3) जी हां। सूची संलग्न हैं। 30,000) रुपये की एकत्रित राशि को शाला के विकास हेतु उपयोग में लाने की आवश्यक स्वीकृति दी जा चुकी हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

तहसील परबतसर की विद्युत् योजना

495. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर, तहसील परबतसर के लिए एक "विद्युत् योजना" जिला परिषद् नागौर द्वारा बनाई गई थी ? अगर हां, तो उपरोक्त योजना राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई ?

(2) अब तक उपरोक्त योजना पर कितना कार्य हो चुका है ?

(3) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

(4) क्या यह सही है हसौर तहसील डेगाना को 132 के. वी. लाइन से जोड़ा जा रहा है ? अगर हां, तो इस कार्य को कब तक चालू किया जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां।

2. यह योजना विद्युत् मण्डल को जनवरी, 1970 में प्राप्त हुई थी।

3. उपरोक्त योजना में तहसील परबतसर के 39 ग्राम शामिल थे जिसमें से 33 ग्रामों का सर्वेक्षण कर स्कीम रिपोर्ट बनवाई गई थी जो लाभप्रद नहीं पाई गई।

(विद्युत् मंत्री)

अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

4. प्रश्न नहीं उठता।

अकलेरा तहसील के ग्रामों में बिजली

497. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विद्युत् मण्डल के पास विद्युत् लाइन को मनोहर थाना पंचायत समिति कार्यालय पर पहुंचाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या उक्त योजना का कोई सर्वे विभागीय अधिकारियों द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो उसकी सर्वे रिपोर्ट क्या है एवं उसके आधार पर रिटर्न कितने प्रतिशत मिलने की आशा व्यक्त की है ?

(3) इस क्षेत्र में विद्युत् लाइन बिछाने में उपेक्षा क्यों बरती जा रही है ?

(4) सन् 67 के बाद अकलेरा तहसील में कितने ग्रामों के कुओं को बिजली दी गई ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. ग्राम मनोहरथाना का सर्वेक्षण कर स्कीम रिपोर्ट वर्ष 1970-71 में बनाई गई। इस स्कीम रिपोर्ट के अनुसार अकलेरा से मनोहर थाना तक 11 के. वी. लाइन खींचने पर प्रथम वर्ष में 7% की रिटर्न व तृतीय वर्ष में 8.6% रिटर्न प्राप्त की थी।

3. योजना लाभप्रद नहीं होने से स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

4. केवल अकलेरा ग्राम के अलावा किसी को नहीं दी गई।

बाली एवं सुमेरपुर पंचायत समितियों के अधीन चलने वाली स्कूलें

498. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बाली एवं सुमेरपुर में पंचायत समितियों के अधीन चलने वाली कितने कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(2) प्रत्येक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या इस वर्ष कितनी कितनी है ?

(3) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की विद्यालयवार कितनी कितनी जगह स्वीकृति है और कितने अध्यापकों व अध्यापिकाओं के स्थान रिक्त हैं ? रिक्त स्थानों का क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि अध्यापकगण पंचायत समितियों के अधीन कार्य करने से असन्तुष्ट हैं ? यदि हां, तो इन अध्यापकों व अध्यापिकाओं को इन समितियों के नियन्त्रण से निकाल कर कब तक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

1. क्रमशः 62 व 60 प्राथमिक विद्यालय हैं।

2. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. पद विद्यालय वार स्वीकृत नहीं है। पंचायत समिति बाली व सुमेरपुर में क्रमशः कुल 153 व 175 पद स्वीकृत हैं। कोई भी पद रिक्त नहीं है।

4. जी नहीं। पंचायत समितियों में कार्य कर रहे शिक्षकों को राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण किया जाता है।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये ऋण

482. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत दो वर्षों से राजस्थान अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के गृह निर्माण सम्बन्धी ऋण हेतु कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(2) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि इस प्रकार ऋण प्राप्त करने में कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है ? यदि हां तो इस व्यवस्था में क्या सरकार परिवर्तन करेगी ?

(3) विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों पर ऋण देने सम्बन्धी निर्णय कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों (1969–70 एवं 1970–71) में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों (अराजपत्रित कर्मचारी) से गृह निर्माण के सम्बन्ध में वेतन के आधार पर दिये जाने वाले ऋण के बावत भिन्न 2 स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का एवं उनके द्वारा स्वीकृत किये गये प्रार्थना-पत्रों का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के कारण इसके लिये बजट में उतना ही प्रावधान रक्खा जाता है जितनी वसूली का अनुमान होता है। अतः स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारियों को उनकी मांग के अनुसार फण्ड्स का अलाटमेन्ट नहीं हो पाता है। इसी कारण से वे अपने कार्यालय में प्राप्त समस्त ऋण प्रार्थना पत्रों पर उसी वर्ष में आवंटन नहीं कर पाते हैं।

(3) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारियों को फण्ड्स का अलाटमेन्ट प्रतिवर्ष बजट के पास होते ही कर दिया जाता है। जहां तक चालू वर्ष का मामला है, फिलहाल दो मास का बजट स्वीकृत हुआ है। फलस्वरूप इस प्रयोजन हेतु बजट में रखी गई 24.00 लाख रुपये की राशि में से 4.00 लाख रुपये तक का आवंटन स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारियों को उनसे प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए कर दिया गया है।। बाकी बची

Page No 36

(वित्त मंत्री)
हुई 20.00 लाख रुपये की राशि का आवंटन पूर्ण बजट के पास होने पर कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

भेड़ प्रजनन केन्द्र बाकलिया का नल कूप

483. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि भेड़ व ऊन प्रजनन केन्द्र बाकलिया तहसील लाडनूं जिला नागौर में नलकूप बनवाया गया था? यदि हां, तो कब और उसमें कितनी लागत आई जिसमें क्या क्या कार्य हुआ और पानी की सतह कितनी है? तथा प्रति घन्टा जल निकास कितना है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कूप से क्या क्या कार्य लिए जायेंगे? इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई हो तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस कुए पर प्रति वर्ष कितना कितना खर्च आयेगा?

(स्थगित किया गया)

पशु चिकित्सा मोबाइल डिस्पेन्सरी

484. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर के नेपड़ क्षेत्र में पशु चिकित्सा के लिए एक मोबाइल डिस्पेन्सरी की बहुत आवश्यकता है? अगर हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या सरकार सांचोर के नेपड़ क्षेत्र में भवातड़ा ग्राम में या डीगपुरा या मूंतड़ी ग्राम में एक मोबाइल डिस्पेन्सरी शीघ्र खोलने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

जैसलमेर जिले में आयुर्वेदिक औषधालय

485. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों में जैसलमेर जिले में एक भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया है? अगर हां, तो इस वर्ष उपरोक्त जिले में कोई औषधालय खोलने की योजना है? अगर हां, तो कितने और कहां कहां? सूची सदन की मेज पर रखें। अगर योजना नहीं है तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में भी एक औषधालय खोलने जा रही है? अगर नहीं, तो क्या कारण है?

उत्तर

1. जी नहीं प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Page No 37

(आयुर्वेद मंत्री)

2. जी नहीं पोकरण में सन् 1961 से आयुर्वेद औषधालय स्थापित है।

नोणय बांध की ऊंचाई

486. श्री केशरसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील जहाजपुर में नोणय बांध को ऊंचा करने से जिला बून्दी तहसील हिण्डोली के ग्राम जो जहाजपुर तहसील से मिलते हैं, लाभान्वित होंगे ?

(2) मौजूदा बांध की ऊंचाई कितनी है और अब कितनी ऊंचाई बढ़ाने की योजना है ? इस बांध से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि सरकार ने भीलवाड़ा में छोटे छोटे एनिकट बनाये पर इसी जिले से लग रही तहसील हिण्डोली की सरकार ने उपेक्षा की है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) हिन्डोली के खेराड़ क्षेत्र में सरकार ने 23 वर्षों में कौन कौनसा कार्य कराया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार गुलजी का बेड़ा कुन्याला (तहसील जहाजपुर) के बीच का खाल 'रूण' को बन्धाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नोणय नामक कोई तालाब नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) इस विभाग द्वारा तहसील जहाजपुर में कोई ऐनिकट नहीं बनवाया गया है और नहीं तहसील हिण्डोली की उपेक्षा की गई है।

(4) सूची संलग्न है।

(5) गुलजी का बेड़ा कुन्याला जहाजपुर के बीच का खाल रूण को बांधने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु काछोला कुंडिया खाल तहसील माण्डलगढ़ में बांध बनाने की योजना का सर्वेक्षण कार्य चालू है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

छत्रपुरा तालाब का निर्माण

487. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) छत्रपुरा तालाब, तहसील किशनगंज के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(2) कितनी राशि अब तक खर्च की जा चुकी है व कितना कार्य हो चुका है

(श्री नन्दलाल)

तथा कितना बाकी है और कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(3) कितनी जमीन सिंचित होगी ?

उत्तर

(1) छत्रपुरा परियोजना की कुल लागत 8.48 लाख रुपये की है तथा वर्ष 71–72 में 2 लाख रु. का प्रावधान है।

(2) इस परियोजना पर अब तक लगभग 3.64 लाख रुपया खर्च हो चुका है तथा लगभग 4.84 लाख रुपये खर्च करना बाकी है धन राशि की उपलब्धि पर यह कार्य जून, 1974 तक पूर्ण होने की आशा है।

(3) औसतन वार्षिक सिंचाई लगभग 1054 एकड़ होगी।

पाली जिले के सिंचाई प्रोजेक्ट

488. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (पाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में सिंचाई के कितने माइनर एवं मीडियम प्रोजेक्ट हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कितनी कितनी भूमि कमाण्ड में आती है? और कितना–कितना खुशहाली कर देय होता है?

(3) उक्त खुशहाली कर का मतालबा बजट भाषण की घोषणा के आधार पर कब तक खारिज कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) सूची अ व ब में अंकित है।

(3) माईनर एवं मीडियम प्रोजेक्ट पर देय खुशहाली कर अब वसूल नहीं किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

भूमि सुधार हेतु बांध का निर्माण

489. श्री मजलिस खां (कामां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि ग्राम धर्मशाला और ग्राम बरबरिया, ग्राम बाढ़ और नगला आरामसिंह की भूमि भूड़ बारानी है?

2. क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों का क्षेत्र पहाड़ी है और वर्षाकाल में काफी पानी उक्त ग्रामों की भूमि और खरीफ फसलों के बीज तथा फसल को काटता हुआ, नष्ट करता हुआ राफ बांध में जाकर गिरता है, जो सीकरी बांध की नहर से भरा जाता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों को भूड़ बारानी कृषि भूमि के सुधार के लिए तथा सिंचाई के लिए नये बांध का निर्माण करने की योजना को प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

3. क्या यह सही है कि ग्राम बोहापुर, ग्राम नांगल, ग्राम वेग पहाड़ी तहसील

(श्री मजलिस खां)

नगर के तीनों ग्रामों की भूमि भूड़ बारानी है और इनका क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामीण जनता के विकास, भूमि सुधार और प्रगति के लिए नये बांध का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक।

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां, उक्त ग्रामों के पास पहाड़ियां है। वर्षाकाल में इन पहाड़ियों से बह कर आने वाले पानी से उक्त गांवों की कुछ भूमि खराब हो जाती है, परन्तु यह पानी राफ बांध में नहीं आता। इस नाले पर बांध बांधना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है।

3. जी हां, इन ग्रामों की भूमि भूड बारानी है इस सम्बन्ध में आवश्यक सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी?

बिजली प्रोजेक्ट का सर्वे

490. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

1. क्या यह सही है कि बिलासी प्रोजेक्ट तहसील किशनगंज का सर्वे हो चुका है?

2. इस प्रोजेक्ट में कुल कितनी अनुमानित रकम खर्च होने का है?

3. यह प्रोजेक्ट कब तक पूर्ण हो जावेगा तथा कुल कितनी जमीन सिंचित होगी?

उत्तर

1. जी हां।

2. इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं जिसके पूरा होने पर ही अनुमानित लागत बतलाई जा सकेगी।

3. कार्य आरम्भ होने के बाद लगभग चार वर्ष का समय निर्माण करने में लगेगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 7450 एकड़ भूमि में सिंचाई होने की सम्भावना है।

सांचोर चीतलवाना से सुराचन्द तक यात्री बसें चलाने की मांग

491. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):– क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सत्य है कि सांचौर चीतलवाना होती हुई गांव डूठवा रांपी होकर सूराचन्द तक यात्री बसेज चलाने के लिए स्थानीय जनता की मांग की जा रही है? अगर हां, तो कब से? इस बारे में क्या विभाग द्वारा इस रूट की सर्वे कराई गई है? अगर हां, तो कब? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त मार्ग पर यात्री बसें चलाने के लिए शीघ्र सर्वे करवाई जायेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या यह सत्य है कि सांचोर से मवातड़ा तक यात्री बसें चलाई जाती हैं?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्या यह भी सत्य है कि उन बसों को ग्राम सूराचन्द तक आगे बढ़ाने की जनता की मांग है ? अगर हां, तो उन बसों के परमिट्स ग्राम सूराचन्द तक कब तक बढ़ा दिये जावेंगे एवं यात्री बसें ग्राम सूराचन्द तक कब तक शुरू करादी जावेंगी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि झाव सांचोर सिलू बस मार्ग पर यात्री बसों के परमिट दिये गये हैं ? अगर हां, तो कब व कितने व किस-किस को ? क्या यह भी सत्य है कि वे बसें अब सांचोर से सिलू तक न चलाई जा कर ग्राम खोड़ा तक दूसरे मार्ग पर चलाई जा रही हैं ? अगर हां, तो कब से व क्यों ? सही मार्ग पर बसें कब तक शुरू करवादी जावेंगी ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर अगार, डभाल, वावरला, बीछा वाड़ी, सरवाना होकर मंण्डाली तक यात्री बसें चलाने के लिए स्थानीय जनता द्वारा मांग की जा रही है ? अगर हां, तो उपरोक्त मार्ग की सर्वे करवाई जाकर परमिट दिए जाकर यात्री बस सुविधा उपरोक्त मार्ग पर कब तक प्रदान करदी जावेगी ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर से प्रतापुरा, गदड़ाली, गोलासण, घूड़वा वासण, भडवल से अचलपुर, जेसला तक यात्री बसें शुरू करवाने की स्थानीय जनता की मांग है ? अगर हां, तो उक्त मार्ग की कब तक सर्वे करवाई जाकर परमिट्स लिए जाकर बस सुविधा प्रदान करादी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सांचोर-चीतलवाना होती गांव छूछवा संधी होकर सूराचन्द तक यात्री बसें चलाने के लिये कोई बसें प्राप्त नहीं हुई हैं। अब इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(2) जी हां, जल्दी ही।

(3) जी हां, सांचोर से भनातड़ा यात्री बसें चलाई जाती हैं। सर्वे के बाद निर्णय से लिया जावेगा।

(4) जी हां, सांचोर सिलू-झाव मार्ग पर यात्री बसों के दो परमिट दिये गये हैं:-

गुजरात राजस्थान ट्रान्सपोर्ट क. को दो परमिट 16-10-56 को पहले दिये गये थे जिनमें से एक 14-10-65 के बाद नवीनीकरण नहीं कराया गया और दूसरा 31 मई, 1964 के बाद नवीनीकरण नहीं कराया गया। तत्पश्चात् इसकी जगह पर एक परमिट श्री रामकिशन पुत्र केशवराम को 20-1-64 को दिया गया जिसकी अवधी 19-1-73 तक है। फिर एक अनुमाम श्री जेता राम गए थे झालानी को 28-3-69 को दिया गया जिसकी अवधि 27-3-72 तक है।

जी हां, यह सत्य है कि ... मार्ग का व्यपोवर्तन प्रादेशिक परिवहन अधिकरण के प्रस्थान संख्या 57 दिनांक 31-7-70 को ग्राम गरदानी, खेड़ा, सांचोर-भाव की तरफ हो गया है और अब बसें उधर होकर चलाई जा रही हैं।

(5) जी हां, सत्य है।

इस सम्बन्ध में दो प्रार्थना पत्र सर्व श्री राधाकिशन और श्री राम अनुज्ञापत्रधारी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
धारी सांचोर बांध की तरफ से प्राप्त हुआ है। जिसका सर्वेक्षण करा फिर प्राधिकरण की अपनी बैठक में अनुज्ञापत्र को स्वीकृति हेतु मामला रखा जायेगा।

6. वर्तमान में एसी कोई मांग क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जोधपुर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। न प्राधिकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। अतः आगे कार्यवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला सवाई माधोपुर के अधिकारियों पर अनियमितताओं के आरोप

492. श्री श्रवण लाल (हिंण्डौन) : क्या विद्युत् मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिला परिषद् तथा वहां की जनता की ओर से कई बार जिला सवाई माधोपुर के विद्युत् अधिकारियों पर अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं?

2. क्या यह सच है कि एक विद्युत् अधिकारी ने जिला परिषद् सवाई माधोपुर में यह मंजूर किया है कि उक्त आरोप सही हैं?

3. यदि हां, तो सरकार ने अभी तक सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी नहीं, आरोपों को किसी अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया।

3. शिकायतों की जांच कराई जाकर दोषी पाये गये कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गई है।

ग्राम शिवाड़ में विद्युत् देने की सिफारिश

493. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या जिला सवाई माधोपुर की तहसील सवाई माधोपुर का शिवाड़ काम विद्युत् योजना के अन्तर्गत आता है? यदि हां, तो उस ग्राम में विद्युत् न देने के क्या कारण हैं?

2. क्या सवाई माधोपुर जिले उत्पादन समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब?

3. क्या उत्पादन समिति ने भी ग्राम शिवाड़ के लिये विद्युत् मण्डल को सिफारिश की थी? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

1. जी नहीं, किसी भी स्वीकृत योजना के अन्तर्गत नहीं आता।

प्रश्न नहीं उठता।

2. जी हां। उत्पादन समिति के गठन की तारीख की जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है।

3. जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

पावर उपभोक्ताओं से न्यूनतम चार्जेज वसूल करने की प्रक्रिया

494. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (वाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) पावर उपभोक्ताओं से न्यूनतम चार्जेज वसूल करने की राज्य में क्या प्रकिया अपनाई जाती है ?

(2) यह वसूली प्रति माह करली जाती है या वर्षान्त में सारा फर्क एक साथ वसूल किया जाता है?

उत्तर

(1) पावर उपभोक्ताओं से न्यूनतम चार्जेज राज. राज्य विद्युत मण्डल की "टेरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी" के अनुसार लिए जाते हैं।

(2) केवल कृषि उपभोक्ता एवं सीजन ल इण्डस्ट्रीज से वर्ष के अन्त में फर्क वसूल किया जाता है बाकी उपभोक्ताओं से प्रति मास वसूली की जाती है।

तहसील सिकराय के ग्रामों को विद्युत्

495. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) महुआ की ओर से पाटोवी गांव की तरफ जो बिजली की लाइन आई है क्या इस लाइन को पश्चिम की तरफ और बढ़ाई जाकर तहसील सिकराय के गांवों को बिजली देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या योजना है ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत तहसील सिकराय के कितने गांवों को बिजली दी जा सकेगी और इस योजना के अन्तर्गत बिजली कब तक दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

कठूमर क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालायें

496. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कठूमर क्षेत्र की सभी प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को बैठने (पढ़ने) के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध है ?

(2) क्या ऐसी शालायें भी हैं जो पेड़ों के नीचे अथवा कच्चे टूटे फूटे छप्परों में ही लगाई जा रही हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

बड़गांव नदी पर पुल

497. श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बड़गांव से पास नदी का पानी व चौड़ा खाल होने के कारण

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

वर्षा ऋतु में एवं उसके दो तीन माह बाद तक बड़गांव के किसान पैदल व बैल गाड़ियों द्वारा अपने खेतों पर व अन्ता पंचायत समिति केन्द्र तक व अन्य गांवों में इस नदी की खाल में होकर नहीं आ जा सकते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस नदी खाल के रास्ते से यातायात को चालू रखने के लिए पुल बनाया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया व्यय होगा और यह कार्य कब तक चालू हो जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

करोड़ी कुण्ड पर बांध

498. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कठूमर पंचायत समिति के करोड़ी कुण्ड स्थान पर पंचायत समिति की ओर से कोई बांध बनवाया गया है ? यदि हां, तो इस बांध में पानी की क्षमता कितनी है ?

(2) इस निर्माण कार्य पर राज्य सरकार ने कुल कितनी धन राशि खर्च की है ? क्या इससे किसानों को कोई लाभ हुआ है ?

उत्तर

(1) ग्रामवासियों के अनुरोध पर बांध का निर्माण कार्य किया गया है । पानी की क्षमता 5.15 मिलियन टन क्युबिक फुट है ।

(2) पंचायत समिति द्वारा 10,500.00 रु. की राशि खर्च की गई है । कार्य पूरा न होने के कारण कोई लाभ नहीं हो रहा है ।

ग्राम सोखरी के निकट बांध का निर्माण

499. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सोखरी के पास पंचायत समिति कठूमर द्वारा कोई बांध बांधा गया है ? यदि हां, तो इस बांध पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ? इस बांध की पानी के स्टोरिंग की कितनी क्षमता है ?

(2) बांध के पूर्ण होने के पश्चात् क्या किसानों को कोई लाभ पहुंचा है ? यदि हां तो कितना व क्या लाभ पहुंचा है ?

उत्तर

1. जी हां । कुल 19,57,206 रुपये की राशि व्यय की गई है । स्टोरिंग की क्षमता 19.51 मिलियन क्यूबिक फुट है ।

2. वर्षा कम होने के कारण बांध में पानी कम आया लेकिन जितना भी पानी ठहरा उससे आस पास के क्षेत्र के कुओं के पानी की सतह ऊपर आने का लाभ हुआ है । बांध पूरा भरने पर क्षेत्र में सिंचाई के साधनों में वृद्धि होगी ।

सवाई माधोपुर में कॉलेज

500. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
नगरपालिका चुनावों के दौरान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सीमेन्ट फैक्ट्री तथा नगर सवाई माधोपुर की ग्राम सभा में इस वर्ष के अगले सत्र में सवाई माधोपुर में कालेज खोले जाने की घोषणा की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि फेक्ट्री के मालिकों की ओर से उन्हीं दिनों सवाई माधोपुर के लिए कालेज भवन बनाने की मुख्य मंत्रीजी के समक्ष ग्राम सभा में घोषणा की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि कालेज भवन के निर्माण हेतु जिलाधीश महोदय ने ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र के पास की भूमि प्रस्तावित कर राज्य सरकार की स्वीकृति चाही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

(4) क्या भवन के अभाव में भी अगले सत्र में सवाई माधोपुर में कालेज खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कालेज किस भवन में खोले जाने का विचार है ?

उत्तर

1. राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 1971 से सवाई-माधोपुर में कला व वाणिज्य संकाय में कालेज खोलने का निर्णय लिया जा चुका है ।

2. इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

3. राजस्थान सरकार, पंचायत एवं विकास विभाग के पृष्ठांकन सं. एफ. 70 (6) पृशि । वि. वि. 701558 दिनांक 27-1-71 के द्वारा सूचित किया गया है ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र सवाई माधोपुर के कृषि फार्म में से 62 बीघा 9 बिस्वा भूमि महाविद्यालय भवन के लिए स्थानान्तरित की है ।

4. जब तक कालेज भवन का निर्माण नहीं होता है, तब तक जिलाधीश महोदय द्वारा बताये जाने वाले भवन में ही कालेज प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

पलाड़ा ग्राम की पाठशाला

501. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है पलाड़ा तहसील नावां जिला नागौर के श्री उगम सिंह 18-राजस्थान बटालियन एन. सी. सी. पाली में नियुक्त हैं, और उन्होंने भारतीय सैनिक होने के नाते पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, उस समय उनका पुत्र प्रतापसिंह उपरोक्त ग्राम की पाठशाला में पढ़ता था ?

(2) क्या यह सही है पलाड़ा के प्रधानाध्यापक उपरोक्त विद्यार्थी के पीछे ईर्ष्यावश पड़ गये और उन्होंने पहिले उसको फेल कर दिया फिर स्कूल से बाहर निकाल दिया ?

(3) इस बच्चे को स्कूल से निकालने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि श्री उगम सिंह ने शिक्षा मंत्री का ध्यान इस बारे में

(श्री विजयसिंह मकराना)
बार बार दिलाया ? क्या शिक्षा मंत्री ने इस कार्य में कुछ किया ? यदि हां, तो क्या किया ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति कठूमर के अध्यापकों के बकाया बिलों का भुगतान

502. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या पंचायत समिति कठूमर के सभी अध्यापकों को उनके यात्रा भत्तों, मेडिकल बिलों तथा राणावत आयोग द्वारा वृद्धि किये गये वेतन का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कितने अध्यापकों का कितनी धनराशि का भुगतान होना शेष है तथा इस शेष राशि का भुगतान सरकार कब तक कर देगी ?

उत्तर

जी नहीं । दो अध्यापकों का यात्रा बिल, 22 अध्यापकों का मेडिकल बिल व एक अध्यापक का एरियर बकाया है । सूची संलग्न है । इनका भुगतान अप्रेल, 1971 तक कर दिया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

उच्च माध्यमिक विद्यालय कठूमर में विज्ञान विषय

503. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय कठूमर के प्रधानाध्यापक द्वारा कठूमर में विज्ञान की कक्षायें खोलने हेतु सरकार की शर्तों को पूरा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी जुलाई, 1971 से आरंभ होने वाले सत्र से कठूमर में विज्ञान की कक्षायें आरम्भ कर देगी ?

राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ

504. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को सन् 67-68 से अब तक किस किस स्थान पर किस किस चीज का ठेका कितने कितने रुपये में दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

2. वन विभाग का कितने समय से राज. वन श्रमिक सहकारी संघ में किस मद में कितना कितना रुपया बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

3. क्या यह सही है कि वन सम्पदा से सम्बन्धित सहकारी सोसाइटीज ने समय समय पर मांग की है कि बांस, लकड़ी, कत्था एवं गोंद का ठेका राज. वन श्रमिक सहकारी संघ को नहीं दिया जाकर क्षेत्रीय सम्बन्धित धन्धे की सोसाइटीज को दिया जावे ?

उत्तर

1. सूची " अ " संलग्न है ।

(श्रम मंत्री)

2. वन श्रमिक सहकारी समिति संघ में पुरानी बकाया नहीं है। 1970–71 के चालू सीजन के ठेके की राशि 3,93,216/- रु. है, ज्यों ज्यों माल बिकेगा त्यों त्यों वसूल करने का प्रावधान है।

3. जी नहीं। वन श्रमिक सहकारी समितियों ने तो ऐसी मांग नहीं की किन्तु वन श्रमिक सहकारी संघ की संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 26–27 सितम्बर, 70 में वन क्रय संघ के नाम पर आवंटित करने का निर्णय लिया।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

स्थगित-प्रश्न

(20-4-71)

जिला परिवार नियोजन ब्यूरो जोधपुर

383. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. जोधपुर जिला परिवार नियोजन ब्यूरो द्वारा विभागीय प्रचार सामग्री तथा ट्रांजिस्टर, कलेन्डर, चाबियों के गुच्छे आदि का जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कितना वितरण हुआ और कहां कहां और कितना शहरी क्षेत्र में ?

2. जिले के शहरी क्षेत्र के प्रचार प्रशिक्षकों ने जोधपुर शहर शहरी क्षेत्र में कितना प्रचार और प्रसार कार्य किया तथा कितने केसेज अब तक प्रेरित किये ? व्यक्तिवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।

3. जोधपुर जिला परिवार नियोजन अधिकारी (वर्तमान) के लड़के तथा पत्नी द्वारा जिले के शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग कितने कितने तथा कहां कहां नसबंदी व लूप केसेज प्रेरित किये गये तथा (प्रत्येक के नाम से कितनी प्रेरक धनराशि मोटिवेशन मनी) उठाई गई और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि गये हैं तो किन साधनों से गये तथा कहां ठहरे ?

4. जोधपुर जिला परिवार नियोजन ब्यूरों में दवाइयां तथा अन्य भण्डार सामग्री का घोटाला हुआ व कितना हुआ ? उसकी कोई विभागीय जांच आदि की गई तो क्या स्थिति रही ?

5. जोधपुर जिला परिवार नियोजन ब्यूरो के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में "बस दो या तीन बच्चे" वाला पीला वाल पेन्टिंग कितने, किस नाम के तथा कहां कहां पर बनवाये गये एवं कितना व्यय हुआ ? क्या पेन्टिंग किसी विभागीय तकनीकी अधिकारी द्वारा चेक करवा के प्रमाणित करवाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों और करवाये गये हैं तो कितने ?

6. जोधपुर जिले के ग्राम भंवर जन देसर में अप्रेल-मई, 67 में कितने परिवार नियोजन शिविर लगे तथा प्रत्येक शिविर में–

अ. कितने नसबन्दी व लूप केसेज किये और कितनी प्रेरक धनराशि व्यय की गई तथा यह सम्बन्धित व्यक्तियों में कब और किसके द्वारा चुकाई गई ?

ब. क्या इस सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई शिकायत सम्बन्धित मन्त्री व

(श्री पृथ्वीसिंह चौहान)
अधिकारियों को की गई? यदि हां, तो उस पर किस किस अधिकारी द्वारा क्या क्या कार्यवाही तथा जांच की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ? और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

7. वर्तमान जिला परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा अब तक (मई से दिसम्बर, 69) जिले में इधर उधर कितने तबादले किये व किन कारणों से ?

8. जोधपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान पर कितना व्यय हुआ तथा कितना बाकी देय है तथा कब से ? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का अलग 2 विवरण प्रस्तुत किया जाये।

9. जोधपुर के वर्तमान जिला परिवार नियोजन अधिकारी की इस पद पर नियुक्ति किस आधार पर की गई और कब से ? क्या इस सम्बंध में कोई विभागीय सीनियोरिटी सूची बनाई गई है ?

उत्तर

जिला परिवार नियोजन संस्थान जोधपुर द्वारा ट्रांजिस्टर, चाबियों के गुच्छे कलेन्डर आदि का वितरण निम्न प्रकार किया गया है :–

1. ट्रांजिस्टर्स :–जिला संस्थान को भारत सरकार की ओर से 21 ट्रांजिस्टर्स प्राप्त हुए थे उनका वितरण निम्न प्रकार किया गया है :–

ग्रामीण प. नि. केन्द्र का नाम	दिये गये ट्रांजिस्टरों की संख्या
1. बनाड़	2
2. सालावास	3
3. पीपाड़ सिटी	2
4. भोपालगढ़	2
5. मथानियां	2
6. बाप	2
7. पीलवा	2
8. सोमेसर	2
9. वालेसर	2
योग	19

शेष दो ट्रांजिस्टर वर्तमान में गुम हुए बताये गये हैं जिसकी जांच की जा रही है।

2. कलेन्डर्स :–राज्य परिवार नियोजन संस्थान से जोधपुर जिला संस्थान को 770 कलेण्डर्स मई, 1969 में भेजे गये जिनका वितरण जिला संस्थान जोधपुर ने निम्न प्रकार किया :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में 530
2. शहरी क्षेत्रों में 240

ग्रामीण क्षेत्रों में कलेण्डरों का वितरण जिला संस्थान के शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी व भ्रमणशील इकाइयों द्वारा किया गया था। वितरण का व्यक्तिवार ब्यौरा नहीं रखा गया। प्रायः इनका वितरण उन्हीं लोगों में किया गया था जिन्होंने लूप प्रविष्टि या नसबंदी आपरेशन कराया था।

3. चाबियों के गुच्छे :–

राज्य संस्थान की ओर से जिला जोधपुर को 1400 चाबियों के गुच्छे भेजे गये थे उनमें से जिला संस्थान ने 890 चाबियों

Page No 48

(परिवार नियोजन मंत्री)

के गुच्छे ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 410 गुच्छे शहरी क्षेत्रों में वितरित किये। शेष 100 गुच्छे बाद में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरित किये गये। इनके सम्बन्ध में भी वितरण का व्यक्तिवार ब्यौरा तत्कालीन भंडार लिपिक द्वारा नहीं रखा गया।

2. वाञ्छित उत्तर निम्न प्रकार है:–

क्रम.	नाम शिक्षक	वर्ष	फिल्म शो	ग्रुप मिटिंग	प्रदर्शनी	लूप	मोटिवेशन स्टरलाईजेशन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री श्यामलाल माथुर	68–69	8	2	2	16	1
	,,	69–70	पृथक से सूचना उपलब्ध नहीं है।				
2.	श्री पारसमल कुम्मट	68–69	15	238	12	252	175
		69–70	17	321	–	126	340
3.	श्री ओम प्रकाश माथुर	68–69	–	–	–	247	291
		69–70	–	–	–	–	–

3. जिला परिवार नियोजन अधिकारी वर्तमान जोधपुर के पुत्र द्वारा केवल 2 केस ही मोटिवेट किये गये और वे भी जोधपुर शहर में ही इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों मे या अन्य स्थान पर उनकी पत्नी व पुत्र द्वारा कोई केस मोटिवेट नहीं किया गया। केवल दो ही केसों का भुगतान उनके पुत्र को किया गया।

4. जोधपुर जिला संस्थान के स्टोर लेखों की जांच महालेखाकार की पार्टी द्वारा किये जाने पर प्रकट हुआ कि स्टोर में दवाइयों इत्यादि के हिसाब में गंभीर अनियमितता है। इसकी विभागीय जांच के लिये राज्य प. नि. संस्थान की ओर से सहायक निदेशक डा. एल. सी. लोढ़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। डा. लोढ़ा ने स्टोर में 18168.80 रु. की कीमत की दवाइयों का हिसाब नियमित नहीं पाया। इस सम्बन्ध में तत्कालीन स्टोर क्लर्क श्री अमरलाल को निलंबित किया हुआ है, उन्हें चार्ज शीट दी हुई है तथा मामला पुलिस को भी रिपोर्ट कर दिया गया है। जिला परिवार नियोजन अधिकारी को चार्ज शीट देने की कार्यवाही विचाराधीन है।

5. जिला परिवार नियोजन संस्थान जोधपुर द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 'बस दो या तीन बच्चे' वाला वाल पेन्टिग संलग्न सूची (परिशिष्ट 'अ') के अनुसार कराया गया।

उक्त वाल पेन्टिग पर हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. जोधपुर शहर में 841.50 रु.

2. ग्रामीण क्षेत्रों में 2596.00 रु.

ग्रामीण क्षेत्रों में पेन्टिग कार्य का निरीक्षण जिला संस्थान के आर्टिस्ट द्वारा किया गया है:–

यह वाल पेन्टिग मैसर्स फ्रेन्ड्स ट्रेडिंग

(परिवार नियोजन मंत्री)

कारपोरेशन जोधपुर द्वारा कराया गया था। पेन्टिंग का कार्य तत्कालीन जिला परिवार नियोजन अधिकारी (डा. यू. के. व्यास) द्वारा स्वीकृत किया गया था।

6. जिला संस्थान जोधपुर की स्थापना मई 1967 में हुई। अतः अप्रेल 67 में ग्राम शिविर लगाने का प्रश्न नहीं उठता। मई 1967 के अन्तिम सप्ताह में ग्राम जुनादेशर में एक शिविर लगाया गया था जिसमें 7 लूप केस किये गये प्रत्येक महिला को प्रेरक धन राशि का चुकारा श्री पारसमल प्रचार सहायक के मार्फत वहीं मौके पर किया गया था। भुगतान के समय तत्कालीन जिला परिवार नियोजन अधिकारी भी मौके पर उपस्थित थे। कुल 42/–रु. को धनराशि का भुगतान अनुसूचो 'ख' के अनुसार 7 महिलाओं को तथा एक महिला व एक पुरुष को प्रेरक राशि का भी भुगतान किया गया था।

जी हां, राज्य सरकार को तथा राज्य परिवार नियोजन संस्थान को जनता की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर सहायक निदेशक, चिकित्सा (डा. एल.सी.) लोढ़ा से जांच कराई गई थी और जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये यह मामला सतर्कता आयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को आगे छानबीन के लिये भेजा गया है।

7. जिला परिवार नियोजन अधिकारी ने मई से दिसम्बर, 69 तक केवल 4 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया। वे सभी स्थानान्तरण कर्मचारियों की स्वेच्छा के कारण किया गया इनमें से किसी को यात्रा भत्ता नहीं दिया गया।

8. जोधपुर जिले के शहर, ग्रामीण क्षेत्रों से यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान पर दिनांक 1–4–69 से 31–3–70 तक निम्नलिखित धन राशि व्यय की गई:–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय 18,560/–रुपये
2. शहरी क्षेत्रों में 10,580/–रुपये

व्यय धन राशि का योग 29140/–रुपये

देय राशि कितनी है के विषय में जिला परिवार नियोजन अधिकारी, जोधपुर द्वारा अनुमान लगाये जाने में असमर्थता व्यक्त की है। कारण कि उक्त कार्यकाल में कार्यकर्ताओं ने बिल पेश नहीं किये तथा उस समय के बिल चालू वर्ष में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। किन्तु जो बिल जिला परिवार नियोजन कार्यालय में प्राप्त हो गये हैं उनको धनराशि 2997-39 रु. देय है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में यात्रा भत्ता बिलों की जो राशि देय है, विवरण (ग) पर संलग्न है।

9. जोधपुर के वर्तमान जिला परिवार नियोजन अधिकारी डा. के. सी. सिंगल की नियुक्ति जिला परिवार नियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 21–5–69 से सी. ए. एस. (डाक्टरों) की सूची से एतदर्थ रूप से पदोन्नति कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री लाभचन्द बैद, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 20-4-71 को एक हरिजन जनसंघी कार्यकर्ता पर हमला करने तथा 22-4-71 को उन्हीं गुण्डों द्वारा जनसंघ कार्यालय पर हमला किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री कल्याणमल मीणा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें जहाजपुर तहसील में पेटा तालाब की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में पटवारियों द्वारा प्रति व्यक्ति 25) रु. वसूल किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय किये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त तीन और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) निम्नांकित माननीय सदस्यों ने आजादी के 23 वर्ष बाद भी राजस्थान में मेहतरों द्वारा सर पर मैला ढोने की कुप्रथा के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है :

(i) श्री मनोहरसिंह मेहता

(2) श्री विजयसिंह

(3) श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(4) श्री आदित्येन्द्र

(5) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

(6) श्री रामानन्द अग्रवाल

(7) श्री रामकिशन

(8) श्री श्रवणलाल

(9) श्री दिग्विजयसिंह

(10) श्री फूलचन्द बाफना

(11) श्री कृष्णकुमार गोयल

(12) श्री देवीदत्त गाड़िया

(13) श्री केशरीसिंह हाड़ा

(14) श्री गोरधन सोनी

(15) श्री जयनारायण सालोदिया

(2) श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य, विधान सभा ने सन् 71 की होली के अवसर पर पाली के जिला जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा कुछ भद्दे पोस्टर छपवाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री केशरीसिंह हाडा, विधान सभा, ने जंगलों की तेजी से अवैध रूप से कटाई के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित कर जाकर इन पर विचार किया जावे।

(श्री अध्यक्ष)

ये मामले सम्बन्धित विभागों की मांगों पर विचार करते समय कटौती प्रस्तावों के जरिये भी उठाये जा सकते हैं। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

कुछ पेण्डिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(1) जिला गंगानगर के अन्तर्गत ग्राम 9 (श्रो) तहसील करणपुर के एक पशुपालक की पुत्री के अपहरण के सम्बन्ध में श्री केदारनाथ व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधानसभा, द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) लोकसभा के मध्यावधि चुनावों के पूर्व ग्राम पलका (बूंदी) में जाबला के छोटे बांध पर मौखिक आदेश पर कार्य प्रारम्भ किये जाने एवं बाद में बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा, द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) दौसा नगर में पेय जल संकट के I. गंगासहाय, सदस्य विधान सभा, द्वारा स्थगन प्रस्ताव। जन स्वास्थ्य की मांग पर आज ही विचार किया जा रहा है उस समय कटौती प्रस्ताव के जरिये इस मामले को उठाया जा सकता है।

ये मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा, ने आदित्य मिल्स किशनगढ़ के मजदूरों द्वारा हड़ताल का नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय श्रममंत्रीजी इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुये एक वक्त देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, अगर 23 साल आजादी के बाद भी मेहतर सिर पर मैला ढो कर ले जाये पानी टपकाते हुये। आज तक हम उसके लिए कोई योजना नहीं बनायें . .

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

फिर अगर यह लोक महत्व का नहीं है तो फिर और लोक महत्व का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

मनोहरसिंह मेहता : अविलम्बनीय और क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : आ गया है क्या ? अभी मैं ने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री विजयसिंह : मैंने जो पाली के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया, उसके बारे में निवेदन करूंगा कि अभी भी वह रील लोगों को दिखाता है। और उसका सबूत है, इन्होंने श्री एल. एन. अग्रवाल, मैनेजर नरसिंह टाकीज, पाली को लिफाफे के अन्दर डाल कर भेजी है, उसके अन्दर एल.डी.सी. बाबू सुभाष रावत के हस्ताक्षर हैं। मैं यह आपको पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी जेब में रख लीजिये, और इसको बचा कर रखिये, परिवार में इधर उधर न जाने पाये।

श्री विजयसिंह : आपको दे देता हूं।

श्री शंकरलाल : इनकी जेब में शोभा देने वाली वस्तु है।

श्री केसरी सिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय मेरा स्थगन प्रस्ताव आपने अस्वीकार किया है, जंगलात के सम्बन्ध का। जंगलात की आज अवैध कटाई होती है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय का स्टेटमेंट हो जाय तो उचित रहेगा क्योंकि जंगलों की कटाई राजस्थान में बुरी तरह से हो रही है। जंगलों का सर्वनाश हो गया है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया। अस्वीकार हो गया। "सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री केसर सिंह : अध्यक्ष महोदय जंगलों की कटाई को रोकने के लिए··

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1969—70 को सदन मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मैं स्थगित करता हूं।

(स्थगित)

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज के लिये आपने आदेश दिया था। आफिसर वगैरह हाजिर है, मेरे पास स्टेटमेंट है। वैसे जैसा आपका आदेश होगा। स्थिति यह है कि यह कम्पनी ला से एम्पलाइड हैं. और गवर्नमेंट आफ इंडिया डील करती हैं. स्टेट गवर्नमेंट इसको डील नहीं करती है। इसलिए या तो इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिये, क्योंकि गवर्नमेंट आफ राजस्थान के पर्व्यू में नहीं आता है और जो भी इन्फार्मेशन मैं लाया हूं कलेक्ट करके उससे माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह साबित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : अभी ले लिया जाय।

श्री रोसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको अभी ले लिया जाय, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय किसी कारण से किसी प्रश्न को स्थगित कराने की बात करते हैं तो हमें विवशता के अन्दर स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मुझे खेद

(श्री भैरोंसिंह)

के साथ कहना पड़ता है, मंत्री महोदय को स्वयं को मैंने जाकर कहा, आज सुबह मेरे एक परिवार जन की मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : उसमें मैं सुबह से लगा हुआ था इसलिए कागज नहीं देख पाया।

अफसोस इस बात का है, इतना कहने के बाद भी मंत्री महोदय इन्सिस्ट कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपको फाइल देता हूं, आप देख लीजिये, इसमें यह बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इससे इनकी मानसिक स्थिति का पता लगता है।

श्री अध्यक्ष : मैं आगे के लिए स्थगित करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे कहने का तात्पर्य यह था, आप देख लोजिये, जो इन्फार्मेशन मैं लाया हूं।

श्री भैरोंसिंह : इन्फार्मेशन मेरे पास भी है, जो मैं हाउस में दूंगा तो पता लगेगा कि क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार।

श्री भैरोंसिंह : इतनी बात नहीं मानते हैं, जब कि रोज प्रश्नों को स्थगित करते हैं।

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा मंत्री!

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,00,45,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : जन स्वास्थ्य मंत्री!

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखा भाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,75,47,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,51,19,000 रु. तक की राशि प्रदान को जावे।

श्री अध्यक्ष : परिवार नियोजन मंत्री!

राज्य मंत्री, परिवार नियोजन (श्रीमती सुमित्रा) : अध्यक्ष महोयय, मैं प्रस्ताव

(श्रीमती सुमित्रा)

करती हूं कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,69,51,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत !

श्री भीखा भाई : दोनों को साथ कर दिया !

मांग संख्या 16, 17, 18 व 37 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग सं. 16

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : 1. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 100 रुपया कर दिया जाय (हर पंचायत के हैडक्वार्टर पर चिकित्सा की सुविधा दिलाने में सरकार की वर्तमान असफलता पर प्रकाश एवं सुविधा न हो वहां सुविधा दिलाने के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

मांग सं. 17

2. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांगानेर (भीलवाड़ा) तथा सवाई माधोपुर तहसील कोटड़ी, भीलवाड़ा में नल योजना लागू न करने तथा जहां जहां पानी की कमी हो वहां नल योजना लागू करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 18

3. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन को सफल बनाने में उत्तम शिक्षा संयम, शराबबन्दी आदि आवश्यक है, जिसे न करके परिवार नियोजन में हो रहे गलत कार्यों के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 16

श्री नन्द लाल बैरवा (पाटन) : 4. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अस्पतालों को समय पर औषधियां न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 17

6. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय 'राज्य के ग्रामीणों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये पीने के पानी की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 10 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नैनवा में पीने के पानी

(श्री नन्दलाल वैरवा)

की योजना शीघ्र ही लागू किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

8. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के सम्बन्ध में विशेष कार्यक्रम बना कर व्यय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के अधिक से अधिक केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :
10. मांग सख्या 16 मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों व शहरों के अस्पतालों में बीमारों को पट्टी तक मोल लेनी पड़ती है, अस्पतालों में खुले आम रिश्वत खोरी फैल रही है तथा छोटी डिस्पेंसरियों को दवा वगैरह कम मिलती है, जिससे बीमार काफी परेशान हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

11. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल; जयपुर में खून व मल-मूत्र के ठीक प्रकार से टेस्ट नहीं किये जाते हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

12. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे अस्पतालों में जो पाउडर का दूध बच्चों के लिए आता है उसमें काफी मात्रा में दूध के पाउडर को कर्मचारी चाय बना कर पी जाते हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

13. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल के बीमारों को खाना अच्छा नहीं मिलता है, केवल दाल का पानी और आधी कच्ची व जली रोटियां दी जाती हैं, दूध में पानी मिला होता है, बीमार इससे बहुत दुखी रहते हैं, किन्तु भय के मारे वे बोल नहीं सकते, इस पर चर्चा के लिए)।

14. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल के जनरल वार्डों में बड़ी भारी गन्दगी रहती है, जिसके कारण वहां के बीमार बड़े भारी दुखी रहते हैं तथा टट्टियों की सफाई नहीं होती, गन्दगी से टट्टियां भरी रहती हैं, इन पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल में आमतौर से सभी प्रकार की दवा तथा पट्टियां बीमारों से बाजार से मंगवाई जाती हैं इससे गरीब मरीज बहुत परेशान व दुखी हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 56

(श्री हंसराज आर्य)

16. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उन सभी सरकारी छोटे अस्पतालों में डाक्टरों की मनमानी चलती है, जहां पर देखभाल नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अस्पतालों में जहां पर दूसरा डाक्टर नहीं होता है वहां डाक्टर सरकारी दवा को अपने घर पर ले जाते हैं और उसे प्राईवेट प्रैक्टिस में काम में लेते हैं, जिससे उनको काफी मात्रा में फीस मिलती है, इन पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा भादरा के अस्पताल में लम्बे समय से लेडी डाक्टर की पोस्ट नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टर गांवों में नहीं जाते हैं जिससे गांवों के अस्पताल बिना डाक्टरों के खाली पड़े रहते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

20. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (भादरा तहसील के गांवों में लम्बे समय से पीने के पानी की मांग करने पर भी आज तक सरकार कोई योजना नहीं बना सकी है, इस पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (23 साल की आजादी के बाद भी आज गांवों में मनुष्य तथा मवेशियों को सरकार मीठा पानी नहीं दे सकी है तथा कस्बा भादरा के वाटर वर्क्स के टैंकों में पानी नहीं ठहरता है, इस पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा भादरा के पास बास बिहारीपुरा को जहां पर 90% हरिजन हैं, भादरा वाटर वर्क्स योजना में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा तहसील के खारे पानी वाले गांवों में लम्बे समय से मांग करने पर आज तक पीने के पानी की सर्वे तक नहीं की गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर की वाटर वर्क्स की जो योजना चल रही वह बहुत धीमी गति से चल रही है, उसके पूरा होने में कई वर्ष लग जायेंगे, इस पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार पक्षपात के आधार पर पीने के पानी की योजना

(श्री हंसराज आर्य)

बनाई है, इससे जनता वड़ी भारी नाराज है, तथा क्षुब्ध है, इस पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (शहरों तथा गांवों में वाटर वर्क्स का कार्य जो चलता है उसे वर्षों बीत जाते है और समय पर योजना तैयार नहीं होती है, तखमीने से अधिक धन खर्च होता हैं, इस पर पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. रुपया कम कर दिया जाय (पीने के पानी के लिये जो धनराशि इस साल सरकार ने बजट में रखी है वह नहीं के बराबर है, इस पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार ने खारे पानी के गांवों को पीने का पानी देने के लिए आज तक न तो सर्वे कराया है और न ही प्लान बनाकर पानी देने का सरकार का आज तक कोई इरादा ही है इस पर चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार शहरों में जहां पर मीठा पानी मोजूद है वहां पर तो वाटर वर्क्स तैयार कराकर उस पर लाखों रुपया खर्च करके घरों में पानी पहुंचा रही है और जहां भी गांवों में 10-10, 15-15 मील तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां पर पीने का पानी देने का कोई प्रबन्ध नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

30. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के हजारों गांवों में रहने वाले मनुष्य और मवेशियों को 23 साल की आजादी के बाद भी पीने का पानी सरकार नहीं दे सकी है, इस पर चर्चा के लिए)।

31. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, (लूणकरणसर तहसील के सभी गांवों को लिफ्ट नहर से पीने का पानी नहीं दिया जाया जा रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग सं. 18

32. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए, परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (परिवार नियोजन वाले कुंवारों तथा विधुरों के भी ऑपरेशन कर देते हैं, इन पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए, परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (लूप का लगाना अभी तक सफल नहीं हुआ है क्योंकि इससे औरतें बीमार पड़ जाती हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

34. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए, परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (परिवार नियोजन के प्रति अभी तक विश्वास नहीं बना है, इस पर चर्चा के लिए)।

(श्री हंसराज आर्य)

35. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए, परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन को देश के मुसलमान अभी तक नहीं अपना रहे है, इस पर चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए, परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (परिवार नियोजन का कार्य एक दिखावा के रूप में चल रहा है, लाखों रुपया खर्च करके भी न तो सरकार इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकी है और ना ही जनता का बनाव इस ओर बना सकी है, इस पर चर्चा के लिए)।

37. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर):मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29 चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (सवाई माधोपुर डिस्पेन्सरी का बजट अब भी सन् 1956-57 के समकक्ष होने से दवाइयों की कमी बनी रहती है, इस पर चर्चा के लिए)।

38. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29 चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाईमाधोपुर डिस्पेन्सरी में एक्स-रे मशीन के टेक्नीशियन की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29 चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में दो सौ बेडेड अस्पताल के निर्माण के विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

40. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर डिविजन में जनवरी–फरवरी में चेचक का जोर होते हुए भी शीघ्र आवश्यक उपाय न किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

41. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर डिस्पेन्सरी में लेडी डाक्टर की नियुक्ति न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

42. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सब डिविजन के अस्पतालों में बैंडेज व दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न कराये जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

43. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग को घटा कर 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेय जल योजना कस्बा सवाई माधोपुर, का सोर्स सीमेंट फैक्ट्री के हाथों में रखे जाने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

44. मांग संख्या 17. मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण पेयजल योजना क्रियान्वियन किये जाने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

45. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन–स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (कस्बा बौली में पेय जल योजना क्रियान्वित न किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

46. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सवाई माधोपुर के कस्बा भगवतगढ़ में पेय जल योजना क्रियान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बौंली के कस्बा खिरनी में पेय-जल योजना क्रियान्वित न किए जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

48. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन हेतु संयम प्रचार अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

49. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा प्रलोभन देकर इसे क्रियान्वित करने संबंधी सरकार की वर्तमान नीति पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा सरकारी गाड़ी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को देने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

51. श्री गंगासहाय (कठूमर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों और औषधालयों में होने वाली मनमानी, दवाओं की कमी व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में आयुर्वेदिक कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

53. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र खेड़ली मण्डी में न खुलने पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोविन्दगढ़, लक्ष्मणगढ़, खेड़ली (अलवर) ग्राम जल प्रदाय योजनाओं की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

55. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम परिवार नियोजन, कल्याण केन्द्र एवं प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्रों को को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

56. श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

57. मांग सं. 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में जिला स्तरीय चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

58. मांग सं. 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेय जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की, जनता के प्रति, उदासीन नीति का अनुमोदन)।

59. मांग सं. 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में पेय जल के अभाव पर चर्चा के लिये)।

60. मांग सं. 17. मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कंवरनगर कालोनी जयपुर में मेटर्निटी सेन्टर खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

61. मांग सं. 18, मुख्य शीर्षक 30-ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण विफलताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

62. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): मांग सं. 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाओं के अभाव आदि पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 17

63. मांग सं. 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में पेय जल की समस्या का समाधान करने में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

64. मांग सं. 18, मुख्य शीर्षक 30-ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन में होने वाली अनियमितताओं एवं हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

65. श्री राम चन्द्र आर्य (नोहर): मांग सं. 16 मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्डियन मेडिसन बोर्ड के भूतपूर्व रजिस्ट्रार के समय की कार्यालय की कुछ फ़ाइलों का पता नहीं चला इस पर चर्चा के लिये)।

66. मांग सं. 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (सरदार शहर गांधी आयुर्वेदिक कालेज को एड कम करने की

(श्री रामचन्द्र आर्य)
स्थिति पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा सुविधा जनता को देने संबंधी राज्य सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद विभाग द्वारा औषधालयों में पूरी दवाई नहीं भेजने व घोटालों को रोकने में सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

69. मांग सं. 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कर्मचारियों व अधिकारियों को मेडिकल सुविधायें दी जाती हैं, जिसका दुरुपयोग होता है; मेडिकल सुविधा अनुसार वेतन में बतौर मेडिकल अलाउंस जोड़ दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों को देहातों में जाने के लिये पूरे साधन दिये जावें, क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं होने से डाक्टर की सेवायें उपलब्ध नहीं हो सकतीं, इस पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर की डिस्पेन्सरी में दवाई व पट्टी की कमी रहती है, इस पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईमरी हैल्थ सेन्टर, रावतसर में कर्मचारियों व डाक्टरों के लिये आवास गृह नहीं हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

73. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आजकल झूठे सर्टिफिकेट देने का क्रम भारी मात्रा में चल रहा है, इस प्रवृत्ति को रोके जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में जनाना अस्पताल नहीं होने से भारी असुविधा हो रही है इस पर चर्चा के लिए)।

75. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर व रावतसर में प्रसूतिगृह नहीं है, इस काम को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

76. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहातों में चलता फिरता अस्पताल खोला जावे, इसकी विशेषतः तहसील नोहर, भादरा व सूरतगढ़ में भारी जरूरत है, इस पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी दवाइयां बाजार में बिक जाने की आम शिकायत है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

78 मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टी. बी. होस्पिटल कीकराली की दुर्दशा हो रही है, गर्मियों में इसके टीके नहीं लगाने से बीमारों की बहुत बुरी दशा हो रही है पानी की कमी होना बताते हैं सो इसका उचित प्रवन्ध किया जावे, इस पर चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के सवाई मानसिंह जनरल अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है, डाक्टर अमूमन अपने घर पर ही फीस लेकर मरीजों को देखते हैं एवं होस्पिटल के समय मरीजों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, इस पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के होस्पिटल में सफाई कार्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, इस पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देने की घोषणा से आज गरीब जनता के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है, इस पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पक्षपातपूर्ण तरीके से होस्पिटल खोले जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में नाजायज दवा बेचने वाला गिरोह सक्रिय हो रहा है, गत वर्ष एक दवा विक्रेता की शिकायत भी हुई थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधायकों व अन्य अधिकारियों को मेडिकल बिल बनाकर चुकारे का वक्त आता है उस समय तक डाक्टर जो पर्चा जारी करता है उसका तबादला हो जाता है; अतः मुतल्लिक रजिस्टर्ड एटेन्डेन्ट के बिलों को तस्दीक करने का अधिकार इंचार्ज डाक्टर को दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव कानसा, तहसील नोहर में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाने की मांग पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव दलपतपुरा, तहसील नोहर में होस्पिटल खुलवाने की मांग पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रामचन्द्र आर्य)

रुपया कम कर दिया जाय (गांव रामपुरा, तहसील नोहर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव ठुकराना, तहसील सूरतगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग पर चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव ढढेला, तहसील नोहर का वैद्य गांव में हाजिर नहीं रहता, उसकी गैर हाजिरी में निरीक्षक ने रेकार्ड सील किया था, उसके सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय न होने पर चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव विशरासा, तहसील नोहर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर चर्चा के लिए)।

92. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव हादासवाली में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव ललानियां, तहसील नोहर में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव भूसरका में आयुर्वेद औषधालय खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव फेफना, तहसील नोहर में एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेय जल के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि कम रखी गई है, इस पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर के नजदीक आबाद ग्रामों को राज्य सरकार द्वारा जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव पल्लू, तहसील नोहर में पानी मीठा है, उस स्थान पर जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्यूब वैल लगा कर आसपास के ग्रामों की पेय जल की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम

Page No 64

(श्री रामचन्द्र आर्य)
पंचायतों की मार्फत भूमि तल के बोरिंग के पानी के टेस्ट करने की सहायता दिलवाई जाने पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों से तालाब तक बारानी ग्रामों में पानी नहरों से ले जाया जाता है, उन नालियों को पक्का कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के नजदीक खोर पानी के गांव आबाद हैं, उन ग्रामों में नहर से पाइपों से पानी पहुँचाया जाए, इस पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर, भादरा, सूरतगढ़ व रायसिंहनगर क्षेत्रों में पीने का पानी सैंकडों ग्रामों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (गांव पाडसरा, तहसील नोहर, एक लाख की लागत में वाटर वर्क्स तैयार हुआ था, वह कुआ बन्द पड़ा है, इस पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के देहातों में पानी भयंकर व खारा व बिरावजा (जहरीला) पीने से आदमी व मवेशी मर जाते हैं, भू-जल मण्डल से भूमि के तल से पानी का टेस्ट करवाया जाकर कुवे बनवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30- जन-स्वास्थय के अन्तर्गत मांग म से 100 कम कर दिया (जाय कस्बा नोहर व देहातों में जनता को पानी नहीं मिलता इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

106. मांग संख्या 18, शीर्षक 30-ए–परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन में भारी भ्रष्टाचार है और इस सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 37

107. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थय सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (आज तक देहातों व छोटे कस्बों में जनता को पेय जल की समस्या हल करने के सम्बन्ध में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 16

108. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा

(श्री फूलचंद बाफणा)

महंगी होने के कारण गरीब बीमारों को उपचार करवाना बहुत कठिन हो रहा है, इस हेतु चर्चा के लिये)

मांग संख्या 18

109. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन दो संतानों के पश्चात् अनिवार्य कर देना चाहिये, वर्ना कई विषमतायें उत्पन्न होंगी, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (नोहर) :

मांग संख्या 16

110. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (प्राथमिक चिकित्सा के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 17

111. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य की वर्तमान व्यवस्था के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग सं. 18

112. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय (परिवार नियोजन की वर्तमान कठोर व्यवस्था के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग सं. 37

113. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य पर जो पूंजी लगाई जा रही है, उसके औचित्य के विषय में चर्चा के लिए)।

श्री जयनारायण खांडोदिया (निवाई):

मांग सं. 16

114. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (आयुर्वेद विभाग में व्याप्त अव्यवस्था व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के दवाखानों में डाक्टरों व दवाओं की कमी पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में नौकरियों, प्रमोशनों व ट्रांसफरों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

117. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा निवाई में जल योजना कार्य धीमी गति से चल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 66

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मांग सं. 18

118. मांग सं. 18, मुख्य शीर्षक 30-ए परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विपुल धन-राशि खर्च करने पर भी यह विभाग आबादी रोकने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में परिवार नियोजन कार्यों की ओर ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

120. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टमकोर कस्बे में सरकारी डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूड़ी अजीतगढ, जिला झुन्झुनूं में राजकीय अस्पताल खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

122. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलसीसर कस्बे में हरिजनों की बस्ती में पानी के नल नहीं डालने पर चर्चा के लिए)।

123. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूड़ी अजीतगढ़ में वाटर वर्क्स की तरफ से जरूरी स्ट्रीट लाइन्स नहीं डालने पर चर्चा के लिए)।

124. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम–टांई और ग्राम डाबड़ी धीरसिंह में जल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जल योजनायें अलसीसर मलसीसर और नूआ में चालू करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

126. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलीगढ़ कस्बे तहसील टोंक में जनता द्वारा अपना योगदान 10,000/–रुपये जमा कराने के बाद भी वहां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का भवन न बनाने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा कस्बे में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री दिग्विजयसिंह)
रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा कस्बे में स्थापित चिकित्सालय की गिरती हुई हालत पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

129. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा कस्बे में जल प्रदाय योजना का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और वहां पर नल इत्यादि का अभाव हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

130. श्री रामकुमार मन्डवाना (चित्तौड़गढ़) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले के अस्पतालों को दवाइयों का बंटवारा पूरा नहीं होने से बीमार बड़ी तकलीफ पाते हैं, इस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

131. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगला, गेग, सिंहपुर, भदेसर, धामान, बम्बोरी, बसाड़, बान्सी, संनी की जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

132. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में जनता का समय पर इलाज नहीं होता व कई क्षेत्रों में दवाखाने नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

133. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में जनता को साफ पानी नहीं मिलने से बीमारी फैलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

134. श्री लक्ष्मण तानेवाल (डग) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में अस्पताल की दुर्व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

135. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने से एवं ढिलाई व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

136. श्री रतन लाल मीणा (जहाजपुर) : मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील के ग्राम ईन्दूदा में डिस्पेन्सरी खुलाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री कल्याणमल मीणा)

मांग संख्या 17

137. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (ग्राम पन्डेर, बिलेठा, सकरगढ़, रोपा टिढोड़ा, अमरगढ़ में जल प्रदाय योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

138. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर तहसील के ग्राम सिवाड़ में अस्पताल या डिस्पेन्सरी खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जल्द तैयार कराने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

140. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर तहसील के ग्राम चौथ का बरवाड़ा में नल योजना लागू कराने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

141. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिवगंज अस्पताल में एक्स-रे मशीन डीनर द्वारा उपलब्ध किये जाने के उपरांत भी विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं करने बाबत चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में निदान के आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में दवाइयों की कमी के बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

144. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध से जोधपुर तक पानी पहुँचाने में अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिए)।

145. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय बोर्ड की स्थापना नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर शहर को पर्याप्त पेय जल उपलब्ध नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16

147. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर में नियुक्त जिन डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें हैं उन पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल में रोगी वाहन की व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल में दानदाता को एक और वार्ड बनाने की इजाजत चाहने पर भी नहीं दी गई, इस पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भ्रमणशील चिकित्सालयों का और विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुनावों के दौरान कर्मचारियों के स्थानान्तरण बन्द होने पर भी भारी मात्रा में स्थानान्तरण किये जाने पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ अस्पताल में लम्बे समय तक एक्स-रे मशीन खराब हालत में रहने पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्डियन मेडिसिन्स बोर्ड का चुनाव समय पर नहीं करवाने तथा बार बार चुनाव स्थगित करने पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद औषधालयों में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो उप वैद्यों की योग्यता हैं, उनको पदोन्नत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इण्डियन मेडीसिन्स बोर्ड के पास वैद्यों की श्रेणी परिवर्तन के मामले लम्बे समय तक पड़े रहने तथा प्रार्थियों को सूचित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद कालेज सरदार शहर को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद औषधालय रोड़ू, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में निर्धारित मात्रा में दवाइयां सप्लाई नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

158. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक, 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल के इन्चार्ज डाक्टर अस्पताल के समय गैर हाजिर रहते हैं तथा अधिकतर जोधपुर जाते रहते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29 चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल में योग्य डाक्टरों को इन्चार्ज बनाने की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमती केसर देवी जनाना अस्पताल लाडनूं, दान दाता के साथ किये गये एग्रीमेंट के अनुसार नहीं चलाने पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल के इन्चार्ज डाक्टर द्वारा अस्तपाल के सामान और कर्मचारियों को अपने निजि कार्य में लेने पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल के इन्चार्ज डाक्टर द्वारा रोगियों के खाद्य पदार्थ के फर्जी बिल बनवाकर रकम हड़प लेने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल के इन्चार्ज डाक्टर द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट्स देने पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुखदेव जनाना अस्पताल लाडनूं बिना डाक्टर के चलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल के इन्चार्ज डाक्टर द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों को आपस में लड़ाने की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल के इन्चार्ज डाक्टर द्वारा फर्जी रसीदें तैयार करके सीधी आदर्स, लाडनूं के नाम की रकम उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल के इन्चार्ज डाक्टर के खिलाफ शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 26–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेकार

(श्री हरजीराम बुरड़क)
डाक्टरों को कार्य पर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय गत छः माह से अधिक समय से लाडनूं अस्पताल में भर्ती किये गये मरीजों को खाना नहीं देने और खाना नहीं देने दिलाने के बावजूद भी जिला अधिकारी द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल में मरीजों के लिए खाद्य सामग्री खरीदने में की गई अनियमितताओं; जैसे टेण्डर नहीं मांगने, इस सम्बन्धी फर्जी बिल बनाने आदि पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। ग्राम लाछड़ी, तहसील लाडनूं जिला नागौर में विभाग द्वारा बनाए गए पानी के हौज में ठेकेदार द्वारा गलत सामान, का उपयोग करने तथा विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

173. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना फिरवासी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में गांव पाण्डोराई को सम्मिलित नहीं किया जाने पर चर्चा के लिए)।

174. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना केराप, जिला नागौर में बिना पानी वाले गांव दादुवासनी, आजवां, भामासी व सींधाना को शामिल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

175. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए, ई. एन. लाडनूं द्वारा सरकार द्वारा जन सहयोग की राशि माफ कर देने के बाद भी जन सहयोग की राशि प्राप्त करने और अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहने पर चर्चा के लिए)।

176. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रीजनल जल प्रदाय योजना केराप, जिला नागौर से गांवों में जहां मीठा पानी था वहां पर खारा पानी सप्लाई करने पर चर्चा के लिए)।

177. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं में प्राप्त जल स्रोत का अत्यधिक दुरुपयोग करने, छापर आदि कस्बों को पानी देने से जल स्रोत नीचे चले जाने पर चर्चा के लिए)।

178. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं जलप्रदाय योजना द्वारा गरीबों के मोहल्लों में लाइने नहीं बिछाने पर चर्चा के लिए)।

Page No 72

(श्री हरजीराम बुरडक)

179. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना सुजानगढ़ के लिए लाडनूं से गई पाइप लाइन में किये गये गलत कार्यों की जांच के लिए दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना लाडनूं के कार्यालय में टंकी आदि के लिए काम में आई भूमि का फर्जी मालिक बता कर एक व्यक्ति द्वारा मुआवजे के रूप में भारी राशि प्राप्त करने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बाकलिया की जल प्रदाय योजना के नाम पर ए.ई.एन. लाडनूं द्वारा ग्रामवासियों से चन्दा वसूल करके रुपये जमा कर लेने पर चर्चा के लिए)।

182. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बी-जोधा, जिला नागौर की जल प्रदाय योजना के लिये पास में पानी उपलब्ध होते हुए भी लाडनूं से पानी ले जाने की योजना बनाने पर चर्चा के लिए)।

183. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बी-जोधा, जिला नागौर में बिना जल स्रोत का पता किये ही योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बी-जोधा, जिला नागौर में नलकूप को काम में नहीं लिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

185. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—ए परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों द्वारा फर्जी आपरेशन बताकर बाद में रकम प्राप्त कर लेने की शिकायतें जांच द्वारा सही पाये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

186. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं कस्बे में नियुक्त परिवार नियोजन स्टाफ के खिलाफ शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

187. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 30-ए—परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील जायल, जिला नागौर में लूप लगाने के फर्जी केसेज पकड़े जाने पर भी कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए- परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में परिवार नियोजन के फर्जी आपरेशन

(श्री हरजीराम बुरडक)
की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

189. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 30 ए-परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिवार नियोजन अधिकारी, भरतपुर के खिलाफ हुई शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के आपरेशन के बाद सही रूप से उपचार नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के मुख्यालय में कर्मचारियों की पदोन्नतियों व नियुक्तियों में किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना रताऊ, तहसील लाडनूं जिला नागौर के चलाने के नाम पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा योजना को बन्द करने की धमकी देकर हजारों रुपये बिना रसीद के वसूल किये जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

193. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94 जन-स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लाछड़ी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के विभाग द्वारा बनवाये गए पानी के होज में ठेकेदार द्वारा गलत सामान का उपयोग करने और विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

194. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं जल प्रदाय योजना के लिए दीपचन्द पहाड़िया के कुए का उपयोग नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94 जन-स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना लाडनूं की सार्वजनिक टूटियों का चयन गलत रूप से भेदभावपूर्ण तरीके से किये जाने तथा जनता की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखने पर चर्चा के लिए)।

196. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 44-जन स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं जल प्रदाय योजना के कार्य में पूर्व स्कीमों के अनुसार पाइप लाइन नहीं बिछाने पर चर्चा के लिये)

197. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं से सुजानगढ़ आई पाइप लाइन में किये गये घोटाले की जांच के लिये पूर्व में दिये गये आश्वासनों के अनुसार कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरडक)

198. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना लाडनूं के लिये दानदाता द्वारा किये गये एग्रीमेन्ट के अनुसार सरकार ने रकम वसूल नहीं की है, जिसके कारण योजना अधूरी है, इस पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना लाडनूं के कार्यालय के चयन व आवास गृहों के नीचे आई हुई भूमि का एक व्यक्ति द्वारा फर्जी मालिक बन कर मुआवजा प्राप्त करने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

200. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ अस्पताल में दवाईयों की कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

201. श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार की चिकित्सा प्रणाली गरीबों के हित में नहीं है, इस विषयक सरकार की नीति का अनुमोदन)।

202. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर के जनरल अस्पताल को 'ए' क्लास अस्पताल घोषित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

203. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर नगर में पानी की पर्याप्त सप्लाई के लिये ठोस योजना पर चर्चा के लिये)।

204. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में तपेदिक रोग अधिक फैल रहा है, जिसके लिये अलग से तपेदिक अस्पताल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 26–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर राजकीय अस्पताल में निम्न कमियों की पूर्ति पर विचार पर चर्चा के लिये):–

(1) एक्सरे प्लान्ट्स के संचालन के लिये रेडियोलो जिस्टमय टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति।

(2) एम. एस. एवं एम. डी. की वहां तुरन्त नियुक्ति,

(3) पेडिएटिरिक (विशेषज्ञ बालकों के इलाज के लिये) की नियुक्ति,

(4) ओब्सटेट्रिसियन एण्ड गायनाकोलोजिस्ट की नियुक्ति,

Page No 75

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(5) कोटेज वार्ड एण्ड चिल्ड्रन वार्ड,

(6) मरीजों की शैय्याएं संख्या 100 करना,

(7) ईयर नोज एण्ड थ्रोट स्पेशलिस्ट की नियुक्ति,

(8) आंखों के इलाज के विशेषज्ञ की नियुक्ति, तथा

(9) ट्रेन्ड लेबोरेटरी टैक्निशियन की नियुक्ति ।

206. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पताल बाडमेर में कोटेज–वार्ड्स न होने से जनता में असंतोष पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

207. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सार्वजनिक नल कूपों को चालू रखने पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में भाडखा बोडिया से बाड़मेर पाइप लाइन पर बने भाड़खा, बोदिया, कपूरडी जालेपा, हरसाणी कोटा (जालेपा) पर बने सार्वजनिक होजों (Reservior) को चालू न करने से जनता में त्राहि त्राहि मचने और घोर असंतोष फैलने पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से बाडमेर आगोर, कुड़ला, शिवकर एवं रामसर कुओं (रावतसर) में पाइप लाइन की कमी से सर्वे किये जाने के उपरान्त भी कार्य शुरू नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वोथिया भाडरवा ट्यूब वैल से देरासर तक भादरेश, चूली, तिरसीगढ़ी, तिरसीगढ़ा, गुडीसर ग्राम होती हुई पाइप लाइन का काफी अर्से से सर्वे किये जाने के उपरान्त भी काफी कार्य शुरू नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कानासर एवं ऊंडू ट्यूब वैल से काशमर, रतेऊ, शहर, खींवसर, कानोड़, कोलू, आकदड़ा एवं जाजवा तक पाइप लाइन की काफी अर्से से सर्वे किये जाने के उपरान्त भी कार्य शुरू होने में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गग मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तुडबी नलकूप से राणासर, देतांली, गागरिया, रामसर, भाचवर, सेतराई, चाडी, पडारिया तक पाइप लाइन योजना की स्वीकृति होने के उपरान्त भी कार्य शुरू होने में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

Page No 76

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

213. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीमडा बावतू पाइप लाइन योजना का कार्य बड़ी धीमी गति से चलने के कारण अभी तक उक्त योजना से सम्बन्धित गांवों में पानी सप्लाई नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता में तीव्र असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये)

214. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में पानी की माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ मोहल्लों में एक सप्ताह में दो दिन पानी पहुंचने और कहीं सिर्फ आधा घंटा पानी पहुंचने के कारण जनता में तीव्र असंतोष है, इस पर चर्चा के लिए)।

215. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोवला नलकूप से आगोरिया, शिव एवं गूंगा के होजों में रैग्यूलर निःशुल्क पानी सप्लाई नहीं करने के कारण जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है, जिस पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़तू प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में प्रसूति गृह न होने से जनता में तीव्र असंतोष व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माहवार नलकूप चालू न होने के कारण माहवा ग्राम की जनता पानी के लिये त्राहि त्राहि कर रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

219. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिए)।

220. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29 चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के रोजमर्रा के कार्य में मंत्री द्वारा अनुचित हस्तक्षेप, पदोन्नति दोषपूर्ण व पट्टियों के साथ साथ अन्य दवाइयों के अभाव के बारे में चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी के राघवेन्द्र अस्पताल में औजार, कम्बल, इनडोर वार्डों की कमी, पट्टी व दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

222. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना पक्षपातपूर्ण है, उदाहरणार्थ ग्रामीण जल-प्रदाय योजना हिण्डोली में

(श्री केसरीसिह हाडा)
रेगरों के मोहल्ले में सार्वजनिक नल देने में सरपंच हिण्डौली द्वारा बाधा उपस्थित की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

223. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल-प्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजना में असफलता पर चर्चा के लिये) ।

224. श्री विजय सिंह (मकराना) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (नगरपालिका, मकराना की नल योजना केवल चुनाव स्टण्ट ही साबित हुई, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 16

225. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में गरीबों के लिए दवाइयां न होने व सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस पर अधिक जोर देने से व्यवस्था असंतुलित हो रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 18

226. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस मद में अत्यधिक खर्च होने पर भी इस पर काबू न पाने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 16

227. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में जो अस्पताल हैं उनमें मरीजों के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही पर चर्चा के लिए)।

228. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की छीपाबड़ौद स्थित डिस्पेंसरीज के डाक्टरों द्वारा फैलाये जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

229. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में चिकित्सा विभाग में डाक्टरों को नौकरियां दिलाने में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 17

230. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के ग्राम छीपाबड़ौद में बने हुए जच्चाखाने की इमारत के होते हुए भी वहां स्टाफ नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

231. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा छीपाबड़ौद में दवा विक्रेताओं के साथ सांठ-सांठ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

मांग सं. 18

232. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन अधिकारियों द्वारा ग्रामीण जनता के साथ दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

मांग सं 16

233. श्री नाथूदास (फलासिया): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय फलासिया क्षेत्र में समय पर औषधियां उपलब्ध न होने और वहां के आयुर्वेदिक औषधालयों को बी. श्रेणी में करने बाबत चर्चा के लिये)।

234. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले से सम्बन्धित डी.एम. एच.ओ. मुख्यालय जोधपुर में होने के कारण बीमारी के प्रकोप के बारे में रोकथाम समय पर नहीं हो पाती, जिससे कि जनता को वांछित सुविधा नहीं मिल पाती; अतएव जैसलमेर में ही इस कार्यालय की स्थापना हो, इस पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय) जैसलमेर अस्पताल में एम.एस. डाक्टर की नियुक्ति न होने से मरीजों को बीकानेर या जोधपुर जाना पड़ता है, इस सम्बन्धी उचित व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में विभाग द्वारा जीपें कम देना और अधिक समय तक मरम्मत के अभाव में उपयोग में नहीं आने के कारण जनता को चिकित्सा सुविधा समय पर नहीं मिल पाती है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

237. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांकड़ा पंचायत समिति के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र फलसुंड में खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले के सांगड़ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के भवन निर्माण पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर नगर प्रसूति गृह में डाक्टर व स्टाफ के अभाव से अनेक मौतें हो गई हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कल्लाऊ मनियाना में सर्वेक्षण में परिवर्तन व दांतल ग्राम को वंचित रखना व ठेके देने में विभागीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(श्री बालसिंह सोढा)

241. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जैसलमेर में ग्रामीण पेय जल योजनाएं बनाने में व सर्वेक्षण में क्रियान्वित करने में विभाग द्वारा विलम्ब, पक्षपात, अनियमितताएं व भ्रष्टाचार बरतने पर चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लाठी की ग्रामीण पेय जल योजना विभाग द्वारा एक दिन भी नहीं चला कर, उसको पूर्ण बता कर, असफल बता कर बन्द कर दिया गया, जिसकी जांच करने व ग्राम पंचायत से जो रुपया लिया उसका भुगतान करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

243. श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा): मांग संख्या 16, मुख्य शिर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को चिकित्सा सुविधा जो आज मिल रही है, उसमें सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

244. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेडिकल कालेजों के फोरेंसिक मेडिकल विषय के लिये स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में ब्लड ट्रान्सफ्यूजन व ब्लड बैंक के कार्यों के लिये प्रशिक्षित डाक्टरों की कमी पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद विश्व भारती के बन्द होने पर चर्चा के लिये)।

247. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डा. सोढा की लोक सेवा आयोग द्वारा रिजेक्ट करने के उपरांत भी सरकार द्वारा रिट्रोस्पेक्टिव असर से नियुक्ति कर अनियमित ढंग से भारी धनराशि के भुगतान पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रैट कोन्ट्रैक्ट के अधीन विभाग द्वारा सब स्टेन्डर्ड दवाइयों व बेन्डेज की खरीद पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

249. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर में प्रशिक्षित मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक एवं रसायन परीक्षक की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

250. श्री देवीलाल (सराड़ा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर जाय (सैमार गांव में डिस्पेंसरी खोलने के विषय पर चर्चा के लिये)।

(श्री देवीलाल)

251. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नठारा की पाल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

252. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में गांव सेमारी में नल योजना चालू कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

253. श्री रावतराम (छापर): मांग संख्या 7मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालय अधिक संख्या में खोलने एवं प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के डाक्टर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने तथा नाइट हाल्ट करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

254. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कानूता-मूंदड़ा-शांडवा तथा कस्बा छापर जिला चूरू में जल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

256. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार नहीं कर पाई, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

257. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सावर ग्राम में दाईखाना भवन उपलब्ध होने पर भी दाइखाना नहीं खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी अस्पताल को अपग्रेड करने की स्कीम को सन् 1962 से अब तक लागू नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पतालों में पोस्ट मार्टम करने की फीस लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के चिकित्सा विभाग के कान्टीजेन्ट सर्वेन्टस् का अभी तक फिक्सेशन नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 81

(श्री देवीलाल बुरासिया)

261. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सदारां में डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पी.एम.एच ओ. ब्यावर द्वारा चिकित्सा सुधार कमेटी की चार साल में एक भी मीटिंग न बुलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायं। (केकड़ी राजकीय अस्पताल के बजट में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी राजकीय अस्पताल में मैडिसिन सप्लाई की मात्रा में वृद्धि करने के सम्बन्ध के चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पताल केकड़ी में डाक्टरों की गुटबन्दी से मरीजों की परेशानियां बढ़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर के राजकीय अस्पताल की ऐक्सरे मशीन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों को कम मात्रा में औषधियां देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में मेडिकल स्टोरों द्वारा एक्सपायर्ड डेट की मैडिसिन्स बिक्री करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

269 मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जाय (केकड़ी के राज्य अस्पताल में शैयाओं में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा मन्त्री की घोषणा के पश्चात् भी अभी तक केकड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत प्रान्हेड़ा में आयुर्वेदिक औषधालय न खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अराई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सांपला में प्राथमिक हैल्थ सेंटर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र की

(श्री देवीलाल बुरासिया)
ग्राम पंचायत देवगांव में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

273. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर-पालिका द्वारा व विभाग द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुशार पाइप लाइन फिटिंग नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

274. मांग सं. 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में जल प्रदाय विभाग का ऑफिस कायम कर जूनियर या असिस्टेन्ट इन्जीनियर रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30- जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जल प्रदाय योजना में आये दिन पाईप फटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30- जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जल प्रदाय योजना के टेंक नम्बर 3 से ग्राम प्रतापपुरा को पाइप लाइन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30- जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरवाड़ नगर में जल प्रदाय योजना चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में प्राइवेट पाइप फिटिंग कराने वालों से जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15/- या 17/- ज्यादा लेने व उसकी रसीद नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में पब्लिक टेप नहीं लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में जहां पाइप फिटिंग हो गई है वहां पर अभी तक पब्लिक टेप नहीं लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में पूरे शहर में अभी तक पाइप लाइन फिटिंग नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से

(श्री देवीलाल बुरासिया)

100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जल प्रदाय योजना की डाइरेक्ट पाइप लाइन से उद्यान एवं कृषि के लिए कनेक्शन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम झूलिया में चमड़ा रंगाई का कार्य आबादी मोहल्ले में होने से स्थानीय मोहल्ले के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस विषयक स्वास्थ्य विभाग का ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

284. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के नाम पर लाखों रुपयों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

285. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में बुड्ढों एवं कुवारों का आपरेशन करने एवं औरतों के बिना इजाजत के लूप आदि लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

286. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ नगर में चिकित्सालय की अव्यवस्था पर कार्य के लिये)।

मांग सं. 17

287. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम असनावर (जिला झालावाड़) में नल योजना का कार्य शुरू न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़):

288. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में दूर दूर बसे गांवों में सुगम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 37

289. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले एवं अन्य ग्रामों में खारा बिराइयां और अपर्याप्त पीने योग्य पानी रीजनल पाइप स्कीम बनाकर देने की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता एवं उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

290. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की

(श्री दौलतराम सारण)
लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीदासर जल प्रदाय योजना के लिये जलस्रोत खोजने के नाम पर किये गये अनुचित खर्च और योजना को पूरा करने में किये गये अनावश्यक विलम्ब के साथ-साथ कस्बे के निवासियों को पीने के पानी का भारी संकट है; इस सम्बन्धी विभागीय अकर्मण्यता, असफलता और उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

291. श्री अर्मलाल यादव (बहरोड़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा शाह जहाजपुर में चिकित्सालय खोलने के संबंध में तथा दवाइयों की कमी से जनता को तकलीफ है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 37

292. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रोडवाल, कुनील, गिगलाना, तहसील बहरोड़ जिला अलवर के कस्बों में नल योजनायें अब तक चालू न होने से जनता को भारी तकलीफ के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

293. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के अन्तर्गत जिनका ओपरेशन किया गया है उन्हे समय पर दवाइयां व पट्टियां उपलब्ध न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 37

294. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहातों में नल योजनायें अधिक सक्रियता से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

295. श्री श्री निवास शारदा (निम्बाहेड़ा): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटी सादड़ी निम्बाहेड़ा क्षेत्र से समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराय जाने के बारे में चर्चा के लिये)

मांग सं. 17

296. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा–छोटी सादड़ी तहसील को जलप्रदाय योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

297. श्री मूलचंद कटेवा (पिलानी): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के ग्राम बख्तावर पुरा में डिस्पेंसरी खोलने पर चर्चा के लिये)।

(श्री मूलचन्द कटेवा)

298. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के श्रीमती दुर्गादेवी मेमोरियल होस्पिटल चिड़ावा, में बैड्स् की संख्या निर्धारित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

299. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की पिलानी योजना से इसी वर्ष पानी लोगों को दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

300, मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के ऊंचे स्थानों पर बसने वाले लोगों को दूसरी टंकी बनाकर पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

301. मांग संख्या 17. मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की सुल्ताना, मन्ड्रेला व बख्तावरपुरा ग्रामों की जल प्रदाय योजनाएं इसी वर्ष में पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

302. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की चिड़ावा तहसील के ग्राम नारनौद व माली गांव में दूषित पीने का पानी होने से लोग कूबड़े हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं अतः वहां पर पास के किसी स्थान से पाइपों द्वारा पीने का पानी दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं 16

303. श्री सुरेन्द्रसिंह (खारची) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खारची क्षेत्र में चिकित्सा व दवाइयों की असुविधा है और दानदाता नई डिस्पेंसरी बनना चाहता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

304. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन को ज्यादा सुदृढ़ व व्यापक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

305. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों की सेवाएं छोटे से छोटे ग्राम तक में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

306. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (जन स्वास्थ्य विभाग अपना कार्य पूरी योजना बनाकर नहीं करता और यदि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता

(श्री भगवानदास शास्त्री)

हो तो उसका पुनः निरोक्षण नहीं करती, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

307. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के निमित्त करोड़ों रुपया प्रचार में खर्च करने पर भी वांछित लाभ न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 37

308. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिये योजना बनाते समय जनता के स्वास्थ्य एवं आवश्यकता का विशेष ध्यान रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

309. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद विभाग के आधीन कार्य कर रहे उपवैद्यों के वेतन स्तर में वृद्धि करने तथा उन्हें वांछित सुविधाएं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

310. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदिवासियों हरिजनों के साथ भेद-भाव की सी नीति बरतने पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़):

मांग सं. 16

311. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29--चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (नवलगढ़ डिस्पेंसरी को क्रमोन्नत करके प्रसूतिगृह भवन से अलग मकान में चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

312. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोलसिया, कारी, बड़वासी, भगेरा, डूमरा एवं कसेरू में चिकित्सा का कोई प्रबन्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

313. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम परसराम पुरा, पंचायत समिति नवलगढ़, जल प्रदाय योजना के लिये पब्लिक द्वारा बीस हजार रुपये जमा करा देने के बावजूद जल-प्रदाय-योजना पर ध्यान न दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

314. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बसवा झाझड़, खिरोड़, गोठड़ा आदि में जल प्रदाय योजना प्रारंभ न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री सांवरमल बासोतिया)

315. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 39-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (नवलगढ़ कस्बे में जरूरतमंद रास्तों में पानी वितरण के लिए पाइप-लाइन न बिछाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

316. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ कस्बे के हरिजन मोहल्लों में पब्लिक टेप न लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

317. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (मुकुंदगढ़ कस्बे में हरिजन मोहल्लों में पब्लिक टेप न लगाये जाने के सम्बन्ध चर्चा के लिये)।

318. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (नवलगढ़ पंचायत समिति के ग्राम मांडासी में पूर्ण तैयारी के बावजूद जल-प्रयाय योजना प्रारंभ न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री हुरलाल मीणा, प्रतापगढ़ :

मांग सं 16

319. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ जनरल व जनाना अस्पताल के डाक्टरों के लिये क्वार्टर की व्यवस्था एवं भवन के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

320. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ जनरल व जनाना अस्पतालों में बेड्स की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

321. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ व जनाना अस्पताल की बिल्डिंग और बढ़ाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

322. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (तहसील प्रतापगढ़ में पहाड़ी एरिया के रहने वाले आदिवासियों के लिये शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग सं 18

323. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी पहाड़ी एरिया में परिवार नियोजन का प्रचार व साधन की ज्यादा व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार, जयपुर):

मांग सं. 17

324. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
(जोधपुर में जवाई से आने वाले पानी की चोरी रोकने में विभाग की असफलता तथा जयपुर में पानी के संकट के निराकरण में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

325. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत (भीम) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय विभाग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

326. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थय के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहर थाना, जिला झालावाड़, की जल प्रदाय योजना पर हजारों रुपये के टैंक निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, जो सिद्ध हो चुका हैं, किन्तु खेद है कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

327. श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के खारे पानी वाले गांवों को लिफ्ट केनाल व राजस्थान मुख्य नहर के बांई तरफ वाले गांवों में पेय जल पहुँचाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग सं. 18

328. श्री शंकरलाल (जैतारण) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए, परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्य-क्रम में फालतू खर्चे की रोक-थाम हेतु चर्चा के लिये)।

मांग सं. 37

329. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फुलेरा के ग्राम जैतपुरा, सिनोदिया आदि में नल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

330. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत कस्बा हिण्डौन में पेय जल समस्या को पूरा करने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री अध्यक्ष: श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पीने के पानी की इतनी जटिल समस्या है कि उसके सम्बन्ध में क्या कहा जाय। मुझे एक शेर याद आ गया :

दिल जल रहा है फिर भी हम मुस्करा रहे हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या कहने प्यारे !

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सरकार के पास यदि पिलाने के लिये कुछ शेष है तो वह केवल एकमात्र शराब है। बड़े दुख का विषय है ···

श्री मनोहर सिंह मेहता (माडलगढ़) : बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

श्री हंसराज आर्य : 23 साल के लम्बे अर्से में भी राजस्थान सरकार आजतक यह मानने को तैयार नहीं हुई है कि क्या राजस्थान में पीने के पानी की समस्या भी है ? पीने के पानी के सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा है वह रूटीन में चल रहा है।

सरकार ने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि राजस्थान के दस बारह हजार गांवों में रहने वाले सत्तर लाख मनुष्य और एक करोड़ के आस पास पशु पानी के अभाव में अकाल के समय दम तोड़ कर हजारों की संख्या में मर जाते हैं लेकिन राजस्थान सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है।

पीने के पानी की समस्या है–सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है; इतने लम्बे अर्से के बाद भी सरकार ने राजस्थान में खारे पानी वाले गांवों की कोई सर्वे भी कराई है क्या इसका पिछले दिनों एक मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से नकारात्मक उत्तर था। सरकार ने इस बारे में कोई सर्वे नहीं कराया है। हम कैसे मान कर चलें और किस आशा पर विश्वास करें कि सरकार कुछ समय के अन्दर पीने के पानी की समस्या का समाधान कर सकेगी।

पिछले वर्ष इस सदन के दोनों ओर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने काफी लम्बे समय तक विचार विमर्श किया था, अपने अपने विचार रखे थे, लेकिन अफसोस का विषय है, उस बहस का इतने लम्बे अर्से तक भी सरकार की ओर से उत्तर तक नहीं दिया गया है। आखिर सरकार क्या करना चाहती है।

राजस्थान में जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर का कुछ हिस्सा इन जिलों में पीने के पानी की बड़ी भयंकर समस्या कितने ही गांव ऐसे हैं, जहां दो मील से अठारह अठारह मील तक पीने के पानी की राजस्थान में दो प्रकार की समस्या है एक तो शहरों में और दूसरे गांवों में। शहरों में समस्या इस बात की है कि पीने का पानी तो है, लेकिन चूंकि पानी कुए के अन्दर है इसलिए उनको खींचना पड़ता है, और खींचा हुआ हो तब भी औरतों को घर से निकल कर कुए पर जाकर पानी लाना पड़ता है। उस समस्या का समाधान तो हुआ, शहरों में वाटर वर्क्स बने। गवर्नमेंट ने पानी मोहल्लों में पहुंचा दिया। फिर समस्या पैदा हो गई, पानी तो हैं मोहल्लों में। लेकिन औरतों को घर से बाहर निकल कर पानी लाना पड़ता है। इस समस्या का भी समाधान हुआ। टूंटी घरों में पहुंच गई। लेकिन फिर समस्या पैदा हुई, पानी तो हैं घरों में, लेकिन नीचे की मंजिल में हैं। और गर्मियों के दिन में उपर सोते हैं और रात को किसी की टट्टी की हाजत हो जाती

(श्री हंसराज आर्य)
हैं तो नीचे आना पड़ता है। तो फिर समस्या का समाधान हुआ और पानी का प्रेसर बढ़ा दिया गया, पानी को ऊपर पहुंचाया गया।

तो एक और शहरों में इस समस्या का समाधान इस तरह होता है, लेकिन दूसरी ओर गांवों में पानी है, वह दो मील, दस मील, बारह मील पर हैं, और गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के पास ऊंट और बैल का साधन नहीं है। फिर हालत क्या है कि आज की गर्मी के अन्दर जिन लोगों के पास ऊंट, बैल के साधन नहीं हैं, लोगों के पास घरों में जाते हैं, और हाथ में बाल्टी लेकर जिस प्रकार लोग भीख मांगते है उसी प्रकार हाथ में बाल्टी लेकर एक लोटा, दो लोटा पानी की भीख मांगते हैं और एक दो लोटा पानी मिल जाय तो बच्चों को रात को पानी पीने को मिल जाता है। इससे ज्यादा सरकार के लिए शोचनीय और शर्म की बात नहीं हो सकती है। जो आदमी एक बाल्टी पानी घाल देता है, उसको वे कहते हैं, भगवान तेरी औलाद का भला करें। और अगर कोई किसी को एक घड़ा पानी दे तो ले जाने वाला एक दिन तक उसके खेत पर मुफ्त काम करने के लिए तैयार रहता है। यह स्थिति है लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से वह स्पष्ट कहे कि उसे पानी का इन्तजाम करना है या नहीं करना है। सरकार ना कर दे, क्योंकि मैं कहता हूं कि यह राजस्थान सरकार के बूते के बाहर की चीज है, राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है, इसका समाधान किया जाय तो करीब सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जो राजस्थान सरकार नहीं जुटा सकती है। सरकार इस समस्या को समस्या मानती तो बीस साल के अन्दर राजस्थान सरकार पांच करोड़ रुपया हर साल खर्च करती तो आज तक गांवों में पीने का पानी मिल जाता....

लेकिन सरकार इस समस्या को समस्या नहीं मानती। अगर सरकार हमें साफ जवाब दे तो हम गांव के हजारों की संख्या में किसान बोतलों में कुओं से पानी भरकर दिल्ली जायेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, वित्त मंत्री के पास जायेंगे, राष्ट्रपति के पास जायेंगे और निवेदन करेंगे कि यह राजस्थान के खारे पानी वाले कुओं का पानी है। आप किसी विशेषज्ञ से जांच करायें और जांच करने वाले को कहे कि इसके पीने के बाद आदमी जी सकता है तो हम पीयेंगे और जीयेंगे और यह कहदें कि पीकर मनुष्य जी नहीं सकता तो भारत सरकार से कहेंगे कि आप बताइए कैसे हम जीयेंगे ?

श्री विजय सिंह : यह कदम जल्दी उठायें क्योंकि इस सरकार के भरोसे रहने पर तो मुश्किल हो जायगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : आपकी सलाह की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दोनों स्थान ग्रहण करें।

श्री हंसराज आर्य : हम राज्य सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सरकार समाजवाद लाये खुशी की बात है, भगवान करे आपका समाजवाद फले फूले, सरकार हमें स्कूल मत दें, कालेज मत दें, कारखाना मत दें, भूमि में सिंचाई मत दें, केवल

(श्री हंसराज आर्य)
मनुष्य को पेयजल भर पेट ही दे। इसमें ही समाजवाद मान लेंगे। इससे छोटी बात क्या हो सकती है। तो पीने के पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है और नागरिक अधीर हो चुके हैं। मजबूर होकर दिल्ली कूच करना पड़ेगा वहां डेरा डालना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : 4 बाल्टी रोजाना नहीं नहायें तो क्या गंदे रहते हैं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : 15 दिन तक जुयें नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : अनुभव है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपने ही तो कल बताया था।

श्री हंसराज आर्य : सरकार जब बहस का उत्तर दें तो स्पष्ट कहे कि सरकार समस्या का समाधान नहीं कर सकती हमें सरकार स्पष्ट शब्दों में कह दें कि राज्य सरकार के सामर्थ्य के बाहर की चीज है। सरकार पानी नहीं दे सके तो नहीं दें लेकिन सर्वे कराकर यह तो बता दे कि पीने का पानी देने के लिए राजस्थान को कितने पैसे की आवश्यकता है ताकि हम भारत सरकार से कह सकें की हमारी सरकार साधन तो नहीं जुटा सकती लेकिन यह बता दिया है कि इतने करोड़ रुपया पानी के लिए चाहिये, वह राज्य सरकार के पास नहीं है। इसलिए हम आपके सामने पीने के पानी की भीख मांगने के लिए आए हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मामला विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : आपको कब शपथ दिलाई जाए ?

श्री रामचन्द आर्य : जिस दिन मुझे शपथ दिलाई जायगी उस दिन ये सारे जेल में मिलेंगे।

श्री हंसराज आर्य : मुझे इस बात का दुख है कि राज्यमंत्राणीजी फरमा रही हैं कि हमारे पास प्लान है कि मैंने उस प्लान की कापी मांगी थी। विधान सभा की कार्यवाही देखें। उत्तर दिया कि हमारे पास पूरा प्लान नहीं है।

गांवों में पीने के पानी के लिये वाटर वर्क्स बनाए जाते हैं, लेकिन वहीं बनाए जाते हैं जहां पानी मीठा है लेकिन मीठे पानी वाले गांवों के लिए और सुविधा रही है जबकि खारे पानी वाले गांवों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। भादरा तहसील के बारे में प्लान बनाकर दिया था। एक साल से ज्यादा समय हो चुका आज तक कुछ नहीं हुआ।

नोहर में दो मील से 22 मील तक गांवों में पानी नहीं है लेकिन एक गांव में सरकार पीने का पानी 22 साल में नहीं दे सकी। नोहर शहर में पानी खारा हो चुका है, मवेशी चाहे मनुष्य पी नहीं सकते भादरा में सरकार की ओर से वाटर वर्क्स बनाया गया है लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही है और विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। जो टैंकें बनाई है लाखों रुपया उस पर खर्च हुए लेकिन उनमें सुसर है। तो मेरा निवेदन है कि कभी कभी जो सरकार वाटर वर्क्स बनाए उन की ओर तो ध्यान दें।

(घंटी)

श्री हंसराज आर्य : अभी तो 5 मिनिट नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : जानता हूं।

श्री हंसराज आर्य : घंटी बजती है तो डरता हूं।

श्री अध्यक्ष : डरिए मत।

श्री हंसराज आर्य : भादरा शहर में वाटर वर्क्स बने, खुशी की बात हैं। लेकिन जिस एरिया में 90 प्रतिशत हरिजन मेहतर रहते हैं उसको शामिल नहीं किया गया। औरतें मटका लिए फिरती हैं, वह एरिया उस स्कीम में जोड़ा जाय।

बीकानेर डिवीजन में सबसे विकट समस्या पानी की लूणकरनसर में है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पानी ही लूण जैसा है। पानी की समस्या के समाधान के लिए एक लिफ्ट नहर योजना बनाई गई है। मेरा प्रश्न था उस नहर से पूरी तहसील को पानी दिया जाय उत्तर मिला उन्हीं गांवों को पानी दिया जायगा जो नहर के किनारे होंगे। लूणकरनसर तहसील में 171 गांव है उनमें से एक गांव को छोड़ कर 170 गांव ऐसे हैं जिनमें कुओं में पीने का पानी उपलब्ध हो। सब खारे पानी के कुए है। जहां इतना खारापानी पीने के लिए है, जब गर्मी पड़ रही थी, लूएं चल रही थीं, वहां दो यात्री आ रहे थे। एक आदमी ने कहा:–

खड़यो न दीखे मानवी, लग्यो न
दीखे तीर।
मैं तने बूझूं ए सखी आकिण विध
तज्यो शरीर ॥

नारी का उत्तर:–

नीर थोड़ो नेह घणों लग्यो प्रेम रो
बाण।
तूं पी तूं कहतां दोनों तज्यो प्राण ॥

जहां पानी की ऐसी स्थिति है जहां लोग पानी के लिए 18-18, 20-20 मील चलते हैं और बादल सामने होते है तो लोग रुक जाते हैं कि शायद बादल बरस जाए जब बादल चले जाते हैं तो निराश होकर बादल से प्रार्थना करते हैं:–

ऐ आभे उड़ती बादली मरुधर,
कानी जोय,
थोडी सी बूंदां नाखदे, तो भल
मानू तोय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री दौलतराम सारण : कितना सरस विवरण हो रहा है, हृदयविदारक भी है।

श्री अध्यक्ष : सरसता का प्रश्न नहीं है। समाप्त करें।

श्री हंसराज आर्य : मैं अब स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय समय निकाल कर मरीजों को दिया जाने वाला खाना देखलें। रोटी ऐसी जो बिना छने की, जैसी धूल होती है पशु खा नहीं सकता। मंत्रीजी उत्तर के समय बतायेंगे कि आपने क्या आज तक कभी एस. एम. एस. अस्पताल में जो खाना दिया जाता है, भोजनालय में कभी जाकर देखा है? दूध जो दिया है उसमें आधा पानी होता है। टट्टी में जाकर देखें कि कितनी दुर्गन्ध आती है, साफ करने वाला नहीं।

(श्री हंसराज आर्य)
सारे के सारे वार्ड वार्ड स दुर्गन्ध दे रहे हैं। मैं निवेदन कहना चाहता हूँ कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष जी, गांवों में छोटे अस्पताल में एक एक डाक्टर ही होता है। जो सरकारी दवाइयां जाती हैं वे सारी की सारी अस्पताल में न रह कर उनके घरों पर प्राइवेट प्रेक्टिस के लिये चली जाती हैं और मरीजों की ओर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

गांवों में बच्चों और मरीजों के लिये पाउडर का दूध दिया जाता है। लेकिन कर्मचारी लोग उसकी चाय बना कर आधा पी जाते हैं और न तो बच्चों को वह मिलता है और न ही मरीजों को। बच्चे ऐसे के ऐसे रह जाते हैं और दूध देने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आयुर्वेद औषधालय में दवाइयां प्राय: नाम मात्र के लिये दी जाती हैं। एक दो महीने की दी जाती है और वैद्य लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं। इस के साथ साथ हम लम्बे अर्से से मांग करते आ रहे हैं कि भादरा में लेडी डाक्टर नहीं है इसलिये लेडी डाक्टर की व्यवस्था की जानी चाहिये। जो नहीं की जा रही है, यह अफसोस की बात है। अब जल्दी ही लेडी डाक्टर भेजी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज आर्य : अंत में मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य मंत्री जी मैंने जो सुझाव दिये हैं उनकी ओर ध्यान देंगे खास तौर से दूध का पाउडर जो मिलता है उसकी सही व्यवस्था की जानी चाहिये। जांच की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ चिकित्सा के सम्बन्ध में कट मोशन दिये हैं। उसके विषय में चर्चा करना चाहूंगा।

सवाई माधोपुर में होस्पिटल के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि वहां पर मरीज चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि उनको वहां से दवाइयां नहीं मिलती हैं। बाजार से ही लानी होगी। वार्डों का यह हाल हो रहा है कि बिलकुल ही नरक बने हुए है। अच्छा भला चंगा आदमी भी वहां जाकर मरीज बन जाता है। कोई सफाई नहीं है।

चौथ का बड़वाड़ा पांच : हजार की आबादी का कस्बा है। कोई डिस्पेन्सरी नहीं हैं वहां पर। अध्यक्ष महोदय, साल डेढ साल पहले सवाई माधोपुर में जिला अस्पताल का निर्माण का काम शुरू हुआ उसका काम ढिलाई से हो रहा है इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा तैयार कराया जाय और चालू कराया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय विभाग के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा। तहसील

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

सवाई माधोपुर में ग्राम चौथ के बड़वाड़े में हर साल पानी की भयंकर स्थिति हो जाती हैं, मई और जून के महीनों में कुओं में पानी बिल्कुल सूख जाता है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय को समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है। असेम्बली में भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं लेकिन आज तक उस समस्या का निराकरण सरकार नहीं कर पायी है।

यही की यही स्थिति खंडार में है। स्वर्ण जाति के मोहल्लों में तो पाइप लगा कर व्यवस्था कर दी गयी है किन्तु हरिजन जाति के मोहल्लों में आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और उनके द्वारा उसी प्रकार से बहुत दूर से गाड़ी आदि पर पानी लाया जाता है। इसलिये हरिजन जाति के खंडार में पाइप लाइन बिछाकर पानी की व्यवस्था कराई जाय ताकि उन गरीब लोगों को भी पानी मिल सके।

तीसरा परिवार नियोजन के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि परिवार नियोजन पर जितना रुपया खर्च किया जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता हैं। परिवार नियोजन की बसें घूमती फिरती हैं। दवाइयां ऐसी जगह लेजाकर डाल दी जाती है और उसके बाद झूंठी लिस्टें बनाकर दे दी जाती हैं कि फलां जगह जाकर वितरित की है और विभाग को इस प्रकार झूंठे आंकड़े दे दिये जाते हैं। लूप और नसबन्दी होती है एक बार नसबन्दी करने के बाद दुबारा उनको संभालते नहीं हैं। कई केसेज खराब हो गये हैं।

एक दफा में पंचायत समिति की मिटिंग में गया। कुछ केसेज के बारे में मैंने सुना। चार आदमियों की नसबन्दी की गई वह नाकामयाब रही। एक केस भी सफल नहीं हो सका। नसबन्दी के बाद यदि उनकी देखरेख होती तो प्राण तो बच जाते। यह विभाग करोड़ों रुपया खर्च करता है। देख रेख नहीं होने से लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ता है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विभाग को भी अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करे।

अध्यक्ष महोदय, इन तीनों विभागों के सम्बन्ध में आज जो डिमाण्ड आयी है उनमें से चिकित्सा का जहां तक सवाल है, अस्पतालों को पहले के अनुसार ही दवाइयां मिलती है, जबकि बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से मिलनी चाहिये। मरीजों को अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं, उनको बाजार से खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिये बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से दवाइयां बजट में बढ़ाने की कृपा करेंगे ताकि गरीब लोगों को, मजदूरों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : हो गया समाप्त।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा

(अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा सु.): अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : शुरू कर दीजिये। एक मिनट तो इसी में ले लिया।

श्री देवेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय· · ·

श्री अध्यक्ष : मेरा नाम छोड़ दें।

श्री देवेन्द्र कुमार : आपका नाम पहले देना पड़ता है।

मैं सबसे पहले उदयपुर डिविजन में जहां जहां हर होस्पिटल्स हैं और इनमें क्या व्यवस्था है उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। होस्पिटल्स में छोटी 2 डिस्पेन्सरियां हैं और उस एरिया में आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं और वे ही वहां ज्यादा जाते हैं। जैसे तहसील कोटड़ा एक ऐसा स्थान है जो पहाड़ों के बीच में है और वहां पर कई तरह के आदिवासी लोग आते हैं। आदिवासियों की दवाई के बारे में डाक्टर लोग ध्यान नहीं देते हैं और इस कारण उन लोगों की अस्पतालों में आस्था कम होती जा रही है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के एरिया में ऐसे डाक्टरों को रखा जाये जो कि इन गरीब आदिवासियों के प्रति सहानुभूति रखते हों और उनकी सेवा कर सकें।

इसके साथ ही साथ सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नारू में आयुर्वेदिक औषधियों का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। डूंगरपुर और उदयपुर में अधिकतर नारू की बीमारी होती है और इस बीमारी में मरीज चार चार महीने तक घर पर पड़ा रहता है। यह बीमारी, कहते हैं, पानी के मारफत होती हैं और एक आदमी के होती है तो घर के चार, पांच व्यक्तियों को हो जाती है। मैं आयुर्वेदिक विभाग के मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर आयुर्वेदिक दवाईयों का बड़ा उपयोग हुआ है इसलिये आयुर्वेदिक विभाग को···

श्री अध्यक्ष : डाइरेक्टर साहब ?

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : डाइरेक्टर साहब नहीं, जो काम करते हैं उनके लिये कहना चाहता हूं। वे वहां, उस ऐरिया के लिये नारु के लिये जो दवाइयां हैं उसकी अच्छी ढंग से व्यवस्था कर सके तो काफी लोगों को फायदा होगा। बस मैं इतना ही, कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग की राज्यमंत्री, सुमित्राजी यहां पर बैठी हुई हैं, इसके बारे में मेरे कटमोशन है, इसके बारे में मैं यहां, कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हम आज चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चल रहे हैं। पानी और चिकित्सा ये दो ऐसी चीजें है जिनकी हर आदमी को जरुरत होती है और यह समझना चाहिये कि यह हमारी बुनियादी आवश्यकता है। इसके साथ समाजवाद का प्रश्न जुड़ा हुआ नहीं है। पानी और चिकित्सा के बारे में हम जब सोचते है तो आज राजस्थान में उसके गांवों और शहरों के बीच में एक प्रश्न पैदा होता है। शहरों में आज सुविधाएं उपलब्ध है और रूरल एरिया नहीं है। इस प्रश्न पर तो मैं नहीं जाना चाहता कि शहरों में जो आज सुविधाएं मिलती है वह बंद कर दी जाय लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि आज हर नागरिक को जो गांव में रहने वाला गरीब किसान है वह सरकार से अपेक्षा करता है कि उसको भी

(श्री रावतराम)

कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिये लेकिन आजवह नहीं मिल पाती हैं। आज आपने बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे हास्पिटल बनाये हैं, स्टेन्डर्ड के डाक्टर उसमें मुकर्रर किये है। इसके अलावा जो भी आधुनिक उपकरण हैं वे उनमें रखे गये हैं। इससे आज शहरों में रहने वालों को शहरों के आदमीयों को चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो वह किसी हद तक उससे फायदा उठाता है। पैसे वाला ज्यादा उठाता है, बड़े आदमी ज्यादा फायदा उठाता है, तो गरीब आदमी कम उठाता है लेकिन उसका फायदा उसको मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ गांव की स्थिति को आप देखिये। गांव में रहने वालों के लिये आपने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है।

चूरू जिले में सरदार शहर से आप चले जाइये उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ और मैं आपको सही कहता हूँ कि 60 मील के अन्दर आप घूम लीजिये आपको कहीं कोई डिस्पेन्सरी नजर नहीं आयेगी। 60 मील के अन्दर कहीं कोई डिस्पेन्सरी नहीं है और हमारा यह चोथी पंचवर्षीय योजना काल आ गया है और उसमें हम चल भी रहे है। तीन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर हमने क्या कर लिया है। इन योजनाओं के अन्दर हमने गांवों के अन्दर रहने वालों के बारे में सोचा नहीं है। गांवों में हम सिर्फ वोटों के लिये जाते हैं। उनसे फायदा करते हैं– आपके लिये दवाई और पानी की व्यवस्था करेंगे परन्तु उसके बाद हम सोचते नहीं हैं। हम तो आश्वासन, वायदा कर के ही उनके वोट हासील करना चाहते हैं। इसके अलावा उनको कोई साधन सुविधा नहीं देना चाहते हैं।

(3.15 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति पदासीन)

मेरा कहना यह है कि इस सदन में जो भी माननीय सदस्य हैं, चाहें किसी पार्टी के हों, वे चाहे किसी बात को मानने वाले हों, लेकिन हर माननीय सदस्य जो गांव का वोट लेकर आये है और जब गांवों का प्रश्न यहां होता है तो हम उसके लिये प्रयत्न नहीं करते हैं। यहां सिर्फ भाषण देने से तो कटमोशन देने से काम नही चलेगा। शासन का ध्यान दिला कर कोई लम्बा भाषण दे दे तो इससे गांव वालों का काम नहीं होने वाला है। इसके लिये हमें एक गोष्ठी के रूप में बैठ कर विचार करना चाहिये। हमारा जितना बजट होता है, जितना उसके अन्दर मद होता हैं विभागों का, वह गांवों के लिये पूरा खर्च हो, और वह बजट का पैसा हमारी पापूलेशन के अनुपात में हो, यह देखना चाहिये। उस हिसाब से चलना चाहिये कि हम गांवों के लोगों को कितना साधन, सुविधा देते हैं। गांव के लोगों के जुबान है लेकिन वह शहर के आदमीयों की तरह बोल नहीं सकता है। शहर के लोग अपनी बात के लिये बोल सकते हैं, एजीटेशन कर सकते हैं, उतना गांव के आदमी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी नही हैं कि देहात के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। वे आपके लिए अनाज पैदा करते हैं परन्तु आप उसके लिये पानी और दवाई की भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। कई माननीय सदस्य कहते हैं कि सवाई मानसिंह अस्पताल में और सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये। इ

(श्री रावतराम)

अफसोस होना चाहिये इस बात के लिये कि 30–35 मील की दूरी पर कोई औषधालय नहीं हैं, आयुर्वेद का औषधालय नहीं है, आयुर्वेद के औषधालय में कोई थोड़ी बहुत औषधियां मिलती हों, ऐसी बात नहीं है। तो आप इसके लिए क्या कहते हैं ? क्या हम सोचते हैं इस बात के लिए हमने लोक कल्याणकारी स्टेट का नारा दिया है परन्तु इसके साथ ही साथ यह डिसपेरिटी गांव और शहरों के बीच में पैदा करदी है इसके लिये आप जवाब दें। अब लोग पूछेंगे। ऐसा मत समझिये कि गांव के लोग बेवकूफ बन कर रह सकते हैं। हम उनसे वोट ले सकते हैं, उससे एम. एल. ए. बन सकते हैं और यहां आकर पांच साल बैठ सकते हैं, अपने व्यक्तिगत काम करा सकते हैं लेकिन अब गांव का आदमी सोया नहीं रह सकता है। वह हमसे जवाब मांगेगा कि हमारा क्या सवाल आपने उठाया है ? लेकिन सीमित साधन होते हुए भी आपने जितनी असमानता पैदा कर दी है, जितनी डिसपैरिटी कायम करदी है कि आज एक जगह कोई डिस्पेन्सरी है, या कोई हास्पिटल है उसके स्टेन्डर्ड को आप बढ़ाना चाहते है, आप चाहते है कि वह ए-क्लास का होना चाहिये, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, सब मांग होनी चाहिये, लेकिन हमारे पास इतना भी साधन नहीं है, वहां बिलकुल ही दवाई का साधन, उपलब्ध नहीं है और एक ही जगह आप सारी सुविधा को उपलब्ध कर दें तो यह उचित नहीं हैं। एक तरफ आदमी 20–30 मील तक चलता रहे, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है।

आज आप देखिये सरदार शहर में अस्पताल है और उसके बाद आप चले जाइये रावतसर तक कोई डिस्पेन्सरी नहीं है और यह 70 मील है। 70 मील चल कर आदमी को वहां आना पड़ता है। गांव का आदमी है उसको बाहर बिठाया जाता है। उसकी पूरी देख-रेख नहीं होती है। डाक्टर उसको वहां नहीं मिलता हैं। फीस देने वालों को वह देखने गया होता है। वहां पर उसकी कोई चिकित्सा नहीं होती है और इस पर आप कोई ऐक्शन लेने वाले नहीं है। फिर जब डाक्टर साहब आते हैं, उनको देखते हैं और एक रुक्का लिख देते है कि आप इतनी इतनी दवाईयां लाइये। मैं पूछता हूं आपको दवाइयां कहां जाती हैं, यह आप नहीं देखते हैं। तो कितनी बड़ी सेवा आप राजस्थान के लोगों की कर रहे है बृजसुन्दर जी, यह अफसोस की बात है। जितना बड़ा आदमी उतनी ज्यादा फेसिलिटी। इस डाक्टर से पता नही लगा तो दूसरे स्पेशलिस्ट को बुलाया, इससे तो जरूर पता लग जायेगा। आप यह कर सकते हैं। इस तरह से आज जो मेडिकल फेसिलिटिज जिन लोगों को देते हैं उस मेडिकल फेसिलिटिज को आप समाजवादी दृष्टिकोण से सोचें और 500 रुपये से ऊपर तनख्वाह पाने वाले लोगों की मेडिकल फेसिलिटिज को आप बंद कर दें।

यह हमारे समाजवाद के ऊपर कलंक है। एक आदमी को 500 रुपये मिलते है और एक हजार मिलते हैं, दो हजार मिलते हैं उसी अनुपात से उसको मेडीकल फेसिलिटि मिलती जाती है। जिसको ज्यादा तनख्वाह मिलती हैं उसके पास तो साधन हैं इलाज कराने के। उसके पास सारी

(श्री रावतराम)

सुविधायें हैं। उन लोगों को मेडिकल फेसेलिटि देना पसन्द नहीं करते हैं जिनकी तनख्वाह 100 रु. है, मेरा निवेदन है उन लोगों को आपको ज्यादा सुविधायें देना चाहिये। यह आपका समाजवादी तरीका गलत है आप समाजवाद को करेक्ट' में लायें -पेपर में लाने से काम नहीं चलने वाला है····

श्री रामचन्द्र शर्मा : कागज में तो है···

श्री रावतराम : सरकारी सारी मशीनरी को जकड़े हुए है। कागज पर समाजवाद लाने से काम नहीं होगा। उसके लिये संघर्ष करना होगा इसलिये आप भी करीये यह मेरा सुझाव है। इस पर आप विचार करें। आप इसको मजाक न माने। 500 रुपये से ऊपर पाने वालों का बन्द कर दीजिये और ये एम. एल. ए. जिनको 500 रुपया मिलता है, उनका भी बन्द कर दीजिये ये भी उसमें आते हैं। जितने बड़े आदमी हैं उसको उतनी ही ज्यादा सुख सुविधा मिलती है तो मैं यह निवेदन करूंगा डिस्पेन्सरी गावों में ज्यादा खोलनी चाहिये और शहरों में कम कर दीजिये। इसके अलावा आपके डिस्पेन्सरी मंहगी पड़ती है तो आयुर्वेदिक औषधालय खुलवा दीजिये। इसमें लोगों का विश्वास भी है। गांवों में तो यह ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश करें। आपकी चौथी प्लान योजना में भी यह स्थिति है कि पंचायत हैड क्वार्टर पर भी एक औषधालय नहीं खोल सकते है। पंचायत समितियों में 4-4, 5-5 गांव आते हैं और उसको एक सी क्लास का औषधालय नहीं दे सकते हैं। यह आपको सोचना चाहिये। दूसरी तरफ आपने खर्च बढ़ा लिये -लाजरी की तरफ-लेन देन, शान शौकत, गटर-फटर आदि में सरकारी धन खर्च हो रहा हैं। उनको कम करके आपको बढ़ाना चाहिये। गांव के लोग यह सोचे कि आजादी के बाद कम से कम गांवों में दवायें तो मिली। जब किसन जी महाराज आप सुनो। आप औषधालय पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर खोलने की व्यवस्था करिये।

श्रीमती सुमित्रा देवी : (अश्रव्य)

श्री रावतराम : वह चिकित्सा में ही शामिल समझता हूं। इसलिये मैं बोल रहा हूं। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक औषधालय सी क्लास का खुलवायें। सुमित्रा जी आप भी सुनिये। आयुर्वेदिक औषधालय में एक वैद्य होता है, एक उप वैद्य होता है और एक पियोन होता है। इस तरह से तीन आदमी होते हैं। मेरा सुझाव है, वैद्य तो रहें लेकिन उप वैद्य को एक दाई कहते है क्या कहते हैं? उसको नहीं दे सकते हैं? गांवों में बहुत सारे डिलिवरी केसेज होते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था हो गाव वालों को भी महसूस हो कि हमें भी राज्य सरकार ने सुविधायें प्रदान करना शुरू किया है, लेकिन जब गांवों के लोग वोट देते हैं तब तो चिल्लाते हैं वोट हमको देवों लेकिन करते कुछ नही हैं। मेरा सुझाव है उस उप वैद्य की जगह एक ट्रेण्ड नर्स हो जिनसे गांवों की महिलाओं के मन में भी सरकार के प्रति सन्तोष की भावना जगे···

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री रावतराम)

अभी तो सभापति जी मैंने शुरू ही किया है और मेरी पार्टी का टाइम ले रहा हूं । इसके अलावा जहां 40-50 का बैड्स का हास्पिटल हो उसको 'ए' क्लास का औषधालय बनाना चाहिये । तभी आयुर्वेद का विश्वास भी लोगों में जमेगा । इसके अलावा चूरू में जिला प्रमुख ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें 10 गांवों के नाम थे-अलग अलग तहसीलों के आप जिला परिषद् से प्रस्ताव मांगते हैं और जिला परिषद में एम. एल. ए. बैठते हैं, प्रधान बैठता है, सरकारी अफसर बैठते हैं. वहां की सारी हालातों को देखकर आपको सुझाव देते हैं, प्रोपोजल भेजते हैं उन पर आप विचार करें । औषधालय तो आप खोलते हैं लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से औषधालय खोलें । जहां मकान की स्थिति अच्छी हो, आबादी जहां ज्यादा हो उन बातों को देखते हुए ही आप औषधालय खोलें । जिला परिषद् के लोग भी सोच विचार कर आपके पास प्रस्ताव भेजते हैं । उस पर आपको उसी तरह से सोचना चाहिये ।

इसके अलावा आपके सरदारशहर आयुर्वेद विश्व भारती का जो कालेज है उस कालेज को दूगड़ साहब ने बड़े परिश्रम से यह कालेज स्थापित किया था । मैं समझता हूं राजस्थान में स्टैन्डर्ड का कालेज है-मकान के हिसाब से और जितनी भी सुविधायें होनी चाहिए उस हिसाब से सब मौजूद हैं । उसके बावजूद भी आप उसको बन्द कर रहे हैं और बन्द हो रहा है इसलिए बन्द हो रहा है कम से कम पौने दो लाख का खर्चा है और केवल उसको 80 हजार रुपया देते हैं अब 80 हजार रुपये से क्या हो । प्राइवेट संस्था है । वे लोग काफी वहन करें, यह उनके लिए भी सम्भव नहीं है । अच्छा स्थान, अच्छी जगह कालेज चल रहा है और जबकि उसमें 173 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं । आप उसको बन्द क्यों कर रहे हैं । आप क्यों नहीं बैड्स बढ़ाते हैं । लेकिन आपके जो सोचने का तरीका है वह गलत है सोचने का तरीका आपके अपने पक्ष में है । आपने जोधपुर कालेज को अनुदान किया है तो फिर सरदारशहर को क्यों टाल रहे हैं । आपको इस पर विचार करना चाहिये । स्टैन्डर्ड का कालेज है, अच्छे प्रोफेसर्स हैं सारी चीजें हैं । मैं आग्रह करूंगा इस पर आपको पुनः विचार करना चाहिये । इसके अलावा जो हमारे जिला परिषद से सुझाव आया है उन पर भी विचार करिये ।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए मैं वृज सुन्दर जी से कहना चाहूंगा । आपने यह आदेश दे रखा है, डाक्टरों को गांवों में जाना चाहिए और कम से कम 15 दिन नाइट हाल्ट करना चाहिए...

श्री हीरालाल शर्मा : 20 दिन के हाल्ट का है ।

श्री रावतराम : आज तक सभापति महोदय कोई हाल्ट नहीं करता है । आज चूरू जिले में चेचक माता, बुखार इस प्रकार कई लोगों का प्रकोप हो रहा है । गांवों में छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े बीमार पड़े हुए हैं ।

डाक्टर जाता है, जाकर दौरा करके आ जाता है । इस तरह से कोई काम नहीं होता है । वह जाकर गांव में महीने 12 दिन हाल्ट करे तो उसको पता चले । इसके लिए

Page No 100

(श्री रावतराम)

डाक्टरों को बाउण्ड किया जाये । उनको गांवों में जाना चाहिए। क्या बिमारियां हैं, क्या गड़बड़ी है। सारी बातों का पता लगाना चाहिए। पानी की समस्या के बारे में भी भीखा भाई से कहूंगा। भीखा भाई से कहें या न कहें, सुनते सुनाते तो हैं, नहीं मेरे से पूर्व वक्ता भी यहां पर बोलकर गये हैं। उन्होंने भी पानी के लिए जोर शोर से कहा है। हमारा नागौर और बीकानेर की ओर का जो एरिया है, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा। माननीय सतीशचन्द्र जी परसों यहां जयपुर शहर के लिए पानी की समस्या उठा रहे थे। जयपुर को पानी मिलना चाहिये। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन जो हम पानी की मांग करते हैं, वह बात अलग है। शहर में तो यह मांग की जाती है कि चौथी मंजिल पर पानी पहुंचना चाहिये। वहां पर फुहारा भी लगना चाहिये। लेकिन हमारे गांवों में 3–3 मील से महिलाएं पानी लेकर आती हैं। कुये बनाये नहीं, क्योंकि पानी खारा है। एक गांडा गांव है, वहां का भी पानी खारा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी आपने उनको पानी के लिए पानी नहीं दिया है। आज से कोई 10 साल पहले सेन वाटर सप्लाई बोर्ड बना था। उसने बड़ा काम किया था। इतना काम हुआ था कि जहां पानी था वहां कुए बनवाये। जहां पानी खारा था वहां कुण्ड बनवाये। आपने गवर्नमेण्ट की ओर से क्या व्यवस्था कर दी है? वैसे आप जवाब देंगे कि हमने घड़ऊ में ट्यूबवेल खोल दिया है। आप कहेंगे कि सरदारशहर में ट्यूबवैल खोल दिया है।

श्री गिरिराजप्रसाद शर्मा : सरदार शहर में चालू ही नहीं हुआ है।

श्री रावतराम : तो आपके पास ऐसी कोई योजना नहीं है। आज से तीन साल की बात कहते हैं। सुमित्रा जी यह बात कह रही हैं कि आज से तीन साल पहले क्या हाल था। एक भी गांव का उदाहरण बतायें जहां आपने पानी सप्लाई किया हो···

श्रीमती सुमित्रा : चांद-कोटी में हो रहा है।

श्री रावतराम : चांदकोटी में···

श्री भोजराम सारण : श्रीमती जी, चांदकोटी में पानी मीठा था। खारा नहीं था। आप खारे पानी वाला एक भी गांव ऐसा बता दें जिसको आपने मीठा पानी दिया हो। तो मेरा चैलेंज है।

श्री रावतराम : उसमें वादविवाद की बात नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि गांव के रहने वाले जो लोग हैं, उनको आप किस नम्बर का नागरिक मानते हैं। एक नम्बर का तो जाने दीजिये। दो नम्बर, तीन नम्बर भी नहीं या चार का या किस नम्बर का नागरिक मानते है। किसी नम्बर का तो मानते होंगे। उसी अनुपात से उनके लिए व्यवस्था करते।

श्री रामचन्द्र आर्य : वोट लेने के लिए तो पहले नम्बर का और सुविधा देने के लिए 3–4 नम्बर का।

श्री रावतराम : मेहरबानी करके एक तल्ले पर पानी चढ़ायें। गांवों में एक नम्बर पर भी पानी नहीं गया है। शहरों में आप चौथे तल्ले पर फुहारा लगाना चाहते हैं।

Page No 101

(श्री रावतराम)
आज यह समय आ गया है। 21 साल के बाद में हम चतुर्थ योजना में चल रहे हैं। भीखाभाई से मैं निवेदन करूंगा कि आगे आने वाली पीढ़ी आप को क्या कहेगी? आप के हाथ से कुछ भी नहीं हो रहा है। आप नेता हैं।

एक माननीय सदस्य : भीखाभाई के लिए आपने कैसे कह दिया है?

श्री रावतराम : यह गरीबों के नेता हैं हमारे जिले में जो डेजर्ट एरिया है, उसकी स्कीम बनाई जानी चाहिये। जैसे जैसलमेर में ट्यूबवैल का है। उसमें अच्छा पानी है। इस प्रकार से 5-7 गांवों को पानी सप्लाई कर सकते हैं। सरदारशहर में जो बन्द पड़ा है।

श्रीमती सुमित्रा : वह तो सब चालू हो गये हैं। आपको पता नहीं है। सब चालू हो गये हैं।

श्री रावतराम : एक भी ट्यूबवैल काम नहीं दे रहा है। इस तरह से गांवों के बारे में पानी के लिए सोचना चाहिए। हम बराबर असेम्बली में पानी के लिए आवाज उठाते हैं। सारे लोग उठाते हैं। आप भी उठाते हैं। साथ में हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमें वह काम करना है। इस तरह से जो जल योजना है जैसे छापर में...

श्री भीखा भाई : अभी तो आप कह रहे थे कुछ नहीं हुआ। अब तो आप ही बता रहे हैं।

श्री रावतराम : भीखाभाई बीदासर की बातें करते हैं। राजगढ़ का चल रहा है। रतनगढ़ का प्राइवेट है। जो गांव वाले लोग हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती है। दो तीन तो ऐसे है जहां पैसे भी जमा कर दिये हैं। मुंदड़ा, कालोता, सांडवा इनके पैसे जमा हो गये हैं। तो इनके बारे में आपको सोचना चाहिए।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसा बजट स्पीच में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, जहां हरिजन बस्तियों में वाटर वर्क्स स्कीम है, उन म्यूनीसिपेलिटीज में जो हरिजन बस्तियां हैं वहां पाइप लाइन चली जायगी। मैं निवेदन करता हूं कि उन बस्तियों को जान बूझकर काट दिया गया है। वहां पानी नहीं है इसलिए आपका कहना यह है कि प्रायोरिटी उनको दी जायगी, लेकिन एक्शन में बात यह है, प्रायोरिटी देने की बात छोड़ कर उनके यहां बिल्कुल कट आफ कर दिया है। यह हालत है। आप सोचिये कि जो लोग गरीब हैं, दिन भर मजदूरी करते है मजदूर पेशा आदमी हैं, उनके लिए अभी भी पानी की प्राबलम रहेगी। आप कहेंगे, वाटर वर्क्स स्कीम बना दी गई है, चूरू में जल योजना है। आप कह सकते हैं, हरिजन बस्तियों में पानी दिया है? लेकिन उनके सामने आज भी पानी की समस्या है। चूरू के वार्ड नम्बर 20 में पचास घर हैं। उसके लिए कलेक्टर को लिखा और एक्स. ई. एन. वाटर वर्क्स हैं व्यासजी महाराज, उनको प्लान बना कर दिया, लेकिन चार सौ, पांच सौ फीट आगे लाइन डालने का काम है, उसमें से एक ईट में भी पाइप नहीं डाल सके हैं। वह कहते हैं कि पैसा नहीं है। दूसरी जगह पाइप लाइन डालने के लिए तो पैसा आ जाता है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में आप हाउस में ही नहीं कहते हैं,

(श्री रावतराम)

बाहर भी कहते हैं कि हरिजन बस्तियों को प्रायोरिटी दी जायगी। जहां जल योजना बन गई है, वहां से जो शिकायत आवे और लोग लिखकर भेजें तो आपका फर्ज है कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करते है। आप सुनते नहीं हैं उनकी बात। यह तो हाल है।

इसके अलावा (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) बस साहब, अभी मैं खत्म करता हूं एक बात और सुमित्राजी को कह दूं परिवार नियोजन के बारे में। परिवार नियोजन की जब से आप मन्त्री बनी हैं, राज्य मन्त्री, आपने बड़े हौसले से प्रचार तो बहुत किया है, हर गांव, हर जगह परिवार नियोजन का प्रचार करने में कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन जितना प्रचार किया है, उतना ही आपका एक्शन बिल्कुल रांग है, गलत हुआ है। आपरेशन लूप और दूसरे उपकरण जो परिवार नियोजन के काम में आ सकते हैं, आप देखिये, आज परिवार नियोजन की आवश्यकता आप जैसे लोगों को नहीं हैं। आप लोगों को इसलिए नहीं हैं कि क्यों कि आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। जहां पढ़े लिखे टीचर हैं, पढे लिखे लोग हैं, उनके लिए ज्यादा पब्लिसिटी करें तो क्या फायदा। वह समझते हैं, परिवार नियोजन कितना जरूरी है। वह जानते है, किस समय आपरेशन करवाना चाहिये, किस तरह से लूप लगाना चाहिये। लेकिन गांव वाले आदमियों को जानकारी नहीं हैं। उनको जानकारी हो—इसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है। आपरेशन के काम के लिए एक दिन डाक्टर जायगा, और कहेगा आपरेशन करा लो। पैसा देते हैं इसलिए लोग करा देते हैं। आप कहते हैं जो आपरेशन करायेगा, उसको इतना रुपया देंगे, तो लोग सोचते हैं कि रुपया आवेगा, आपरेशन करा लो। कई बेरोजगार आदमी हैं, दूसरे आदमी हैं, जो क्वांरे हैं, या कोई साठ साल के हैं—इस तरह के उदाहरण हैं कि जवान और क्वांरे लड़कों ने क्योंकि रुपया मिलता है, इसलिए आपरेशन करा लिया। मैं समझता हूं, आपके द्वारा दूसरे तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिये। जो किसान है, जो मजदूर हैं, वहां पर पापूलेशन जबर्दस्त तरीके से इन्क्रीज हो रही है और उससे बेरोजगारी बढ़ रही हैं। इसलिए वहां आबादी बढ़ने पर रोक लगाने की जरूरत है। जो पढ़े लिखे लोग है, जो शहर के वातावरण में रहते हैं, जैसे जयपुर के लोग हैं वह खुद समझते हैं, वह खुद कंट्रोल करेंगे। लेकिन गांवों में जहां खास तौर से अनपढ़ लोग होते हैं, उन लोगों को यह बात बताने की है। लेकिन वहां कोई नहीं जाता है। आपने ऐसे वर्कर छोड़ रखे है जिनको कोई जानकारी नहीं है। जिनके पास मेट्रिक का सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएट हैं उनको आपने नौकरी दे रखी है। जो सोशल वर्कर है, जो अच्छी तरह जानते हैं, वह ज्यादा लोगों को कान्फीडेंस में ले सकते हैं इस योजना की उपयोगिता क्या है, परिवार नियोजन करना क्यों जरूरी है इन बातों की जानकारी के लिए ऐसे लोगों को पढे लिखे वर्कर को रखे तो ज्यादा सक्सेस हो सकती है। इसके बजाय आप लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे है भीड़ भर कर भेज दिया है गांवों में मोटरों में। उनकी बातों पर लोग विश्वास करते नहीं हैं। इसके अलावा जिन लोगों का आपरेशन हुआ, उन

Page No 103

(श्री रावतराम)

लोगों के साथ क्या बीतती है ? आपरेशन हो गया, उसके बाद डाक्टर नहीं आता है उनको सम्भालने के लिए । जबकि उनको सम्भालना बहुत जरूरी है । इस कारण कितने लोगों के आपरेशन खराब हो गये है । और उनको दिक्कत हो गई है । माननीय सदस्य कह रहे थे कि कई लोगों की मृत्यु हो गई है । मृत्यु का तो मुझे ध्यान नहीं है । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि लोगों को इतनी परेशानी हो गई कि लोग कहते है कि इससे तो अच्छा था कि आपरेशन नहीं कराते । तो आपको डाक्टर का और वर्कर का इस तरह से काम्बीनेशन बैठाना पड़ेगा । वर्कर जो प्रचार करते है, वह नहीं जानते कि इसकी उपयोगिता क्या है । इसलिए सोशल वर्कर की जरूरत है, गांवों में जो काम करते है, सेवा करते हैं उनकी जरूरत है । आफिसरों की जरूरत नहीं है । पढ़े-लिखे लोगों की भी जरूरत नही है क्योंकि इसमें तो केवल लोगों को कान्फीडेंस में लेने की जरूरत है । स्कूल से जो लड़के निकलते हैं, कालेज से निकलते हैं, वह गांव जाकर कहे कि परिवार नियोजन के लिए आप आपरेशन करा लो तो कोई नहीं मानता है । आप इस बात पर विचार करिये । दूसरा काम आप यह करिये कि जो परिवार नियोजन की सामग्री उपकरण हैं, इनका उपयोग गांव का आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गांव के आदमी को जानकारी नहीं है । इसलिए आप समझाने के लिए आपरेशन और लूप के बारे में समझाने के लिए व्यवस्था अच्छी करिये ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है । . . . .

यह कोई व्यवस्था है कि आदमी खुद चल कर आये और आपरेशन करा ले । बाकी गांवों में जाकर आपरेशन करने की कोई व्यवस्था नहीं है । मैंने काम शुरू किया था । मेरे गांव के अन्दर डाक्टर को बुलाया, दो तीन बार लिखा, तो कहा कि किसी समय कैम्प रखो, और पंचायत समिति कहे । मैं कहता हूं कि दो आदमी भी कहते हैं कि पांच आदमी तैयार है तो वह आये फौरन । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि डाक्टर फौरन पहुंचे और आपरेशन करने के बाद दुबारा सम्भाले । तब तो कुछ बात हो, वरना डाक्टर साहब तभी आयें और कहें कि दस बारह आपरेशन एक साथ हों । यह जरूरी नहीं है कि एक दिन में दस ग्यारह आपरेशन हों । जहां एक साथ हुए हैं वहां कई केस बिगड़े हैं । इसके अलावा आपका प्रचार का तरीका है, उसमें सब तरह के तरीके अपनाये हैं, गाने कराते हैं, ढोलक बजवाते हैं—सब तरह के तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन शहर में तो पढ़े लिखे लोग हैं, वह सब जानते हैं, लेकिन प्रचार की गांवों में जरूरत है जहां पर पापुलेशन बढ़ रही है वह देश को खा जायगी, इतनी जबर्दस्त है, उससे बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करिये कि जहां कहीं पांच आदमी तैयार हों, आपरेशन करवाने वाले, वहां डाक्टर पहुंच जाय । मैं समझता हूं कि आप इस पर गौर करेंगे और आगे कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे । भीखाभाई से कहता हूं कि आप पानी देने वाले मिनिस्टर हैं, आप कम से कम गरीबों पर दया कीजिये, जिन हरिजन बस्तियों में पीने का पानी नहीं दिया है वहां देने की व्यवस्था करिये । इतना कह कर मैं बैठता हूं ।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सा और जन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन-इन तीनों डिमाण्ड पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस विभाग की ओर आकर्षित करूंगा। आज इस सरकार को शासन करते हुए करीब तेईस वर्ष हो गये हैं, लेकिन राजस्थान को जो मुख्य समस्या है, जल की समस्या, वह समस्या आज भी हमारे सामने बदस्तूर वैसी की वैसी बनी हुई है। हमने अकाल के नाम पर जहां वर्षा के अभाव के कारण पीने का पानी नहीं है, वहां पर पानी उपलब्ध कराने के लिए और अन्य साधन जुटाने के लिए 157 करोड रुपये खर्च किये, लेकिन आज भी उन इलाकों के अन्दर जाकर देखा जाय तो वहां पर पानी की दिक्कत आज महसूस होती है। काफी दूर से पानी लाना पड़ता है। यह 157 करोड़ जिस तरह से खर्च किया है, इससे कुछ ट्यूबवेल लगवाये हैं और कुछ पानी को ले जाने के लिए मवेशी और दूसरे साधन जुटाने के लिए कार्य किया है, पिछले सत्र के अन्दर माननीय मंत्री जी के बताये हुए आंकड़े के अनुसार बहुत से ट्यूबवैल, जो पीने के पानी के काम में आते थे, उनमें से अधिक से अधिक संख्या में या तो चल नहीं रहे हैं या खराब पड़े हुए हैं, या अन्य किसी खराबी के कारण वह कार्य नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार जबकि इतना समय व्यतीत हो जाय और इस प्रकार पैसा अन्धाधुन्ध खर्च हो जाय, इसके बाद भी जल संकट हमारे सामने रहे, और जैसा का वैसा रहे, तो माननीय सभापति महोदय, आज जिस किसी योजना को हाथ में लिया जाता है, उसमें पक्षपात की नीति को लेकर हमारी सरकार चलती है। आज चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे कितनी भी मुसीबत का सामना पानी के लिए करना पड़ रहा हो लेकिन इस बात को यह महसूस नहीं करते हैं कि यह पानी की मुसीबत है यह बहुत बड़ी मुसीबत है, और इसमें किसी प्रकार के पक्षपात को ध्यान में रखते हुए जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाय...

सभापति आज ही नहीं, आज से 8-9 साल पहले हमारे यहां सवाई माधोपुर जिले में इस प्रकार के स्थान थे जहां पर एक एक जगह पर 10-10 मील से पानी लाया जाता था, और गर्मी के मौसम में तो इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद बड़ी मुश्किल से सीजन को निकालते थे। हर समय बजट सत्र या दूसरे सेशन में जल संकट की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं लेकिन आज भी वहां हमारे सामने पीने के पानी की समस्या है हमारी कई तहसीलें ऐसी हैं जहां 6-7 मील से पानी लाना पड़ता है। इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसी प्रकार से किसी तहसील हैडक्वार्टर पर या अमुक जगह पर योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करते हैं तो उसमें पक्षपात की नीति को लेकर चलते हैं। उदाहरण के लिए हिन्डौन। वहां की जल योजना को देखा जाए तो 15 वर्ष से चल रही है उस कारण वहां की जनता के सामने हर गर्मी में भीषण संकट आता है, पानी के लिए त्राहि त्राहि मच जाती है और गर्मी के कारण कुए सूख जाते है। इतनी दिक्कत उठानी पड़ती है। मैंने

(श्री श्रवणलाल)

मंत्री महोदय का कई बार ध्यान आकर्षित किया तो क्या होता है? जब चुनाव आता है, चुनाव नजदीक होते हैं लोगों से वोट लेने होते हैं तो वोटों के खातिर कभी पाइप डालकर कह दिया जाता है कि तुम्हारे यहां जल्दी पानी उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार वहां पर कई सालों से एक प्रक्रिया चली आ रही है। कुछ समय पहले जब संसद के चुनाव हुए थे उस समय इनकी नीति में मोड़ आया। वोट लेने के खातिर वहां लाइन बिछा दी गई, सोचा कि इससे जनता प्रभावित हो जाएगी और वोटों की दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन ज्योंहि चुनाव के परिणाम आउट हुए तो वहां जो सड़क अच्छे ढंग से बनी हुई थी, शहर के अंदर थी, उखाड़कर फेंक दी गई और वहां किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। आप पीने के पानी के सम्बन्ध में इस प्रकार की नीति को लेकर चल रहे हैं। पीने के पानी की समस्या का 20 साल में भी समाधान नहीं कर सके। इसके साथ साथ बकाया का सवाल होता है तो रैट्स के लिए हमें देखना पड़ता है, किसी जगह कुछ लगाते हैं और उसमें चाहे नगरपालिकाओं के द्वारा योजनायें चलाई जाती हैं किसी प्रकार की छूट नहीं करते हैं उसके साथ साथ गांधी शताब्दी वर्ष में घोषणा की गई थी कि हम हरिजनों के मुहल्लों में सबसे पहले बिजली व पीने के पानी की लाइन डालेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आज तक आपने जो घोषणायें की हैं गांधी शताब्दी में उनके अनुसार क्या किया? वोट लेने के लिए तो हमेशा पहुँच जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कितना किया?

श्री भीखाभाई : (जन स्वास्थ्य) आप कैसे जीत कर आते हैं?

श्री कृष्णकुमार गोयल : खड़े होकर बोलें।

श्री श्रवण लाल : अपने प्रभाव से।

श्री भीखाभाई : आपका प्रभाव है तो आप ही करा दें।

श्री दौलतराम सारण : यह शोभा नहीं देता। सरकार की तरफ से बोलते हैं। कि हम सरकार के सामने बहस कर रहे हैं और सदन में कांग्रेस पार्टी से बहस नहीं कर रहे हैं और सरकार जिम्मेदार है तमाम राजस्थान के नागरिकों के लिए। इसलिए गैर जिम्मेदार बात न करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप चुनाव पर बहस कर रहे हैं या मांगों पर? आप चुनाव पर बहस करेंगे तो मन्त्री महोदय भी करेंगे।

श्री श्रवणलाल : मंत्री महोदय ने कहा आप किस प्रकार से जीत कर आते हैं

(मंत्री महोदय व श्री श्रवणलाल साथ बोलने लगे)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : मैं जीत कर आता हूं अपने प्रभाव से, आपकी तरह रिश्वत लेकर सुखाड़ियाजी के पांव छूकर नहीं जीतकर आता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप भैरोंसिहजी के पांव छूकर जीतकर आते होंगे।

Page No 106

श्री श्रवण लाल : मंत्रियों द्वारा पैसे लिए जाते हैं। कोई भी मामला हो, रिश्वत खोरी करेंगे, उनकी तरह मैं जीतकर नहीं आता हूं। मैं ईमानदारी के साथ जीत कर आता हूं।

श्री भीखा भाई : माननीय सदस्य ने कहा कि राजनैतिक कारणों से हिंडोन मे जल योजना नहीं ली गई, 15 साल में। मैं निवेदन करूं सिर्फ दो साल हुए हैं, 11 लाख की योजना आई है। उन्होंने कहा हम आश्वासन देकर जीतकर आते हैं, मैं कहता हूं गलत बात है।

श्री श्रवणलाल : मंत्री महोदय का कहना बिल्कुल गलत है। यह योजना करीब 10 साल से चलती आ रही है, इसको हर प्रकार से नेग्लेट किया जाता है, और पहले हिन्डोन में गोलीकांड हुआ, वहां पीने के पानी को लेकर, कालेज को लेकर, प्रदर्शन किये गये थे, आपने आश्वासन दिया था कि उसी साल के जून तक जनता को पानी उपलब्ध कराया जायगा, वह जून गई दूसरी जून भी आ रही है। आप इस साल उनको पानी उपलब्ध करा सकेंगे? खड़े होकर कहिये कि इस साल पानी उपलब्ध करायेंगे? फिर आप कहते हैं कि पक्षपात नहीं करते हैं, यह क्या है? पक्षपात साफ है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां की जनता सबसे ज्यादा टैक्स देती है, राजस्थान में तीसरे या चौथे नम्बर पर है जिला सवाई माधोपुर टैक्स के सम्बन्ध में अगर इस प्रकार से इन समस्याओं को राजनैतिक आधार पर उलझाये रखा तो एक दिन तो आएगा, मंत्री महोदय आप मत समझो कि सुखाड़ियाजी के पैर पकड़ कर जीतकर आ सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जनता जो आज तक सहन करती चली आ रही है, वह खड़ी होगी और आप जैसों का पता नहीं चलेगा और जिस प्रकार हम पर लांछन लगा रहे हैं उसी तरह से आपको हमारे साथ आना पड़ेगा।

आज छोटी छोटी समस्याओं को लेकर पीने के पानी की समस्याओं को लेकर, इस प्रकार की राजनीति की जाती है, इस कारण समस्यायें उलझी हुई चली आ रही हैं। हमारा इलाका जिस प्रकार से बैकवर्ड घोषित किया गया है वहां सरकार जनता को पीने के पानी जैसी चीज उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है और वहां के जो नागरिक हैं हमेशा से मारल को लेकर चल रहे हैं। 1967 में आपने कुछ आदमियों को तोड़कर राजनैतिक दल बदलुओं के आधार पर सरकार बनाई, यह मारल की चीज नहीं है।

अब मैं चिकित्सा के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। जहां तक हमारे जिले का सवाल है, यह ऐसी चीज है जिसके लिए हर आदमी को जरूरत पड़ती है। चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, लेकिन हमारी सरकार इस ओर देखती नहीं उनकी जो पद्धति है उसके अनुसार चलती है और लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते है। उनको शहरों के अन्दर इस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। ग्राम का जमींदार भी जो बीमार होता है शहर की ओर भागता है। इसका एक ही कारण है कि छोटे-छोटे

(श्री श्रवणलाल)

कस्वों में चाहे वह म्युनिसिपल एरिया हो, जिला हैडक्वार्टर हो, किन्तु वहां सुविधा न होने के कारण वे उस जिले के रहने वाले शहरों की ओर भागते हैं। इसलिए आते है कि अमुक जगह पर अच्छी तरह इलाज होगा। यहां भी संख्या बढी हुई और इस कारण जो मरीज सुविधा प्राप्त करने के लिये बाहर से आता है वह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता है। काफी दूर से चलकर आता है और आने पर भी यहां के रीति रिवाज, परम्परा और चाल ढाल को नहीं जानता है। सभ्य आदमियों के द्वारा उनको एडवाइज्ड किया जाता है। उनकी बात को सुनते नहीं। क्यू में लगता है और डाक्टर के पास पहुंचता है तो वह उसकी शक्ल की तरफ देखता है, देहाती है, उसके पास अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है, ऐसी बोली बोलता है जिसको डाक्टर समझता नहीं है उसको सुविधा नहीं मिलती है। इसलिये डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर बेड्स की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये, दवाओं की मात्रा अधिक से अधिक रखी जानी चाहिये ताकि वहां पर प्रवेश पाकर गरीब सुविधा पा सके, और शहरों की तरफ न भागे।

आज यह सुनने को मिलता है कि हर एक होस्पिटल में दवाई का अभाव है जितना बजट मिलता है, छोटी मोटी देकर छुट्टी कर दी जाती है और बाजार से खरीदने के लिये मेडिसन लिख देते हैं। होस्पिटल में दवाइया होते हुए भी बाजार की दवाइयां लिख देंगे कि मार्केट से जाकर ले आओ। दवाइयां जो होती हैं तो उन्हीं को जो कि अधिकारियों द्वारा वितरित की जाती हैं, मार्केट में उन लोगों के एजेन्ट होते हैं, मेडिकल स्टोर्स से साठ गांठ होती है, बेच देते हैं। वे दवाइयां इस प्रकार से वहां पहुंच जाती हैं और उन्हीं दवाईओं को बाजार से मरीज खरीद कर लाते हैं। एक एक नहीं अनेकों इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। आप किसी भी होस्पिटल में चले जाइये, कहीं भी आपको स्वच्छता नहीं मिलेगी। आपको वार्ड्स में जितनी भी बिछायत, बेड्स आदि पर मिलेगी इतनी गंदी मिलेगी और फर्नीचर भी इतना गंदा मिलेगा कि कोई भी मरीज उसको सहन नहीं कर सकता है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि डाक्टर एक साल रहा, प्रैक्टिस चली, अच्छा काम करने वाला होता है तो आपस में झगड़े चलते हैं कि अमुक डाक्टर नहीं रहना चाहिये, कोन्सीटुएन्सी उसकी है इसलिये वह गड़बड करेगा, चाहे वह ईमानदार आदमी हो लेकिन उस डाक्टर को वहां से हटाने के लिये मंत्री महोदय के पास दौड़ लगाते हैं और मंत्री महोदय उस डाक्टर का वहां से ट्रान्सफर कर देते हैं। चाहे नागरिक कितना ही कह लें लेकिन उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। वह डाक्टर मंत्री महोदय के पास भाग कर आता है और कहता है कि मुझे साल भर भी नहीं हुआ है,

(श्री श्रवण लाल)

शिकायत भी नहीं है लेकिन मंत्री महोदय कहेंगे कि राजनैतिक मामला है इसलिए एक आदमी को तो जाना ही पड़ेगा। नये नये हिन्डोन के अस्पताल में दो डाक्टर है। एक डाक्टर का ट्रान्सफर हुआ जो काफी समय से वहां रहता है। छः महीने गवर्नमेन्ट हौस्टल का चक्कर लगाता रहा और ट्रान्सफर को कैंसिल करा लिया। दूसरा पहुंचा। वह उसको जाकर चार्ज नहीं देता और डबल पोस्टिंग हो जाता है। फिर वह कहता कि मैं सीनियर हूं और वह कहता कि मैं सीनियर हूं। दोनों का झगड़ा चल रहा है। एक दूसरे के मरीज को नहीं देखते हैं। और एक ऊपर बैठा रहेगा। वह सोचता है कि सीट पर जाकर बैठ गया तो वह सीनियर हो गया इसलिए वह ठीक नहीं हैं। इस प्रकार की धांधली चलती रहती है और जनता के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ चलता है और किसी प्रकार से सहयोग नहीं मिलता। आपसी लड़ाई का भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो डाक्टरों के झगड़े है वह डाक्टरों तक ही रखिये और राजनैतिक झगड़े उन तक न फैलावें जनता की भलाई के लिये, मदद के लिए उनको लगाया है न कि झगड़े के लिये। जनता को इन झगड़ों से राहत नहीं मिलती है। किसी को भी रखिये, मुझे इसमें कुछ भी नहीं है।

[समय समाप्ति सूचक घंटी]

दोनों आवश्यक न हो तो उनको वहां से हटा दीजिये लेकिन जनता को सुविधा मिलने दीजिये।

तीसरा सवाल है, विधान सभा में कई बार प्रश्न आये हैं हैल्थ सैन्टर के बारे में। हिन्डोन सिटी है। तीस चालीस हजार की जन संख्या का कस्बा है डाक्टर दो हफ्ते टूर करता है। एक लाख की संख्या पर एक हैल्थ सेन्टर हो यह किस प्रकार से जनता के साथ में खिलवाड किया जाता है। मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती हैं। डाक्टर चैकिंग के लिए गया। क्या होता है कि हमारी मंत्री महोदया, श्रीमती सुमित्रा सिंह का डिपार्टमेन्ट आ जाता है परिवार नियोजन। डाक्टरों के लिये योजना तैयार की जाती है कि प्रमोशन दिया जावेगा। इन्क्रीमेन्ट और सौ रुपया दिये जावेंगे। डाक्टर चक्कर में पड़ जाते हैं। नसबन्दी कराओ, लूप लगवाओ। वे लोग यह करना शुरू कर देते हैं। परिवार नियोजन के लिये वे लोग दौड़ते फिरते हैं चाहे किसी प्रकार की नसबन्दी न की हो या लूप न लगाया हो लेकिन कागज में एन्ट्री हो जावेगी। सभापति महोदय, इस प्रकार की एन्टरी हो जायेगी कि अमुक जगह एक ने नाम लिखाया मेरा नाम घनश्याम और दूसरी जगह उस

Page No 109

(श्री श्रवणलाल)

घनश्याम का हो गया धन्नालाल। न बाप का पता, न गांव का पता और न जाति का पता। आप इन्क्वायरी करें तो इस बात का पता भी चले। इस बात पर मेरा एक सवाल था और आपने जवाब भी दे दिया। मैंने पूछा था कि अभी तक आपने करोड़ों रुपया खर्च किया है, उसकी क्या कोई इन्क्वायरी आप विठायेंगे और अगर कोई इन्क्वायरी की है तो कितने गलत केस पाये गये हैं। आपने सीधा सा जवाब दिया अभी तक इस प्रकार की इसकी कोई इन्क्वायरी नहीं हो पाई है। इन्क्वायरी चल रही है और बाद में जब आंकड़े उपलब्ध होंगे तब कार्यवाही की जायेगी। डिपार्टमेन्ट के अन्दर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये जाते हैं। और उस पर विश्वास कर लिया जाता है। किस प्रकार यह विश्वास कर लिया जाता है? यह सही बात है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसकी नसबन्दी कर दी जाती है और वह मर जाता है। यह एक प्रकार से हत्या का काम है। कोई किसी प्रकार की आज इसकी सुनवाई नहीं है। इसके लिये योजनायें बनती हैं, कलक्टर्स को पॉवर्स दिये जाते हैं कि आपके जिले में अधिक से अधिक संख्या में परिवार नियोजन करवाया जाये और आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ चार्जेज लगाये जायेंगे। कलक्टर बी. डी. ओ., तहसीलदार को पकड़ाता है, एस. डी. ओ. को पकड़ता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे सब-डिविजन के अन्दर इतनी संख्या में केसेज होने चाहिये नहीं तो आपके खिलाफ इन्क्वायरी बिठा दी जायेगी। तहसीलदार अपने पटवारी को कहता है कि उसने अपने सर्किल के अन्दर 415 केसेज नहीं दिये तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। वह चाहे जवान हो, बूढ़ा हो उसको पकड़ लाता है और नसबन्दी करा देता है। अरे भई उसका नाम तो लिखो, परन्तु इसकी उनको चिन्ता नहीं है। बस आपका तो आंकड़ा सही हो जाना चाहिये और जो पैसा है वह खर्च होना चाहिये। इस प्रकार हजारों रुपयों का अपव्यय हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप दुनियां भर में ऐलान करते रहते है क्या आपने इसको अपनाया है। मैं मंत्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि कितने मंत्रियों ने नसबन्दी कराई है, कितने मंत्रियों ने अपने परिवार के अन्दर लूप लगवाई है और कितने माननीय सदस्यों ने? एक ने भी लूप नहीं लगवाया है।

श्री भीखा भाई : परिवार नियोजन कर रखा है।

श्री रावतराम : कई माननीय सदस्यों ने कर रखा है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : भीखा भाई ने 12।15 बच्चे पैदा करने के बाद परिवार नियोजन कराया है।

श्री भीखा भाई : मेरे तो प्राकृतिक रूप से हैं।

श्री श्रवणलाल : यह तो अभी शुरू हुआ है। आपने सुमित्राजी की बात को तो नहीं माना है।

Page No 110

(श्री श्रवणलाल)

मैं यह कह रहा था मंत्री महोदय कि आप फर्मा दीजिये, भीखा भाई के कितने लड़के हैं। डेढ़ दर्जन हैं, इससे कम नहीं हैं। जो लोग हमारा शासन चलाते हैं वे ऐसा करते हैं और फिर दूसरों से कहते हैं (समय समाप्ति सूचक घंटी) और वे स्वयं इस सिस्टम को नहीं अपनाते हैं। वे स्वयं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले आप स्वयं इसको अपनाने की कोशिश करें ताकि दूसरे लोग आपकी शिक्षा पर चल सकें। जहां नसबन्दी होती है वहां डाक्टर पहुँचता है और नसबन्दी का आपरेशन कर देता है। उसके बाद में उस व्यक्ति की कोई देखरेख नहीं होती है। और इसका फल यह होता है कि वह आपरेशन फेल हो जाता है और इसके फलस्वरूप आज घर–घर में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। कई जगह इस प्रकार के केसेज हो गये हैं। घरों के अन्दर इस प्रकार की लड़ाईयां आरम्भ हो गई हैं कि मैंने तो नसबन्दी करा ली थी यह कैसे हो गया? यह गर्भवती कैसे हो गई है? आज इस प्रकार की समस्या घर घर के अन्दर हो गई है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टर जहां पर आपरेशन नसबन्दी का करे, उसको दो–तीन बार देखे और डाक्टर को चाहिए वह व्यक्ति को आपरेशन करके ही न छोड़ दे। इसी प्रकार सभापति महोदय लूप का सिस्टम है। इससे कई औरतों की मृत्यु हो गई है। इससे ब्लीडिंग होती है और यह लूप ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह आपकी मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। इस प्रकार के कई केसेज हुए हैं हमारे अस्पतालों के अन्दर और इससे दो–तीन की मृत्यु हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विभाग को इसके लिए अच्छी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। दवाइयों की कोई असुविधा नहीं रखी जानी चाहिए और आपरेशन के बाद भी स्टाफ के रखे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए और वह स्टाफ आपरेशन, लूप लगाने वाली औरतों की देखभाल करता रहे।

इसके अलावा सभापति महोदय एक बात और कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आज मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट का सवाल है। इसके लिए जहां बड़े–बड़े अधिकारियों का सवाल आता है वे एक एक हजार से ऊपर का बिल उठा लेते हैं। इसकी कोई परवाह नहीं करता है क्योंकि वे स्वयं पैसा ड्रा करते हैं और वे स्वयं ही उसको चैक करते हैं और उनका बिल भी जल्दी पास हो जाता है। मंत्री लोग कितना पैसा मेडिकल का उठाते है उसकी भी कोई जांच नहीं होती है। मगर कोई एम. एल. ए., यू. डी. सी. या चपरासी मेडिकल बिल उठाता है तो उसके केसेज में ऐतराज उठायें जाते हैं और एक एक साल तक पेमेन्ट नहीं किया जाता है। इसलिए सभापति महोदय मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के केसेज के अन्दर चाहे वे चपरासी हो, एल डी. सी. हो, यू. डी. सी. हो, उनके लिये इस प्रकार की कोई योजना बनायी जावे कि उनका मेडिकल महिने का फिक्स हो कि एक साल को कितना उनको दिया जायेगा और वह उनको उनके वेतन के साथ ही मिल जाये। इससे उनको बिल

(श्री श्रवणलाल) पास कराने में दिक्कत नहीं होगी और जो चोरी होती है मेडिकल रिएम्बर्समेंट में वह रुक जायेगी और इस प्रकार यह गड़बड़ रुक जायेगी। सभापति जी इसके द्वारा जो मुद्दे मैंने उठाये हैं, मैं आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकार इसकी ओर अवश्य ही ध्यान देगी।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : सभापति जी, बजट स्पीच में वित्त मंत्रीजी ने यह संकेत किया है कि डाक्टरों में भी बेकारी की बीमारी शुरू हो गई है सभापति जी, यह बीमारी आल इंडिया बेसिस पर है इसमें आज दो तरह के विचार हमारे यहां चल रहे हैं। सीट्स में कमी हो या कुछ मेडिकल कालेज बन्द हों यह सस्पेन्स का वातावरण दूर होना चाहिये हमारा एक प्लानिंग होना चाहिए और बेस यह होना चाहिये कि राजस्थान को आइन्दा पांच सालों में कितने नये डाक्टरों को एब्जार्ब करना चाहिये और उस दृष्टि से पोस्ट्स क्रियेट हों और कितने हमारे स्टूडेंट्स हर साल बाहर निकलेंगे। यह होगा तो हमारा परपज पूरा हो जायेगा और इसके आधार पर सीट्स का बंटवारा हो जाये, सीट्स फिक्स अप हो जायें तो यहां एक अच्छा वातावरण होगा

सभापति जी मेडिकल कालेजों के इन्तजाम के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर रिसर्च का एटीट्यूड हम पैदा नहीं कर रहे हैं। रिसर्च के बारे में हमारा दृष्टिकोण अभी तक नहीं बन पाया है। सभापति जी प्रोफेसर की नियुक्तियां, लेक्चरास, ट्यूटर और रीडर्स की नियुक्तियों और उनके ट्रांसफर को जब कोई देखे तो उसमें कोई साउन्ड बेसिस नहीं है। आपस में कोआर्डिनेशन हो, एडमिनिट्रेशन में कोआर्डिनेशन न हो तो एक्चुअली स्टूडेन्ट्स में अनरेस्ट पैदा होना स्वाभाविक है, लाजिमी है। इसलिये पांच मेडिकल कालेजों के प्रोफेसरों को नान प्रेक्टिस की प्रवृत्ति कायम करने के बाद अगर हम उनको रिसर्च की तरफ ज्यादा इनीशियेटिंग देंगे तो उससे हमारा टीचिंग स्टेन्डर्ड बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि एक एकेडेमिक क्लाइमेट पैदा होगी। जैसा आप कहते हैं एम. बी. बी. एस. पास करने के बाद देहातों में डाक्टरी का पेशा हो तो ऐसा मैं सोचता हूं सभापति जी कि ऐसा सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा कि जो एम. बी., बी. एस. पास करेगा उसमें एक अपने आप भावना पैदा होगी, उसके लाइस के दृष्टिकोण में तब्दीली होगी ऐसा कोर्स आप एडाप्ट नहीं करेंगे तो टीचिंग के स्टेन्डर्ड को आप नहीं उठा पायेंगे और फिर हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जायेगी इसलिये मैं आपके सामने कुछ सजेशन रखना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं पांचों कालेजों में जो स्टूडेन्ट्स फर्स्ट, सेकेन्ड हो उसमें आप चेनेलाइज करिये.....

रिसर्च के काम को देखें, रिसर्च का काम कीजिये लेकिन हमारे यहां लेबोरेटरी में न रिसर्च होता है और न मेडीसिन बनती है। आखिर मेडीकल कालेज की हायर स्टेडी का क्या सम्बन्ध है। स्टूडेन्टस एम. बी., बी. एस. क्लास ज्वाईन कर लें प्रेक्टिस शुरू और अपनी स्टडी का इस्तेमाल कर लें यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिये। जहां मेडिकल कालेज हो वहां रिसर्च का काम होना चाहिये। मैं आपकी मारफत यह निवेदन

(श्री केदारनाथ)
करना चाहता हूं मेडिकल कालेज के बारे में इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसके स्कोप के बारे में चिकित्सा के बारे में सोचना चाहिये। यही बात नहीं सभापति जी, जब हम इन सारे हालात को देखते हैं तो आज तक राजस्थान बनने के बाद काफी एक्सटेन्सन हुआ है। उधर रोगियों की गिनती बढ़ी। तो दवाइयां बढ़ीं, हास्पिटल बढ़े, हेल्थ सेन्टर्स की गिनती बढ़ी। मैं मानता हूं एक्सपान्सन होना चाहिये, जरूरी है लेकिन जो कुछ चेन्ज लायें सारे स्थानों पर लायें, सारे जिलों को ध्यान में रखें। पंचायत समिति के स्तर पर कुछ प्राईमरी सेन्टर्स करें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बेड्स बढ़ायें। सारी फेसिलिटी दें। पूरे डाक्टर्स दें, किन्तु इसके लिये जिले सलेक्ट किये जायें। आज वहां का इंतजाम डी. एम. एच. एस. के हाथों में है वे सभापति जी, बहुत व्यस्त रहते हैं। सारे जिले का इन्तजाम वे कर नहीं पाते हैं। उनके पास तो आलरेडी बहुत से काम हैं। उनको तो हास्पिटल्स का इन्चार्ज बना दिया जाय और सारे जिले का इन्तजाम सीनियर जूनियर स्पेसलिस्ट को दिया जाय। इस तरह का कोई कोर्डीनेशन नहीं कर पायेंगे तो उनकी सर्विसेज का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा और यही कारण है मलेरिया, फेमिली प्लानिंग, मेडीसिन, क्लिनिक आदि का डेजिगनेशन आप नहीं कर पाये हैं। ओवर आल होता क्या है उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो सभापति जी उनकी सर्विसेज का पूरा उपयोग करना चाहिये।

डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली आप बदलें। कुछ प्राईमरी सेन्टर्स में आज रोगी जाते हैं तो डाक्टरों के पास दवायें नहीं हैं, मरीज आते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं होता है। उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी है। यह दृष्टिकोण बदलना चाहिये।

डीजीज सिरियस है तो आप उसको अच्छी दवा दें, अच्छी तरह से उसका इलाज करें। अगर इलाज नहीं हो पाता है तो आप रिजल्टस को जो अचीव करना चाहते है, नहीं कर पायेंगे। जितना बजट पैसा खर्च करें आपको कोई नाम नहीं मिलेगा आम तौर पर डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर इसका प्रचार हो। आप देखेंगे कि डाक्टर की ड्यूटीज बहुत है, आपस के झगड़े ज्यादा हैं और आज डाक्टर की ज्यादा ताकत इन झगड़ों में उलझी रहती है। डाक्टर यहीं रहे उसका ट्रांसफर न हो, इसी में आज ट्रान्सफर न हो। इसी में आज सारी ताकत ऐडमिनिस्ट्रेशन की लगी रहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप हास्पिटल्स की ग्रेडस बढ़ायें। ए. बी. सी. और एक डाक्टर वहीं रहे यह नहीं होना चाहिये। उसको बाहर भी जाना चाहिये। मैं कहता हूं अगर उसको जैसलमेर भेजा जाय तो उसको जैसलमेर भी जाना चाहिये। जो हास्पिटल्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में है, जहां आमदनी के जरिये कम हैं, बैकवर्ड ऐरिया में हैं, वहां भी डाक्टरों के तबादले होने चाहिये। अगर आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, ग्रेडस कर दी ए. बी. सी. तो यह पक्षपात चला जायगा और सभापति जी मंत्री महोदय की रोज-मर्रा की दिक्कत भी समाप्त हो जायेगी। ट्रांसफर्स का झगड़ा समाप्त हो जायगा। सारी ताकत जो आज ट्रांसफर्स में खर्च की जाती है वह ताकत

(श्री केदारनाथ)

दूसरे कामों में लगेगी । अगर आप कुछ उसूल तय कर लें, प्रमोशन के बारे में, ट्रांसफर के बारे में, अपाइन्टमेंट के बारे में तो मैं सोचता हूं काफी हद तक आज जो ज्यादा ताकत खर्च होती है–सिफारिश करवाने में वह सारी ताकत अच्छे कामों के इस्तेमाल में जायगी । सभापति जी, यही तक सीमित नहीं है । मैं इस सीमित समय में यह बात भी करना चाहता हूं हमारे यहां एक्सरे की मशीनें हैं उनके हाल देखें । चाहे वह बीकानेर में हो और चाहे वह जयपुर में हो, खराब होने की स्थिति में उसके रिपेयर करने के लिये कोई इलाज नहीं है । मशीन के लिये पैसा खर्च हो गया लेकिन उसके मेन्टीनेन्स की कोई बात नहीं है । उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं है । मरीज मर रहा है तो मरे, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । हमारे यहां पांच मेडिकल कालेज हैं वहां इस तरह के वेज एण्ड मीन्स निकलें ताकि रिपेयर्स और मेन्टीनेन्स के लिये जो मशीनें जरूरी हैं जिनका जिन्दगी के साथ सम्बन्ध है उसको ठीक करें । यह तरीका आपको निकालना होगा । मैं सोचता हूं, आज सभापति जी आपकी मारफत, सारे राजस्थान में देहातों के लिये कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है । देहातों में जो गरीब तबका है वह हास्पिटल तक नहीं पहुँच पाता है । गांवों में जो देशी लोग हैं उनके पास इलाज करवाने के लिये जाते हैं । आपकी जो मोबाइल यूनिट्स हैं वे भी सारे साल में देहातों में केवल 5–7 बार ही कैम्प लगाती हैं । सारे गांव वालों को अच्छी सेवायें मिल सकें और उनका ठीक प्रकार इलाज हो सके मैं सोचता हूं इसमें आपको तरीका निकालना होगा ।

सभापति जी मैं गंगानगर हास्पिटल के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जबसे गंगानगर बसा है, शहर आबाद हुआ है तबसे आज तक सरकार ने उसको पैसा नहीं दिया । आप अलवर के हास्पिटल को देखें, भरतपुर के हास्पिटल को देखें, जोधपुर के हास्पिटल को देखें ।

आखिर कहीं कुछ रेशो तो होना चाहिये । मरीज की गिनती के साथ बेड्स होने चाहिये । कितने मरीज वहां आते हैं, कितनी शहर की जनसंख्या है, मैं सोचता हूं आपका यह सोचने का तरीका नहीं होना चाहिये । जब से गंगानगर बसा है, यह पंजाब के पास है और आज एक लाख की आबादी का शहर है । सबसे बड़ी धान मण्डी है, जिनस का सेन्टर है और उसमें हास्पिटल की हालत इतनी खराब । अगर मैं डिटेल में जाऊं, काफी खराबियों को बता सकता हूं । वक्त नहीं है लेकिन संक्षेप में कहना चाहता हूं । कोई इन्तजाम वहां का ठीक नहीं है । मेडीसिन का इन्तजाम नहीं, डाक्टरों का इन्तजाम नहीं, डाक्टरों की कितनी रेवेन्यू है छोटे-मोटे ट्रान्सफर किस तरह होते हैं । मुझे इसमें सभापति जी आपत्ति नहीं है लेकिन हास्पिटल सारे जिले में एक हास्पिटल है तो कम से कम उसका एक्सपान्सन तो करना ही चाहिये । 300 बेड्स है, अच्छी बिल्डिंग है उसके लिये भी सरकार लाख दो लाख का कन्ट्रीब्यूशन न दे तो क्या हम सोच लें कि गंगानगर को कुछ नहीं मिलने वाला है । जब भी हम गंगानगर की मांग करते हैं, एक ही जवाब मिलता है आप अपना स्वयं का

(श्री केदारनाथ)

कन्ट्रीब्यूशन करें इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है। मैं सोचता हूं हमारे हास्पिटल की हालत और ज्यादा न बिगड़े. इसके लिये लोग एजीटेट न करें आप स्वयं समझ लें और ऐसे हास्पिटल की हालत को इम्प्रूव करें। डाक्टर्स की स्ट्रेंन्थ को इन्क्रीज करना चाहिये। यह आप एश्योरेन्स दीजिये।

सभापतिजी, आपकी मार्फत एक मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह लेबर वेलफेयर की जो स्कीम है, इस पर श्री गोयल बोलेंगे। पर टोटल जो उनकी स्ट्रेंन्थ है, उसके हिसाब से नहीं मिलता उनको बेनिफिट इसका। बहुत कम आंकी जाती है उनकी सट्रेंन्थ। पर मेडीसिन प्रेस्क्राइब कर दी, उसके बिलों के पेमेंन्ट में गड़बड़ी होती है। इन सारी बातों की दिक्कतें हैं, और मजदूरों में असन्तोष हैं।

हालांकि यह ओटोनोमस बॉडी है, फिर भी आप जहां तक यह मामला है मजदूरों में जिस कारण से असन्तोष है उस सीमा तक आप डाइरेक्शन्स दे सकते हैं। जो इन्तजाम आपके हाथों में है, वह इन्तजाम जरूर करिये।

अन्त में एक बात और कहते हुए मैं समाप्त करूंगा कि डाक्टरों की राइवलरी समाप्त करने के लिये और उनको दिमाग सेवा की भावना की तरफ डाइवर्ट करने के लिये इसके सारे प्रशासन तन्त्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा।

इन शब्दों के साथ में अपना कट मोशन पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : सभापति महोदय, मेडिकल डिपार्टमेन्ट के विषय में विभिन्न स्थानों से आने वाले माननीय सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर जो स्थिति है, उनके बारे में जिक्र अपनी अपनी डिबेट में किया।

सभापति महोदय, तमाम अस्पताल जो राजस्थान में हैं, और जो डिस्पेंसरियां हैं, उन सब में बड़ा जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल है। जहां पर राजस्थान भर के सबसे योग्य डाक्टर इकट्ठे हैं। जहां पूरे राजस्थान भर के केस रेफर होकर आते हैं।

उसकी स्थिति आज क्या है। इस बारे में मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। इससे उन स्थानों का भी प्रतिनिधित्व हो जावेगा कि अन्य स्थानों के अस्पतालों की और डिस्पेन्सरियों की क्या स्थिति है। इस अस्पताल में जो स्थिति है, अच्छी या बुरी, उससे मालूम हो जावेगा कि औरों में इससे बहतर स्थिति होने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, साधारण गरीब आदमी जो राजस्थान के किसी देहात से या कस्बे से रेफर होकर इस अस्पताल में आता है उसकी यह क्या दुर्दशा होती है। निश्चित रूप से यह किसी से छिपी नहीं है। सब जानते हैं। इस अस्पताल में सीनियर डाक्टर हैं, जूनियर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर और रीडर हैं। इस तरह की कई पोस्टें हैं। प्रोफेसर केदार ने जैसा कहा कि हमें व्यक्ति को नहीं देखना है, डिजीज से रिलेशन बनाना चाहिये, उसके सोशल स्टेटस के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहिये, पर इतने ऊंचे ऊंचे डाक्टरों के इस अस्पताल में होते हुए भी यह रिलेशन नहीं बन सका है, निकट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
भविष्य में बनने की कोई सम्भावना भी नहीं है। यह तो आज स्वप्नवद् है।

राजस्थान सरकार के नियमों में प्रावधान भी है और यह सरकार की मंशा भी है कि बीमारी की गम्भीरता को देखकर जूनियर सीनियर या स्पेशलिस्ट को केस रेफर करे और उसे सीनियर एग्जामिन करें। कुछ टेकनिकल काम हैं, इसके लिये टेकनिकल विभाग भी हैं। पर आज इन पर किसी का कन्ट्रोल नहीं है। ये अनकन्ट्रोलेबल हैं। जितने भी प्रोफेसर, रीडर और सीनियर या स्पेशलिस्ट हैं, जिनके लिये आउट डोर में बैठना भी आवश्यक है, पर कोई बैठता नहीं और अगर कभी कदास बैठते भी हैं तो समय पर आते नहीं, समय से पहले ही रवाना हो जाते हैं। वे किसी केस को एग्जामिन नहीं करते। अगर कहीं थोड़ा बहुत हो गया तो अपने सोशल स्टेटस के जान पहिचान वालों को देख लिया और बस। यह सर्व विदित है। यह स्थिति आज अत्यन्त दुखदायी और त्रासजनक है। यह इस अस्पताल के नाम पर कलंक है।

सभापति महोदय, यहां तक भी जानकारी है कि सीनियर स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर अस्पताल में उन्हीं मरीजों को देखते हैं जिनकी सिफारिश होती है या जो पैसा देते हैं। उनकी फीस देते हैं, उनके घर पर जाकर आते हैं। यही नहीं, मेरी जानकारी यहां तक है कि हास्पिटल के प्रोमिजेज में अपने कन्सल्टिंग रूम में डाक्टर पैसा लेते हैं और तब एग्जामिन करते हैं बीमार को। यह हालत है।

गम्भीर से गम्भीर हालत में भी बीमार अगर जाता है तो उसे तुरन्त नहीं देखा जाता। सही माने में इलाज नहीं मिलता।

इक्विपमेन्ट्स खरीदने में गड़बड़ियां होती हैं। अजीब परिस्थिति पैदा करदी जाती है। अभी अभी क्लोज सरकिट टेलीविजन नाम की मशीन 15 हजार की लागत से मंगाई गई। मोडर्न टैकनिक की मशीन है जो अमेरिका में प्रचलित है। इस यन्त्र का काम यह है कि आपरेशन थियेटर में जो आपरेशन होता है उसको इन्चार्ज सर्जन अपने रूम में बैठकर पास से देख सकता है और निरीक्षण करता रह सकता है। अब जिस अस्पताल में आयोडीन और स्पिरिट नहीं मिल सकता समय पर और आक्सीजन नहीं मिलता समय पर और जिसकी वजह से आपरेशन पोस्टपोन करने की नोबत आये दिन आती रहती हो, जिस अस्पताल में बैड्स की कमी हो, सीनियर डाक्टर गरीब बीमार को रेफर करने के बाद भी देखते नहीं, फीस ली जाती हो, समय पर डाक्टर अपनी ड्यूटी पर आते न हों, बीमार के प्रति लापरवाह हों ऐसे अस्पताल में इस प्रकार के टैकनिकल लेटेस्ट टैकनिक के इन्स्ट्रूमेन्ट्स के लाने से आम साधारण आदमी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्या जरूरत है यहां इसकी। इस पैसे को कहीं दूसरे जरूरी कामों में लाया जा सकता था।

सभापति महोदय, इस प्रकार पिछले तीन वर्षों से इलेक्ट्रो केबुल ग्राम मशीन 50 हजार की लागत की न्यूरो सर्जीकल वार्ड में बेकार पड़ी है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि तीन वर्षों में एक बार भी यह मशीन काम में नहीं ली गई। क्योंकि पड़ी रही, इसका कारण भी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बड़ा अजीब है, इसलिये काम में नही ली जा सकी क्योंकि इस विभाग का हैड जो है उसको यह मशीन काम में लेनी नही आती और जो उस पर काम कर सकता है, वह चूंकि उससे छोटा डाक्टर है. इसलिये उसको काम में लेने से मना कर रखा है। इस तरह से उसकी टेलेन्ट रूइन हो रही है। पचास पचास हजार की मशीनें यों बेकार पड़ी रहतीं हो यह गम्भीर मसला है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से यह सवाई मानसिंह अस्पताल आज बदतर स्थिति में गुजर रहा है। आप इस ओर विशेष ध्यान दें और खुद जाकर वहां की इन सारी हालतों को देखें और उनका निराकरण करें।

इमर्जेन्सी वार्ड में जब केस जाता है तो निश्चित रूप से वह सीरियस केस होता है यह सब जानते हैं। पर इस तरह के केस को अटेण्ड करने में डाक्टर को एक घन्टा लग जाता है। डाक्टर बराबर उपस्थित रहता नहीं, कम्पाउन्डर को भाग कर बुला कर लाना पड़ता है। यह लापरवाहीं चल रही है। जब कि ऐसे सिरियस केसों में तुरन्त फर्स्ट एड मिलनी चाहिये। हालत यहीं नहीं, इससे भी बदतर है। इमर्जेन्सी जैसे वार्ड में आक्सीजन नहीं, ढोल खाली पड़े रहते हैं। फिर एक समय में एक वार्ड बाय रहता है, वह अगर एक मरीज को वार्ड में पहुंचाने चला गया तो दूसरा इन्तजार में पड़ा रहता है।

आउट डोर की क्या स्थिति है, यह भी निवेदन करना चाहूंगा। इस वार्ड में प्रेसक्रिप्शन लिखने के लिये कागज नहीं है। सभापति महोदय, इस बारे में 26 अप्रैल को कल स्टेटसमेन अखबार में एक खबर छपी है जो बड़ी रोचक भी है और दुखदायी भी है। मैं उसे बताता हूं पढ़कर :

"An outdoor patient of the SMS Hospital hers has reconstructed and resuscitated a letter written by lady Edwans Mountbatten from the back of a prescription given to him reports UNI.

The letter had been toth into two pieces on the back of which was written the prescription by a compounder in the eye Department.

Exclaimed the Compounder "There is a shortage of paper. So one sided typed old records are being used in the hospital.

The personal letter written on a letter head of the Viceroy's House with a monogram of Lady Muntbatten addressed to the Superintendent of the hospital was in appreciation of the arrangement that existed in the SMS hospital. It was signed "Edwina Mountbatten Barma."

Lady Mountbatten undertook a whirlwind tour of the country soon after partition visiting hospitals and other institutions inspecting arrangements made thereto look-after the refugees and give medical aid to the victims of partition.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

The patient who found the letter is a Govt. official who has made up his mind whether to keep the letter himself or to pass it on to the national or State Archives"

सभापति महोदय, प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए चूंकि कागजों की कमी है इसलिए पुराने रेकार्डों को फाड़ फाड़कर उन पर प्रेस्क्रिप्शन लिखकर मरीजों को दिया जाता है। अब इन रिकार्डों में भी कितने महत्व-पूर्ण रिकार्ड फाड़कर काम में लेते हैं यह इस खबर से स्पष्ट है। यह एक गम्भीर मसला है। यह कितना इम्पोर्टेन्ट डाकूमेन्ट था। इस अस्पताल के लिए वह एक लैटर आफ एप्रीसियेशन था और था एक माने हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ।

दुख की बात यहीं समाप्त नहीं होती, सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि इस अस्पताल में इतने डाक्टर हैं, सरकार इन पर लाखों रुपया खर्च करती है, पर ये मरीजों को कम्पाउण्डरों के हवाले कर देते हैं और खुद लापरवाही से या तो आते नहीं आते हैं तो लेट और जाने में सबसे पहले, समय से पहले। इसमें जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा गया है यह कम्पाउण्डर के द्वारा लिखा गया। मानों इस अस्पताल में प्रेस्क्रिप्शन, लिखने का काम भी इन कम्पाउण्डरों का है, डाक्टरों का नहीं।

यह हालत है इस अस्पताल की।

इससे बदतर हालत जनाना अस्पताल की है। मैं उसके बारे में सभापति महोदय, थोड़ा निवेदन करूंगा। इसमें व्याप्त दुर्व्यवस्था का एक बड़ा कारण स्थानाभाव भी है। काफी अरसे से सरकार की तरफ से आश्वासन पर आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि नया जनाना अस्पताल बन रहा है। पर आज तक कोई ठोस योजना और कार्यक्रम सामने नहीं आया कि कब तक यह बन कर तैयार हो जावेगा, कब काम शुरू होगा, कहां होगा। कौन सा स्थान इसके लिए तै किया गया है।

एक माननीय सदस्य : इन अस्पतालों की लिफ्टें भी खराब पड़ी रहती हैं यह भी बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निश्चय रूप से यह भी जानकारी इस जनाना अस्पताल के बारे में जानना चाहूंगा कि आपरेशन के पश्चात् कितने केस डिटीरियोरेट होते हैं। डिलीवरी के पश्चात् कितने केस बिगड़ते हैं। यह भी बताने की कृपा करें।

इसकी दुर्व्यवस्था का दूसरा कारण इक्विपमेंट्स की ओर दूसरे इम्प्लीमेंट्स तथा अन्य साधनों की कमी भी है। जूनीयर लेडी डाक्टर को हमेशा नाइट ड्यूटी पर रहना पड़ता है। सीनियर डाक्टर का ठिकाना, पता नहीं। समय पर आ गया तो बीमारों का भाग्य है। नहीं तो समय पर आवेगा नहीं, टाइम से बहुत बाद में आवेगा और पहले चला जावेगा।

कहा जाता है कि जनाना अस्पताल में स्टाफ की कमी है। मैं इसे नहीं मानता। स्टाफ की कोई कमी नहीं है कतई नहीं है। स्टाफ की कमी आर्टिफीशियल तरीके से बनादी गई है जूनियरों पर काम सारा डाल दिया जाता है और सीनियर डाक्टर कुछ काम करना ही नहीं चाहता। यह मनोवृत्ति अत्यन्त घातक है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सीनियर स्पेसियेटिस्ट का कार्य लिस्ट में ही नहीं आता है । इनकी काम के लिये कोई रैस्पोन्सिबिलेटी नहीं होती है । अब इनकी रेस्पोन्सिबिलिटी मानी जावे और कार्य लिस्ट में इनके लिये भी काम रखा जावे तब तो इनको काम हो सकता है, नहीं तो जनाना अस्पताल में इनको कोई काम नहीं है । इनसे निश्चित रूप से उतना ही काम लिया जाना चाहिये जितना किसी भी डाक्टर से आशा की जाती है । तब तो स्टाफ की कमी बिलकुल नहीं रहेगी । नहीं तो आधा स्टाफ अगर आइडिल रहा तो अपने आप ही शार्टेज होगी स्टाफ की ।

अब चाहे जनाना अस्पताल हो चाहे सवाई मानसिंह अस्पताल सीनियर लोगों का एक ही वतीरा है-काम कुछ नहीं करना, पैसा और फीस अनाप शनाप लोगों से बीमारों से लूटना । ये सीनियर लोग समय पर कभी अस्पताल में अवेलेबल नहीं होते । परिणाम इसका यह होता है कि अल्टीमेटली सारा बोझा मरीज पर पड़ता है । साधारण गरीब आदमियों पर इन सबका गुस्सा निकलता है । सीनियर काम करता नहीं, जूनियर पर सारा बोझा डाल देता है, इतना काम जूनियर सम्भाल नहीं सकता, वह कम्पाउण्डरों पर रोब गालिब करता है, कम्पाउन्डर बेचारा कितना काम करेगा वह झल्ला कर मरीज पर अपना गुस्सा उतारता है । तो गरीब आदमी की तो सब तरफ से मौत है । इलाज होता नहीं, डांट फटकार अलग पड़ती है । जिस आदमी का सम्बन्धी मरीज होगा वह बार बार डाक्टर के पास जावेगा, कम्पाउन्डर के पास जावेगा, वे सभी उसको डांटेंगे । वह अगर सीनियर के पास चला गया तो वह उस मरीज को तो डांटेगा सो डाटेगा अपने जूनियर को और डांटेगा कि यह उसके पास कैसे गया । तो आज यह विषम स्थिति इन अस्पतालों की है ।

आज जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर पांच स्थानों पर मेडिकल कालेजों से वहां के अस्पताल अटेच्ड हैं । अब वहां के डाक्टर कैसे हैं । सभी स्पेशिलिस्ट और माने हुए डाक्टर इन जगहों पर कन्सेन्ट्रेट हो गये हैं । डिस्ट्रिक्ट के अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों में और देहातों में जाना नहीं चाहता कोई डाक्टर । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रमोशन के साथ टीचिंग एक्सप्रीरीयन्स इन लोगों ने जोड़ दिया है अब प्रमोशन कौन नही चाहेगा । योग्य डाक्टर अपने प्रमोशन के लिये मजबूरन जयपुर नहीं, तो ऐसे अन्य किसी स्थान पर इन पांचों में से किसी एक स्थान पर ही जाना चाहेगा जहां मेडिकल कालेज हैं । जहां उनको टीचिंग एक्सपीरियन्स हासिल होते रहने की सुविधा हो जिससे उनके प्रमोशन मे दिक्कत न हो । कारण है कि इन पांच स्थानों को छोड़कर अन्य 21 जिलों में योग्य डाक्टर उपलब्ध नहीं होते । वहां के मरीज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं । राजस्थान सरकार को चाहिये कि या तो मेडिकल कालेजों के अस्पतालों की व्यवस्था को अलग करे या कम से कम जो लोग जिला अस्पतालों में जाय उनको प्रमोशन के वक्त पर टीचिंग एक्सपीरियन्स की शर्त से मुक्त करे । जिससे जिला अस्पताल में भी इन सभी 26 जगहों पर डिस्टिक्ट हैड क्वाटरों पर अच्छे डाक्टर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
पहुंच सकें और वहां भी बीमारों को अच्छी फेसेलिटी उपलब्ध कराई जा सके। आज जिला अस्पतालों की व्यवस्था कतई सन्तोष-जनक नहीं रह गई हैं।

मोबाइल सरजीकल यूनिट की बात में बताऊंगा। उद्देश्य अच्छा है लेकिन एक जगह केम्प लगता है तो समाप्ति के बाद जयपुर लौट आते हैं, दो महिने जयपुर आइडल बैठे रहते हैं। फिर एक महिने के लिये आगे कहीं केम्प करते हैं फिर यहां आ जाते हैं। दो महिने फिर आराम करते है और फिर एक महिने का केम्प आगे कहीं करते हैं। इस तरह से साल भर में 6 महीने काम करते हैं। यह नहीं होना चाहिये। इसमें एक फिक्स्ड प्रोग्राम तय करके रखा जावे और जैसे ही एक जगह केम्प लगाकर लौटे तुरन्त ही उनको दूसरी जगह केम्प लगाने के लिये भेज दिया जाना चाहिये। साल में कम से कम ग्यारह महिने जरूरी काम करते रहना चाहिये।

इसी तरह छोटी मोटी जगह पर डाक्टर जाने में बहुत आना कानी करते हैं। इस बारे में पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि राज-स्थान सरकार के वर्तमान मेडिकल विभाग के इस ढांचे में डाक्टर गांवों में जाना पसन्द ही नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर तक जाना पसन्द नहीं करते। इसके अलावा एम. एस.एम.डी. की बात अलग रही। सी. ए एस वालों की पोस्टिंग्स करते हैं तो वे भी कस्बों में रहना चाहते है। अगर उनकी गांवों में पोस्टिंग कर दी जाती हैं तो किसी से कहलवाकर कुछ कर कराकर अपना ट्रान्स-फर कॅसिल कराने में रहते हैं।

एक माननीय सदस्य : किससे कैसे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसे ही जैसे हम सब करते है। जान पहचान वाले से मिल लिये। मेरे से जान पहचान हैं तो मेरे से मिल लिये। तो गांवों में जाने में आना-कानी करते हैं मैं सुझाव देना चाहता हूं कि गांवों में जाने में उनको प्रमोशन मिलना चाहिये, इन्सेन्टिव मिलना चाहिये ताकि उनको ज्यादा फायदा नजर आवे। इसे कम्पलसरी भी किया जा सकता है।

तो सभापति महोदय एक तथ्य और मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि स्थानान्तरण डाक्टरों का होता है वह भी कोई ठीक ढंगसर नहीं होते। इसकी आम शिकायत है। मैं चाहूंगा अधिकारीगण डाइरेक्ट्रेट में बैठकर गड़बड़ करते हैं तो उसे मन्त्री महोदय चैक करने की कोशिश करें।

इस विभाग के विषय में अन्तिम निवेदन यह करूंगा कि कुछ न कुछ यह डिपार्टमेन्ट जो टेकनिकल होने के नाते बिलकुल बिगड़ा भी नहीं है। इसके अन्दर कुछ सुधारों को तेजी से लाने की चेष्टा करें, तेजी से कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, आयुर्वेद विभाग के बारे में भी निवेदन करूंगा कि यह विभाग आज भी इस स्थिति में है कि जिस प्रकार शहर में रहने वाले जानते हैं कि पेट में दर्द है तो बैरालगन लेनी चाहिये, जुकाम बुखार है तो नोवलजिन लेनी है। इसी तरह इस सामान्य जानकारी को वैद्य गांवों में काम में लेने लग गये हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति ने यह रूप भी ले लिया है। इससे जनता का भला नहीं होने वाला है।

(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)

पहले आयुर्वेद की पद्धति बहुत अच्छी पद्धति रही है। ऐसा मैं मानता हूं और सुनता आया हूं। लेकिन आजकल अनट्रेंड आदमी जाते हैं। काम कुछ जानते नहीं है। वह राजनीति में रहने की ज्यादा कोशिश करते हैं। जनता की सेवा कम करते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उनको दें।

श्री राम्त राम : आप किसको कह रहें हैं? आयुर्वेद मन्त्री तो हैं नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : चिकित्सा मंत्री तो बैठे हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : सभापति महोदय, यह आपत्ति की बात है, आयुर्वेद मन्त्री नहीं हैं। तो उपमन्त्री को तो होना ही चाहिये।

तो सभापति महोदय, वैद्यों को जानकारी दें ताकि वह खुद की आंच से सेवा नहीं कर सकें तो एलोपैथी की जानकारी से सेवा करें। सभापति महोदय, मैं परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह फेमिली प्लानिंग एक सोशल प्राब्लम है। सभापति महोदय, मैं कोई सन्देह नहीं रखता हूं कि राज्य सरकार ने परिवार नियोजन को सफल बनाने के बहुत अधिक धन खर्च किया है। प्रचार किया है। लेकिन इतनी जल्दी कोई आदमी बदल जाये, यह सम्भव नहीं है। सोशल प्राब्लम को सोल्व करने के लिए वालण्टरी काम किया जाता है। आज इस विभाग की उपयोगिता हमारी दृष्टि में कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेण्ट के एफर्ट्स चाहे कितने ही ईमानदारी से किये गये हों, वह अटर फेल्यूअर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितना इस फैमिली प्लानिंग पर खर्च किया गया है, और किया जाता है, उतना अगर वालण्टरी आर्गनाइजेशन पर खर्च किया जाये और वह मिशनरी तरीके से समझाने की कोशिश करे तो शायद यह समस्या हल हो सकती है। एक दिन में यह समस्या हल नहीं हो सकती है। एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में जो बच्चे हायर सेकेण्डरी लेविल के हों..

एक माननीय सदस्य : हां, हायर सेकेण्डरी।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : तो बहुत अच्छा होगा। तो सभापति महोदय, इस विभाग को पैसा सोशल एजूकेशन पर खर्च करना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (अश्रव्य)

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : सभापति महोदय, मैं पेय जल की समस्या के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पेयजल की समस्या सभी जगह अधिकांश भागों में गम्भीर है।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : ऐसी बात तो है। तो सभापति महोदय, जयपुर शहर में राजस्थान की राजधानी में कुछ समय पूर्व पेय जल समस्या को लेकर यहां चर्चा हुई थी और मन्त्री महोदय की ओर से स्टेटमेंट आया था। सभापति महोदय, पहले तो बड़े शहरों में पानी उपलब्ध नहीं होता है। मेरा

(श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास)
ऐसा मानना है कि राज्य सरकार कुछ न कुछ करेगी। लेकिन सभापति महोदय, जयपुर शहर में पानी में अमियो बइसिस नाम के कीड़े होते हैं। इसी तरह से कई स्थानों में पीने में कीड़े रहते हैं। इसलिए में निवेदन करूंगा कि जितना जरूरी पानी उपलब्ध कराना है उतना हीं यह जरूरी है कि जो पानी जनता को उपलब्ध हो सके, मैं निवेदन करता हूँ कि वह शुद्ध और स्वच्छ हो।

(घण्टी)

सभापति : सदन की अनुमति से कितना समय और बढ़ा दिया जाये ? एक घण्टा ?

एक माननीय सदस्य : नहीं दो घण्टा।

श्री सभापति : सदन का समय 6 बजे तक के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा-महल, जयपुर) : सभापति महोदय, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन इन तीनों के सम्बन्ध में मांगों पर विचार किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि गत 10 वर्ष से आप को भी यह अनुभव होगा, सभापति महोदय, कि राज्य सरकार प्रत्येक मद में रुपया बढ़ाने की मांग करती रही है गये वर्ष में ढाई करोड़ का कर भार रख दिया गया है। परन्तु इस सब के उपरांत सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, सुविधाओं के प्रश्न पर राज्य सरकार किस प्रकार से उदासीन रही है। आज जो सुविधाएं हमारी जनता को उपलब्ध कराना चाहिए था वह की गई हैं क्या ? इस सम्बन्ध में सभापति महोदय दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो इस प्रकार की शिकायतों का सवाल है, जो राज्य सरकार की लापरवाही के कारण या अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के कारण है दूसरे जो जो मूलभूत राज्य सरकार का दायित्व होता है, उन समस्याओं पर राज्य सरकार को विचार करना होगा। सभापति महोदय दूसरी प्रकार की समस्या जिसका चिकित्सा और जन स्वास्थ्य से सीधा सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में थोड़ासा निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जैसी कि हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति हो रही है। बढ़ती हुई आबादी की स्थिति उसी प्रकार से रोगों को बढ़ाती जा रही है। लेकिन उसका निदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार व्यय किया जा रहा है, वह व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं हो सकती हैं। राज्य सरकार चिकित्सालय खोलेगी, हास्पीटिल खोलेगी। डाक्टर्स का अपाइण्टमेंट करेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो तीन बातें इस प्रकार की रखना चाहता हूं कि जहां चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिये। जैसे कलेक्टरी का जहां दफ्तर है वहां पूर्ण साधनयुक्त चिकित्सालय हो जहां किसी भी प्रकार का रोग हो, उसकी चिकित्सा हो सके। लेकिन ऐसी व्यवस्था न की जाकर आपने सेन्ट्रेलाइज कुछ स्थानों पर चिकित्सालय कर रखे हैं। आप राजस्थान के एरिया का अनुभव कीजियेगा, राजस्थान में आवागमन के साधनों के बारे में विचार करके देखियेगा, राजस्थान में किसी कोने में रहने वाले आदमी को अपनी चिकित्सा कराने के लिए

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

यदि सेन्ट्रलाइज्ड हास्पिटल में जाना पड़े तो उसको कितनी असुविधा होगी। मैं नहीं कहता बहुत गहनतम रोग हों तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हर जगह हो, बहुत गहनतम रोग हैं तो उनके लिए बीमार को विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर साधारण रोग है, जीवन के अन्दर प्रति दिन की जो घटनायें हैं उनके लिए भी चिकित्सा के लिए दूर जाना पड़े, तो राज्य सरकार का यह पुनीत दायित्व होता है कि इसकी व्यवस्था हर जगह करनी चाहिए। अपेक्षा हम करते हैं, हमारी कामना इस बात की है, जहां प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली है, जहां लोगों के हित के लिए राज्य सरकार द्वारा आगे बढ़ने की चेष्टा की जाती है, जहां विकास के नाम पर टैक्सों के द्वारा पब्लिक से पैसा वसूल किया जाता है, वहां राज्य सरकार का यह कर्तव्य होता है कि हर जिला स्तर पर कम से कम पूर्ण सुविधायें हों, वहां पर इस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को चिकित्सा के लिए दूर नहीं जाना पड़े। किन्तु आज ऐसा नहीं है। इसलिए दस मील के दायरे में अगर कोई चिकित्सालय खोल दिया जाय तो मैं समझता हूं, लोगों को आसानी से चिकित्सा की सुविधा मिल सकती है। इसलिए सारी सुविधाओं से पूर्ण इस प्रकार के जिला लेवल पर चिकित्सालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन आज इस दृष्टिकोण से चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की जाती है। आज चिकित्सालय खोले जाते हैं तो उसके पीछे राजनैतिक आधार होता है, डाक्टरों के अपाइन्टमेन्ट किये जाते हैं तो उसके पीछे राजनैतिक आधार होता है। जहां से दबाव आता है, जहां से मांग आती है, जहां पर शासन में अधिकार रखने वाले लोगों का हित और लाभ दिखता है, वहां पर राज्य सरकार ध्यान देती है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि पक्षपात से दूर हटकर सारी जनता के हित के लिए इस प्रकार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस प्रकार की शिक्षा प्रारम्भ से दी जाती हैं, उस शिक्षा के आधार पर डाक्टर गांवों में जाकर इलाज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वह बड़े से बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार है, लेकिन सेवा की भावना के साथ में चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए, यह क्षेत्र इस प्रकार का है जिसमें लोगों को अपने निजी स्वार्थ के अतिरिक्त विशेष रूप से जनता के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपका शिक्षा का स्तर जो प्रारम्भ से चलता है, उसमें नैतिकता की दृष्टि से किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है और लोगों में इस प्रकार की सेवा भावना उत्पन्न करने का सवाल पैदा नहीं होता है। डाक्टर जहां जाते हैं वहां अपनी नजर में स्वयं को उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। गांवों में जाकर कोई चिकित्सा करने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी अवस्था में राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा, कि गांवों में जाने के लिए डाक्टरों को किस प्रकार का प्रलोभन दिया जाय ताकि शहर की सुविधाओं को छोड़कर वह गांवों में जाने के लिए तैयार हों। लेकिन इसके प्रतिकूल आज राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

की क्या व्यवस्था है कि गांवों में डाक्टरों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। चिकित्सा में रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है, और जो सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, वह राज्य सरकार के द्वारा आज उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, इस कारण ग्राम डाक्टर सुविधाओं के लिहाज से कष्ट भोगने की चेष्टा नहीं करता है, उसको कोई इम्पीटस नहीं होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि आपस में लोगों में संघर्ष चलता है। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि हर बात में सौदेबाजी होती है, अपाइन्टमेंट सीक करने के लिए और ट्रान्सफर कराने के लिए सौदेबाजी होती है। मैं समझता हूं, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। कारण यह है कि कुछ अधिकारी वर्ग, और मिनिस्टर भी इसमें शामिल हो सकते हैं, के बारे में शिकायत सुनने को मिलती है कि सौदेबाजी की जाती है। और लोगो को कोई इम्पीटस नहीं दिया जाता है। आज इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें जन जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज चिकित्सालयों में दवाओं का इन्तजाम न करने के बारे में, हास्पिटल के बैड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक नहीं, हजारों दृष्टांत सामने आते हैं। मैं आपको एक मोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। आपने नियमानुसार इस प्रकार की व्यवस्था की, कुछ व्यक्तियों को, राज्य कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को आप मेडिकल फैसेलिटी प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल रिएम्बर्समेंट की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, करते जाइये, इसमें किसी को कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं है। सवाल इस प्रकार का है, दो प्रकार के कर्मचारी मेडिकल फैसेलिटी प्राप्त करने वाले होते हैं। पेन्शनर के लिए जो आपने व्यवस्था की है वह अच्छी बात है। लेकिन सारी व्यवस्था में असल बात यह है कि मेडिकल फैसेलिटी और मेडिकल बिल पेश होने का जो सवाल है उसमें अपने प्रभावशाली व्यक्ति प्रभाव के द्वारा आसानी से इन सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है, लेकिन साधारण स्तर का जो व्यक्ति है, जो साधारण कर्मचारी है–उसको कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है–इस ओर आपको ध्यान देना होगा। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो आप मेडिकल फैसेलिटी देते हैं, उसके बजाय हास्पिटल में इन्डोर पेशेन्ट होकर रहते हैं, उनको आप दवा क्यों नहीं देते हैं? बिल बनाने का सवाल पैदा नहीं हो। आपके कर्मचारियों के प्रति शिकायत आपकी है, लेकिन मेरा उन पर अविश्वास नहीं है, मैं किसी को बुरा या बेईमान नहीं कहता। उनके ऊपर इल्जाम सरकार की ओर से लगाये जाते हैं कि गलत बिल्स बनाते हैं, गलत सुविधायें प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। दूसरी ओर सरकार पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि सरकार की ओर से काफी परेशानी पैदा की जाती है। इसका कारण क्या है? बीमार को दवा चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से दवा की व्यवस्था नहीं होती है। आज शफाखानों में दवाओं की व्यवस्था नहीं होती है। बीमार को दवा बाजार से खरीदनी पड़ती है। किसी को रिएम्बर्समेंट मिलता है और किसी को नहीं। आप दवा देने के लिए क्या व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अस्पतालों में दवायें उपलब्ध कराई जायं

Page No 124

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

चाहे छोटा शफाखाना हो, चाहे बड़ा। लेकिन आज वहां दवायें नहीं मिलती हैं, डाक्टर पर्ची लिख कर दे देते हैं, उसके आधार पर बाजार से दवा खरीदी जाती है, अब मनुष्य होता है, स्वभाव में उसके कमजोरी आ जाती है, और वह कमजोरी का शिकार होने लगता है। लोग कितनी प्रकार की गलत कार्यवाही करते हैं, उसके ऊपर में इस समय प्रकाश नहीं डालना चाहता, लेकिन सिद्धान्त रूप से राज्य सरकार को यह स्वीकार करना होगा, कि लोगों को दवायें उपलब्ध कराई जायं। आज अस्पताल में आपने मशीन लगा रखी है, वह वाइट एलीफेन्ट जैसी मशीन शफाखानों में लगा रखी हैं। आज विकास के नाम पर, वृद्धि के नाम पर, अपने को ऊंचा और इक्विप्ड बताने के नाम पर मशीन पर लाखों का खर्च करते हैं, लेकिन आप दवा के नाम पर नहीं करते हैं—यह कहां तक उचित व्यवस्था है। तो पहली चीज है, राज्य सरकार के द्वारा दवा देने की व्यवस्था करना, दूसरी चीज है, अच्छे प्रकार से बीमार लोगों का इलाज करना। आपको इलाज के सम्बन्ध में दो बातों की ओर ध्यान देना होगा, वह यह है कि जितने गहनतम रोग हैं, जितने काम्प्लीकेटेड पेशेन्ट हैं उनको एक्सपर्ट के द्वारा सम्भालने की व्यवस्था करें। प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के आधार पर चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाय, बल्कि चिकित्सा की सुविधा रोग के आधार पर व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से राज्य सरकार को करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि राजस्थान के कोने-कोने से बहुत अच्छे एक्सपर्ट डाक्टरों की आप व्यवस्था कर सकते हैं? मैं नहीं कहना चाहता हूं कि एक्सपर्ट डाक्टर मेडिकल कालेजों में अपना योगदान कर सकते हैं, शहरों में जहां बहुत ही काम्प्लीकेटेड केसेज आते हैं उनको चिकित्सा में योगदान प्रदान कर सकते हैं, उनको वहां से हटा कर दूसरी जगहों पर लगा दिया जाय। सवाल यह है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना चाहता है तो उसको ओपिनियन दिलाने में प्रायोरिटी देनी चाहिये। अस्पतालों में कई केसेज ऐसे आते हैं जो काम्प्लीकेटेड होते हैं तो उनको एक्सपर्ट द्वारा चिकित्सा कराने में प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और इसका सीधा सम्बन्ध राज्य सरकार की व्यवस्था से है, लेकिन इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग में काम करने वाले डाक्टरों में सेवा की भावना भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के अन्दर जो प्रारम्भ से जिस प्रकार का शिक्षा का स्तर रखा गया है, जिस प्रकार के वातावरण में हमारे नौजवान आगे बढ़ते हैं, उसमें उनको नैतिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं इन सारी समस्याओं की ओर चिकित्सा मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है अव्यवस्था की, जिला स्तर के, नगर स्तर के जितने अस्पताल हैं, उनके अन्दर कमियां हैं और अव्यवस्था के सवाल भी हमारे सामने आते रहते है। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) उनके सम्बन्ध में कई बार आश्वासन भी दिये गये....

श्री भैरोंसिंह : परिवार नियोजन के लिए बोलिये।

Page No 125

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप शांति रखिये।

कई प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, उन सारों के विषय में राज्य सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि चाहे जिला स्तरीय अस्पताल हों, चाहे नागरिक स्तर के–इन सब हास्पिटल के अन्दर एक्जामिनेशन के लिए, इनका इन्सपेक्शन करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया जायगा, इस कमेटी के निर्माण के लिए राज्य सरकार काफी समय से कहती चली आ रही है.... लेकिन आज तक राज्य सरकार ने इस प्रकार का प्रगतिपूर्ण कोई कदम नहीं उठाया। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या है।

श्री सभापति : 20 मिनट हो गए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह समस्या जयपुर शहर के अन्दर इतनी गहन होती जा रही है कि इन समस्याओं पर गत 5–7 वर्षों से राज्य सरकार की ओर से आश्वासन मिलते आ रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इस नगर की पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में विचार करके और कठिनाइयों का निराकरण करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन निराकरण नहीं हो सकता। इसका मूल कारण यह है कि नगर की बढ़ती हुई आबादी और उसकी पानी की आवश्यकता के अनुपात से पानी न तो राज्य सरकार उपलब्ध करा सकती है और न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की। उत्तर देते समय सरकार की ओर से प्रायः कहा जाता है कि शहर के अन्दर घनी बस्तियों में जहां जनसंख्या बढ़ गई है, पहले एक छोटी दो तीन इंच की लाइन डाली गई थी, जहां 10 कनेक्शन्स थे, 15 हो गए, 20 हो गए और बढ़ते बढ़ते 100 कनेक्शन्स हो गए। छोटी लाइन का प्रेशर उतना ही जाता है, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं कि लोगों को आगे सप्लाई कर सके। इसलिए पानी का अभाव रहता है, इस प्रकार का उत्तर प्रायः दिया जाता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि पानी का कनेक्शन देना विभाग के हाथ में है। उस लाइन पर कितने कनेक्शन्स का भार है, यह विभाग को जानकारी है। क्या विभाग जब टैक्स लेता है, सड़क मरम्मत के लिए रुपया जमा कराता है, किराया वसूल करता है तो विभाग का उत्तरदायित्व नहीं कि एक छोटी लाइन जिस पर पहले ही भार पड़ा हुआ है उसके साथ साथ में जितना अंदाजा लगाते हैं दो इंच लाइन से 10 कनेक्शन्स हो जायें, तो कनेक्शन्स बढ़ने के बाद लाइन बड़ी की जाए। बात यह हैं कि पानी की समस्या गहन होती जा रही हैं। जब पानी उप-

(श्री विजयसिंह, सभापति पदासीन)

(5.01 म. प.)

लब्ध नहीं करा सकते हैं तो गलत बहाने जनता के सामने रखते हैं। पेयजल की समस्या जयपुर शहर में दिनों दिन बढ़ती जा रही है इस समस्या की ओर राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें मेरा सुझाव है कि आज पानी के वितरण में ऐसा प्रतीत होता है कुछ

(घंटी)

डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कहीं पानी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

का प्रेशर अच्छे रूप में मिलता है कहीं अच्छे रूप में नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है ? जहां लोगों के पास बाग बगीचे हैं वहां जो पेयजल है वह वृक्ष इत्यादि के काम में न लें उनके लिए सरकार को ऐसे ट्यूबवेल्स बनाने चाहिए जिसमें फिल्टर्ड पानी की जरूरत नहीं हैं जिसमें राज्य सरकार को खर्चा न करना पड़े। इस प्रकार कुओं द्वारा पेड़ों पर बगीचों पर बड़े बड़े आदमियों के बंगलों में केवल पेड़ों के लिए सप्लाई किया जाए। यदि पेयजल पेड़ों से हटाया जाए तो कुछ रूप में पीने का पानी मिल सकता है और समस्या का समाधान हो सकता है। कोई कठिनाई आती है राज्य सरकार के सामने वह तो सरकार को सोचना होगा लेकिन जब पेयजल के लिए ट्यूबवेल्स खोलने को तैयार है तो क्या सेक्टर्स बनाए जा सकते हैं और उनमें कुएं खोले जा सकते हैं जिनमें पेड़ों के लिए और बगीचों के लिए पानी सप्लाई किया जा सके।

अंत में केवल परिवार नियोजन के सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना जो राज्य सरकार की ओर से चल रही हैं यह योजना मात्र है...

श्री भेंरोंसिंह : सफल हुई है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कहां तक सफल हुई है राज्य सरकार जाने। मैं इस योजना में विश्वास नहीं करता क्योंकि परिवार नियोजन मंत्री कहते हैं हम दो और हमारे दो। जब आपकी योजना बनी उससे पहले मैंने सिद्धांत बनाया था हम दो और हमारे 9। इसलिए मेरा तो सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री भेंरोंसिंह : आपने भी कराया है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप थोड़ा सा ध्यान दें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ये जो 9 बच्चे हुए आपरेशन के बाद या पहले ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जाने दीजिए इन बातों को। सफलता और असफलता को। आखिर इस परिवार नियोजन की योजना के पीछे सरकार की भावना क्या है ? सरकार यदि मानवता के विकास को बढ़ने देना नहीं चाहती, सरकार केवल यदि चाहती है कि परिवार नियोजन एक प्रचार मात्र साधन रह जाय और परिवार नियोजन के द्वारा व्यक्ति के विकास में वृद्धि न हो तो मैं समझता हूं यह नीति राज्य सरकार की ठीक नहीं है। राज्य सरकार को नैतिक स्तर पर विचार करना होगा। आज परिवार नियोजन का प्रचार विशेष रूप से शिक्षित वर्ग में जिस प्रकार से फैलाया जा रहा है गांवों के अन्दर प्रचार राज्य सरकार द्वारा किया गया, कितना प्रचार व प्रसार हुआ उसके आंकड़े तो आपके पास हैं। चाहे आपने रुपया खर्च किया हो लेकिन गांवों में इस योजना को न फैला सके।

(घंटी)

केवल दो मिनट। नगरों में विशेष रूप से जहां शिक्षित वर्ग है वहां परिवार नियोजन का अर्थ नैतिकता से दूर उनके आचरण को ले जाना माना गया है। परिवार नियोजन के प्रचार के तरीके जिस प्रकार से राज्य सर-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कार ने अपना रखे हैं उसके साथ साथ जितना व्यय राज्य सरकार करती है उतना ही व्यय सरकार को लोगों के नैतिक चरित्र को बढ़ाने के लिए करना चाहिये। आप किसी को मजबूर करके बंधीकरण नहीं कर सकते, नसबन्दी नहीं कर सकते बल्कि विचार उत्पन्न करने होंगे राज्य सरकार के द्वारा ताकि सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तभी राज्य सरकार अपने कर्तव्य को समझ सकेगी। क्योंकि केन्द्र से आज परिवार नियोजन के बारे में आप पर दबाव आता है, आप केन्द्र का फेवर करना चाहते हैं, केन्द्र से एड मिल जाती है, कुछ प्रचार में और कुछ सरकार के कारिंदे रुपया हजम कर जाते हैं। यदि आप प्रचार के जरिये योजनाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो न देश के लिए न समाज के लिए हितकर होगा। यह सामाजिक समस्या है। इसके निराकरण के लिए आपको लोगों के विचार उन्नत करने होंगे जिन विचारों से वे अपने लाभ और हानि, सारी बातों को समझ सकें।

चिकित्सा, जन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सारी समस्यायें मानव जीवन से इतना गहन सम्बन्ध रखती हैं और राज्य सरकार को इसकी ओर उदासीन रहना शोभा नहीं देता। सरकार को अधिक से अधिक सक्रिय होकर इस प्रकार की व्यवस्था करके जिससे जन जीवन के साथ खिलवाड़ न हो सके।

श्री सभापति: श्री लाभचन्द वैद।

श्री मनोहर सिंह मेहता: आज तो 3 बजे सैशन शुरू हुआ है इसलिए 8 बजे तक चलना चाहिये।

श्री लाभ चन्द वैद (सुजानगढ़): रतनगढ़ में जो वाटर वर्क्स बना हुआ है वह राजाओं के जमाने का बना हुआ है। उस समय रतनगढ़ नगर की आबादी करीब 20 हजार थी और आज 30 हजार से अधिक पहुँच चुकी है। आज से 27-28 वर्ष पहले जब यह वाटर वर्क्स बना था और इस समय वाटर वर्क्स बिल्कुल जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। नया वाटर वर्क्स आप देने में असमर्थ हैं। वहां वार्ड नं 0 9, 10 व 17 में पानी नहीं पहुंचता, 2 में आधे हिस्से में पानी जाता है और आधे में नहीं पहुंचता और शहर के दक्षिण की तरफ जो रेलवे लाइन के उस पार बस्ती है जहां हजारों आदमी रहते हैं वहां वाटर वर्क्स का पानी नहीं पहुंचता और जब वाटर वर्क्स वालों से निवेदन करते हैं तो कहते कि पाइप लाइन सड़ चुकी हैं, नए सिरे से कनैक्शन्स देने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं।

मैंने इस विषय में पहले भी एक सवाल उठाया था लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देती। मैं मानता हूं कि यह वाटर वर्क्स एक प्राइवेट संस्था है लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा संस्थाओं की जो प्राइवेट संस्थायें हैं, उनको आप एड देते हैं उसी प्रकार से इस संस्था को भी आप एड देकर रतनगढ़ की पेय जल की समस्या को हल करने में सहायक हों। आप अनुदान न दे सकें, आप एड न दे सकें तो कृपा करके उनको ऋण दीजिये और यदि आप उनको ऋण भी न दे सकें तो कृपा करके आप उसको अपने हाथ में ले लीजिए इसको अपने हाथ में लेकर चलायें ताकि रतनगढ़ की पेय जल की समस्या है वह हल हो सके।

(श्री लाभचन्द वैद)

सभापति महोदय, वहां की पेय जल की समस्या गर्मी के कारण विषम से विषमतर होती जा रही है क्योंकि आबादी भी बहुत बढ़ती जा रही, शहर ऊंचा नीचा बसा हुआ है इसलिए जल प्रदाय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं वहां के वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में नया प्रबन्ध करके इसको सुचारु रूप से चलाने के लिए इस ओर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): पीने के पानी की समस्या गर्मी के कारण और भी उग्र समस्या बन गयी है। जहां प्रान्त के दूसरे भागों में विकास के काम किये हैं वहां पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले आज तक पानी के लिये तरसते हैं और वर्षों से हम पेय जल के लिये मांग करते आये हैं लेकिन आज तक इसका इन्तजाम नहीं हुआ है। इसलिए सरकार इसको धीरे धीरे करती जा रही है कि ये लोग और किसी विकास की बात न कर लें। पीने का पानी ही करती रहे, पानी ही पानी करती रहे। कभी किसी गांव में ट्यूब वैल खुदवा दिया, कभी किसी गांव में कुआ खोद दिया यों करके वक्त गुजार रहे हैं। इतने वर्षों में पश्चिमी राजस्थान के पीने के पानी की समस्या नहीं मिट पायी।

बीकानेर के आधे भाग में खारा पानी है। सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि रास्ते से नहर जा रही है उसके आस पास सात सात दस दस मील के फासले पर जहां कहीं खारा पानी है वहां पर मीठे पानी की पाइप लाइन जाकर वहां की जनता को मीठा पानी उपलब्ध कराये। दस दस पन्द्रह पन्द्रह मील पानी लाना पड़ता है। परिवार का एक आदमी तो पानी लाने में ही लगा रहता है। वह पानी लाये तो परिवार के दूसरे लोग पानी पीयें। वहां के इलाकों के लोग मीठे पानी के लिए तरसते हैं। हर बहस में पानी की ही पानी की बात आई है। यह क्या विकास हुआ? या तो जानबूझ कर उस इलाके के लोगोंको तंग किया जा रहा है और यह कह कर तंग किया जा रहा है कि अकाल के नाम पर ज्यादा खर्चा किया। अकाल इसलिए पड़ता है कि आपने उसको मिटाने को कोशिश ही नहीं की। घास के लिए और दीगर कामों के लिए आप अकाल के नाम पर खर्चा करेंगे लेकिन मीठे पानी की समस्या को आप हल नहीं करेंगे।

बीकानेर शहर में राजस्थान सरकार ने राजस्थान बनने के बाद से एक कुआ भी नहीं खोदा है। पहले जितने लोगों के कुए थे इधर से उधर पानी ले जाकर देते रहे है। अभी भीखाभाईजी वहां पर गये तो इनको और इनके असिस्टेन्ट इन्जीनियर आदि क कोई आदमियों ने घेर लिया था और जान बचा कर भाग कर चले आये। अधिकारी कहते हैं नौकरी छोड़ देने के लिए तैयार हैं। क्या करें? मेरा निवेदन है कि यदि आपने वहां पर एक कुआ भी खोदा हो तो कृपा करके बता दीजिये कि कौनसा कुआ आपने खुदवाया है —कोई नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या भीखा भाईजी आपकी बात नहीं मानते हैं? सुर सागर है।

श्री गोकुल प्रसाद : आप यहां बैठते हो और मेरे बीच में बोलते हो। भीखाभाई तो राज करते हैं।

जितने कुए पड़े हुए हैं उनमें मोटर लगाई जाय। नई कोई पाइप लाइन वहां पर लगाये। पाइप्स उन वर्षों में दिये गये थे। जबसे तो आबादी दूनी हो गई है। मैंने पूछा वहां जाकर इधर पानी क्यों नहीं आता है। तो कहने लगे कि दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह फीट कुए गहरे हो गये हैं। बाकी के कुओं से क्यों नहीं देते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। शिड्युल्ड कास्ट के मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं पहुंचती है क्योंकि पैसा नहीं है। पूछते हैं कि पैसा कहां से आवेगा तो कहते हैं समाज कल्याण विभाग देगा। जो अपनी मर्जी से देता है। मेरे इलाके में पीने के पानी के लिए कई वर्षों से समाज कल्याण विभाग से मांग की जाती रही है लेकिन कहते हैं कि सिफारिश हो तो करवाओ। तबादला करवाने के लिये नहीं। आप काम कीजिये। लोगों का अपमान करने से काम नहीं होता है। आपको काम करना पड़ेगा और हजार बार करना पड़ेगा। लोग प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं है पीने को। इतने वर्षों में एक कुआ आपने खुदवाया नहीं रतनगढ़ में पाइप लाइन नहीं। इतना बड़ा शहर है। आपने कोई इन्तजाम किया ही नहीं। एक सेठ इन्तजाम करके बैठा है वह कर नहीं सकता। आपको उसकी कोई चिन्ता नहीं। आप उसको क्यों नहीं ले लेते हैं? आप उसको ले लीजिये। पानी के लिये लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं।

मेरे शहर में एक समस्या रहती है वह गन्दे पानी की रहती है। वह अच्छे कामों के लिये लिया जा सकता है। तीन वर्ष से मैं आपको कह रहा हूं। 19 लाख रुपया लगा कर एक गन्दा नाला बनाया जा रहा है और एक व्यक्ति की जमीन में यह सारा पानी जाता है। एक नक्शा बना कर हमने दिया एक पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर से। दो लाख की बचत। यदि एनीकट बना दिया जाय और पानी को तोड़ दिया जाय तो इससे हजारों किसानों के खेतों में पानी जावेगा और दो दो तीन तीन चार एकड़ जमीन में पीवल होगी। यदि आपके सामने दस हजार एकड़ का नाम ले लिया जाता तो आप दस करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाते। वहां पर पानी से ज्यादा उपज भी बढ़ सकती है। अधिक लोगों को फायदा हो सकता है। जब कि एक सेठ के खेत ने पानी जायगा। क्यों जाय? सेठ के खेत में पानी नहीं जाने देंगे और न महाराज के खेत में जाने देंगे। सुअर के बाड़ों के लिए नहीं। सैकड़ों एकड़ गेहूं बो रखा है लेकिन एक पैसा नहीं दिया।

श्री देवेन्दत्त गाडिया : सेठ का क्या नाम है?

श्री गोकुलप्रसाद : एक सेठ है महाराजा करणीसिंह। दूसरा सेठ है रामपुरिया।

श्री भैरोंसिंह : समाजवाद है।

श्री गोकुल प्रसाद : उसने कहा कि ऊपर से करा लाऊंगा आप इसको मत उठाना विधान सभा में। कहां गलती है? पता नहीं कौन मिला हुआ है। मन्त्री को भी सूचना दी गई। गन्दा पानी शहर का मिलता तो कम से कम एक दो रुपया माली देते। गार्डन और सुअर के बाड़ों से आपको यह रुपया

(श्री गोकुल प्रसाद)
नहीं मिलेगा। लाख दो लाख रुपया भी मिल जाता और गरीब लोग पल जाते। यही हालत सारे शहरों की है।

यह भी हो सकता है। यह पानी को काम में लेना चाहिये। पर यह पानी उन लोगों को दे देते हैं मुफ्त में।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि वे इस प्रश्न को विधान सभा में उठाना चाहते थे। पर रामपुरिया सेठों ने इनको एप्रोच किया कि वे यह प्रश्न विधान सभा में न उठावें। यह सही है न ?

श्री गोकुल प्रसाद : उठाया तो है न।

श्री भैरोंसिंह : उठाया यह अलग बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वह आपके पास आये जैसा आपने कहा और उसने आपसे कहा कि आप मत बोलो, वे इस मामले में ऊपर से करवा लावेंगे। इस तरह की बात है तो माननीय सदस्य को चाहिये कि चूंकि यह एक तरफ से सदन के माननीय सदस्य का विशेषाधिकार का हनन हुआ है उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय। ताकि मामले की असलियत का पूरा पता लग जाय। यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बिल्कुल ठीक है।

श्री गोकुल प्रसाद : पीने के पानी की व्यवस्था के लिए बजट अधिक से अधिक रखना चाहिये। भीखाभाई, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, इन्जीनियर, ओवरसियर इनमें दर असल में काफी नक्सलवादी बैठे हैं। जो सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं। तो सरकार को इनसे सचेत हो जाना चाहिये।

बीकानेर के अस्पताल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेडिकल कालेज भी वहां है। 6500 बेड हैं। पहले अस्पताल छोटा था। पन्द्रह बीस लाख रुपया दान लेकर काफी बड़ा अस्पताल बना लिया। पर स्टाफ कुछ भी नहीं बढ़ाया। इस कारण बीमारों की सही तरीके से सेवा सुश्रुषा हो नहीं पाती। दवाइयां नहीं मिलती बोरिक पाउडर तक नहीं मिलता। आपरेशन समय पर नहीं होते। डाक्टर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचते न वक्त पर मिलते हैं। गोली लगी हुई है ऐसा बीमार अगर चला गया तो डेढ़ दो घण्टे तक डाक्टर अटेण्ड नहीं करता। डाक्टर रहता नहीं, नीचे कम्पाउण्डर लोग इतने लापरवाह हैं कि कहते है डाक्टर आवेगा तब आवेगा। मैं साथ था तो प्रिन्सिपल को बुलाया। वे एक घण्टे बाद आये। पूछा तो कहा गया कि पौण घण्टा ही तो बीमार को आये हुए हुआ है। तो क्या पौण घण्टे में भी देखना नहीं चाहिये था।

तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है, एक दूसरे की परवाह नहीं करते क्योंकि हर आदमी देर से आता है। डिसिप्लिन वही रखवा सकता है जो स्वयं डिसिप्लिंड हो। तो आज वहां दवाइयां पूरी नहीं, स्टाफ पूरा नहीं, जो है वह पूरी तरह से लापरवाह, समय पर आते नहीं। काम पूरा करते नहीं, मरीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। मेडिकल कालेज पुराना है। बाकी कम्पाउडण्र ट्रेनिंग की व्यवस्था वहां थी, वह बन्द करवादी और कई ट्रेनिंग बन्द करवा दी।

(श्री गोकुल प्रसाद)

एक क्लिनिक है शहर में। बाकी शहर के बीच में न तो डिस्पेन्सरी है न अन्य व्यवस्था। यह क्लिनिक भी टी. बी. का है। शहर में कोई टी. बी. का मरीज नहीं है। आपने उस टी. बी. क्लिनिक को वहां से हटाने का आदेश दे दिया था 1½ पहले। पर आपके आदेश की कोई पालना नहीं करता। हर आदमी बड़े अस्पताल नहीं जा सकता वह दूर पड़ता है। शहर की आबादी दो लाख की है। मेरा सुझाव है कि यह टी. बी. क्लिनिक यहां से हटा कर दूर ले जाओ और इसकी जगह कोई डिस्पेन्सरी खोल दो ताकि शहर के लोगों को सहूलियत हो। अभी डिस्पेन्सरी खोल सकते हैं टी. बी. क्लिनिक के पास सरकारी बंगले हैं वहां खोल सकते हैं।

नोखा पंचायत समिति के प्राईमरी हैल्थ सैन्टर में कोई डाक्टर नहीं। अगर बीकानेर का डाक्टर नोखा में चला गया तो यहां दिक्कत हो जाती है इसलिये वहां डाक्टर का रहना जरूरी है। प्राईमरी हैल्थ सैन्टर के लिये बिल्डिंग बनाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं।

आयुर्वेद के बारे में अभी मेरे एक जवान साथी कह रहे थे कि इससे जनता की सेवा नहीं होती। इनको ऐलोपैथी की शिक्षा देकर भेजा जावे ताकि ये सेवा कर सकें गावों में। आयुर्विज्ञान को नहीं जानने वाले ऐसा कह सकते है। यह जरूर है कि वैद्य गांवों में सेवा नहीं करते, राजनीति में हिस्सा लेते हैं। नहीं तो उसकी दवाई से गरीबों को सन्तोष होता है। आयुर्वेद के अस्पताल जहां जहां जरूरी हो खोलना चाहिये। छोटी छोटी बीमारियों में वैद्य ज्यादा सफलतापूर्वक काम कर सकता है। आयुर्वेद की बीकानेर में भी दो तीन दवाखाने और होने चाहिये। टोंक वाले भले ही आयुर्वेद पसन्द नहीं करते। पर हमारे यहां तो लोग बहुत पसन्द करते हैं।

एक माननीय सदस्य: परिवार नियोजन पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं

(श्री निरंजननाथ आचार्य पदासीन)

(5.35 म. प.)

श्री अध्यक्ष: श्री सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं कि मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा अध्यक्षजी।

राजस्थान के अन्दर 32241 गांव हैं। और 257 लाख की आबादी है। दो करोड बारह लाख आदमी गांवों में बसते हैं केवल 45 लाख आदमी शहरों में रहते हैं।

इस जनसंख्या में राज सरकार ने अभी तक करीब 45 लाख की शहरी जनसंख्या के लिये ही चिकित्सा वगैरह का अधिक प्रबन्ध किया हैं। सरकार ने इन के लिये 15 करोड 12 लाख/56 लाख रुपया खर्च किया हैं जल प्रदाय योजना के लिये।

परन्तु अध्यक्षजी में यह सनसनीखेज आंकड़े रखना चाहता हूं कि बाकी राजस्थान की 213 लाख जनता के लिये इन्होंने केवल 16 करोड 18 लाख 57 हजार रुपये खर्च किये हैं अभी तक केवल ग्रामीण क्षेत्र में 300 जल प्रदाय योजनएं बनाई बाकी कुओं और दूसरे साधनों में खर्च किया हैं।

(श्री दौलतराम सारण)

आप कल्पना करें, तुलना करें कि 3224 गांवों में रहने वाली 212 लाख जनता के लिये यह सरकार खर्च करती हैं 16 करोड़ 18 लाख 57 हजार और बाकी की 45 लाख जनता के लिये जो 146 शहरों में रहती हैं उसके लिये यह सरकार खर्च करती है 15 करोड़ 12 लाख 56 हजार।

यह सरकार का नजरिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने अधिकांश उन जगहों पर जलप्रदाय योजनाएं बनाई हैं जहां पहले से ही काफी मीठा पानी उपलब्ध है। पर उन खारे पानी वाले गांवों में, उन जहरीले पानी वाले गांवों में अथवा उन गांवों में जहां पीने का पानी नहीं हैं, राजस्थान के ऐसे 14 हजार गांवों की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी है। आज भी वे प्यास से बिलबिलाते रहते हैं। अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात आप करते हैं अधिक उत्पादन की बात कहते हैं।

लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से कि राजस्थान की 14 हजार गांवों की जनता के पास वह समय कहां है क्योंकि वे दस दस मील से पानी लाने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आज एक एक बाल्टी पानी के लिये उनके यहां बड़ी भारी नौबत आ जाती है। गांव का गांव खाली हो जाता है। ऐसी स्थितियां पैदा हुई है और पशुओं और इन्सानों के लिये पानी उपलब्ध नहीं है। गांव के काया पलट की आप बात करते हैं। लेकिन आज हालात क्या हो रहे हैं। उनके लिये पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आज की अनिवार्य आवश्यकता है पानी बिना पानी के इन्सान आज जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय आज पानी भी उपलब्ध नहीं है। हवा देना इस सरकार के हाथ की बात नहीं है लेकिन पानी की व्यवस्था तो आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जल प्रदाय व्यवस्था कर दी है। कुछ जलप्रदाय योजनायें आपने बनायी हैं उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परन्तु यह आपने थोड़ा सा काम किया है-आटे में नमक के बराबर लेकिन इसमें आपने ग्रामीण क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की है और इसके लिये आपको पश्चात्ताप होना चाहिये। इसलिए आप इसके लिये अधिक ध्यान देकर इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करें। ग्रामीण जनता की आपने घोर उपेक्षा की है। मैं शिकायत के तौर पर यह नहीं कह रहा हूं। आप इसको अपनी शिकायत समझ कर करें। अध्यक्ष महोदय यह मनोवृत्ति इस सरकार की हो गई है कि सरकार की कोई गलत कार्यवाही की ओर उसकी उपेक्षा की ओर उसका ध्यान खींचा जाता है, ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो यह सरकार उसको अपनी शिकायत समझ कर उसको डिफेन्ड करती है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। आज सरकार को करना तो यह चाहिये कि वह अपनी भूलों पर गौर करके और उसका निराकरण करे और उसके समाधान के लिये अपना कदम बढ़ायें। अगर इसी तरह से डिफेन्स करती रही तो वह आपने आपको बदनाम करेगी।

अध्यक्ष महोदय, एक और प्रवृत्ति चल पड़ी है। मेरे क्षेत्र में बीदासर कस्बा है। उस बीदासर कस्बे के लिये एक जलप्रद

(श्री दौलतराम सारण)

योजना बनाई गई। पहले सांडवा में पानी की तलाश की गई। कहा गया कि वहां पर पानी नहीं है। उसके बाद में बरजांयसर में देखा गया। वहां पर पानी नहीं है, यह बताया गया। इसके बाद बरजांगसर में कुआ बनाया गया कि वहां पानी पर्याप्त नहीं है घनेरु में कुआं खोदा गया। वहां पर भी पानी नहीं है, यह बताया गया है। परन्तु वहां पर स्टाफ क्वार्टर बन गये, महल बन गये, बढ़िया मकान बन गये और पानी का पता नहीं है। अब कहते हैं कि और जगह तलाश करना पड़ेगा। मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि घनेरु गांव में पानी नहीं है, और बीरजमसर बरजांगसर में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन यह रिपोर्ट आ गई कि बरजांगसर में पानी नहीं है। मैंने अध्यक्ष महोदय पहले अर्ज किया है उस जगह पर पानी है और यह जो रिपोर्ट दी गई है वह गलत है। इसके अलावा सांडव सेनवा में भी पर्याप्त मात्रा में पानी है। एक प्राइवेट आदमी गांव के अन्दर कुआ खोदकर बैठा है और वह सारे गांव को पानी दे रहा है। वह भी पाइप द्वारा, नल द्वारा सांडवा में यह कहा गया कि पानी उपलब्ध नहीं है जबकि पर्याप्त पानी का स्रोत वहां पर उपलब्ध है और यह आज से नहीं है 500 साल से है। इस प्रकार सांडवा में बीदासरा के लिये उपलब्ध है और यह कहा गया कि पर्याप्त पानी नहीं है। वहां पर 3000 गैलन पानी ही मिला है। ये सारी बातें अध्यक्ष महोदय शरारत से भरी हुई हैं लेकिन इसके साथ एक टेक्नीकल ओपीनियन का बहाना हो गया है। अध्यक्ष महोदय, उस टेक्नीकल ओपीनयिन के कारण ही यह स्थिति है। दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि यह पैसा इस प्रकार बर्बाद किया गया है उस पैसे की जांच करवाई जाये और जिन लोगों ने अपनी जिद्द की वजह से अपने वेस्टेड इन्टरेस्ट की वजह से बर्बाद किया है, उनको सजा देनी चाहिये। यह मेरी मांग है और इस प्रकार बीदासर के लोगों को पानी से महरूम किया गया है। यह जघन्य अपराध किया गया है और बीदासर के लोगों को इस वर्ष भी पानी से महरुम रखा गया है। पता नहीं वे पानी प्राप्त भी कर सकेंगे या नहीं। घनेरू में मकान बनाये गये, गांव में बीदासर तक पाइप लाइन डाल दी गई। अब क्या उसको उखाड़ेंगे? मकानों का क्या होगा? सुमित्रा जी आपको इसका पता नहीं है आप तो यह मानती हैं कि सब बातें गलत हैं परन्तु यह हालत बीदासर योजना की है। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय गांवों का चित्र मैंने आपके सामने रखा है। उसका दूसरा पक्ष भी रखता हूं वहां कई छोटे छोटे पाकेस है जहां पर्याप्त पानी हैं। जयसंगसर गांव है का बोरिंग होल बताया गया। आज कई वर्षो से से यह बेकार पड़ा है। कि वह किस डिपार्टटमेंट के पास है मुझे मालूम नहीं है। यह जनस्वास्थ्य विभाग है अकाल विभाग के पास है या कृषि विभाग के पास हैं किसी विभाग के पास में है या और अन्य किसी विभाग के पास है, यह मुझे पता पता नहीं है लेकिन यह जरूर पता है कि यहां लोरिंग हुआ है और पानी पर्याप्त मात्रा में निकला है। लेकिन आज उसका मालूम नहीं है कि कौन उसका मालिक है, यह पता नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : है तो राज्य की जमीन पर?

श्री दौलतराम सारण : अलावा ही राज्य की जीमन पर है। जहां पानी निकला है परन्तु उसको चलाने वाला कोई नहीं है। मशीन कौन लगायेगा, और कौन उससे पानी देने वाला है इसका कोई पता नहीं है।

श्री भीखाभाई : रेकार्ड बता दिया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को बहुत जानकारी है।

श्री दौलतराम सारण : मैं आपकी जानकारी का चेलेन्ज नहीं करता जितनी जानकारी है उसका पता है। आपको सब मालूम हैं किन्तु कार्यवाही करने से हिचकते हैं परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी अगर प्यासे लोगों को प्यास बुझाने की फिक्र करें तो जो यह पानी उपलब्ध है वह प्यासे लोगों को मिल सकता है। तहसील डूंगरगढ़ में तोलियास गांव है। यहां पर राजपुरोहितों की बस्ती है, तीन चार घर चमारों के हैं। इन लोगों ने 84 साल तक पानी का कुआ खोदा, वहां पर भैरूं जी का एक प्रसिद्ध मन्दिर है, दूर दूर से वहां पर लोग आते हैं। डिफेन्स रोड जब बनी तो पी. डब्लू. डी. वालों ने इस कुए को खोदा और उसमें से पानी अचानक भारी मात्रा में निकल आया। अनाप शनाप पानी से कुआ भर गया तो मिट्टी डालकर कुए को भर दिया गया। रोड बन गई और उस कुए को बाद में पी. डब्लू. डी. ने छोड़ दिया और आज उसका मालिक कोई नहीं है। गांव के लोग प्यासे हैं। उन लोगों ने मिट्टी को निकाल लिया है लेकिन सरकार की ओर से इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वे उस पांच सौ फुट गहरे कुए को चलाने में असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्ष : कुए में तो पानी है अब।

श्री दौलतराम सारण : 84 साल के बाद निकला है। यह गांव डूंगरगढ़ से सात मील दूर पर डिफेन्स रोड़ पर बसा है। लेकिन इस सरकार को गांव के लोगों को मीठा पानी देने की चिन्ता नहीं है। कोई इरादा नहीं है, कोई समझ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब समय नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, अगर इरादा हो तो रास्ता निकल आ सकता है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और निवेदन करना है। भूतल-जल कहां कहां उपलब्ध है उसका अभी तक कोई प्रमाणिक सर्वे नहीं हुआ है। इसके अभाव में बहुत सी जगह व्यर्थ खर्चा लग जाता है। और पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए राज्य सरकार को इस सर्वेक्षण की तरफ ध्यान देना चाहिये और सर्वेक्षण में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये जिन क्षेत्रों में पीने के पानी का खासतौर से अभाव है।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज जो रीजनल स्कीम बनाते हैं उन रीजनल स्कीम्स में भी आप मेहरबानी करके उन गांवों को प्राथमिकता दें जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है। अभी तक आपका दृष्टिकोण पहले से ही जहां पर पानी उपलब्ध है वहां पर पाइप द्वारा पानी देने का रहा है। उन क्षेत्रों में

(श्री दौलतराम सारण)

तो पहले से ही सुविधा हैं और अब और सुविधा हो गई है । मैं उनकी इस सुविधा में बाधक नहीं बनना चाहता हूं । परन्तु इससे पहले प्यासों को पानी देना आवश्यकता है और यह प्राथमिकता की अनिवार्यता है जिसको अवश्य ही मैं बतलाना चाहता हूं । पानी की ओर आप ज्यादा ध्यान दें । पीने के पानी से अधिक अनिवार्य और कोई वस्तु नहीं है ।

यह चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है । रैगिस्तानी क्षेत्र में दूर दूर पर गांव हैं । वहां चिकित्सा व्यवस्था एक प्रकार से नहीं है । कहीं एक आध औषधालय मरी मरी सी हालत में चल रहा है । परन्तु वहां पर भी समय पर दवाइयां नहीं पहुंच पाती हैं । आवागमन के साधन पूरे नहीं है, डाक व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है । उनकी रिपोर्ट टाइम पर उनके हैड क्वार्टर पर नहीं पहुँचती है ।

और फिर उनको दवाई पहुँचने में समय लगता है । ऐसी स्थिति में उनको दवा प्राप्त नहीं होती है । इधर औषधालय हैं भी नहीं बहुत थोड़ी संख्या में हैं । जो प्रा. चिकित्सा केन्द्र हैं उन प्रा. चिकित्सा केन्द्रों को हालत खराब है । डाक्टर लोग शहरों में रहते हैं । प्राइवेट प्रेक्टिस में लगे रहते हैं । कोई अपनी ड्यूटी का अन्जाम नहीं देता है । उनसे कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है अध्यक्ष महोदय, कोई जानकारी तो लें कि क्या हो रहा हैं और क्या नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आज डाक्टर्स गांवों में जाते हैं। आज उस क्षेत्र में इन्फ्लूएन्जा का प्रकोप भंयकर रूप से फैल रहा है । हजारों लोग इससे पीड़ित है नौजवान, बच्चे और बूढ़े सब परिवार के परिवार बुखार से पीड़ित है । कभी कोई जीप लेकर चला जाता है और दो चार गोली बांट जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली दफा गया था जब अपने यहां सदन की छुट्टियां थी 8-10 रोज की । मैंने स्वयं ने देखा है पूरे परिवार के परिवार बुखार से पीड़ित थे । अध्यक्ष महोदय, गांव में एक व्यक्ति ने आपरेशन करवाया वह गांव शहर से 9 कोस दूर है । आपरेशन के बाद डाक्टर ने उसको सम्भाला तक नहीं । वह बेचारा बड़ा दुखी था । मैं खुद उससे मिलने गया वह काफी तकलीफ में था । अध्यक्ष महोदय, उस पीड़ित व्यक्ति ने मुझ से कहा कि डाक्टर को खबर कर देना । मैंने खबर तो अवश्य कर दी लेकिन इधर आ गया अब पता नहीं उसकी क्या हालत है । डाक्टर पहुँचा या नहीं पहुँचा, मेरे पास कोई समाचार नहीं आये । इतनी गम्भीर उपेक्षा का भाव चिकित्सा की ओर है । गांव के लोगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है । प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ठीक प्रकार चल नहीं रहे हैं । गांवों में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ढंग नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है इस तरफ काफी ध्यान देने की आवश्यकता है । एक तरफ जो हमारा पेटर्न है हास्पिटल का उसमें गांवों की तरफ कोई नजर नहीं आती है । डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में अलग अलग तरह के नाम रख कर डाक्टरों को रखा जा रहा है । मुझे आपत्ति नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो खूब डाक्टर रखिये लेकिन दूसरी तरफ गांवों में दवा बाँटने के लिए कम्पाउन्डर्स नहीं हों एक जगह डाक्टर इकट्ठा करके रखें यह मेरे ख्याल से सही दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है आपको गांव में अनुभवी डाक्टरों

(श्री दौलतराम सारण)

को भेजना चाहिये। आपका इसमें भी अजीब तरीका है। कालेज से पढ़कर जो छात्र निकलते हैं उनको आप गांवों में भेज देते हैं। उधर नादान मरीज और इधर नादान चिकित्सक, दोनों मिलकर मरीज का बंटवारा कर देते हैं। इसलिए मेरी चिकित्सा मंत्री जी से प्रार्थना है नये डाक्टरों को गांवों में नहीं भेजें। नये डाक्टर को डिस्ट्रिक्ट्स के हास्पिटल में वे सीनियर लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा और जो अनुभवी हैं उनको गांवों में भेजना चाहिये। आपने गांवों के लोगों को भेड़ बकरी समझ रखा है। चाहे जैसा मनमाना व्यवहार उनके साथ करते हैं। अन्याय और बर्बरता पूर्ण व्यवहार उनके साथ करते हैं। निर्दयता का व्यवहार उनके साथ बरतते रहे लेकिन मैं कह देना चाहता हूं अब गांव वालों के लिए यह सदा के लिये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। वे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। गांव की जनता पानी मांगे तो पानी नहीं मिले, दवा की गोली मांगे तो गोली नहीं मिले। एक मा. सदस्य कह रहे थे आयुर्वेद का तरीका पुराना पड़ गया है और कास्ड मैथड है। मैं कहता हूं ऐलोपैथिक की चिकित्सा से भगवान बचाये। सारी ऐलोपैथिक दवाइयां जो गांवों में जा रही हैं जिनका बेचना बन्द कर रखा है वे दवाइयां जा रही हैं उस दवा से कोई अन्धा हो रहा, कोई लंगड़ा हो रहा है। किसी के लकवा हो रहा है तो किसी के क्या हो रहा है यह तो हालत है एलोपैथिक दवाओं की। ऐसी खतरनाक औषधियां जो रोगियों की जान ले लेती हैं उन दवाओं के प्रयोग से स्वास्थ्य पर भयंकर असर पड़ता है इस तरह स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिये। जिनको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट मान रखा है वह दवा आज गांवों में बिक रही है। उनके स्वास्थ्य पर अध्यक्ष महोदय वज्रपात हो रहा है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग से एक बात विशेष रूप से कहनी है। मेरे एक मित्र ने कहा सरदार शहर में एक आयुर्वेद विश्व भारती संस्था है वह बन्द हो रही है। उसके संचालकों ने बन्द करने का निश्चय कर लिया है ऐसा मुझे पता चला है। मैं उसको बन्द करने के पक्ष में नहीं हूं आप उस संस्था के उप कुल पति हैं और जब से आप उस संस्था के उप कुल पति हुये हैं वह संस्था. . . .

श्री अध्यक्ष : मेरे जहां जहां पैर पड़ते हैं वहां वहां संस्थायें पनपती नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आयुर्वेद विश्व भारती एक अच्छी संस्था है। वहां के विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आते रहे हैं। वहां अच्छी व्यवस्था थी, स्टाफ करीब 2 ठीक था। जो स्टाफ अच्छा नहीं था उसको ठीक किया जा सकता था किन्तु कुल मिलाकर वह संस्था अच्छी थी। करीब पौने दो सौ छात्र पढ़ रहे थे। उसको बन्द करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। उसको बन्द करने का एक मात्र कारण यह है कि कुछ विद्यार्थियों की गड़बड़ी रही है और कुछ स्टाफ की गड़बड़ी हो रही है फिर राज्य सरकार ने इस संस्था का अनुदान काफी कम कर दिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, समय समाप्त हो रहा है।

Page No 137

श्री अध्यक्ष : समय किसी का समाप्त नहीं हो रहा है। यह अविरल है।

श्री दौलतराम सारण : मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं आयुर्वेद मंत्रीजी स्वयं दिलचस्पी रखते हैं और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और यह संस्था बन्द नहीं होनी चाहिये। आयुर्वेद मंत्रीजी राज्य सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित करें और विशेष उदारता दिखाकर अधिक अनुदान दें जिससे संस्था चल सके और कुछ आप (श्री अध्यक्ष) भी संस्था को एसा निर्देश दें कि वे इसे चालू रख सके। मैं इतना ही कहकर अपना कथन समाप्त करता हूं और आशा करता हूं मेरी बात पर ध्यान दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा समय का प्रश्न आ गया है। मैं चाहूं तो अभी मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये कह दूं लेकिन मैं आपकी सुविधा का ख्याल रखता हूं–सुविधा का प्रश्न है, सुविधा अपनी भी है इसलिये सीमा के अन्दर माननीय सदस्य बोलें अधिक से अधिक 10 मिनिट में आप में (श्री कृष्णकुमार गोयल) वह क्षमता है जो एक घन्टे की बात कह सकते हैं। अतः जब तक मंत्री महोदय इन डिमान्ड्स पर अपना उत्तर समाप्त न कर दें तब तक के लिये समय को बढ़ाता हूं आपकी अनुमति से।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय मांगों के पारण होने तक।

श्री अध्यक्ष : उसमें पारण भी सम्मिलित है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय आज की मांगों पर जो मैंने कटौति के प्रस्ताव रखे हैं उन्हें दो भागों में बांटकर मैं अपने विचार सिमित समय में रखने का प्रयास करूंगा। रोग का उपचार जितना आवश्य है उतने ही रोग की रोकथाम भी आवश्यक हो जाती है। जैसा कि मा. सदस्यों ने बताया कि रोक-थाम की दृष्टि से यद्यपि राज्य सरकार चिकित्सा विभाग जनस्वास्थ्य विभाग ऐसे प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हमने व्यवस्थायें की हैं, लेकिन इस प्रश्न को मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर मलेरिया का प्रकोप भयंकर रूप से है। राजस्थान का कोई कस्बा, गांव ऐसा नहीं बचा है जहां पर मच्छरों की भरमार न हो। राज्य सरकार वर्षों से यह घोषणा करती रही है कि हमने मलेरिया इरेडिकेशन कर दिया लेकिन आजतक नहीं हो पाया। गत वर्ष भी मैंने यह प्रश्न उठाया था और चिकित्सा मंत्री जी ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में सहायता मिलने वाली है। वह सहायता न जाने कब आयेगी लेकिन आज तक किसी कस्बे और शहर में खास कर कोटा डिविजन में डी.डी.टी. स्प्रे किया हो या और कोई प्रोग्राम हाथ में लिया गया हो वह बात नहीं हुई और वही जयपुर की भी स्थिति है।

····जयपुर की दूसरी बस्तियों में क्या हालत होगी ? एम.एल.एज. क्वार्टर्स में जो हालत है······

श्री अध्यक्ष : एम. एल. एज. को मच्छर काटे तो वह खुद प्वाइजनस हो जाता है। (हंसी)

Page No 138

श्री कृष्णकुमार गोयल : मलेरिया बढ़ता जा रहा है। वर्षा का आरंभ हो रहा है। राज्य सरकार इन मच्छरों का शीघ्र ही दमन करें।

एक माननीय सदस्य : छोटे या बड़े ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस तरह से जो आवश्यक है, अन्न और भोजन। आज समय समय पर कई प्रकार की बातें कही गई हैं। कहा गया है कि खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो इसके लिये इन्सपेक्टरों की नियुक्ति की गई है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर बिना मिलावट के कोई चीज मिल सकती हों। चाहे घी हो, दूध हो हर चीज में मिलावट बढ़ती जा रही है। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अब तक मापदण्ड घी और दूध का शेखावाटी में है, वह परसेन्टेज हाड़ौती में मिल जाये यह मुश्किल है। वास्तव में कितना फेट कहीं मिलता है, इसकी भी जानकारी कराई जाये। अध्यक्ष महोदय, आप ने देखा होगा....

श्री अध्यक्ष : मैंने तो कुछ नहीं देखा है, आप फरमाइये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो अडल्ट्रेशन करना चाहते हैं वह भैंस का दूध निकालते हैं और गाय का कह कर बेचते हैं। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि वह इसकी जांच करे।

श्री अध्यक्ष : अब कोटा होस्पीटल्स को ले जीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अच्छी बात है अध्यक्ष महोदय, कोटा में फूड एण्ड कैमिकल इग्जामिनर अशोक भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। उनकी योग्यता क्या है ? क्या उनकी नियुक्ति होने का सवाल आया था ? वह बी. एस. सी. पास भी नहीं हैं। नियुक्ति विभाग ने उनकी नियुक्ति करने से इन्कार किया। वित्त विभाग ने उनकी नियुक्ति करने से इन्कार किया। वहां के चीफ कैमिकल एग्जामिनर ने जो कि अब रिटायर हो गये हैं, उन्होंने बताया है कि इस आदमी में पहली, दूसरी तीसरी तक भी ज्ञान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह रिटायर हो गये तब बताया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब वह सर्विस में थे तब उन्होंने यह राय दी थी। उनमें इस पद के लिए कोई भी ज्ञान नहीं है। ओप्यूम के केसेज जाते हैं, उनको ओप्यूम के बारे में कोई ज्ञान नहीं हैं। ओप्यूम के सैंकड़ों केसेज चल रहे हैं। कोर्ट में ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा तो वह क्या जिरह कर सकता है क्या मन्त्री महोदय ने इसके लिए कभी वाण्ट निकाली है ? पोस्ट एडवरटाइज की है ? अध्यक्ष महोदय, पोस्ट कभी एडवरटाइज नहीं की गई है। ऐसे व्यक्ति को वहां जो श्री भार्गव थे उन्होंने यह किया कि...

श्री अध्यक्ष : फिर यह करिश्मा कैसे हो गया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो जैसे विभागों में होता है। मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। उस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए मन्त्री महोदय ने इन्कार कर दिया था। वित्त विभाग ने इन्कार कर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दिया था। वह व्यक्ति अब वहा है। इस अडल्ट्रेशन को मिटाने के लिए ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है।

श्री भैरोंसिह : नियुक्ति में अडल्ट्रेशन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब आखिर का ले लें।

श्री भैरोंसिह : आखरी में तो मावली आयेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि इतनी डिस्पेंसरी बना दी है। यह कर दिया है, वह कर दिया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के क्षेत्रफल को देखते हुये जितनी डिस्पेंसरी होनी चाहिए उतनी नहीं है। कोटा के अन्दर 1 लाख 12 हजार की जनसंख्या है, और लास्ट जनगणना के हिसाब से ढाई लाख से ऊपर आबादी जा चुकी है। कोटा का महाराव भीमसिंह अस्पताल है। वह कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीनों जिलों की मदद करता है। आप ने स्वयं यह स्वीकार किया है, यह कहा है कि वहां पेशेण्ट्स जमीन पर लेटे रहते हैं। वहां पर बेड्स कितने हैं ? क्या आप ने बेड्स बढ़ाने की कोशिश की है ? अध्यक्ष महोदय, आज हास्पीटल में दवा नहीं दी जाती है। कोई खास आदमी हो उसको भले ही मिल जाये। क्या आपने इसके लिए फण्ड प्रोवाइड किया है अगर कमी पड़ती है तो आपको बढ़ानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष भी इस प्रश्न को उठाया है। आप ने यह आश्वासन दिया था कि जितनी स्टैंण्डर्ड की दवाइयां हैं, जिन दवाइयों की खरीद की जायेगी वह केन्द्रीय स्तर पर खरीदी जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां के जो डाक्टर हैं, हैड आफ डिपार्टमेण्ट हैं, क्या आपने यह व्यवस्था कर ली है कि केन्द्रीय स्तर पर दवाइयां खरीदी जायेगी ? मैं इस सम्बन्ध में जानकारी जानना चाहूंगा।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, एक केस और है, जो आपके विभाग के सम्बन्ध में यह बताता है कि आपका विभाग कितना एफीसियेन्ट है। एक एरोमैटिक स्प्रिट आफ एमोनिया आई पी है, इसके लिए टेन्डर इन्वाइट किये गये, टेन्डर आये उसके बाद में रेट कान्ट्रेक्ट हुआ। उसके बाद माल सप्लाई करने के लिए आर्डर दिया। एक मैसर्स फार्मस्यूटिकल वर्क्स हरियाणा हैं, उसने इस दवा को सप्लाई किया, लेकिन आप अपने इस विभाग के अध्यक्ष की एफीसियेन्सी देखिये, दक्षता देखिये, जो दवा सप्लाई की गई, उसका केमिकल एनेलेसिस करवाया गया। लेकिन जब तक केमिकल एनेलेसिस होकर आया, और उससे यह पता लगा कि जो दवा उसने सप्लाई की है, वह सारी की सारी दवा सबस्टेन्डर्ड की है, तो यह आदेश दिया गया कि इस सारे माल को जब्त कर दिया जाय। लेकिन आपका जो स्टोर एण्ड पर्चेज सेक्शन है, वह यह कहता है, यह जितना माल सप्लाई किया गया था, यह सारा का सारा कन्ज्यूम हो चुका है...

श्री अध्यक्ष : कन्ज्यूम कर लिया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कन्ज्यूम कर लिया।

श्री अध्यक्ष : और किसी को नुकसान नहीं हुआ ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : नुकसान यही हुआ कि जो फायदा होना चाहिए था वह फायदा नहीं हो पाया। यह हालत है आपके इस विभाग की। एक दवा के लिए टेन्डर इन्वाइट किये गये, टेन्डर इन्वाइट करने के बाद में रेट कान्ट्रेक्ट हुआ, माल सप्लाई हुआ, उसका जितना जल्दी कैमिकल एने-लेसिस होकर आजाना चाहिए था, वह उतनी जल्दी नहीं आया। उसकी जब तक रिपोर्ट आती है तब तक जितना माल था, उसकी सप्लाई हो गई और जितना माल लेना था वह लेकर खा गये। इतना ही नहीं, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि सारा का सारा पेमेन्ट, जो रिपोर्ट आने के बाद तक रुका हुआ था और जिसको रोक देना चाहिए था, वह सारा का सारा पेमेन्ट दवा के सब्-स्टेन्डर्ड की होने के कारण से भी नहीं रोका गया, और यह कहा गया कि जितनी भी सप्लाई की है वह सारी की सारी कन्ज्यूम हो चुकी है . . .

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दवा का नाम क्या है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : एरोमेटिक स्प्रिट आफ एमोनिया, आई पी।

श्री अध्यक्ष : सिर पर मालिश करने के लिए काम में आती है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : और उपयोग भी है।

श्री अध्यक्ष : आपका कहीं जाने का समय आ गया है, माननीय सदस्य !

श्री भैरोंसिंह : इसके खाने से मंत्री लोग मोटे होते हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : भीखा भाई जरूर हो जायेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप पैसे का अभाव बताते हैं, उसके आधार पर जिन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह कौनसा लाडला डाक्टर था, के. एम. लड्ढ़ा जोधपुर का . . .

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लोढ़ा

श्री कृष्णकुमार गोयल : के. एम. लोढ़ा, जोधपुर का केस हुआ है, किस कारण से हुआ है, यह अलग बात है। लेकिन के. एम. लोढ़ा यह सी एस टू था . .

श्री अध्यक्ष : काहे को डाक्टरों को डिस्टर्ब करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह डाक्टर जोधपुर गवर्नमेंट के अन्दर था, जिस समय राजस्थान में यह स्टेट अमलगमेट हुई उसके बाद में यह राजस्थान की सर्विसेज में आ गया, एज सी. एस. टू वर्क किया। 1954 के अन्दर पी. एस. सी. के सामने सी. एस. वन बन कर एपीयर हुआ, लेकिन पी. एस. सी. ने उसको रिजेक्ट कर दिया और यह डाक्टर 1954 से आखिर तक जब कि सी. एस. वन और सी. एस. टू खत्म नहीं होगई सी. एस. टू वर्क करता रहा। लेकिन बाद में ऐसा कौनसा कारण बना, जिसके कारण आपके विभाग ने श्रीमान् डाक्टर लोढ़ा को 1954 तक का, सन् 1951 से 1954 तक का,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जब कि उसने सी.एस.टू की हैसियत से काम किया, उसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से, अध्यक्ष महोदय 50 हजार रुपये का पेमेन्ट कर दिया। जबकि फाइनेन्स कमिश्नर आब्जेक्शन बताते रहे, जो व्यक्ति 1954 के अन्दर पी. एस. सी. के द्वारा एज सी. एस. वन के लिए एप्रूव नहीं हो सका, उसको कैसे माना जाय कि 1954 के अन्दर सी. एस. वन के लिए वह अधिकारी हो सकता था। लेकिन आपके विभाग ने रैट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से, 1951 से चला कर 1954 तक सी. एस. वन का मानकर पचास हजार रुपये का पेमेन्ट कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद में यह स्थिति पैदा होने वाली है, वह इस आधार पर होने वाली है कि 1951 में जब सी. एस. वन था, तो आज रिटायरमेंट होने के पहले पहले वह जूनियर स्पेशियलिस्ट बन जाता। वह यह क्लेम और करेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जब फाइनेन्स कमिश्नर ने आपत्ति की, आब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा कि इसे किसी प्रकार से यह एडवान्टेज नहीं दिया जा सकता तो इस व्यक्ति को 50 हजार का पेमेन्ट किस आधार पर दिया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अंत में मैं एक विषय के बारे में, जिसके बारे में प्रश्नों के माध्यम से मंत्री महोदय का कई बार ध्यान आकर्षित कर चुका हूं, मैं उस प्रश्न पर कहना चाहूंगा, जो सेक्रे-टेरियट आपको रिपोर्ट बना करके दे देता है, डाइरेक्टोरेट आपको रिपोर्ट बना करके दे देता है—उसके आधार पर न चलकर आपको यह देखना चाहिए, जो व्यवस्थायें यूनिवर्सिटी हैंड बुक में हैं, उसमें जिस प्रकार के सब्जेक्ट बताये हुए हैं, उसके अनुसार क्या पोस्ट क्रियेट करने की व्यवस्था की गई है। जब समय समय पर इन्सपेक्शन केन्द्र के द्वारा किये गये, हमारे द्वारा किये गए, और यूनिवर्सिटी हैड बुक में पोस्ट बताई हुई हैं तो क्या कारण है कि आप पोस्ट क्रियेट नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह फारेंसिक मेडिसन का विषय है, जैसे 2 देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं–यह सब्जेक्ट की की महत्ता राजस्थान में बढ़ती जा रही है। आज फारेंसिक मेडिसन के डाक्टर को केवल पोस्ट मार्टम नहीं करना पड़ता, उसको रोजाना जाकर इनके सम्बन्ध में दिये गये मेडिकल सार्टिफिकेट के कारण कोर्ट में जाकर खड़ा होना पड़ता है। कितनी पेचीदगियां होती हैं, कितने ही केसेज आपको दिये गये, जिनमें सुसाइड नहीं माना गया है और यह कहा गया है कि जला दिया गया है, जलने से मरा है। शीला भार्गव का केस आपको दिया। इसलिए इस सब्जेक्ट की महत्ता राजस्थान में भयंकर है, इस सब्जेक्ट की आवश्यकता है जब यूनिवरसिटी हैंड बुक के अन्दर व्यवस्था की गई है कि यह अलग विषय है, स्पेसल सब्जेक्ट है, इसके अन्दर एक प्रोफेसर होना चाहिये एक असिस्टेन्ट प्रोफेसर होना चाहिए. एक एक असिस्टेन्ड प्रोफेसर लेक्चरार होना चाहिए, एक डिमां-स्ट्रेटर होना चाहिए, जब इतने स्थान बनाये हुए हैं, इस सबके बावजूद जैसा आपने कहा था, हमारे पास सूचना नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेडिकल कोंसिल आफ इंडिया ने स्वयं ने निरीक्षण

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किया है आकर कालेज का और उसने रिपोर्ट भेजी है। आप कहते हैं कि आपके पास रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज जयपुर में वह मौजूद है और उसका नम्बर है, एम सी. आई–104 (बी) I-70 ई ऐस डी। 7895। डेटेड 18-8-70, उसमें मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने डिपार्टमेंट आफ फारेंसिक एन्ड लीगल की पोस्ट बताई है और उसमें हैं, प्रोफेसर एक, रीडर प्रोफेसर एक, रीडर एक, टेक्निकल असिस्टेन्ट एक। यह सारी बताई है फारेंसिक मेडिसन के लिए तो यह पोस्ट क्रियेट की जानी चाहिए। फिर क्या कारण है कि यह नहीं हो रही हैं? जैसी आपको आपका विभाग, डाईरेक्टोरेट, सचिवालय सूचना दे देता है, उसके आधार पर आप उत्तर दे देते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि कालेज में फारेंसिक साइंस के लिए, इस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए कमी नहीं हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, आज ही प्रश्न था, एक डाक्टर के लिए पाठक के लिए। उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड हैं यूनिवर्सिटी हैड बुक में, उनको कम करने के लिए, रिलेक्स करने के लिए आप यूनिवर्सिटी को लिख रहे हैं। जबकि यूनिवर्सिटी की मिनिट्स हैं, सीनेट और सिण्डीकेट ने अपने रिजोल्यूशन के माध्यम से कह दिया है कि जो फारेंसिक मेडिसन के विषय के अन्दर मिनिमम क्वालिफिकेशन को रिलेक्स नहीं किया जा सकता है, तो भी बार बार आप उनको लिख रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आ चुका है माननीय सदस्य!

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के अन्दर लिमिटेशन होती है, डिबेट के अन्दर मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में कारण बतायें, क्या मजबूरी थी, जब कि मेडिकल इस्टीट्यूशन लिख कर कह रही है कि इतनी इतनी पोस्ट क्रियेट की जानी चाहिए, इस प्रकार की जो क्वालिफिकेशन हैं उनको रिलेक्स नहीं किया जा सकता। यह यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिण्डीकेट कह रही है, फिर भी आपके अधिकारी आपको धोखा देकर किसी व्यक्ति विशेष को पहुंचाने के लिए जो मिनीमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है, उनको रिलेक्स कराना चाह रहे हैं। आपने जानकारी दी थी ...

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य समाप्त कीजिये, ट्वेन्टी मिनिट्स यू हेव कन्ज्यूम्ड।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस विषय पर कह कर मैं समाप्त करूंगा।

आपने कोठारी के लिये कहा, एस के. कोठारी के लिए कि रखता नहीं था योग्यता। आपने योग्यता देखी हैं? आप मानते हैं, एम. डी. था। आप मानते हैं, एम. डी. होने के बाद दो साल का एक्सपीरियेन्स चाहिए। किस पोस्ट पर नहीं चाहिए। केवल ट्ट ईअर्स आफ मेडिकल लीगल वर्क। यह हर डाक्टर में होती है, जो कहीं दो साल के लिए काम करेंगे, वह अपने आप हो जायगी। लेकिन कोठारी को लेक्चरार अपाइन्ट नहीं करना था, क्योंकि सेट था कि उसको नहीं-करना था। तो फिर पाठक के लिये रिलेक्सेशन क्यों कराना चाह रहे हैं? क्यों कोठारी के लिए

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

योग्यता और अनुभव को रिलेक्स नहीं कराया जा सकता था। सेक्रेटेरियट और डाइरेक्टोरेट नहीं लिखा यूनिवर्सिटी को कोठारी के लिखे कि प्रेस्क्राइब्ड योग्यता है उनको रिलेक्स कर दे। उसके लिए नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि पाठक को फायदा पहुंचाना है, इसलिए यूनिवर्सिटी को रिकमन्डेशन कर रहे हैं और आपसे यह उत्तर दिलवा रहे हैं कि हमारे यहां कमी नहीं है। आज तक पोस्ट को क्रियेट नहीं की गई, आज तक पोस्ट को एडवर्टाइज नहीं कराया गया, पी. एस सी. को नहीं लिखा गया। आपने कहा कि 1969 में पी. एस. सी. को लिखा था। मैं चुनोती देता हूं, यह सूचना गलत दी गई है। यह सलेक्शन कमेटी ने बुलाया था, एडहोक बेसिस पर जिन लोगों को अपाइन्ट किया था, उनको कन्फर्म करने के लिए बुलाया गया था। कोई एप्लीकेशन इन्वाइट नहीं की गई थी। पी. एस. सी. को लिख कर भेजा कि फारेंसिक मेडिसन के लिए पोस्ट एडवर्टाइज की गई है लेकिन 1964 से लेकर आज तक एडवर्टाइज नहीं की गई है। यह फारेंसिक मेडिसन एक स्पेशल सब्जेक्ट है . . .

लेकिन जो दूसरे स्पेशल्टी के विषय हैं, कोई अलग विषय नहीं है, उनके डिमोन्स्ट्रशन्स की फिगर को देखे, लेक्चर्स की फिगर्स को देखें। जो सब हैं, अलग विषय नहीं होते। आज राज्य सरकार को और मन्त्री महोदय को किस प्रकार धोखा दे रहे हैं। आज फारेंसिक मेडीसिन साइड के अन्दर यह सब्जेक्ट है। कुल लेक्चर्स 38, डिमोस्ट्रेशन 10 होते हैं लेकिन प्रोफेसर एक भी नहीं रीडर एक है। लेक्चरार एक भी नहीं है, ट्यूटर एक है। इसके अगेन्स्ट आप देखेंगे सब स्पेशल्टी के जो विषय हैं ट्यूबरक्यूलासिज जो विश्वविद्यालय का मैंन विषय नहीं है लेक्चर्स 15 जबकि फारेंसिक मेडिसिन में 38 होते हैं, डिमोस्ट्रेशन केवल 6 जबकि फारेंसिक मेडिसिन में 10 होते हैं। इसमें दो प्रोफेसर्स रखे हैं, फारेंसिन मेडीसिन एक भी नहीं। रीडर एक लेक्चरार एक जबकि फारेंसिक मेडीसिन एक भी नहीं। इस प्रकार से इसमें दो ट्यूटर्स कर रखे हैं।

दूसरा विषय है पेडियाट्रिक मेडिसिन। लेक्चरर्स केवल 20 हैं, डेमन्सट्रेटर्स 6 लेकिन प्रोफेसर्स 2 रीडर 1 लेक्चरार 1 ट्यूटर 1 इसी प्रकार से रेडियोलाजी कोई विषय नहीं है। 15 लेक्चर्स होते हैं डिमोस्ट्रेशन 6, प्रोफेसर 1 रीडर 1 लेक्चरार हैं ट्यूटर 1। स्किन कोई विषय नहीं है केवल 15, डिमोन्सट्रेशन्स 6 लेकिन प्रोफेसर 1, रीडर की पोस्ट 1 लेक्चरार 1। इसी प्रकार से और है डेंटिस्टी और पेडियाट्रिक सर्जरी। सारी पोस्टें स हैं,

(घन्टी)

रीडर्स भी हैं और ट्यूटर्स भी लेकिन फारेंसिक मेडिसिन जिसकी आज महत्व है, एक्सपर्टस राजस्थान यूनिवर्सिटी में होने चाहिए और पढ़ाने वालों की पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए, वह क्रिएट नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह मेहता सीमा में।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जब आर्य जी ने और कुछ सदस्यों ने जल के भयंकर संकट की बात कही तो मैं दवाइयों के लिये निवेदन करता हूं। कई लोग बिना दवाइयों के मरते हैं लेकिन राजस्थान में जल तक का भारी संकट उठाना पड़ता है। जो राज 23 वर्ष तक के बाद भी लोगों को जल नहीं दे सके, मरने वालों को दवाई न दे सके, राज पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शराब पर बोलें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : चाहे दवाई के लिए व्यवस्था न हो चाहे जल की व्यवस्था न हो। प्रोहिबिटेड एरिया में ठेकेदारो का बहुत खयाल रखा, इसके लिए मैं बधाई देता हूं कम से कम गम तो भूल सकते हैं। मेरे क्षेत्र में 45 पंचायत समितियां हैं उनमें 35–40 ऐसी हैं जहां डिस्पेन्सरीज नहीं हैं, सड़क नहीं है। मोटर वगैरह नहीं जाती है। दवाइयों के अभाव में लोग मरते हैं। एक दो जगह खोला और कहीं नहीं खोल रहे हैं।

दूसरी तरफ स्थिति है जहां केवल पंचायत है लेकिन वहां एलोपैथी की डिस्पेन्सरी भी है, आयुर्वेद की भी वहां दो से एक रखिये ताकि जहां पर डिस्पेन्सरी नहीं है वहां तो डिस्पेन्सरी पहुंचाई जाय।

दूसरी बात मेडीकल कालेज में जो छात्र भर्ती हों तो उनमें किसी प्रकार से जाति विशेष को रियायत नहीं मिलनी चाहिये। उनको मेरिट के आधार पर आना चाहिये क्योंकि यह विज्ञान पर इतना आगे बढ़ रहा है कि इसमें 46 प्रतिशत वाले या 47 प्रतिशत वाले क्योंकि विशेष कास्ट के है उनको तो यह नहीं मिलना चाहिए। अब आपने फरमाया है कि डाक्टरों को नौकरी मिलना कठिन है और वास्तव में बेकार हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कृपया प्रधानाचार्य और आचार्य ऐसे रखें जिनके मन में सेवा और निष्ठा हो जो शिष्यों को सिखा सकें तब जाकर गांव सुखी होंगे। हमेशा गांव में चिकित्सा का इंतजाम था और गांव वाले मिल कर अनाज और पैसा देते थे, उस समय काम सेवा का था अब मांग का है।

मेडीकल बिल्स के लिए कहता हूं क्यों नहीं बन्द करते हैं। सेवक को तो मेडीकल मिले और मालिक यूं बिना दवा के मरे इसलिए मेडीकल बिल के पैसे न मिलें।

श्री अध्यक्ष : सेवक को मेडीकल मिले, मालिक यू का यूं अब दूसरी पंक्ति बनाइए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नए डाक्टरों को परिवार नियोजन में लगाते हैं। जो पंचायत समितियों की स्थिति हुई है वह की वह इस विभाग की परिवार नियोजन की की स्थिति है। जीप बैठने को है, नर्स साथ में है, डाक्टर जाते हैं और परिवार नियोजन का काम बिल्कुल नहीं होता परिवार नियोजन जरूरी है इसमें संदेह नहीं लेकिन इसके और भी कई रास्ते हैं, शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ेगा शिक्षा के साथ में ब्रह्मचर्य की शिक्षा, शील धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिये। जब से लूप लगाया तो व्यभिचारां को और मौका मिला है। छोटे बच्चे पूछते हैं मम्मी तुमने लूप लगवाया? ऐसी स्थिति आती है। यह काम आगे नहीं

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
बढ़ रहा है। करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : अमूल्य जानकारी जो आपने दी है उसका आधार आप बता देंगे तो अच्छा रहे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : परिवार नियोजन में करोड़ों रुपए बाहर से आ रहे हैं वह पैसा जरूर लें लेकिन मेडीकल विभाग के साथ लगा दें। वही डाक्टर घर पर आए तो आपरेशन कर दें। आपरेशन कराने वाले को 15), मोटीवेटर को 7), यह भयंकर पाप है, इसको बन्द करें। लोगों को समझायें वह खुद जाये और आपरेशन करायें, बहुत बच्चे हो जायेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा नहीं सकेगा और बहुत बड़ी बाधक तो इसमें यह बात है कि ग्रामोद्योगों को तेजी से आपने नष्ट किया है, वह भी कारण है। लोग काम में रहते थे, रात को सो जाते थे। अब बेकार रहते हैं। तो आमोद प्रमोद इसके सिवा रहा नहीं। इसलिए बच्चे बहुत होते हैं इसलिए सब बातों की ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : सबसे पहला कारण शराब है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसमें कोई शक नहीं है। शराब है, सिनेमा है, वह मुख्य है। इस सरकार से मतलब मेरा केवल इसी राज्य सरकार से नहीं इन्दिरा सरकार भी शराब नहीं बन्द कर सकती क्योंकि समाजवाद नहीं आ सकता। समाजवाद का सही चित्र देखें तो विधायकपुरी पधारिये।

श्री अध्यक्ष : कौन से कमरे में आयें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : समाज भी है वाद भी है। वाद वहां है जहां एम.एल.ए. क्वार्टर्स हैं। समाज वहां पीछे झोंपड़ियों में रहता है। इस प्रकार तो सर्वनाशवाद आएगा।

जल प्रदाय के सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : भीखाभाई से बात कर लेना।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मिनट से अधिक नहीं लूंगा। कुछ बावड़िया आपने बन्द की हैं। एक सिंगोली है, इसी तरह से बिजोलिया में बावड़ी है।

वैसे बहुत बन्द हो गई हैं। चालीस चालीस नेहरू निकलते थे, जब से बावड़िये बन्द हो गयी हैं नेहरू निकलने बन्द हो गये हैं। जहां भी लोग बावड़ियों में अन्दर उतर कर लोग पानी पीते हों तो कृपा कर आप उसको बन्द करवाइये।

सांगानेर भीलवाड़ा से लगा हुआ है। काफी पास है। आप वहां पर नल पहुंचा दीजिये। मेहतरों के नाम से ही पहुंचाते हैं तो वहां बहुत से घर मेहतरों के हैं और दो तीन घर मेहताओं के भी हैं।

और अधिक समय न लेकर इतना ही मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर रोज मर्रा के तबादलों में दखल न दें। यह नहीं करेंगे तो डाइरेक्टर के द्वारा करने से काफी प्रशासन में फर्क पड़ जावेगा। वरना डाइरेक्टर बिलकुल निर्जीव हो गये हैं। तबादलों पर रोक लगायेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं अनेक बार इस सदन के अन्दर ग्रामीण पेयजल समस्या पर चिंता प्रकट की गई है। यह बात निर्विवाद है कि राजस्थान की 43,4 परसेन्ट जनता गांवों में रहती है। और राजस्थान बनने के बाद जो प्रयास किये गये उसके बाद भी राजस्थान में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां गर्मी के अन्दर कुओं में पानी सूख जाता है, कई गांव ऐसे हैं जहां नल योजना द्वारा पानी पहुंचाने की चेष्टा की गई है लेकिन असफल हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य कारण इसका यह है कि प्रथम जो धनराशि रखी जाती है, पेय जल के लिये वह आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती है। यह बात सही है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि इस काम के लिये रखी गयी है लेकिन इसका उपयोग राजस्थान की मशीनरी अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है ऐसा आंकड़ों से लगता है। हमें जो आंकड़े दिये गये हैं, जो धनराशि रखी जाती है उसका उपयोग नहीं किया गया है यह बात सही है। 66, 67 में 80 लाख रुपया रखा गया और 7? लाख ही उपयोग में लाया गया, 67,68 में ?3 लाख रखा गया और 92 लाख ही उपयोग में लाया गया, 6?,69 में 66 लाख रखा गया और 60 लाख ही खर्च कर पाये।

अध्यक्ष महोदय उदाहरण के तौर पर मैंने यह रखा है। मेरे क्षेत्र में जल प्रदाय योजना का उद्घाटन किया गया साल भर पहले। फेमिन की वजह से एक योजना बनी। आस पास रीजनल स्कीम बनाने के लिये एक्स. ई. एन. को लिखा एक महीने में सर्वे होकर आना चाहिये। सदन के माननीय सदस्यों को और आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि साल भर और एक महीना ऊपर हो गया। उसका सर्वे अब होकर मंत्री महोदय के पास रिपोर्ट पहुंची होगी। एक्स. ई. एम. पैलों कहते हैं कि सीधे मंत्री महोदय ने लिखा है और चीफ इन्जिनियर लिखेंगे जब करूंगा। मंत्री महोदय साल भर तक सर्वे न हो, इसका कारण यही है कि आपके विभाग में शिथिलता है। दूसरी बताऊं कि खोड़ गांव में टैंक बने हुए हैं, पानी देने के लिये स्कीम को चालू करने के लिये विभाग के पास फुरसत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसका डिपार्टमेन्ट तो बड़ा अलर्ट है।

श्री शंकरलाल : आपका अनुभव होगा अध्यक्ष महोदय। मेरा अनुभव तो यह है कि मंत्री महोदय का विभाग में आदेश चलता नहीं है। विभाग में कितनी समस्याओं को देखते हैं तो बड़ी उदसीनता है और विभाग के द्वारा उनका समाधान नहीं हो रहा। 55-56 में जल बोर्ड बना था। उसमें नोन ऑफिशियल एजेन्सी काम कर रही थी। कितने ही गांवों में टैंक बनाये, कुए खोदे और इस समस्या को हल किया गया उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा तो हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष: अब फैमेली प्लानिंग पर आ जाओ।

श्री शंकरलाल: यह मुद्दा इतना जरूरी है इसलिये निवेदन करना चाहता था। फैमिली प्लानिंग पर भी आजाउंगा। यदि राज्य सरकार को जल समस्या को सुधारना है तो नौन एजेन्सी के जरिये इसको करें तो पैसे का उपयोग होगा। आंकड़ों से तो ऐसा पता चलता है कि उपयोग नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आज नोट दी चेयरमैन आनरेबिल मि. शंकरलाल ?

श्री शंकरलाल: यह अपने लिये नहीं कहता हू जसुन्दरजी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। वैसी ही ऐजेन्सी होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, फैमिली प्लानिंग के लिये फरमाया। आम धारणा यह है कि फैमिली प्लानिंग में जितना रुपया खर्च होता है उसमें अपव्यय होना। डाक्टर नर्सेज कम्पाउन्डर्स स्वयम् कहते हैं कि काम नहीं है।

इधर मैडिकल डिपार्टमेन्ट के डाक्टर्स हैं उनके पास काम है। जहां भी पाली जिले में फैमिली प्लानिंग के यहां जाकर देखा तो काम कम है। फैमिली प्लानिंग में डाक्टर और कम्पाउन्डर्स नर्सेज जाना नहीं चाहती हैं। अलग अलग विभाग से समस्या का हल नहीं होगा। इससे खर्चा भी ज्यादा बढ़ा है। मैडिकल के तहत ही फैमिली प्लानिंग को भी चलायें तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। यही नहीं कि भारत सरकार से पैसा आता है इसलिये उसको अलग से किया जाय। यह तो जनता के धन का दुरुपयोग है।

इसके अतिरिक्त कम्पाउन्डर्स के लिये कहना चाहता हूं कि उनमें आम तौर पर असंतोष है। मेल और फिमेल कम्पाउन्डर्स में भेद भाव करते हैं।

श्री अध्यक्ष: सेक्स का भेद भाव तो है आप क्या कहते हैं ?

श्री शंकरलाल: सेक्स के आधार पर, संविधान में यह कहा गया कि, नौकरियों में भेदभाव नहीं रखा जायेगा। नर्सेज को 150 रुपया और कम्पाउन्डर्स को 110 वेतन मिलता है। कई बार इस प्रश्न को उठाया लेकिन भेदभाव दूर नहीं हुआ।

अधिक न कहते हुये यह निवेदन करूंगा कि मातृशिशु कल्याण केन्द्र जैतारण में नाम किसी व्यक्ति विशेष का जोड़ देने से धन राशि मिल सकती है पचास हजार देने को तैयार हैं। मंत्री महोदय यदि नाम जोड़ना स्वीकार कर लेंगे तो जैतारण सब डिविजन है यहां पर जनता की मांग पूरी हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, आप जल्दी चाहते हैं इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) माननीय अध्यक्ष महोदय,

[श्री निवास शारदा के खड़े होने पर]

श्री अध्यक्ष: शारदा जी, मैं आपको बाद में समय दूंगा। भाई बोल रहे हैं। अभी तो पांच मिनट।

श्री हीराभाई: जन स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: तीनों को एक साथ मत लो।

श्री हीराभाई: मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है कुशलगढ़ आदिवासी एरिया है। वहां एक अस्पताल है केवल। और कोई प्राइवेट प्रबन्ध नहीं है इसलिये सरकारी अस्पताल

(श्री हीराभाई)
उनकी चिकित्सा नहीं करता है या दवाइयां पूरी नहीं देता है तो फिर मरने के सिवाय उनके सामने और चारा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, बीस दिन पहले की घटना है कि शकरसिंह अस्पताल का एक कम्पाउन्डर था जिसने एक बीमार को इन्जेक्शन दिया और तत्काल ही मर गया। टीटेनस का रोग वहां होता है। कैंसर का तीसरा रोग और होता है। याद नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माइक से थोडा मुंह को दूर रखेंगे तो याद आ जावेगा।

श्री हीराभाई: मिरगी वगैरह रोग हमारे लिये बड़े दुखदायी हैं। अगर इनकी रोकथाम ये अस्पताल करें तो बडा लाभ होगा। नहीं तो आज लोगों को बम्बई या इन्दौर जाना पडता हैं।

अब अगर इसके प्रबन्ध के लिये सरकार यह कहे कि पैसे की कमी है तो सरकार को मन्त्रियों को इतनी बडी फौज में पैसा खर्च नहीं करना चाहिये। इस फौज को कम करके पैसा बचाया जाय और उसे इधर लगाया जाय। फिर इन मन्त्रियों को एम. एल. ए. को सरकारी अधिकारियों को जो आपने बडी बडी चिकित्सा की सुविधाएं दे रखी है। जिसमें लाखों करोडों रुपया खर्च होता है वह चिकित्सा में लगाया जाय। ये अधिकारी अफसर एम.एल.ए. गरीब नहीं हैं। इनके पास बहुत पैसा है साधन हैं, ये अपने पास से खर्च करके अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। तो ऐसे भयानक रोग जो यहां पैदा होते हैं, मनुष्य एकदम मर जाता है जिसकी दवाई की वहां कोई व्यवस्था नहीं है, वह व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री प्रेमसिंह: भगवान से प्रार्थना करें। कि यह व्यवस्था हो जाय।

श्री हीराभाई: भगवान नहीं। मनुष्य सारी व्यवस्था करता। मनुष्य की गैर जिम्मेदारी से ये रोग और अव्यवस्था होती है।

बांसवाड़ा में टी. बी. अस्पताल है पर वहा सिर्फ 14 खाट हैं बांसवाडा जिले के 6 लाख आदमियों के लिये 14 खाटें बहुत कम हैं। इसलिये कम से कम टी. बी. अस्पताल ये तो खाटें बढ़ाने की व्यवस्था करें।

मलेरिया की रोकथाम नहीं हो पाई है। कितना डी. डी. टी. पाउडर वगैरह छिड़कते हैं पर उसका भी असर नहीं होता। इसका दुरुपयोग भी होता है। तो इस बारे में भी ठीक व्यवस्था की जानी चाहिये।

मजदूरों के लिए अस्पताल के बारे में कहा गया कि दो साल में बना देंगे। वह समय गुजर चुका। लोगों से मजदूरों से उनकी मजदूरी में से पचास-पचास, सौ-सौ पांच-पांच और दस-दस अकाल राहत कार्यों की मजदूरी में से काटकर इस काम के लिये इकट्ठा किया गया। पांच-सात लाख रुपया इस तरह से इकट्ठा हुआ है। पर भवन आज तक नहीं बन पाया है। वैसे हवाई अड्डा बनाना होता है या अपने चुनाव के लिये कोई काम करना पड़ता है तो रातों रात करते हैं, पर गरीबों के इलाज के लिए गरीबों का पैसा लेकर भी चुपचाप बैठे हैं। दो साल निकाल दिये अस्पताल नहीं बना

(श्री हीराभाई)
सके हैं। अपने राजनैतिक कामों के लिए तत्काल लाख दो लाख की व्यवस्था भी हो जाती है पर हमारे पांच सात लाख देने पर भी व्यवस्था नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? इसके लिए मैंने यह कटमोशन रखा है। मेरी मान्यता है इसकी पूर्ति आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शारदा।

पांच मिनिट।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक जन स्वास्थ्य के बारे में और दूसरा चिकित्सा के बारे में। वे भी स्पेसिफिक हैं। निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी तहसीलों से सम्बन्धित हैं।

श्री प्रेमसिंह : आप तो यों ही मिनिस्टर से मिल लेते। बोलने का समय बच जाता।

श्री अध्यक्ष : आप आजकल बहुत ही ज्यादा बोलने लग गये हैं बार बार।

श्री भैरोंसिंह : यह बीमारी है।

श्री प्रेमसिंह : आप समय नहीं देते हैं, इसलिये हैं।

एक माननीय सदस्य : आप इधर आ जावें तो समय मिल जावेगा।

श्री अध्यक्ष : आपको ले डूबेंगे उधर ले गये तो।

श्री श्रीनिवास शारदा : आज भी वे उसी हालत में हैं जिस हालत में वर्षों पहले थे। अभी माननीय सारणजी ने जो बजट के खर्चे का ब्रेक अप बताया कि 16 करोड़ देहाती आबादी पर खर्च किया गया और 15 करोड शहरी आबादी पर खर्च किया गया जो कि शहरी आबादी गांवों की आबादी के मुकाबले में एक चौथाई है। यह वस्तु स्थिति है। यही कारण है कि आज असन्तोष पैदा हो रहा है असन्तुलन भी हो गया है। आज हमने इस मामले में भी सेन्ट्रलाइज किया है। डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात जरूर की है पर इस ओर बहुत थोड़े ही बढ पाये हैं।

निम्बाहेड़ा में मेटरनिटी की सुविधा के लिये एक लेडी डाक्टर की स्ट्रेन्थ कायम की गई। पर तब से आज बीस वर्षों में निम्बाहेड़ा की आबादी काफी बढ़ जाने के बाद भी वह एक ही डाक्टर काम कर रही है।

श्री विजयसिंह : इसीलिये आप कमजोर हैं।

श्री अध्यक्ष : मन से स्वस्थ हैं, मस्तिष्क से स्वस्थ हैं।

श्री श्रीनिवास शारदा : वहां बीस साल पहले 12 बैड्स थे। आज भी वही हैं जब कि वह सब डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। आधे जिले के बराबर सब-डिस्ट्रिक्ट है। आज अगर डाक्टर किसी केस में पेशी पर जावे या छुट्टी पर जावे तो पीछे देखने वाला कोई नहीं है। अगर पोस्ट मार्टम के लिये शव आवे तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है यह आसानी से समझा जा सकता है। यह सरकार के सोचने समझने की बात है।

यही अवस्था छोटी सादड़ी अस्पताल की है।

(श्री श्रीनिवास शारदा)

निम्बाहेड़ा में एक एक्स-रे मशीन सात आठ साल पहले आई थी। पर वह आज बन्द पड़ी है। जो टैक्निकल आदमी हैण्डल करने के लिये चाहिये था बावजूद इसके कि स्ट्रेन्थ है वह आज तक भी उपलब्ध नहीं हो पाया।

यही हालत छोटी सादड़ी अस्पताल की है। वहां 6 बैड हैं यह काफी लम्बा चौड़ा आदिवासी क्षेत्र है। इसके अलावा मजदूरों की दृष्टि से भी यह इलाका महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से एक नई डिस्पेन्सरी कायम की जानी चाहिये। पर अभी तक इस इलाके में कोई डिस्पेन्सरी कायम नहीं की गई।

निम्बाहेड़ा से गिनोती 14 मील के फासले पर है। पंचायत हैड क्वार्टर है। माइनिंग का इलाका है जहां पांच हजार मजदूर काम करते हैं। लेबर वेलफेयर के पोइन्ट आफ व्यू से भी यह आवश्यक था कि सरकार अपने आप सोचती और व्यवस्था करती डिस्पेन्सरी की। मजदूरों की चिकित्सा का और क्या साधन हो सकता है।

लेकिन सरकार अभी तक मौन है। यही हालत आदिवासी क्षेत्र की है। छोटी तहसील का पूरा का पूरा क्षेत्र आदिवासी है और उस बेल्ट में 20 हजार आदिवासी निवास करते हैं। परन्तु वहां पर कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र में बीच में एक डिस्पेन्सरी कायम हो जाये तो आदिवासियों को राहत मिल सकती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का जस्टीफिकेशन होना चाहिये, उसका कोई आधार होना चाहिये। आप बैड्स का परसेन्टेज देखिये। किस आधार पर आप बैड्स बढाते हैं। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें आपको समाजवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। लेकिन जहां जिसका कार्यक्षेत्र है उस तरफ ही सरकार ध्यान देती है। इसलिये इसका फैसला भी समाजवादी आधार पर होना चाहिये। आप इसको दो तरह से विभक्त करते हैं...

श्री विजयसिंह : समाजवाद में छोटी सादड़ी से सोना आता है।

श्री श्रीनिवास शारदा : वह तो हम पर ही खर्च होगा, तकलीफ क्या है आपको। एक मालदार से सोना आया और जनता के लिये खर्च होगा। दिक्कत क्या है?

श्री अध्यक्ष : अप्रासंगिक है।

श्री श्रीनिवास शारदा : इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्वान्टिटी के दृष्टिकोण से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में हमने एचीवमेन्ट किया है लेकिन इसके साथ साथ क्वालिटी की तरफ भी हम ध्यान दें। आज चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों ऐसे जोब्स हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये और मेडिकल विभाग में जो गंदगी बढती जा रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त होता जा रहा है, उस विषय पर हमको सोचना पड़ेगा और हमको यह देखना पडेगा कि हमने जहां पर व्यवस्था की है उसके जरिये जनता को लाभ मिलता है या नुकसान मिला है। आज कोई डाक्टर की रिश्वतखोरी की शिकायत करता है तो

(श्री श्रीनिवास शारदा)

यह सरकार उस पर मौन क्यों रहती है। चित्तौड़ के अस्पताल के एक डाक्टर की मैंने शिकायत की थी। कलक्टर ने, एस. पी. ने और उस जमाने के ज्वाइन्ट डाइरेक्टर मेडिकल हैल्थ सर्विसेज ने वहां जाकर जांच की और अपनी एक रिपोर्ट पेश की। परन्तु उस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है। एक ही डाक्टर तीन तीन प्रकार से एक ही बेंड्स पर मेडिको लीगल सरटीफिकेट्स दे देता है। तो मैं यह जानना चाहता है कि यह सरकार उस पर मौन क्यों है? आपकी क्या मंशा है?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय।

श्री श्रीनिवास शारदा : वहुत कम बोलते हैं। अब मैं जन स्वास्थ्य के बारे में एक ही निवेदन करना चाहता हूं। हमारी जन स्वास्थ्य की योजनाएं बनती हैं। योजनाएं बनती है और कार्यान्वित होती हैं और वे फेल्यूअर होती हैं और फिर री-आर्गेनाइजेशन स्कीम बनती है। आखिर यह है क्या क्यों आर्गेनाइजेशन स्कीम बने। एक कुए का निर्माण हो गया। गांव के लोगों के पास ऐसे कई इन्स्टान्सेज हैं। गांव के लोग बताते हैं कि फलां जगह पानी है मगर टैक्नीकल एक्सपर्ट इसको छोड देते हैं। यह स्थिति निम्बाहेडा की है। वहां के लोग पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं। वहां पर आपकी जो जल योजना है वह निर्जीव है। नल में प्रेसर नहीं है इसके लिए भी आपकी एक रिआर्गेनाइजेशन स्कीम बनी है। यही हालत छोटी सादड़ी की है। हर साल गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कत रहती है। प्राइवेट कुओं के मालिकों को हाथ जोड कर विभाग पानी लेता है और सप्लाई करता है·····

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री श्रीनिवास शारदा : मेरा थोड़ा ही निवेदन और है रीआर्गेनाइजेशन की स्कीम की सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी स्कीम सब ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि रीआर्गेनाइजेशन की बात पैदा न हो अन्यथा यह समझना चाहिए कि आपके आफिसर्स होशियार नहीं हैं। वे सिर्फ डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं और जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं, अपव्यय करते हैं और जन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि जितनी भी है रिआर्गेनाइजेशन की स्कीम हैं उनको इस वर्ष लागू किया जाये ताकि वहां की वर्तमान में जो दिक्कत है वह दूर हो सके और भविष्य में इस प्रकार की योजनाएं बनायी जायें ताकि यह स्थिति पैदा न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह। पांच मिनिट।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने पेय जल के संकट के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पेय जल का संकट ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और शहरी क्षेत्रों में भी है। इस सदन में कई बार पानी के संकट को किस प्रकार समाधान किया जाये इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने कई सुझाव रखे हैं परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि

(श्री भैरोंसिंह)

उन सुझावों के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती और इस कारण कोई भी प्रश्न विधान सभा में खड़ा किया जाये, उसके प्रति सरकार की कोई गम्भीरता नजर नहीं आती। मैं इस सदन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की कमी है। इसका तो संकट है ही। लेकिन राजस्थान में इसके बराबर एक दूसरा संकट और है, जो कुछ पानी है उसका सदुपयोग होता है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर में पानी का संकट है। जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर रहने वाले नागरिक इस संकट से त्रस्त हैं और यह बात सही है। चाहे राज्य सरकार कई बार यह कहे कि प्रति व्यक्ति पानी हम 25 गैलन के लगभग देते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जयपुर की आम जनता को प्रति व्यक्ति 25 गैलन नहीं मिलता है। आंकड़ों के हिसाब से या और किसी हिसाब से हम यह कह कर सन्तोष कराने की चेष्टा करें लेकिन कच्ची बस्ती के नागरिक और शहर की चार दीवारी के जो नागरिक हैं उनको बहुत ही कम पानी मिलता है और अध्यक्ष महोदय जब से काल अटेन्शन मोशन पर चर्चा हुई है उसके बाद से सरकार ने यह विचार कर लिया है ही लेकिन पानी के संकट की चर्चा अब समाप्त हो गई है इसलिए शहर की उपेक्षा की वहां और उसी आधार पर अध्यक्ष महोदय उस दिन से लेकर आज तक शहर के कई भागों से इस बात का विश्वास दिलाया गया था और विश्वास दिये जाने के उपरान्त भी कि निर्धारित समय पर नल खोलेंगे और उस समय में लोगों को पानी मिलेगा, परन्तु निर्धारित समय पर पानी नहीं मिलता है। यह प्रत्यक्ष में नाहरी का नाका में जाकर मैंने देखा कि जो समय निर्धारित किया जाता था उस समय पर पानी वहां पर नहीं पहुंचा। फिर कई घरों में गया और लोगों से पूछा तो उन्होंने यही बात बताई कि किसी भी समय पानी आ जाता है और हम को पता ही नहीं लगता है और कितनी देर तक चलेगा इसका का भी पूरा विश्वास नहीं है। अब राज्य सरकार कहती है कि वह बनास की योजना बनायेगी और इसमें कम से कम हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने जो घोषणा की है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि इसमें दस वर्ष लगेंगे और दस वर्षों में पानी की आज जो केपीसिटी है उसके आधार पर कुए खोदे गये तो दस वर्षों में पानी की मात्रा जो आज उपलब्ध कर रहे हैं उतना कर पायेंगे, यह सम्भव नहीं है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसके अनुपात में पानी की मात्रा नहीं बढ़ी तो आज प्रति व्यक्ति जो गैलन दे रहे हैं उतना पानी उपलब्ध नहीं होगा और संकट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कहना चाहूंगा बनास योजना को पूरा होने में जो 10 वर्ष का समय लगेगा उस 10 वर्ष में किस प्रकार पानी की कमी को दूर किया जा सकता है, उसके लिए एक फेज प्रोग्राम बनाया जाय और जयपुर की जनता का जल संकट दूर किया जाय अन्यथा जयपुर की जनता के लिए पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। राज्य सरकार का यह कहना है कि पानी के नल छोटे हैं, और उस पर कनेक्शन ज्यादा हैं मैं यह समझता हूं कि यह संकट उतना ज्यादा नहीं है जितना संकट को

(श्री भैरोंसिंह)
आज आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहूंगा इस बात के लिए एक ग्रुपिंग तैयार करें जो यह देखे कि कहां कहां पानी की अत्यन्त विकट समस्या है अमुक अमुक गलियों में या अमुक अमुक रास्तों में नल छोटे हैं, तो उनको बदला जाये और इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाय।

अब अध्यक्ष महोदय यह तो जयपुर में जल का संकट है और इसी प्रकार का संकट बीकानेर, जोधपुर में भी है जिसका उल्लेख मैंने कल एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में किया था। जोधपुर में जनता को पीने को पानी नहीं मिल सके और जब जोधपुर की जनता पीने के पानी की मांग करे तो गोली और डंडों के बल पर उनके शरीर से खून निकाल दें। अध्यक्ष महोदय पानी के स्थान पर खून निकाल दें यह तो राज्य सरकार की व्यवस्था है। लोग रोजी रोटी की व्यवस्था की मांग करें तो उन पर गोली और डण्डों की वर्षा करें और उसके द्वारा जनता को दबाने की चेष्टा करें। जैसा अध्यक्ष महोदय मैंने आरम्भ में भी कहा था, पानी के उपयोग की बात होनी चाहिए। सन् 1969 में जोधपुर में 60 लाख गैलन पानी दिया जाता था कुछ तो वहां के सोर्सेज थे और कुछ जंवाई बांध से पानी आता है। जवाई बांध से 90 लाख गैलन पानी प्रति दिन मिले अगर वह पूरा पानी जोधपुर में पहुंच जाय तो 1969 में संकट खड़ा नहीं होता और उससे जनता को आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती पानी नहीं मिलने पर जनता ने त्राहि त्राहि की। सरकार के अधिकारियों ने इस बात को समझने की कोशिश की। जंवाई बांध से जितना पानी आता है उतना पानी जोधपुर शहर में क्यों नहीं पहुंचता है। आखिर तलाश की गई और तलाश करने के बाद पता चला बीच में पानी को चुराते है, किस प्रकार चुराया जा सकता है, वह पानी चोरने की स्थिति पैदा हुई और 10 लाख गैलन प्रति दिन पानी चोरी गया। अब आप देखें 90 लाख गैलन में 80 लाख गैलन पानी जवाई बांध से मिले तो निश्चित रूप से जनता त्राहि त्राहि करेगी। जोधपुर के लोगों ने त्राहि त्राहि की बाद में शिकायत की कि कहीं न कहीं पानी की चोरी होती है तो वहां के डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर को और जिलाधीश महोदय को शिकायत की। जिलाधीश ने इन्वेस्टीगेशन की तो पता लगा, जवाई बान्ध से जो नहर आती है और जोधपुर शहर में जाती है उसके पम्पिंग स्टेशन नं. 7 और 8 के बीच उस जगह साईफन लगाकर 10 लाख गैलन प्रति दिन चोरी की जाती है। अब यह चोरी उस समय हुई, उसके बाद कितना पानी चोरी चला गया, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन 10 लाख गैलन की प्रति दिन की चोरी कपिलदेव का स्टेटमेंट और दोनों डिपार्टमेंट के इंजिनियरों का स्टेटमेंट है इस सम्बन्ध में। एस. ई. की रिपोर्ट है और उसके आधार पर जिलाधीश जोधपुर ने राज्य सरकार को शिकायत की। जिलाधीश जोधपुर ने राज्य सरकार को शिकायत की। जिलाधीश ने स्वयं ने 17-11-69 को मौके पर जाकर मौका देखा और स्वीकार किया कि 10 लाख गैलन प्रति दिन की चोरी होती है। अब मैं राज्य सरकार से केवल यही पूछना चाहता हूं उस चोरी के मामले में अब तक क्या किया? अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न आज भी उठा है और पहले भी उठाया

(श्री भैरोंसिंह)

गया है। मैंने मन्त्री महोदय को चिट्ठी लिखी और यह बात मैंने चिट्ठी के द्वारा सूचित की। यह पानी की चोरी है इसको रोका जाय। भीखाभाई जी ने पत्र का उत्तर नहीं दिया और उत्तर दिया तो एक गोलमाल उत्तर दे दिया जो मैं इस सदन की जानकारी के लिये पढ़ना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह आरोप है। चोरी से सम्बन्धित तथ्य रख रहे हैं। मा० मंत्री महोदय उत्तर न दे पाय और यह एक्स पार्टी चला जाय। आप किसी पर सदन में आरोप लगावें तो यह न्याय संगत नहीं होगा। हां पहले नोटिस दे देते तो . . . .

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कट मोशन दिये जाते हैं तो अलग से कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कट मोशन स्पष्ट है। उसमें जवाई बान्ध से पानी की सप्लाई की असफलता के बारे में है . . .

श्री अध्यक्ष : I Concede.

श्री भैरोंसिंह : इस आधार पर मैंने एक पत्र लिखा। जिसका मा. भीखा भाई जवाब दे रहे हैं--प्रिय श्री भैरूसिंह जी, मैं इन दिनों प्रवास में बाहर रहा इसलिए आपका पत्र प्रवास से लौटने पर प्राप्त हुआ है। यह प्रवास की बात मैं बाद में बताऊंगा। पत्र में लिखा है– इस प्रश्न को इस सत्र में उठाने के लिये भी लिखा है। मैंनें अपनी तरफ से विधान सभा में प्रश्न उठाया जाय, नहीं कहा। उन्होंने बताया है मेरा नम्र निवेदन है कि इस अल्प सत्र में पूर्ण रूप से जांच कराने में असमर्थ रहूंगा। अत: इसे बाद में भिजवा सकूंगा। अत: फिर आपसे मेरा यही निवेदन है इस प्रश्न को नहीं उठायें। यह पत्र 3-5-1970 का है पूरा एक साल हो गया। एक साल में यह तो प्रवास पर ही हैं। अभी तक उत्तर नहीं दिया। अब कितना प्रवास कितना लम्बा चौड़ा है, यह तो ये ही जाने किन्तु अध्यक्ष महोदय इसके बाद मुझे उत्तर नहीं मिला। 6 मई, 70 को पत्र दिया था कि आप कोई कार्यवाही नही कर रहे हैं, इसका कारण लिख दिया फिर आग्रह किया इस सत्र में न सही आप इस मसले की जांच करके मुझे उत्तर दें तो 6 मई, 1970 के पत्र का भीखाभाई ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय यह सारी कार्यवाही . . .

श्री अध्यक्ष : पहुंचा या नहीं पहुंचा पत्र ?

श्री भैरोंसिह : वह इतने ईमानदार हैं कि इससे इन्कार करने वाले नहीं है। इस बात को स्वीकार किया है कि पत्र मिल गया। आखिर इस चोरी के सम्बन्ध में भीखाभाई मौन क्यों, यह सरकार मौन क्यों है ? इसलिये मौन है कि पानी की चोरी करने वाला कोई साधारण काश्तकार नहीं है, पानी की चोरी करने वाला जोधपुर का कोई साधारण नागरिक नहीं है, पानी की चोरी करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, पानी की चोरी करने वाला कोई वाटर वर्क्स का इंजीनियर नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय वह पानी की चोरी करने वाला है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नाथूराम मिर्धा . . . (शेम शेम की आवाज)

(श्री भैरोंसिह)

अब मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं मन्त्री महोदय इसे इन्कार करने की स्थिति में खड़े नहीं है। यह सदन जानना चाहेगा उस कलेक्टर की रिपोर्ट को सदन में रखा जाय और उससे पता चलेगा किस प्रकार के बड़े बड़े आदमी गरीव जनता के पीने की पानी की चोरी करते हैं और उस पर कोई ऐक्शन नहीं लेते। जब पानी की चोरी 10 लाख गेलन प्रति-दिन की कर ली जाय तो निश्चित है जनता पानी के लिये त्राहि त्राहि करेगी और जनता कोई पानी की मांग करेगी तो गृह मंत्रालय उन पर डन्डे चलायेगा और डेढ़ डेढ़ वर्ष बाद गिरफ्तारी होगी डेढ़ वर्ष बाद - उनको पनिश्मेंट किया जायगा। दोनों बातें अध्यक्ष महोदय, एक साथ नहीं चल सकती हैं। यहीं अन्त हो जाता है तो सब्र कर लेते, किन्तु इस दस लाख गैलन की कमी कैसे दूर की जाय। इस कमी को दूर करने के लिए या तो अध्यक्ष महोदय हेमावास की जो नहर आती है, उसको पक्का किया जाय और पक्का इसलिए किया जाय कि सिक्सटी परसेन्ट पानी को यदि छक कर रख दिया जाये तो जोधपुर के लिए 10 वर्षों के लिए पानी उपलब्ध होगा। लेकिन इस कमी का लाभ उठाया हमारे वित्त मंत्री महोदय ने। हालांकि ट्यूबवेल आर्गनाइजेशन उनके हाथ में नहीं है। लेकिन ट्यूबवेल आर्गनाइजेशन के लिए 40 लाख की ब्रिक्स परचेज करने के लिए, बिक्स परचेज करली गई हैं, फॉरमल्टी पूरी करने के लिए सैंक्शन के लिए कागज गये। एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता को आब्लाइज किया गया।

श्री अध्यक्ष : इस आरोप का कौन निराकरण करेगा ?

श्री भैरोंसिह : मैं चोरी का परिणाम बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन निराकरण कौन करेगा ? मैं इसे अप्रासंगिक मानता हूं।

श्री भैरोंसिह : मैं उस चोरी करने वालों को . . .

श्री अध्यक्ष : आपने जो आरोप लगाये हैं, मिनिस्टर यहां प्रजेण्ट नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह : रामपुरा में पानी के लिए वहां के काश्तकार त्राहि त्राहि कर रहे हैं। पहले जयपुर शहर में त्राहि त्राहि कर रहे थे। अब ग्रामीण क्षेत्र में त्राहि त्राहि कर रहे हैं। यदि हेमावास नहर को पक्का कर दिया जाता और यदि पानी की चोरी रोक दी जाती तो पानी की कमी नहीं होती। राज्य सरकार ने चोरी नहीं रोकी इसी लिए सारा खर्चा हुआ है। इस लिए मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इस चोरी का निराकरण कर दें। इससे सारी परिस्थिति सामने आ जायेगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, चिकित्सा मन्त्री।

श्री भैरोंसिंह : पहले भीखा भाई को बुलवा दें।

एक माननीय सदस्य : दो मिनट बुलवा दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के विषय को लेकर कई कटौती प्रस्ताव आये हैं। कई माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। कई अन्य बातें भी थीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं उन लोगों को डिफेण्ड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं जिनके एथिकल स्टैण्डर्ड गिरे हुये हैं। ये जो बेईमानियां करते हैं, जिनमें पेशे का एथिक्स नहीं है। जो होना चाहिए वह नहीं है, । जिनसे डिपार्टमैण्ट का उत्तरदायित्व वहन नहीं होता है, या वह सेवाभाव न मानकर केवल पैसे के लिए इस प्रकार के कार्यों में लगे हुये हैं। कमियां हैं, मैं यह मानकर चलता हूं। मैं यह भी मानकर चलता हूं कि प्रशासन में कमियां हैं। सभी डाक्टर्स अच्छे नहीं है लेकिन सभी खराब भी नहीं है। कई अच्छे भी हैं कुछ खराब भी हैं।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो खराब हैं, उनके ऊपर हमें निगरानी रखनी चाहिए। उनको ठीक करना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टि से जो खराबियां हैं, उनको अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि राजस्थान ने चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। गये 20 सालों में। वह छोटी मोटी प्रगति नहीं है। हम, जो रियासतों के रहने वाले हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से पूर्व काल में इन्सान को इन्सान नहीं समझते थे।

एक माननीय सदस्य : इसीलिये वह हट्टे कट्टे थे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो आप लोग जानते हैं कि कितने हट्टे कट्टे थे। जो अपने को मोटा बनाते चले जाते थे। जो गरीबों पर अत्याचार करते हुये हिचकिचाते नहीं थे।

श्री विजयसिंह : यह असत्य है। झूंठ है।

श्री अध्यक्ष : (श्री चिकित्सा मंत्री से) आरम्भ रखें।

श्री विजयसिंह : यह बात आपने कई जगह कही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर हम अखिल भारतीय स्तर से कम्पेरीजन करें तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो पापुलेशन है, उसके हिसाब से 1967 तक इस प्रकार था। हमारे यहां पर आज दिन तक इन्स्टीट्यूशन हैं जिनमें 13737 बेड हैं। जब कि 1950 में 411 इन्स्टीट्यूशन थे और 5770 बेड थे। आज के दिन राजस्थान की स्थिति यह है कि 1969 के अन्त तक 1915 व्यक्तियों पर एक रोगी शैया है। जबकि आल इण्डिया फिगर 1750 पर एक है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य और

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चिकित्सा के लिए जो प्रावधान है, वह भी अगर हम तुलना करें तो 1950 में 105 लाख रु0 मेडिकल पर और 9 लाख रु0 हैल्थ पर 1950-51 में खर्च करते थे। वहां आज 822 लाख रु0 मेडिकल पर और 444 लाख रु0 हैल्थ पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए पर कैपिटा 1.03 1950-51 में और 5.55 है 1970-71 में। इस तरह से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है यह अपने आप में देखने वाली चीज है इसी प्रकार से मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जिससे यह पता लगेगा कि उस वक्त की स्थिति में और इस वक्त की स्थिति में क्या अन्तर पड़ा है। जैसा कि मैंने पहिले निवेदन किया कि पहले 418 इन्स्टीट्यूशन थे आज 900 है पहले 5770 बैड थे। आज 13737 बैड हैं। पहले टी. बी. के 10 क्लीनिक थे, आज 45 हैं पहले डैण्टल क्लीनिक 8 थे, आज 27 है पहले एक्सरे फैसिलिटीज 31 स्थानों पर उपलब्ध थीं अब 114 जगह उपलब्ध है। पहले पेथेलोजिकल केन्द्र 13 थे, आज 80 हैं। 1970-71, 10 डिस्पेन्सरीज और 11 मेटर्निटी सेन्टर्स किए गये हैं। इस प्रकार से रेशों में और ज्यादा वृद्धि हुई है।

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

7.15 म. प.

तो मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान और जगहों से पिछड़ा हुआ है लेकिन इस प्रगति से हमें सन्तोष है, यह बात नहीं है। हमें और ज्यादा इलाज की सुविधायें देनी पड़ेंगी चाहे रोगों की रोकथाम के लिए हो, चाहे चिकित्सा के लिए हो, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए जैसा मैंने गत वर्ष निवेदन किया था कि अब तक हम शिक्षा के विस्तार में, मेडिकल शिक्षा के विस्तार में लगे हुये थे, और करीब करीब उस योजना को हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो जिलों के स्तर पर जो अस्पताल की हालत थी, वह हालत वास्तव में चिन्ताजनक हालत थी, इसलिए राज्य सरकार ने निश्चय किया कि जिला स्तर के अस्पतालों को हमें अच्छा बनाना चाहिए, उनमें स्पेशियलिस्ट की सर्विसेज देनी चाहिए; और उनमें एक्स-रे और लेबोरेट्री की सब सुविधायें देते हुए वहां पर स्पेशियलिस्ट को रखना चाहिए। इसलिए जो बाकी के पन्द्रह जिलों के अस्पताल हैं, उनकी हमने बेड्स की स्ट्रेन्थ को बढ़ाया है; और स्पेशियलिस्ट की संख्या को भी काफी बढ़ाया है। गत वर्ष जो सुविधायें अस्पतालों को दी गई, उनके अलावा इस साल छः सीनयर और बीस जूनियर स्पेशियलिस्ट की सेवा जिले के अस्पतालों को उपलब्ध होंगी। इस प्रकार जो गवर्नमेंट ने निश्चय किया था, हर एक जिले में, जिसकी आबादी आठ लाख की हो, 150 बेड का अस्पताल होना चाहिए, पुरानी रियासतों में सौ बेड्स अस्पताल में होने चाहिए, शाहपुरा और बारां जैसे स्थानों पर पचास पचास बेड्स का अस्पताल होना चाहिए। इस वर्ष में इस सारी योजना को कार्यान्वित करने का इरादा है, और इसी अक्टूबर तक इन सारी जगहों पर बेड्स की संख्या के मुताबिक स्टाफ नियुक्त हो जायगा, स्पेशियलिस्ट दे दिये

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जायेंगे और जो कमियां है, बिल्डिंग की और तरह की, उनकी पूर्ति भी हम करना चाहते हैं । एक नई चीज, जिसको हम शुरू करना चाहते हैं, वह यह है कि आज के दिन जैसा अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, डिस्पेन्सरी में आम तौर के ऊपर बाजार से दवा खरीदने के लिए लिख दिया जाता है, दवायें वक्त के ऊपर सप्लाई नहीं होती हैं। सैन्ट्रल पर्चेज की स्कीम उसके बारे में मैंने निवेदन किया था, वह अभी तक हम अमल में नहीं लाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस वर्ष में हम अपने विभाग में ही एक फार्मेसी की स्थापना करना चाहते हैं और उसके लिए प्रावधान किया गया है । इस डिपार्टमेंटल फार्मेसी में बेसिक टीचर बना कर सारी डिस्पेन्सरी में भेजने की हमारी योजना है जिससे बेसिक मैडिसन वहां पर पहुँच सके, और लोगों का बेसिक मैडिसन के आधार पर जिस प्रकार का इलाज होना चाहिये, उस इलाज की व्यवस्था की जा सके । लेकिन केवल एक ही बात लोगों के दिमाग में बैठानी पड़ेगी, एक जगह एक अस्पताल में मैं गया था, वहां एक डाक्टर ने एक मरीज को टिंचर लिख कर दिया और शीशी में टिंचर ले जाने को कहा, तो उसने कहा, डाक्टर साहब मेरे इन्जेक्शन लगाओ । टिंचर से मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, या फिर बाजार की कोई गोली मुझे ठीक कर सकती है। यह भावना लोगों के अन्दर पैदा हुई है, यह कुछ सालों के अन्दर प्रवृत्ति बढ़ी है जिससे बाजार से दवा खरीदने के लिए लोगों ने कहना शुरू किया है ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हों और डाक्टरों ने भी बनी हुई, पेटेन्ट मेडीसन, पेटेन्ट ड्रग्स प्रेस्क्राइब करना शुरू किया । इसका नतीजा यह हुआ कि पेटेन्ट ड्रग्स, पेटेन्ट इन्जेक्शन मांगने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ी है। लेकिन बेसिक मैडिसन, बेसिक टिंचर तैयार करके डिस्पेन्सरीज में पहुंचा देते हैं तो कम खर्च में हम बीमारियों का इलाज करने की व्यवस्था कर सकते हैं, उसके साथ ही काफी पैसा जो पेटेन्ट मेडिसन और इनमें खर्च होता है उसकी हम बचत कर सकते हैं।

इस वर्ष जैसा माननीय सदस्यों ने बजट में देखा होगा, यह बजट स्पीच में सुना होगा, 1 डैंटल क्लिनिक, 25 डिस्पेंसरी, 10 एम. सी. डब्ल्यू सेन्टर खोलने का प्रावधान है, माननीय सदस्यों ने अपने अपने स्थानों पर डिस्पेंसरी खोलने के ऊपर चर्चा की है, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जितना प्रावधान है, उसमें जिस तरह से प्रायोरिटी फिक्स की जा सकेगी, जितनी एप्लीकेशन, जितनी मांग आई हुई है--उन पर विचार करके, और इस सदन में जो बहस हुई, चर्चा हुई, उस चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम डिस्पेंसरी के बारे में फैसला करेंगे और आगे और आवश्यकता हुई तो मैं यह कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां पर कुछ थोड़ी बहुत डिस्पेंसरी को खोल सकें।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं विभाग का इरादा है, फर्स्ट ऐड पोस्ट हैं, एड पोस्ट्स, उनमें से जो इस समय अच्छी ऐड पोस्ट चल रही हैं उनमें से पच्चीस एड पोस्टस को पच्चीस डिस्पेंसरी में बदलने का और पच्चीस डिस्पेंसरी में बदलने का

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
और पच्चीस एड पोस्ट्स दूसरी जगह कायम करने का इरादा है ताकि पचास जगह हम सुविधा दे सकें।

यह हमारे यहां पर हमने देखा है कि आम तौर के ऊपर कई जगहों के अन्दरवालों और गिनी वार्म की बड़ी शिकायत है। इसके लिये भारत सरकार से निवेदन किया है कि इसको नेशनल प्रोग्राम के रूप में लें, लेकिन हमने इसकी शुरूआत फिलहाल उदयपुर में एडीशनल पोस्ट देकर, स्टाफ देकर इस योजना का काम शुरू किया है। हमारे यहां पर एक बात की और कमी जो महसूस होती है, और जैसा सब माननीय सदस्य, जिन्होंने सुझाव दिया है, ने महसूस किया होगा कि वास्तव में उपचार में नर्स और कम्पाउन्डर की बड़ी कमी रहती है, और इसलिये रोगियों की सेवा, सुश्रुषा में फर्क पड़ता है। अभी हमारे यहां पर आठ रोगियों के ऊपर एक नर्स की सेवा उपलब्ध होती है, जब कि पांच रोगियों के ऊपर एक नर्स की सेवा उपलब्ध होनी चाहिये। तो हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा नर्स को ट्रेनिंग देकर हम उनकी सेवा उपलब्ध करा सकें····

श्री विजयसिंह : जहां नर्सेज हैं, वहां डाक्टर उनको काम नहीं करने देते हैं अक्सर।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी शिकायत नहीं आई है कि काम नहीं करने देते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पास शिकायत आयेगी कैसे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कई माननीय सदस्यों ने सब स्टेण्डर्ड मैडिसन के बारे में प्रश्न उठाया उसके बारे में हमने ड्रग इन्सपेक्टोरेट को और, मजबूत करने का प्रावधान रखा है, और सीनियर ड्रग इन्सपेक्टर और ड्रग इन्सपेक्टर, जो वेल क्वालिफाइड होंगे, उनको हमने रिक्रूट करने का प्रावधान किया है। गत वर्ष हमने इस बात का प्रयत्न किया था कि इस प्रकार के क्वालिफाइड आदमी मिल सकें, लेकिन उस एज में क्वालिफाइड आदमी नहीं मिल सके, इसलिए ऐज रिलेक्सेशन करना पड़ा और नया एडवर्टाईजमेंट किया गया पोस्ट के लिए, और ड्रग इन्सपेक्टर की भर्ती हो जाने के बाद हम खुद इस बात का निरीक्षण करेंगे। बाहर से सब स्टेण्डर्ड मैडीसन आती है, हमने इस बात की जांच की है और जांच करके वहां रेस्पेक्टिव ड्रग इन्सपेक्टर को इस बात के लिए लिखा है, अपने यहां इस बात को चेक करें, जो ड्रग सप्लाई हो उनके यहां से वह सब स्टेण्डर्ड की ड्रग नहीं हो।

यहां ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने के बारे में जिक्र किया गया। यह भी जिक्र किया गया कि आम तौर पर डाक्टरों की मर्जी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की नहीं रहती है, इसलिये हमेशा ऐसे कस्बे में, शहर में रहना पसन्द करते हैं जहां बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो·····

श्री रघुनाथ विश्नोई : सिनेमा की सुविधा हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्राइवेट प्रेक्टिस हो।

Page No 160

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मसला केवल राजस्थान का नहीं है, इस पर आल इंडिया स्तर पर विचार किया गया है, और कौंसिल आफ हैल्थ ने ये निश्चय किया है प्रस्ताव के जरिये, डिफीकल्ट एरिया में जो ग्रामीण हों, जहां इस प्रकार की सुविधायें नहीं हों, वहां पर हमको उन्हें इसके लिए ज्यादा अलाउन्स देना चाहिए। वैसे भारत सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है, इस पद्धति को, इस प्रस्ताव को और हमने प्रयत्न किया है कि कम से कम ऐसे क्षेत्रों में, जिसके हमने 80 फिगर भेजे थे भारत सरकार ने कहा कि चालीस फिलहाल मंजूर करेंगे, उनमें 75 रुपया रूरल अलाउन्स मिलता है, उसके बजाय 250 रुपया रूरल अलाउन्स किया जाय। इसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही ऐसे क्षेत्रों में काम करने वालों की यह स्वीकृत किया जायगा······

श्री विजयसिंह : आप स्वीकार करेंगे, गांवों में इसलिये नहीं जाना चाहते क्योंकि शहरों में प्राइवेट प्रेक्टिस रहती है, इसलिए वह वहां नहीं जाना चाहते हैं। डाक्टर में वैसे सेवा भाव होना चाहिये। अगर वह नहीं जाना चाहते हैं तो, सैंड देम होम, दूसरे बहुत से डाक्टर हैं, जो वेटिंग लिस्ट मे बैठे हैं······

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं जिससे अपने को काम लेना है, अगर वह मन से नहीं करेगा, आप खाली कह देंगे तो उनको नौकरी की जरूरत है, चला जाएगा फिर सरकने की कोशिश करेगा। इसलिए उनको इन्सेंटिव देने के लिए या काम्पेन्सेट करने के लिए अगर उसको 150) भारत सरकार ने जैसा प्रावधान किया हैं, वह भत्ता स्वीकार हो जाता है तो 40-50 जगह मुश्किल से हैं...

श्री दिग्विजय सिंह : यह प्रतिबन्ध लगा दें कि उनको कन्फर्म करने से पहले 2-4 साल गांव में नौकरी करनी पड़ेगी। यदि ऐसा प्रतिबन्ध लगाते हैं तो उससे सुविधा हो सकती हैं, वह जा सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो इन्सेंटिव दिया हुआ है कि तीन साल की रूरल सर्विस करने के बाद ही कोई डाक्टर अपना पोस्ट ग्रेजूएशन कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन की लालच में किसी तरह से तीन साल की रूरल सर्विस आज भी कर पाते हैं फिर कई लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और समझते हैं कि हम यहीं रह कर कुछ करें। ऐसी हालत में इन्सेंटिव देना ज्यादा जरूरी हो जाता है।

यहां यह भी प्रश्न आया कि हमने इस तरह से प्लान नहीं किया हुआ है, हमारे पास इस प्रकार की योजना नहीं है जिससे आगे आने वाले समय में हम कितने डाक्टरों को लगा सकेंगे, कितने वर्ष तक लगा सकेंगे। मैं माननीय सदस्य

चाहता हूं कि इस वर्ष तो राज्य सरकार के सामने कई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। जहां तक मैंने अनुमान लगाया है इस वर्ष 40 डाक्टर्स रिटायर होंगे। 92 पोस्टस् हमारे यहां पर नई इस योजना के तहत क्रिएट होंगी और इस प्रकार से जो इस साल आने वाले जितने लोग हैं उनको तो हम खपा सकेंगे। बाकी के लिए हमने यह सोचा है कि लीव रिजर्व का कोई प्रावधान

Page No 161

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

नहीं है तो करीब 2 हजार डाक्टर्स की स्ट्रैंथ है; 10 प्रतिशत भी लीव रिजर्व मान लें तो 200 पोस्ट्स के लिए वित विभाग में बात चल रही है और कोई कारण नहीं कि नामन्जूर करें तो 200 पोस्ट्स हमारे पास लीव रिजर्व में हो जाती हैं तो अभी इस साल जो लोग निकलेंगे उनको लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसके पश्चात यह भी विचार किया जाता है कि मौजूदा हालत में जहां 5 कालेजों में 600-650 विद्यार्थी भर्ती करते हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने वैसे बात भी की है, वास्तव में 600 एडमिशन्स न करके उनको कम करना चाहिए। तो इस पर भी मैंने 5 तारीख को सारे प्रधानाचार्यों की मीटिंग बुलाई है और अच्छी तरह से उनकी कैपिसिटी का ध्यान रखते हुए मैं समझता हूं राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि यह संख्या 600 रखी जाये या कम की जाए। कम की जाय तो कितनी कम की जाए। मैं व्यक्तिशः महसूस करता हूं कि पाचों कालेजों में वैसिक डाक्टर्स पैदा करने हैं तो 400-425 से ज्यादा स्ट्रैंथ न रखकर बाकी जो दूसरे राज्यों के लोग भर्ती के लिए आते हैं या भारत सरकार द्वारा जो बाहर की 5-7 सीट्स हैं उनमें 2-4-5 और चाहते हैं तो उनको देने की कोशिश करेंगे...

श्री भैरोंसिंह : फैसला कर लिया क्या आपने सीट्स कम करने का ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं। विचार हैं। मैंने व्यक्तिशः महसूस किया हैं। कैबिनेट में में मामला नहीं गया। 5 तारीख को मीटिंग है, उस समय उस बारे में···

श्री भैरोंसिंह : करना मत। आंदोलन होगा, फिर मन्जूर करेंगे।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : कैसे चलेंगे ? यह ऐसी चीज है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गत वर्ष भी 500 सीट्स कर दी थी या 450 की थी फिर आंदोलन हुआ वापस 600 करनी पड़ी···

श्री मनोहर सिंह मेहता : उस समय चुनाव भी नजदीक आ जाएगा, कर नहीं सकेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक तरफ तो यह बात है। दूसरी तरफ जो डाक्टर्स निकलते हैं तो नौकरी चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह तो उनका अधिकार है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : तो हमें विचार करना पड़ेगा..,

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सरकार की नीति बनती जा रही है कि डाक्टर और इंजीनियर्स को नौकरी नहीं दे सकते इसलिए संख्या में कमी करने की दृष्टि रखी जाए ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : एक डाक्टर का रेश्यो कायम करना पड़ेगा कि कितनी जनसंख्या पर एक डाक्टर सर्व कर सकता है और उसी हिसाब में डाक्टरों की संख्या मुकरर करनी चाहिये कि 10 हजार की जन संख्या पर एक डाक्टर रहे या 20 हजार पर एक...

श्री विजय सिंह : यह जन संख्या से सम्बन्धित नहीं है। मकराना में 25 हजार की आबादी है। परन्तु लेबर बहुत है और माइन्स का काम है, फैक्ट्रीज का काम है, तो बहुत ज्यादा केजुएल्टीज होती हैं, वहां बहुत ज्यादा डाक्टरों की जरूरत पड़ती है।

(श्री बिजयसिंह)
तो जन संख्या वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल्स का जो पैटर्न है उस आधार पर कुछ डाक्टर हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह मानकर चला जाता है कि जो रैशनलाइज्ड पैटर्न है 25 बेड्स पर एक डाक्टर होना चाहिये, उसके साथ साथ जो इमरजेन्सी है उसको ध्यान में रखते हुए जो केजूएल्टीज आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी स्थितियों पर विचार करने के बाद यह फीगर अराइव एट करना चाहिए।

इस साल जो ई.एस.आई. अस्पताल है वह जयपुर में बनकर तैयार होने वाली है और हम समझते हैं कि इस साल जुलाई में अस्पताल की शुरूआत कर देंगे। गत वर्ष जैसे सभी माननीय सदस्यों ने कहा था इस बारे में और अभी भी कहा, ई.एस.आइ. के अन्दर जो रुपया हमें मिलता है वह बहुत कम है, जिससे हम इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते तो इस अस्पताल की शुरूआत के बाद हमारा पर हैड खर्चा आने वाला है वह है 64/- प्रति वर्ष पर हैड...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पर हैड को बढ़ाया जाए, वह सवाल अलग है लेकिन जो एक्चूएलस्ट्रेंग्थ है लेबर्स की उसको आधार बनाकर जो आवश्यकता है उसके अनुसार डाक्टर्स नियुक्त किए जायं। जैसे कोटा इ.एस.आई. वहां स्ट्रेंग्थ 15 हजार लेबर है, आप केवल 6 हजार लेबर को लेकर चल रहे हैं, उस आधार पर व्यवस्था कर रहे हैं। एक्चूएल स्टेंथ को लेकर क्यों नहीं चलते?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : हम केवल इन्शूअर्ड पर्सन्स का ध्यान रखते हैं। कोई एक महीने के लिए आता है...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो टेम्परेरी लेबर लगाते हैं इसको भी ई.एस.आई. का अपने वेतन से हिस्सा कटवाना पड़ता है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जिसका इन्शूरेंस है।

श्री गोयल : कोई भी लेबर नहीं बचता है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इस समय कोटा में तीन हैं। एक और सैंक्शन हो रही है। एक मोबाइल डिस्पेन्सरी है तो 4 की स्ट्रेंथ होती है और अगर 4 या 5 हजार पर एक अस्पताल रखें उस अनुपात से ज्यों ज्यों इन्शूअर्ड व्यक्तियों की संख्या बढ़ती हुई चलती जाएगी तो नियम मंजूर करता है कि इसलिए उसकी कमी नहीं होगी।

गत वर्ष के जो हमारे प्रिवेन्टिव साइड के जो प्रोगाम्स थे, उस के विषय में कोटा से आये माननीय सदस्य ने मलेरिया के बारे में कहा। उस विषय में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्लानिंग कमीशन का ताल्लुक है, प्लानिंग कमीशन ने हमारी जो डिमान्ड्स थी कि इस बारे में कई क्षेत्रों में हमें विशेष मेजर्स लेने पड़ेंगे। कटौती उन्होंने 30 लाख की थी, और अब हमारी ज्यादा मांग है। 71—72 में प्रोवाइड किया है, फाइनेन्शियल सेन्क्शन अभी आनी बाकी है, लास्ट ईयर 147.26 लाख किया था और इस साल के लिये 191 लाख किया है। लेकिन मुश्किल जो हमारे सामने है वह यह है कि इन्सेक्टीसाइड्स की कमी पड़ रही है। स्प्रेइंग का काम करना चाहते हैं बहुत कोशिश में हैं। इससे रिलीव होकर एक दो दिन में डिसिजन करेंगे।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मलेरिया के सम्बन्ध में जोनल ओफिसर्स की मीटिंग हुई थी उसमें भी यह कहा गया कि एक जगह मलेरिया है तो वह दूसरी जगह भी फैल जावेगा। ज्यादा नुकसान होने का डर है। इससे पहले भी मैंने इनकार नहीं किया और आज भी नहीं करता हूं मलेरिया फैला है और पोजिटिव केसेज की संख्या, ऐसे एरियाज में, झालावाड़, कोटा, बून्दी, जोधपुर, में बढ़ रही है और इसको कन्ट्रोल किया जाना आवश्यक है। आपकी मार्फत हम भारत सरकार को निवेदन करना चाहते हैं कि इन्सेक्टिसाइड्स की जितनी कमी आ रही है उसकी पूर्ति फौरन करे और उसके लिए खुद जाकर कोशिश करने वाला हूं।

इसी तरह से स्माल पोक्स इरीडिकेशन जैसे प्रोगाम हैं, पहले 18 लाख मिलते थे और इस साल 18.36 हजार टी. वी. के लिये 8 लाख था उसकी जगह 11.25 लाख का प्रावधान करवा रहे हैं। बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उस क्षेत्र में दिक्कतें बतायी। गरीबी में ही टी. वी. के कीड़े पलते हैं और बड़े होते हैं। 20 टी.बी. की शैयाओं के लिए भारत सरकार से निवेदन किया है इसको इन्टेन्सिव टी. बी. इरेडिकेशन प्रोग्राम में लिया जाय ताकि राहत पहुंच सके। ज्योंही मन्जूरी आयी इसको लागू करेंगे जिसमें हर एक व्यक्ति का एक्सरे किया जावेगा। ट्रिकोमा के लिए 2 लाख रुपया मिला और लेप्रेसी के लिए 12 हजार के बजाय 24 हजार रुपया मिला इस तरह से इस साल का प्रोग्राम चलता है उसका दिग्दर्शन कुछ शब्दों में मैंने किया।

यहां पर माननीय सदस्य ने कई प्रश्न इस बारे में उठाये जैसे अस्पतालों में गन्दगी, खाने के बारे में नर्सिंग स्टाफ के बारे में और दूध दिया जाता है उसके बारे में। हमारा यह प्रयत्न रहता है कि अच्छी से अच्छी चीज दे सकें और जहां से भी मिल सके वहां से लें। सवाई मानसिंह अस्पताल में आटा, गेहूं, शक्कर की व्यवस्था की हुई है वह सप्लाई डिपार्टमेंन्ट से की हुई है। दूसरी चीजों की व्यवस्था की हुई है वह कोओपरेटिव सोसाइटी से की हुई है। दूध की व्यवस्था सरकारी डेरी से की हुई है और शेष तौर सीनियर अधिकारी का जिम्मा लगाया हुआ है कि वह इन खाद्य पदार्थों को देखे और खास तौर से मैट्रोन को देख भाल के लिये रखा है कि वह खाने को देखे और माननीय सदस्यों के कोई बात नोटिस में आयी है तो बताये कि हम कोशिश करेंगे ठीक करे। हो सकता है कि निरीक्षण न किया हो तो सख्ती के साथ उसका पारण करवायेंगे।

जहां तक मेडीसिन्स का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको बताया, हर साल मेडीसिन के अमाउन्ट में बृद्धि की जाती है और इस साल भी 25 लाख का मैडीसिन में डाइट में हमने प्रावधान किया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : रेट्स भी बढ़ी हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रेट्स भी बढ़ी हैं। जहां तक राजस्थान में मेडीसिन्स का ताल्लुक है दो तीन महीने में मेडीसिन की रेट्स नहीं बढ़ी हैं। बल्कि कम हुई हैं।

तो जहां तक माननीय सदस्यों ने नयी डिस्पेन्सरीज खोलने के बारे में और एन सी डबल्यू सेन्टर खोलने के लिये, कहा, मैं

Page No 164

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
समझता हूं हिसाब से जो प्रायोरिटीज फिक्स की जा सकती है बैठ कर विचार कर लिया जावेगा। मंजूरी होने के बाद भवन बनाये जा रहे है तो पहले उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। काफी बड़ा कस्बा है और इस प्रकार के इलाकों में डिस्पेन्सरी की सुविधा नहीं कर पाये हैं तो प्रायोरिटी में रखना होगा। इस प्रकार प्रत्येक जगह के लिये मेरिट के ऊपर विचार करते हुए हम समझते हैं, निर्णय लेंगे।

जो माननीय सदस्य नहीं हैं उनके लिये क्या कहूं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो नीति का प्रश्न है जो यहां पर उठाया गया है माननीय प्रो. केदार के द्वारा, जिला अस्पताल और स्पेशियलिस्ट के बारे में कहा। निश्चित योजना हैल्थ और मेडीकल के बारे में है, इनका कोआपरेटिव स्वरूप बनाया गया है। अस्पताल जितने हैं उनको एक्सपर्ट के अन्तर्गत ही स्पेशियलिस्ट के अन्तर्गत ही उनके कन्ट्रोल में रख कर चलना है और चिकित्सा अधिकारी है जिसका काम होगा उसको प्रशासन साइड में रखना है। यह योजना वित्त विभाग के पास हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस योजना की स्वीकृति मिल सकेगी। खर्चा भी कम पड़ेगा। और व्यवस्था भी सुधार होगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपने चुनावों के टाइम और पहले भी सदन में भी कहा था।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : कमेटीज के लिये कहें कि क्या व्यवस्था कि गयी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कई जिलों में कमेटियों की नामजदगी कर दी गयी हैं। जयपुर और एक दो जगहों की और रहती है।

श्री देवीदत्त गाडिया : जिला कोटा में नहीं हुआ। बारां में नहीं हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोटा में कर दिया है। बारां में नहीं हुआ बारां के नही हुआ। बारां से नाम नहीं भेजे।

श्री देवीदत्त गाडिया : दो साल तक नहीं कहेगे को क्या नहीं करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अपन बैठे बैठे कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी में गाडियाजी का नाम रखना, दिमाग में नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह उत्तम सुझाव है कि मरीजों में काटेज वार्ड आदि के लिये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। यह सामाजिक दशा। आज के दिन आप और हम भी देखते हैं कि अमुक आदमी को काटेज वार्ड मिलना चाहिये अमुक को नहीं अमुक केटेगरी के लिये इतना पैसा और तब उसको काटेज वार्ड मिलेगा।

इस केटेगरी के अफसर होंगे उनको डी-लक्स मिलेगा। इतना पैसा देगा तो यह मिलेगा। इसके लिये तो ज्यों ज्यों हमारे समाज में सुधार आता जावेगा और इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन खतम होता जावेगा। मैं इसकी ताईद करता हूं। इस

Page No 165

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
बात के लिये हम सबको प्रयत्न करना चाहिये।

एक और सुझाव पहले भी पाया, मेरे भी ध्यान में है कि आज हमें अपनी मशीनरी और औजारों को रिपेयर और मेन्टीनेन्स के लिये जो बाहर से इन्जीनियर बुलाना पडता है उनके लिये हमें बहुत काफी खर्चा करना पडता है। जहां तक गारण्टी पीरियड का सवाल है, इसमें दिक्कत नहीं है। दो तो फ्री सप्लाई करने वाली कम्पनी देती हैं। परगारण्टी पीरियड खतम होने के बाद फिर रिपेयर के लिये वहां से इन्जीनियर बुलाते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास का किराया, सौ रुपया रोज का भत्ता और बाकी जो खर्चा होता है वह हमें उठाना पडा है। इसके आंकड़े निकालने की कोशिश करूंगा। पर मैं समझता हूँ कि इतने पैसे में अगर हम यहीं पर अपना निजी वर्क-शाप कायम कर लें और उसमें एक मैकेनिक इन्जीनियर टेक्निशियन्स रख दें तो हमारी परेशानी कम होगी। इसमें किसी पर्टीकुलर मशीन के लिये ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो बाहर भेज कर ट्रेनिंग दिलवाई जा सकेगी पर फिर भी कुछ मशीनें ऐसी रह सकती हैं जिनके लिये हमें शहर से कम्पनी के लिये हये बाहर से कम्पनी के इन्जीनियरों को बुलाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : पर मशीनें कभी कभी खराब होती हैं, डाक्टर उनका उपयोग नहीं करते तो इसके लिये क्या करोगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोई योग्य डाक्टर तलाश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : 35 लाख की मशीनरी पडी है विभिन्न अस्पतालों में। पी. ए. सी. की रिपोर्ट बता रही है।

पहले भी लिस्ट मांगी थी उसी के आधार पर बोल रहा हूं। पडी पडी मशीनें खराब हो रही हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरदार शहर के लिये कहा था कि वहां आसपास के इलाके के लिये डिस्पेन्सरी की सुविधा नहीं है। जहां तक मुझे इस बात का ज्ञान है सारे जिले में बहुत काफी चिकित्सा की सुविधाएं हैं और हर एक कस्बे में जिसकी आबादी चार पांच हजार है डिस्पेन्सरी हैं। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर भी हैं वहां। आबादी बढ़ रही है तो इसके लिये क्राइटेरिया बनाया है। जहां बड़े हैं वहां डिस्पेन्सरिया रहेगी और यहां पंचायत समिती का क्षेत्र हैं वहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर रहेंगे। इस परिपाटी को केवल सरदारशहर चूरू के लिये तो नहीं बदला जा सकता। यह तो सबके लिये सामान रहेगा।

जैसलमेर में डिस्पेन्सरी, वहां मोबाइल डिस्पेन्सरीज भी हैं बोर्डर एरिया और विस्तृत फैलाव वाला एरिया होने के कारण इसके अलावा तो और डिस्पेन्सरीज खोलने की स्थिति में इस समय हैं नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप तो गोयल साहब को दो। कुछ तो दो।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : माननीय गोयल साहब ने दो तीन सवाल उठाये।

श्री हंसराज आर्य : जिन अस्पतालों में गरीबों के लिये पीने का दूध का पाउडर आप देते हैं उनमें बांटने के लिये, वह उनको

(श्री हंसराज आर्य)
नहीं मिल कर आपकी डिस्पेन्सरियों के डाक्टर और स्टाफ वाले ही दूध बनाकर पी जाते हैं या चाय में काम लेते हैं। क्या इसकी जानकारी आपको है। इसका क्या इलाज आपने सोचा है ?

श्री सभापति : कोई स्पेसिफिक बात आप कहें तो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सभापति महोदय ...

श्री देवीदत्त गाडिया : जायल की डिस्पेन्सरी है। गांव में डाक्टर जाता है तो सौ सौ रुपया डेढ़ डेढ़ सौ रुपया एक एक मरीज से लेता है। मोनोपोली बना रखी है अपनी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इन सबको डिफेण्ड करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। बाकायदा कोई शिकायत हो तो एन्क्वायरी करके सजा दी जा सकती है। पर जनरल चीजें आती हैं तो क्या कहा जा सकता है।

माननीय गोयल साहब ने दो तीन सवाल उठाये। पहला तो पब्लिक अनेलिस्ट के बारे में। चीफ पब्लिक अनेलिस्ट भट्टाचार्य इनमें सीनियर मोस्ट हैं और इस कन्ट्रोल एक्ट के तहत फूड अनेलिस्टों में क्वालिफाइड हैं। उनके प्रेडीसिसर थे भार्गव। उन्होंने लिखा कि अभी पूरी तरह से ये ट्रेण्ड नहीं हुए हैं इस वजह से भार्गव के अण्डर में रखा था। ये रिटायर होने वाले हैं। इसलिये इनको चान्स देंगे। पर आप हम जानते हैं रिटायर होते हुए भी 60 बासठ वर्ष की उम्र तक रहने की कोशिश कर रहे हैं वे और इस वजह से इनको अनक्वालिफाइड बतायें और कहें कि यह तो ट्रेण्ड नहीं हुआ है तो यह मानने का मेरा इरादा नहीं है। अगर अनक्वालिफाइड हैं तो भी रख लेंगे, आगे ट्रेनिंग देंगे, पर एक 60/62 साल की उम्र वाले व्यक्ति को रखने को मैं तैयार नहीं हूं। इनकी यह मेलाफाइडी मेरी दृष्टि में आई। तो इस तरह से हमने एक सीनियर मोस्ट आदमी को ही लगाया है। पी. एस. सी. सिलेक्शन करेगी तो ठीक हो जावेगा, अगर उसमें नहीं आया तो रह जावेगा और नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने कहा कि रिटायर समय पर होना चाहिये, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। प्रश्न यह है कि चीफ फूड अनेलिस्ट जो हैं वह सात साल से अनेलिस्ट नहीं हुआ है। वह सही तरह से फूड को अनेलाइज नहीं कर सकता और इस कारण कोर्ट में केस हार जाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 51 से पब्लिक अनेलिस्ट की पोस्ट पर है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वन थर्ड आर्टिकल्स की ही अनेलिसिस करना उनको आता है। आप इस पद को एडवरटाइज करके नया योग्य आदमी क्यों नहीं करना चाहते ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडवरटाइज भी करा लिया जावेगा और अगर इसे ट्रेनिंग में भेजने की आवश्यकता हुई तो फर्दर ट्रेनिंग में भी भेज देंगे। आवश्यक कार्यवाही

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
जो होगी, वह सभी करेंगे, पर रिटायर आदमी को नहीं रखने वाले हैं इस उम्र में।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : रिटायर हुए आदमी को रखने का प्रश्न नहीं है । उसे आप खुशी से रिटायर करें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पर जब आप इतनी इम्पोर्टेन्ट पोस्ट पर किसी व्यक्ति को रखना चाहते है तो ऐसे व्यक्ति को तो रखिये जो पूरी तरह से उपयुक्त हो. यह टैकनिकल जाब भी है। कोर्टों में खड़ा होना पड़ता है तो फूड के बारे में पूरी तरह से यह अनेलिसिस करने के योग्य है इस तरह की क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिये ताकि आगे जाकर कोर्ट में इसकी कम्पीटेन्सी चेलेन्ज न हो जाय और केस न बिगड़ने लगें।

ऐसी स्थिति में आप इस अपाइन्टमेन्ट की जो टेकनिकल पोस्ट और पर्सन से सम्बन्धित है पी.एस.सी. को क्यों नहीं सौंप देते है और विज्ञापन निकाल कर योग्य व्यक्ति को नियुक्त क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसी में आप इतने इन्टरेस्टेड क्यों हैं? अगर योग्य है यह तो पी.एस.सी. में यह भी जा सकता है किसने रोका है इनको।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहली चीज तो है कि राजस्थान मेडिकल सर्विस रूल्स में इनेकेडर नहीं किया हुआ है । इसलिए पी एस.सी.के परव्यू में तो है नहीं। अच्छे योग्य आदमी की भर्ती हो, इसमें हम सब इन्टरेस्टेड हैं। अभी तो टेम्परेरी हैं। योग्य आदमी आकर काम करे में भी यही चाहता हूं। मेरी कोई मंशा इसमें रुकावट डालने की नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : कोटा के मंत्रीजी, और कोटा के प्रश्नकर्ता। आप घर में बैठकर अपनी इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर लेते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : न तो यह कोटा के है, न चीफ पब्लिक एनेलिस्ट कोटा के है। न भार्गव साहब कोटा के है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कोटा का सवाल है, अपने इलाके की समस्याओं का हल आप मिलकर, बैठकर निकाल लें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सारे राजस्थान का यह सवाल है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह भी प्रश्न उठाया कि रिजर्वेशन में ऐसे भी लोगों को ले लेते है जो योग्य और कम्पीटेन्ट नहीं होते है। पर निवेदन करूंगा जो कि पी.एम.टी. में 45 परसेन्ट रखा है और शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स वालों के लिए 40 परसेन्ट रखा है तो यह अधिक कन्सेशन नहीं है, इससे योग्यता और कम्पीटेन्सी पर असर नहीं पड़ता। फिर इनको कन्सेशन देना तो है और चालीस पर्सेन्ट मार्क मिलने पर भी वे ठीक निकल सकते है।
अब सवाल उठाया गया है के. एम. लोढ़ा के बारे में। मैंने इस पत्रईल की ट्रेस आउट कराने का प्रयत्न किया है लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि यह फाइल फाइनेन्स मिनिस्टर के पास में है इसको तो अभी में अच्छी तरह से नहीं देख पाया हूं। यह फिक्सेशन का प्रश्न है वहां तक मेरी जानकारी है और कई वर्षो में चल रही। फिक्स होने चाहिये वे वहां सी ए क्लास सेकेन्ड में किया है। तो उनको सी. क्लास वन देने का प्रश्न चल रहा था। जहां तक आपने प्रश्न किया कि सन् 54 में

Page No 168

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ये पी. एस. सी. से सिलैक्ट नहीं हुए, तो इसके बारे में तो फाइल देख कर ही कह सकता हूं। आपको बता दूंगा। यह कटोती प्रस्ताव रात को ही मेरे पास आया है और यह फाइल फाइनेन्स मिनिस्टर के पास में है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आपको जानकारी तो होगी कि कितना पेमेन्ट हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप अपनी याददाश्त से ही बता दे। आपने क्या यह एप्रूव किया था कि रिट्रास पेक्टिव इफक्ट से इनको क्लास वन में फिक्स अप कर दिया जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सन् 51 से 54 के बीच में सी' ए. क्लास वन में फिक्सेसन करने का था और उसके उपर मैंने क्या लिखा है वह तो मुझे इस समय याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह गोल माल है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय अब मैंने ऋण आर्डर दिया है अब यह...

This file was with the Deputy Secretary, Finance Department. और उन्होंने नोट लिखा है। The case was discussed with the F. C. who recorded his note and then the case was sent to F. M. a few days back. The file should be with F.M.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एफ एम ने स्वीकृति दी और पैमेन्ट हो गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसका मुझे पता नहीं मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि फाइनेस डिपाटमेंट सर्वोपरि है और अगर वह स्वीकृति दे दे तो वह हमें मानना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्वीकृति हुई है इसलिए तो सवाल उठाया गया है। जिस प्रकार के फैक्टस् है और जिस प्रकार से क्यूश्चन रेज किया गया हे कि क्या इस प्रकार की फाईल चली थी मेडिकल डिपार्टमेन्ट में और उस पर मेडिकल मिनिस्टर ने क्या लिखा है, फाइनेन्स कमिश्नर ने क्या लिखा है और फिर फाइनेन्स मिनिस्टर ने क्या लिखा है उस फाईल पर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : काफी अर्सा हो गया। जबानी याद नहीं है। पत्रवली देख कर आपको सेटीसफाई कर दूंगा। गलती हुई है तो तो उसको देख सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सन् 54 के अन्दर पी. एस. सी. ए. क्लास वन के इन्टरव्यू हुए थे और उसमें इनका रिजेक्शन हो गया हैं। फिर 51से 54 के बीच में इनको कैसे फिक्स अप किया जा सकता है। आप इस पर अपनी ओपीनियन दे दें। आप इसका जबाव दे दें

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इसको देख लूंगा

श्री भैरोंसिंह : ओपोनियन आपकी चलने वाली नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने क्या ओपीनियन दी है; जुबानी तो याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जुबानी तो सब याद।

श्री बृजसुन्दर शर्मा :वास्तव में याद नहीं

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि फाइनेन्स डिपार्टमैंट सर्वोपरि है, यह मेरे समझ में नहीं आया किसने बनाया है फाइनेन्स डिपार्टमेंट को सर्वोपरि यह तो अपाइन्टमेंट डिपार्टमेन्ट का प्रश्न हैं और फाइनेन्स में क्यों गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फिक्सेशन अपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट में होगा और पैसे फाइनेन्स डिपार्टमेंट देगा।

श्री भैरोंसिंह : इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने सारे मंत्रियों की नकेल अपने हाथ में ले रखी है। यह सब उनके सबार्डिनेट हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें सार्बडिनेट होने का प्रश्न ही नहीं है। अपने अपने पदों पर जिम्मेदार हैं और काम करते हैं। जहां तक सेक्शन का सवाल है, फाइनेन्शियल सेक्शन का मामला है उसमें फाइनेन्शियल डिपार्टमेन्ट ही करता है। एक पोस्ट बगैर फाइनेन्स डिपार्टमेंट के क्रियेट नहीं कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : किसी का वाजिब हक है क्रियेट करना होगा। मेडिकल डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि वह डिजर्व नहीं करता है और उस पर फाइनेन्स मिनिस्टर ने कह दिया कि वह डिजर्व करता है क्योंकि वह जोधपुर का है।

श्री विजयसिंह : नागौरी की भी सुनते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, पचास हजार का पेमेन्ट हुआ है? क्या यह सही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फाइल देख कर बता दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह हाउस के अन्दर ही जवाब मिलना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें आपको क्या आपत्ति है। जो प्रश्न यहां पर उठाया गया है उसको इन्फार्मेशन को आप मानते हैं। 5। के अन्दर वह पी. ए.सी. में रिजेक्ट हुआ है और आप कहते हैं कि ऐसी स्थिति है तो मैं देखूंगा। तो आपके पास फाइल आने पर सदन को इन्फरमेशन दें, इसमें आपको क्या आपत्ति है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सदन को इन्फारमेशन देने मे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सदन को इन्फरमेशन दे दूंगा। फाइल देखूंगा। मैं फाइल मंगवा भी सकता हूं।

सब-स्टेन्डर्ड मेडिसन का जिक्र आपने किया है। इसके सम्बन्ध में यह है कि हरियाणा के कन्ट्रोलर को लिख दिया गया है और पेमेन्ट का तो यह है कि कादिया ने 6-1:-70 को यह रिपोर्ट की थी कि यह मेडिसन सब-स्टेन्डर्ड है और तरीका जैसा आपने बताया, यह है कि जब कोई एप्रूव्ड मेडिसन हो जाती है तो वह एप्रूव्ड मेडिसन टेन्डर मंजूर हो जाता है और उसके बाद सप्लाई डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर को जितनी रिक्वायरमेंट होती उसके मुताबिक होती है और उसका पेमेन्ट भी वहां से होता है। इस वजह से यह हो सकता है कि इसका पेमेन्ट कर दिया गया हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका थोड़ा एग्जामिन कीजिये। इसकी रिपोर्ट आने में इतनी दिन क्यों हुई। दूसरी बात यह है कि जब रिपोर्ट आपके पास में आ गई कि जो मेडिसन सप्लाई की गई है, वह सब-स्टेन्डर्ड की है और यह इन्फारमेशन आपके पास आ जाने के बाद भी उसका पेमेन्ट किया गया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आम तौर पर यह होता है कि जैसे ही रिपोर्ट आती है, उसको

Page No 170

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सूचना जितने भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर है उनको दी जाती है कि अमुक ड्रग सब स्टेन्डर्ड है और उसका यूज न हो और पेमेन्ट विद होल्ड कर दिया जाये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : प्रश्न यह पैदा हुआ है कि मेडेसन सब-स्टैन्डर्ड थी तो उस मेडिसन को सीज कर लिया जाता। परन्तु जब मालूम किया गया तो आपको पता लगा कि यह मेडिसन कन्ज्यूम हो गई तो उसका पेमेन्ट होगा ही, उसका पेमेन्ट नहीं रोका जा सकता। परन्तु वह कन्ज्यूम कैसे कर दी गई और मेरा निवेदन यह कि सब-स्टेन्डर्ड मेडिसन थी तो उसका पेमेन्ट पेंडिग था। उसका पेमेन्ट कैसे कर दिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी अगर कोई बात हुई है तो यह देखने लायक बात है।

श्री भैरोंसिंह : इस फर्म के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हरियाणा के ड्रग कन्ट्रोलर को लिख दिया गया है। डेट्स आर मेडिसिन्स आर सब-स्टेन्डर्ड।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : राजस्थान के अन्दर आप इसको ब्लेक लिस्ट कर सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ड्रग कन्ट्रोलर ही इसको देखता है और ड्रग कन्ट्रोलर ही इसको करता है।

श्री भैरोंसिंह : भविष्य में आप इससे मेडिसन परचेज नहीं करेंगे इसके लिये आप ब्लेक लिस्ट कर दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ब्लेक लिस्ट कर देंगे। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित जितने भी कटौति के प्रस्ताव यहां रखें गये थे उनका करीब करीब मैंने जवाब दे दिया · · ·

श्री कृष्ण कुमार गोयल : फोरेन्सिक मेडिसन के बारे में भी कह दीजिए।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : फोरेन्सिक मेडिसन के बारे में कई दफा आप पूछ चुके हैं · · ·

श्री कृष्ण कुमार गोयल : फारेन्सिक मेडिसन के बारे में कहना चाहता हूं। सवाल यह है कि जब आपको यूनिवर्सिटी ने · · ·

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने आपके नोटिस के लिए जो आर्डर पास किया है, आज और अभी किया है, यह आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ .. that these posts should be immediately sent to Public Service Commission.

मैं हाउस में लाना चाहता हूं, जो स्थान रिक्त है उनको भरने के लिए लोक सेवा आयोग को लिखा जायेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जितनी पोस्टें होनी चाहिए और जितने केडर की होनी चाहिये और जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, और जिस जिस समय पर आपने स्पाट इन्स्ट्रक्शन दिये हैं उसके अलावा सेन्टर से · · ·

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब तक योग्यता प्राप्त व्यक्ति अवेलेबिल नहीं होगा तब तक नहीं रखा जा सकेगा। उसके लिये एडवरटाइजमेंट करके रिक्विजीशन पी. एस. सी. से कर लिया जायगा। मैं समझता हूं एस. के. पाठक का जो रिक्विजीशन है मैंने कह

Page No 171

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
दिया किसी की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। हिन्डौन के लिये मैंने कहा दो डाक्टरों में से एक का ट्रान्सफर कर दिया है...

श्री श्रवण लाल : इस प्रकार से आपके ट्रान्सफर तो कई बार हो चुके हैं और कई बार ही केन्सिल हुये हैं। तो ट्रान्सफर पहले हुये वैसा ही होगा या...

श्री हंसराज शर्मा : भादरा में भी यह हालत है। डाक्टर सूखा पाउडर दे देते हैं इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जो इस्तबावरी की जायगी उसमें आपको भी साथ में ले लिया जायगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं समय के अभाव में कुछ कह नहीं पाया लेकिन ब्लड बैंक और ब्लड...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोश्चन भी आया है आपका उसमें उत्तर दे दिया जायगा।

श्री श्रवण लाल : मैं यह जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा वहां से एक डाक्टर का ट्रान्सफर कर दिया है। मैं यह आश्वासन चाहूंगा इस प्रकार के ट्रान्सफर तो साल भर में कई बार होते हैं तो यह ट्रान्सफर पहले जैसा ही किया है या...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

एक मा0 सदस्य : पहले कौन बोलेगा?

श्री सभापति : माननीय आयुर्वेद मंत्री जी।

श्री श्रवणलाल : मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा...

श्री सभापति : आप मिल लेना मंत्री जी से।

श्री श्रवणलाल : मैं तो सदन में ही मिलना चाहता हूं। इस तरह डाक्टरों का ट्रान्सफर 6 बार हो चुका है और 6 बार ही केन्सिल हुआ है। तो केन्सिल होने में और ट्रान्सफर करने में जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता है। मैं यह जानकारी चाहूंगा पहले जिस प्रकार ट्रान्सफर हुआ है उसी प्रकार का ट्रान्सफर हुआ है और केन्सिल तो नहीं होगा।

श्री सभापति : फिलहाल तो ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति जी जब एक व्यक्ति का ट्रान्सफर होता है तो आधे आदमी उसका ट्रान्सफर रुकवाने के लिए आ जाते हैं और जब उसका ट्रान्सफर रोक दिया जाता है तो फिर आधे आदमी उसी समय बसों में भर भर कर आ जायेंगे और कहेंगे इसका ट्रान्सफर कर दो। यह स्थिति हो जाती है।

श्री श्रवणलाल : ऐसी स्थिति में दोनों को क्यों नहीं हटाया जाता है।

श्री सभापति : आयुर्वेद मंत्री जी।

श्री जयकिशन (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : मा0 सभापति महोदय, आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों कुछ सुझाव दिये

(श्री जयकिशन)

और कुछ कमियां भी बताईं। मुझे सन्तोष है कि माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं की। जो कुछ बातें माननीय रावत राम जी ने जो चूरू से आते हैं अपनी जानकारी में ये बातें रखी हैं। 'ए' क्लास औषधालय डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर होने चाहिये। हमने गत वर्ष से ही यह डिसीजन ले लिया था कि 'ए' क्लास का औषधालय डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही खोला जाय और अब हम शनैः शनैः इस स्टेण्डर्ड पर होने जा रहे हैं। इसके अलावा यह बात रखी जो आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाते हैं वह जिला परिषद की सिफारिश पर नहीं खोले जाते हैं। मैंने जैसा कि हमेशा इस विधान सभा में उत्तर दिया है, क्योंकि बहुत से मा0 सदस्यों ने हमको पूछा है कि औषधालय किस क्राइटेरिया पर खोला जाता है तो औषधालय खोलने के बहुत से क्राइटेरिया हैं एक ही क्राइटेरिया नहीं है। जिला परिषद जिनको सिफारिश कर दे वहीं खुल जाते हैं ऐसी बात नहीं है। सभी बातों को ध्यान में रखकर औषधालय खोले जाते हैं। और जैसा उन्होंने कहा चूरू में जनसंख्या का आधार कम नहीं है वह भी ज्यादा मात्रा में है और यह भी बताया कि जिला परिषद की सिफारिश पर न खोलकर और जगह खोल दिये जाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, जो चूरू जिले में औषधालय खोला गया है वह पंचायत समिति या एम. एल. ए. साहब या कोई दूसरी एजेन्सी, उनके कलक्टर साहब हैं, उनके पास जो सिफारिश आई है और भवन उपलब्ध है, उससे खोला गया है। साथ में उन्होंने सरदार शहर के आयुर्वेद कालेज के बन्द होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है और साथ में यह भी कहा है कि सरदारशहर कालेज को ग्रेड बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं और जोधपुर को 40 हजार दे दिया। इस साल हमने नहीं दिया लेकिन गत वर्ष जोधपुर कालेज को 40 हजार रुपया भवन निर्माण के लिए दिया था। सरदार शहर में भी गत साल से पहले काफी रुपया दिया है। सरदारशहर कालेज की जैसी स्थिति है उसको माननीय सदस्य भी जानते हैं— एक प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन है। सब माननीय सदस्यों ने कहा, आयुर्वेद को भी इस वैज्ञानिक युग के अन्दर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मेरी मान्यता है जब तक आयुर्वेद के सरकारी कालेज हैं उनको स्टन्डर्ड पर लाने के लिये उनके अन्दर सब तरह की सुविधायें, इक्विपमेंट्स आदि नहीं दे सकेंगे तब तक कालेजों में पढ़ने वाले स्टूडेन्ट्स बहुत अधिक दक्ष नहीं हो पायेंगे। इसलिए जो सरकारी कालेज हैं उदयपुर और जयपुर में उनको अच्छी प्रकार सुसज्जित करना चाहते हैं। एक प्राइवेट कालेज है जिन पर हमारा बहुत अधिक नियन्त्रण नहीं होता है ग्रान्ट-इन-एड के बारे में भी मैं आपको बताऊं। तीन साल पहले सरदार शहर के कालेज को 60 हजार रुपया मिलता था और अब उसको 80 हजार मिलता है लेकिन उसका मैनेजमेंट जो प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में है वे स्वयं किस प्रकार इसको चलाते हैं और आज इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि वह कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द होने जा रहा है। आयुर्वेद के सम्बन्ध में हमारी जो नीति है, मैं यह चाहता हूं राजस्थान में आयुर्वेद की शिक्षा अच्छी

Page No 173

(श्री जयकिशन)

प्रकार से फैले, अच्छी प्रकार उसका उपयोग हो सके। मैंने पहले भी कहा है राजस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चले और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज राजस्थान में आयुर्वेद की तभी चल सकती हैं जब अच्छे कालेज बने, सुसज्जित बनाएं। इसलिए उदयपुर और जयपुर कालेज को अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन पर अधिक धन खर्च करें और जिन पर हमारा अधिक नियंत्रण भी नहीं है और जो राज्य सरकार के इन्स्टीट्यूशन हैं उन पर धन कम खर्च करें तो मैं यह समझता हूं यह अच्छी बात नहीं होगी। इसलिये हमने सोचा है जो कालेज राजस्थान में उदयपुर और जयपुर में हैं उसको ही आगे बढ़ाना है। सरदारशहर का जो इन्स्टीट्यूशन है वह सही प्रकार चल नहीं पाता है। कभी यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में होता है और कभी अपने तरीके से बढ़ता है तो हमको उसे चलाने में या उनके बीच में.........

श्री भिजरसिंह : सभापति महोदय, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे रामलीला में लक्ष्मण बोलता है, वैसे बोल रहे हैं।

श्री जयकिशन : मेरा साफ दिमाग है आपकी तरह कचरे दिमाग वाला नहीं हूं। मैं साफ तौर से बताना चाहता हूं सभापति महोदय दोनों कालेज को ठीक चलाना चाहते हैं। जिस इन्स्टीट्यूशन को 60 हजार से 80 हजार रुपये का अनुदान कर दिया और 60 से 91 हजार देने के बाद भी वह कालेज नहीं चल सकता है तो और अधिक क्या कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने इस सरदार शहर के आयुर्वेदिक कालेज को टेक ओवर करने के प्रश्न पर विचार किया है?

श्री जयकिशन : वह प्रश्न आया नहीं है, जो इन्स्टीट्यूशन है उन्होंने अप्रोच नहीं की वहां के लड़कों को जब अनिश्चित काल के लिये बन्द करने के लिये बताया गया तो वे जरूर मुझ से मिले थे। मैंने कहा जो हमारा बजट है उसी प्रकार कार्यवाही करेंगे। ऐडमीशन का जो सवाल है उसके लिये हम व्यवस्था कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : उनके लिये परीक्षा की व्यवस्था।

श्री जयकिशन : वह भी होगी। किसी भी लड़के को परीक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। उन्हें ऐडमीशन भी मिलेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने की इजाजत भी मिलेगी। वह कर दिया है इसलिये स्टूडेन्ट्स को दिक्कत नहीं होगी। जहां तक दवाओं की कमी का सम्बन्ध है वह कोई ए. बी. सी. के आकार पर नहीं दी जाती है। दवा वहां की संख्या के आकार पर दी जाती है। रोगियों की संख्या के आधार पर दवाओं का वितरण किया जाता है। कहीं कम चली गई हो और आपको कोई शिकायत हो पर्टीक्यूलर तो उसको दूर कर दिया जायगा।

इस प्रकार की जो भी दवाई के सम्बन्ध में शिकायत है, तो उसको पूरा कर दिया जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मांगों को स्वीकार किया जाये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति

Page No 174

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

महोदय, मैं भानपुरा के लिये 4 साल से अर्ज कर रहा हूं ।

श्री जगदीशन शर्मा : सभापति महोदय माननीय मेहताजी को मालूम होगा कि मैंने यह कहा था कि अबकी बार जब भी कोई औषधालय खोला जायगा तो उस पर भी विचार किया जायगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आखिर कब तक विचार किया जायेगा ।

श्री जयकिशन शर्मा : एक एक पर विचार किया जायगा ।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

एक माननीय सदस्य : इनके बोलने की क्या आवश्यकता है ।

श्रीमती सुमित्रा : नहीं है तो पास कर दें ।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्रीमती सुमित्रा : सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि सदन के माननीय सदस्यों ने देश एवं प्रदेश की बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी पर काफी अपनी चिन्ता प्रकट की है। मैं स्वयं सदन से निवेदन करना चाहूंगी । कई माननीय सदस्यों ने तो परिवार नियोजन शब्द को समझने में ही गलती की है, परिवार नियोजन का मतलब वह नहीं जैसा कि हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे । परिवार नियोजन का मतलब मानव की संख्या को कम करना नहीं है । हमारी जो सबसे छोटी इकाई परिवार है, उसको हम किस प्रकार स्वस्थ, सुखी एवं समृद्धशाली बनायें । परिवार नियोजन मानव संख्या को कम करने के लिये नहीं है अपितु मानवता पैदा करने के लिए ।

कुछ माननीय सदस्य : हियर, हियर ।

श्रीमती सुमित्रा : इसलिए कई प्रकार के कटौति प्रस्तावों में माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की है। डाक्टरों के झूठे केसेज बनाने की शिकायत की है। कई ने तो इस बारे में इस सदन को मिस गाइड करने की कोशिश की है । यहां तक कहा गया है कि वासक्टोमी और लूप लगाने से मृत्यु हुई है । मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति की मृत्यु लूप लगाने या वासक्टोमी के होने से मृत्यु होने के समाचार नहीं मिला है । अलवर के अस्पताल में एक महिला का देहान्त Tubectomy के कारण होने का समाचार जरूर मिला था। इसकी इन्क्वायरी भी हुई थी । जिन महिला डाक्टर ने आपरेशन किया था, उनको सस्पेण्ड भी रखा गया था । लेकिन केवल इसी आपरेशन के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई थी । इसलिए इस प्रकार के भ्रामक आंकड़े रखना सदन का ही नहीं, आम जनता में भी यह विचार पैदा करता है कि सचमुच ही वासक्टोमी या लूप लगाने से मृत्यु हो सकती है। छापर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि वैद्य के साथ में एक धात्री रखी जाये । 80,000 की आबादी पर एक परिवार नियोजन केन्द्र है। उसके नीचे 4 उपकेन्द्र होते हैं। उन उप केन्द्रों पर महिला ए. एन. एम. रखने का प्रावधान है। इसलिए धात्री की मैं आवश्यकता नहीं समझती हूं। इसी तरह से खासतौर से जयपुर से आने वाले माननीय

(श्रीमती सुमित्रा)

सदस्य ने यह भी कहा कि छोटी छोटी आयु के लड़कों को इसमें इन्वाल्व किया जाता है, वहां सामाजिक कार्यकर्ताओं से इस काम में मदद लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जनता का सहयोग लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। पंचायत समितियों के सहयोग से और खासतौर से मुसलमानों में प्रचार करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है जिनको ढाई सौ रुपया महीना का स्टाइपेण्ड दिया जाने का प्रावधान है। ताकि मुसलमानों में जो भ्रम है, उसका वह निवारण कर सकें। इसलिए उनकी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। जिन मुहल्लों या शहरों में मुस्लिम परिवार ज्यादा हैं उन्हीं में ऐसी नियुक्ति करते हैं। ताकि वे परिवार नियोजन में निष्ठा पैदा कर सकें।

श्री विजय सिंह : आपने जो मुस्लिम आबादी के बारे में फरमाया है उसमें अब तक कितनी सक्सेस हुई है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह इसी वर्ष हुआ है। झुंझुनूं और नागौर में दो ही जगह पर इसे चलाया जा रहा है। जिसके परिणाम अब आयेंगे। अगर आशा जनक परिणाम आयेंगे तो इस योजना को और लागू किया जायेगा।

श्री श्रवण लाल : आपने जो भ्रम बताये हैं वह क्या क्या हैं ?

श्री देवीदत्त गाडिया : आपने जिन मुसलमानों को नियुक्त किया है, उनके नाम क्या हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक का नाम तो हाफिज यूसुफ अली है और नागौर वाले का मुझे याद नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगी क्योंकि माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि यहां कितना एक्सपेण्डीचर (व्यय) किया जा रहा है। लेकिन आशाजनक परिणाम सामने नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूं कि 1966–67 में यह प्रोग्राम चालू हुआ है। हम काफी पिछड़े हुए थे। हमारा 15वां और 13वां नम्बर था। 1969 से हम धीरे धीरे प्रगति करते हुये इस स्थान को 13वें स्थान से 10वें नम्बर पर ले आये हैं। तो मैं समझती हूं कि सभी माननीय सदस्यों को यह जानकर सन्तोष होगा कि हमने इस प्रोग्राम को बढ़ाने में काफी मेहनत की है। यहां पर मैं यह निवेदन कर दूं तो अनुचित न होगा इस बात की कई बार चर्चा की जाती है कि एक्सपेण्डीचर काफी ज्यादा है। इस सम्बन्ध में मैं आपको सूचित करना चाहूंगी कि 1968–69 में जब आल इण्डिया का 128 था तब हमारा 2?2 था।

लेकिन 1969–70 में सारे देश का एवरेज 200 था, हमारे राजस्थान का 245 था, मतलब इंडिया के एवरेज के मुकाबले में कम। 1970–71 में फिर से इन्क्रीज हुआ है, उसका कारण करीब करीब सारी पोस्ट भर लेना था, कुछ हमारी व्हीकल्स थी, जो आउट आफ आर्डर हो गई, जिनका खर्च ज्यादा होता है–उसकी वजह से खर्च पिछले वर्ष के मुकाबले में ज्यादा हुआ है अब तक।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था, परिवार

Page No 176

(श्रीमती सुमित्रा)

नियोजन के प्रोग्राम से कुछ नैतिकता का ह्रास हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, वैसे तो सभी धर्मों और गांधी जी ने भी संयम और ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ा स्थान दिया है, यदि संयम का पालन कर सकें और आबादी को नियंत्रित रख सकें—तो मैं समझती हूं, इससे उत्तम मार्ग कोई होगा ही नहीं, लेकिन उसके अभाव के अन्दर आखिर एक तरफ जो आबादी में वृद्धि हो गई है, उसमें मानवता कराहती रहे, भूखी रहे, दूसरी तरफ जनता की आशा और आकांक्षायें पूरी नहीं हो सकें—इसके बजाय इस प्रकार के उपाय के द्वारा आबादी को नियंत्रित कर सकें तो मैं समझती हूं, हमारे देश का भविष्य योजनाओं की खुशहाली, योजनाओं का लक्ष्य इस योजना के बिना, आबादी के नियंत्रण के पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिए जिन लोगों ने नैतिकता के ह्रास की बात कही है, मैं समझती हूं···

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिहूं लोक उजागर, ···

श्री भैरोंसिंह : (श्रीमती सुमित्रा से) आपके लिए नहीं कहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : भीखाभाई के लिए कहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर दूं, यह माननीय सदस्यों ने इस सदन को बताया कि इस विभाग के अन्दर गबन हुए हैं, कुछ फर्जी केस बनाकर, फर्जी आंकड़े दिखाकर, फर्जी पेमेन्ट भी लिया है और उनके खिलाफ विभाग ने कुछ नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगी, इस प्रकार के जितने केसेज राज्य सरकार के नोटिस में आये हैं, उन सब में बराबर कार्यवाही की गई है, और जिन लोगों के खिलाफ इस प्रकार के चार्जेज थे, करीब करीब सारे लोग अन्डर सस्पेन्शन चल रहे हैं···

श्री देवीदत्त गाडिया : कितने ऐसे हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पांच छः हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : बस ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इतने ही मामले सरकार के नोटिस में आये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जय हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं, जहां पर और विभाग के अन्दर इनएफिसियेन्सी और काम के अन्दर एक तरह से लोग रुचि नहीं लेते हैं फिर भी अपने पदों पर बने रहते हैं, इस विभाग में बिल्कुल विपरीत बात है, हम एडहोक बेसिस पर जिन लोगों को एक बार इस बात का मौका देते हैं, तो जिला परिवार नियोजन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट फेमिली प्लानिंग आफिसर, वह समय पर टार्गेट पूरा करें तो ऐसे कई लोगों को रिवर्ट किया है, वापिस ओरिजनल पोस्ट पर भेजा है, और जो काम में रुचि लेते हैं···

श्री श्रवण लाल : फर्जी काम इसलिए ही करते हैं। आप टार्गेट फिक्स कर देते हैं, उसको वह पूरा नहीं कर पावे

(श्री श्रवण लाल)

हैं, तो फर्जी आंकड़े बनाते हैं, फर्जी नाम लिखाते हैं फर्जी बल्दियत लिखाते हैं, फर्जी गांव भरते हैं- जिनका कहीं पता नहीं है। ऐसे हजारों कैसेज मिलेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हजारों कैसेज, आप एक भी केस नोटिस में नहीं लाये हैं।

श्री श्रवण लाल : मेरे साथ चलिये, मैं इन्क्वायरी करवाता हूं। अगर सही नहीं हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे दें।

श्रीमती सुमित्रा : आप हर बात पर इस्तीफा देने के लिए बात करते हैं, छोटी छोटी बात पर।

श्री विजय सिंह : आपके साथ चलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रवण लाल : आपने कहा, पांच छः कैसेज हैं, मैं हजारों बता दूं, एक एक जिले में ढाई सौ, तीन सो बता दूं।

श्रीमती सुमित्रा : आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। नाम बताइये।

श्री भैरोंसिह : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। आपने बताया कि पांच छः आदमी अन्डर सस्पेन्शन चल रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अकेले भरतपुर ज़िले में करीब चालीस आदमियों को 24-3-70 को सस्पेन्ड किया गया है।

श्री श्रवण लाल : जिन्होंने बूढ़े, बच्चों के फर्जी नाम लिखाये।

श्रीमती सुमित्रा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, किसी को एम्बैजलमेंट और फर्जा आंकड़ों के लिए सस्पेन्ड नहीं किया गया है। उनको इस वजह से किया गया क्योंकि टार्जेट की पूर्ति नहीं की, छः छः महीने तक एक भी केस लाकर नहीं दिया, इस वजह से सस्पेन्ड किया गया, ताकि आगे ठीक प्रकार से काम कर सकें। यह डिसइन्सेन्टिव होगा उन लोगों के लिये जो काम नहीं करते हैं।

श्री श्रवण लाल : यह कहना गलत है, उन्होंने साठ साल, सत्तर साल के बुढ़ों के फर्जी आंकड़े भरे थे, नाबालिगों के आंकड़े भरे थे। आपने इस सदन में यह माना था कि इस प्रकार की गड़बड़ी हुई हैं।

श्रीमती सुमित्रा : हिण्डौन से आये हुए माननीय सदस्य, जो निलम्बित किये गये हैं, उनके बारे में आपको गलतफहमी हो रही है। आप कह रहे हैं कि फर्जी आकड़े बनाने के लिए निलम्बित किया गया। यह फर्जी आंकड़ों के लिए निलम्बित नहीं हुए हैं। आपने पूछा था, भरतपुर के अन्दर ऐसे कितने कैसेज हुए, जिनमें लोग फिट नहीं थे, वेसक्टोमी के लिये, फिर भी कर दिया गया। ऐसे मामलों में एक दो मामलों में सस्पेन्ड किये गये होंगे, उनके बारे में इस प्रकार के चार्जेज हैं। उनके अलावा जो अनयूटेबल लोग थे, जो फिट नहीं थे वेसक्टोमी के लिए, जो लोग कम एज के थे या बूढ़े लोग थे, इस प्रकार के केसेज नोटिस में आये हों तो आप बताइये।

श्री श्रवण लाल : क्या यह बुरा नहीं है। बूढ़ों का आपरेशन किया जाय, बच्चों

(श्री श्रवण लाल)
का किया जाय, क्या यह एम्ब्रेसमेंट नहीं है ?

श्रीमती सुमित्रा : इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी कर ली है और कार्यवाही की जा रही है। लेकिन आप जानते हैं यह एक ऐसा प्रोग्राम है, जो मनोवैज्ञानिक प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके पीछे बहुत भावनायें हैं, जिसके पीछे सामाजिक पृष्टभूमि है। ऐसे प्रोग्राम में छोटे मोटे घोटाले या छोटी मोटी गड़बड़ी हो जाती हैं।

श्री श्रवण लाल : इस प्रकार की गड़बड़ी होती है कि न तो बूढ़ों का आपरेशन करते हैं, न बच्चों का करते हैं, सिर्फ झूठे आंकड़े, झूठे नाम भरते हैं और पैसे उठा लिया जाता है उनके नाम से।

श्रीमती सुमित्रा : आप बता रहे हैं, मैं निवेदन कर रही हूं कि आप स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। आप नाम बताइये, ताकि जानकारी की जा सके। भरतपुर में ऐसे मामलों में जिन व्यक्तियों की फर्जी केसेज बता करके पैसा लेने की, गलती करने की शिकायत रही है वह केवल दो की हैं, जिनकी शिकायत की गई, और वह भी वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर ने शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर जांच कराई गई, जांच के अनुसार केवल दो अनफिट केसेज का स्टरलाइजेशन हुआ था, और जिनका स्टरलाइजेशन किया गया था, उनको मिला है, उनके सम्बन्ध में फर्जी आंकड़े दिखा कर पैसा लेने की बात नहीं है। आपको स्पैसिफिक केसेज का पता है तो आप दे दीजिये, मैं जांच करा लूंगी, और कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिये। मैं समझती हूं कि समय काफी हो गया है और आप लोगों को माननीय सदस्यों को एक हद तक, मैं समझती हूं, संतुष्ट करने की कोशिश की है। फिर भी किसी का उत्तर . . .

श्री केशरी सिंह हाडा : हो गया संतोष।

श्रीमती सुमित्रा : नहीं दे पाई हूं, तो उनका लिखित में उत्तर भिजवा दिया जायेगा। मैं समझती हूं कि इस विभाग के मनोवैज्ञानिक प्रोग्राम का महत्व समझते हुए माननीय सदस्य सर्व सम्मति से इस मांग को पारित करेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय मंत्री से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने झुंझुनू में जिस व्यक्ति की युसुफ अली को इस कार्य के लिए मन्थली हार्ड सौ रुपया देकर नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी है ? पुलिस में ऐसा केस रिकार्ड है कि इस आदमी ने नगरपालिका के मामलों में कितना ही भ्रष्टाचार किया है। इस सम्बन्ध में आपको जानकारी है। इतने निम्न स्तर के व्यक्ति की इस किस्म से पद पर राजनैतिक ढंग से नियुक्ति की है, गुपबाजी के कारण, तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे पवित्र काम के लिए, जिसके लिए कहती हैं कि मनोवैज्ञानिक और पवित्र काम है, उसकी नियुक्ति करके क्या आप उससे उम्मीद करती है कि यह मुस्लिम समाज में जाकर ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार करेगा। मैं समझता हूं कि यह

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

ग्रुपबाजी के आधार पर, राजनैतिक आधार पर नियुक्ति की है।

श्रीमती सुमित्रा : राजनैतिक आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहती हूं कि हाफिज का मतलब होता है जिसकी कुरान की आयतें पढ़ी हुई हों जिसे हदीस का ज्ञान हो . . . .

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसका सारा जीवन भ्रष्टाचार, करप्शन से भरा हुआ है। आप वह जानती है निश्चित रूप झुंझुनू की जनता जानती हैं। सभापति महोदय जानते है। हाफिज का तो ढोंग है, न उसकी आत्मा शुद्ध है और न पवित्र है। सारा जीवन भ्रष्टाचार, करप्शन से भरा हुआ है। पुलिस में उसका रिकार्ड है।

श्रीमती सुमित्रा : झुंझुनू की जनता यह जानती है कि हाफिज युसुफ अली निहायत ईमानदार एवं नेक नियत आदमी है। उनके बारे में भ्रष्टाचार की बात न मैंने आज तक कही सुनी न जनता में उसके बारे में कोई संशय है। तो आपने बारां में बैठे बैठे कैसे सुन ली।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप मामले को दबाना चाहती है। मैं जानता हूं कि आप सब जानती हैं। आपके ग्रुप का व्यक्ति है इसलिए आप सहायता दे रही है। यह बिल्कुल सही है।

श्री विजय सिंह : युसुफ अली फिट नहीं है तो मेरा सुझाव है कि नागौर के नाथू खां को लगा दीजिये।

श्रीमति सुमित्रा : बारां के माननीय सदस्य ने सदन को भ्रम के अन्दर डालने की कोशिश की है। यह कहा है कि युसुफ अली के खिलाफ झुंझुनू पुलिस में मुकदमा चल रहा है, झुंझुनू की पुलिस में वह हिस्ट्री सीटर हैं– यह बिलकुल गलत है। युसुफ अली एक इज्जतदार एवं प्रतिष्ठित नागरिक है।

श्री देवीदत गाड़िया : मैं हिस्ट्री सीटर नहीं कह रहा हूं। उसके खिलाफ अनेक रिपोर्ट हैं।

श्रीमती सुमित्रा : एक भी रिपोर्ट नहीं है।

श्री देवीदत गाड़िया : आपने दबा रखी हैं।

श्रीमती सुमित्रा : कोई रिपोर्ट है ही नहीं है। मैंने कोई नहीं दबायी हैं।

श्री विजयसिंह : आप दबा नहीं सकती है।

श्रीमती सुमित्रा : आपको गलतफहमी हो रही है। आपको याद नहीं है कि युसुफ अली कौन है, क्योंकि झुंझुनू जिला छोड़े हुए आपको काफी दिन हो गये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आपको भी जानता हूं और झुंझुनू को भी जानता हूं। मैं आपसे ज्यादा झुंझुनू की जनता को जानता हूं। आप झुंझुनू नगर को नहीं जानती हैं कि कौनसी गलियां हैं किधर हैं, आपको पता नहीं है कि झुंझुनू में पानी की समस्या थी उसको आप हल नहीं कर पाई, उस सवाल को मैंने विधान सभा में

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

रखकर समस्या का हल कराया आज तक वहां डाक्टर नहीं है, मैंने विधान सभा में सवाल रखा...

श्री भीखाभाई (जल प्रदाय मंत्री) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव के जरिए अपनी बातों को रखा। जहां तक कटौती प्रस्तावों का सवाल है, उसको कई ग्रुपों में विभाजित किया जा सकता है परंतु सबसे बड़ी बात जो कही गई है वह यह कि राज्य सरकार ने पेय जल को समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। मनुष्य के जीवन के अन्दर वायु के बाद दूसरा स्थान पानी का है। मौलिक आवश्यकताओं के अन्तर्गत जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण इसका नाम पड़ा है। इसकी आवश्यकता प्रत्येक को होती है इसलिए माननीय सदस्य जो चिन्तित हैं और जो व्यग्रता उन्होंने प्रकट की है उसको मैं समझता हूं और उस व्यग्रता से मुझे बल मिलता है, राजस्थान को बल मिलता है और राजस्थान में जो योजनायें बनाने वाले लोग हैं उनको भी बल मिलता है। मैं उसी दिशा में बोल रहा हूं। राजस्थान एक विशेष प्रकार की स्थिति में चलता है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति का जब तक अध्ययन न किया जाए तब तक पेय जल की समस्या का ठीक ढंग से अनुमान करना, तुलनात्मक विश्लेषण करना ठीक नहीं होगा। इसलिए जब तक हम राजस्थान की पृष्ठभूमि में जिसमें हम रह रहे हैं, भौगोलिक स्थिति आपके सामने है, उसका अध्ययन न करें तब तक समस्या को नहीं जान सकेंगे।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जहां से चुनाव लड़ा, जिस क्षेत्र की पैरवी यहां करते हैं, बाड़मेर की मैं उनको बता दूं कि राज्य सरकार ने अपने पर बहुत बड़ा बर्डन लिया था जितने ट्यूबवेल्स हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ले ली, इस प्रकार के आदेश दिए थे।

श्री हंसराज आर्य : क्या आप यह मानने को तैयार हैं कि राजस्थान में पीने के पानी की गंभीर समस्या है, इसको आप स्वीकार करते हैं ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य से सेंट-पर-सेंट तो क्या सवा सौ परसेंट मैं सहमत हूं।

(श्री भीखाभाई और हंसराज आर्य साथ साथ बोलने लगे)

भौगोलिक दृष्टि से सत्य है, ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य है, इसका बहुत बड़ा भाग जो पश्चमी जिले हैं, रेगिस्तानी हैं, दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, आभारी हूं इसलिए कि आपने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उसके द्वारा योजना कार्यों में लगे लोगों को और बजट बनाने वाले लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन मैं आपके उस कथन से सहमत नहीं हूं जैसे आपने अपने भाषण में कहा कि सरकार की जूं तक नहीं रेंगती। मैं इस बात को इन्कार करता हूं, वह निराधार है। राज्य सरकार ने क्या किया। राजस्थान में 5 जगहें जहां भी जल प्रदाय योजनायें शुरू की

(श्री भीखा भाई)

जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, डूंगरपुर और एक और थी इन जगहों पर ऐतिहासिक कारणों से राजा महाराजाओं के रजवाड़े थे जहां पीने के लिये पानी की बहुत कठिनाई थी। कहीं पर पानी गन्दा मिलता था तो कहीं खारा था...

श्री विजय सिंह : इसलिए जोधपुर दरबार ने जवाई बांध बनवाया।

श्री भीखाभाई : जहां पहाड़ी इलाका है तो पानी खारा है, खराब है और पीने से कई तरह की बिमारियां होती हैं। हम चाहते हैं कि यूनीसेफ मदद करे जिससे हम पहाड़ी इलाकों में ट्यूबवेल लगा सकें। तो राज्य सरकार सोई हुई नहीं है। उदाहरण के लिए बाड़मेर जिले में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सारी सूची मेरे पास मौजूद है। पानी गया है। 10 दूसरी क्षेत्रिय योजनायें हैं। जिनमें 36 ट्यूबवेल हैं योजनाओं में कुल 62 ट्यूबवेल्स आयेंगे। रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्दर भारत सरकार से हमें इस जिले पर दो करोड़ मिलने वाले हैं और दूसरों में भी तीन करोड़ मिलने वाले हैं। उसके द्वारा 225 प्रोजेक्ट जो ट्यूबवेल्स के थे उसमें मैं समझता हूं पश्चमी जिलों को फायदा मिलेगा।

राज्य सरकार ने नई नीति जो अपनाई है, योजनाओं की। रेगिस्तान में 14 जगह जिनके अन्दर कहा गया कि 5 प्रतिशत जन सहयोग का सवाल है, वह हमने 2।। प्रतिशत कर दिया। सारी चीजें क्या बताती हैं यह बताती है, मैंने जैसे कहा, नगरों में 111 योजनायें हैं। जहां पर 5 की वहां पर 111 कर दी...

श्री विजयसिंह : मकराना योजना खटाई में पड़ी हुई है।

श्री भीखाभाई : 299 योजनायें हैं जिनमें से 122 योजनाएं अभी हाथ में ली हैं। 2 -23 कन्टीन्यूअस हैं। 5 योजनाओं की जगह आज इतनी योजनायें हैं तो राज्य सरकार सफल हुई या असफल हुई।

हंसराज जी ने कहा भाखरा योजना के बारे में, नौहर के बारे में चिन्ता प्रकट की। माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं उसकी तो मुझे खुशी है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक नौहर का सवाल है, वह पूरी कर दी। भाखरा का सवाल है, दो बार योजनायें बनी हैं। पहले 1970 में बनी। उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है, गुजरात है हमारे बोर्डर पर है, बहुत बड़े शहरों में भी पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में सीमित साधन होते हुए भी ऐतिहासिक कारणों के होते हुए भी राजस्थान ने जो कुछ किया है पानी के मामले में वह प्रशंसा की चीज है।

श्री विजय सिंह : आप ऐसे बोल रहे हैं, जैसे बिना पानी मछली तड़पती है।

श्री भीखाभाई : राज्य सरकार ने विचार किया है मकराना से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं। नागौर के अन्दर वहां के क्षेत्र से जाकर क्षेत्रीय योजनायें ली गईं। कई योजनायें लेने की बात है, सारी क्षेत्रीय योजनायें हैं। राजस्थान में अजमेर में 70 मील दूर से पानी लाने का सवाल है उसके बाद में...

श्री गोकुल प्रसाद : अजमेर में 70 मील दूर से पानी ला रहे हैं लेकिन रेगिस्तान में नहीं लायेंगे ?

श्री भीखाभाई : जोधपुर में 100 मील लाया गया है, अजमेर में 70 मील से जयपुर में 19 मील से...

बनास के बांध के लिये उन्होंने कहा। जब तक पूरा काम न हो उसके लिए हम विचार करेंगे कि क्या हो सकता है। 16 लाख रुपया हमने लिया। रिजरवायर हम बना रहे हैं। जयपुर में 19, बाड़मेर में 16, डूंगरपुर में 8, सिरोही में 10 और भरतपुर में 25 मील से हम पानी दे रहे हैं। सभापति महोदय, ये सारी स्कीमें हैं।

श्री भैरोंसिंह : कुल मिला कर कितना माइल हुआ ?

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैंने जो आंकड़े रखे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसमें विश्वास रखें।

धनराशि का सवाल है। एक प्रश्न उठा था। शहरों पर ज्यादा पैसा खर्च हुआ। इससे मैं इन्कार नहीं करता हूं। यह सब लोगों की जो यहां बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है। जहां शहर है लोकल माननीय सदस्य वहां के भी हैं। बार बार मंजिल खड़ी हुई हैं। सारी की सारी मंजिलों में पानी पहुंचता है। उपयोगी बातें हैं। ऐसी बस्तियां हैं जहां कि पानी पहुंचाना आवश्यक होता है। एक सर्वे की गयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण जल योजना के अलावा भी तो करना पड़ेगा। माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच में भेद मिटाना चाहता हूं। नया फैसला यह लिया है। पोंग डेम के साथ जो ग्रामीण बस्तियां है, ग्राम हैं उनको कनेक्ट किया जाय। ग्रामीण जल योजना के समाधान की बात होगी तो की जावेगी। लेकिन ग्रामीण और शहरी की भावना को मिटाना होगा।

14 जिले हैं, रेगिस्तान इलाके के। इसमें पाली, झुन्झुनू और सीकर भी आ गये हैं। ऋण को माफ कर दिया गया है। यह प्रतीक है कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। नगरपालिकाओं का ऋण माफ कर दिया है। दो करोड़ होता है। सारी बातें पेय जल को उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त हैं।

जहां तक प्रावधान का सवाल है 20 करोड़ रुपया ग्रामीण जल योजना के लिये रखा है। सारी बातें इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि सरकार जागरूक है और सतर्क है और जनता की भावनाओं के प्रति सजग होकर काम करना चाहती है।

रतनगढ़ के बारे में बातें आयीं। एक ट्रस्ट है शार्दूल ट्रस्ट वाटर वर्क्स सप्लाई के नाम से। ध्यान आकर्षित के जरिये से मुझे कहा गया। हम इसको लेने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उनकी ओर से आफर आये। उनकी ओर से कोई बात नहीं हुई। नगरपालिका को इनसिस्ट नहीं किया जा सकता कि वह मूव करें।

श्री लाभचन्द वैद : मैं आप से पूछना चाहता हूं।

श्री भीखाभाई : बाद में बता दूंगा।

Page No 183

श्री लाभचन्द : वह लिख कर नहीं देगा तो जनता के कष्ट को देखते हुए आप उसको हाथ में नहीं लेंगे ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि हम अपनी तरफ से क्यों नहीं करें। हम अपनी ओर से टेक ओवर कर सकते हैं।

श्री लाभचन्द वैद : नगरपालिका लिख कर दें, यह क्यों कहते हैं। मैं कह रहा हूं। मैं वहां का प्रतिनिधि नहीं हूं क्या ?

श्री भीखाभाई : आप नगरपालिका नहीं हैं।

श्री लाभचन्द वैद : नगरपालिका तो नहीं हूं लेकिन क्या मैं वहां का प्रतिनिधि नहीं हूं ?

श्री भीखाभाई : लिख कर देंगे तो हम अपने हक में जरूर ले लेंगे। प्राइवेट ट्रस्ट बना हुआ है उसके दस्तखत नहीं होंगे तो हमारे लिए मुश्किल है। उनकी तरफ से लिखा कर दे दें तो हम लेने के लिए तैयार हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह जो आपने फरमाया लेकिन शिकायत यह है कि ट्रस्ट के द्वारा जो काम चल रहा है वह ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। ट्रस्ट वाले क्यों कहेंगे। सरकार को कोई चिन्ता नहीं, चाहे जनता परेशान हो, सरकार इसके लिये अपने आपको क्या जिम्मेदार नहीं मानती है क्या ?

श्री लाभचन्द वैद : दूसरा वाटर वर्क्स बनायेंगे ?

श्री भीखाभाई : इसको रिलेस कर देंवे चतुर्थ योजना में 1/3 राज्य सरकार लेती है और 2/3 नगरपालिकाओं के पास है।

श्री देवी दत्त गाड़िया : रतनगढ़ में 30 हजार की आबादी है। ट्रस्ट वाले ठीक व्यवस्था नहीं करना चाहते, जनता प्यासी मर रही है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य या नगरपालिका लिख कर दे।

श्री गोकुल प्रसाद : ट्रस्ट किसका ? धर्मादे का। धर्मादे से पानी पिलाते हैं। वह कहते हैं कि मां मर गयी उसके पीछे यह ट्रस्ट है। राज्य सरकार वहां की जनता के लिए पानी का इन्तजाम न करे यह बड़े शर्म की बात है। कहते हैं कि वह लिख कर दे। बड़े शर्म की बात है। बाप मर जाय किसी का, कहे कि धर्मादे का पानी पिला रहा हूं। सरकार को सारे ट्रस्ट को लेना चाहिए। नहीं तो आप अपना इन्तजाम कराइये। रतनगढ़ की जनता के लिये आपको इन्तजाम करना है।

श्री लाभचन्द वैद : मेरे लिखने से आपका काम नहीं चलता है क्या ?

श्री भीखाभाई : हम जांच करवा लेंगे।

श्री लाभचन्द वैद : जांच क्या करवा लेंगे ?

श्री भीखाभाई : आप लेना चाहते हैं या नहीं।

श्री देवीदत्त गाडिया : ट्रस्ट वालों ने इन्कार कर दिया तो क्या प्यासी मरेगी जनता ? 30 हजार की आबादी है।

श्री भीखाभाई : सरकार ने नियम बना दिये हैं, सारे मुक्त कर दिये हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को। रतनगढ़ का जहां तक सवाल है, माननीय सदस्य लिख कर दें। हम अपनी तरफ से पहले ही कर देंगे।

प्रश्न का उत्तर हो चुका है। उन्होंने बीकानेर के बारे में कहा कि बीकानेर में हमने कोई कुआ नहीं खोदा। यह सही नहीं है। चार कुए खोदे हैं। सिवाणी, सिगा, बीकानेर एक और बीकानेर 2 तथा एक और। इस तरह से कुए खोदे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ये कुए सरकार ने खुदवाये हैं क्या ?

गलत बात क्यों कही जाती है ? एक नहीं खोदा। मैं रहने वाला हूं वहां का।

श्री भीखाभाई : जो रिपोर्ट है विभाग की मेरे पास, उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : ये आपके क्षेत्र में नहीं खुदे हैं।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य, स्वयं होशियार आदमी हैं। वे क्यों उनकी वकालत कर रहे हैं। कई नई योजनायें और लेने का इरादा कर रहे हैं।

एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल काफी तादाद में लगाये हैं जिनमें से 140 के लगभग सक्सैसफुल हुए हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक भी सक्सैसफुल नहीं हुआ।

श्री भीखाभाई : अगर आप कहते हैं तो मैं जांच करवा लूंगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, यह बिलकुल गलत है।

श्री भीखाभाई : हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम राजनैतिक कारणों से काम नहीं कर रहे हैं, विरोधी लोगों के क्षेत्रों में। यह सही नहीं है। हमारे सामने जनता की सुख सुविधा का प्रश्न सर्वोपरि है। हिण्डौन की योजना चालू है। सैंक्शन होने के बाद जिस रफ्तार से यह चल रही है उसी रफ्तार से भविष्य में भी काम होता रहेगा। और अगले साल सारा काम पूरा कर दिया जावेगा। यह विश्वास दिलाता हूं।

अब दादाबाड़ी का पानी जैसा है, सब जानते हैं, यह ऐतिहासिक बावड़ी है। माननीय बीकानेर से आने वालों ने जो प्रश्न उठाया वह मेरे ध्यान में है। मैंने पहले से कार्यवाही की है।

गन्दे पानी के बारे में कहा। इसमें कार्यवाही यथाशीघ्र नहीं हुई। यह जरूर है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कहां इसको फेंक रहे हैं सारे को आप ?

आप स्लोप की बात करते हैं, स्लोप को डाइवेर्ट किया जा सकता था। आप जांच करवा लीजिये।

मैं अर्ज करूं, सभापतिजी, तीन साल पहले इस प्रश्न को मैंने यहां उठाया था। तो उस सेठ ने मुझे कहा कि आप ठहरिये,

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
मैं सरकार से करवा लाऊंगा। पैसे की बात सही थी। आप इसकी जांच करवा लें। किसने बेईमानी कर ली है इसमें। चाहें तो सदन की एक कमेटी बना दें, इसके लिये। क्यों पानी उभर जाता है ?

श्री भीखाभाई : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ और इसके आधार पर जांच कराने का आदेश दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : कब दिया है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : तीन वर्ष पहले यह प्रश्न मैंने सदन में उठाया था।

श्री भीखाभाई : इसकी और जांच करवा लूंगा कि क्यों यह देर हुई ?

श्री भैरोंसिंह : पहले मसले की जांच हो रही थी, अब जांच इस बात की होगी कि देर क्यों हो रही है ?

श्री भीखाभाई : जयपुर के बारे में बात कही गई। साथ ही जयपुर से वे बाड़मेर पहुंच गये। कहां रामगढ़ का बांध और कहां जवाई बांध। हनुमान की तरह से लांघ गये वे। माननीय सदस्य बोलते हो चले गये। अब मैं क्या कर सकता था। उन्होंने पत्र का जवाब दे दिया, वह भी पढ़ा।

सभापति महोदय, अभी मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि इस बारे में सारी बात बता सकूं। I am not in possession of the record and documents because only a single.........

श्री विजयसिंह : यह मामूली बात नहीं है। ए. आई. सी. के प्रेसीडेण्ट टैक्स की, इन्कम टैक्स की चोरी कर सकते हैं तो क्या पी. सी.सी. के प्रेसीडेण्ट पानी की चोरी भी नहीं कर सकते ? एक पानी की चोरी करता है, दूसरा टैक्स की चोरी करता है।

अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि उस पानी के चोर की जांच कराने को वे तैयार नहीं हैं। एक साल से मामला चल रहा है। कब जवाब देंगे। आपके पास उत्तर तैयार नहीं है तो आप अपने अफसर से लेकर बताइये। अफसर तो यहीं बैठे हैं।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मामला गम्भीर बना दिया गया है। गम्भीर है नहीं, बनाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिये। जिलाधीश की रिपोर्ट आपने देखी या नहीं ? कलेक्टर, जोधपुर की रिपोर्ट आपने देखी या नहीं।

श्री भीखाभाई : मैंने जैसे निवेदन किया, मैं आज ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि हाफ एण्ड यह सब बता सकूं। मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि उस रिकार्ड के आते ही मैं जानकारी दे दूंगा। वैसे यह ऐसे लोगों का बनाया हुआ मामला है। यह ठीक नहीं है। It is also not technically possible

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न बिलकुल सीधा है। कलक्टर की रिपोर्ट आपने देखी या नहीं ?

श्री भीखा भाई : रिपोर्ट तो वापिस भेज दी गई।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि कलेक्टर की रिपोर्ट आई है और कलेक्टर की रिपोर्ट को माननीय मन्त्री महोदय ने टेकनीकली साउण्ड नहीं समझा, इसलिए वापिस भेज दिया। यही बात है न ?

श्री भीखाभाई : हां क्यों करवाते हो ? जो बोल गया, उसकी क्यों हां करवाते हो। सभापति महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि • • • •

श्री मनोहरसिंह मेहता : सांगानेर के लिए बल दें।

श्री भीखाभाई : हमारे पास लगभग एक करोड़ रुपया है और इससे दो करोड़ के लगभग की योजना हम प्रारम्भ कर सकेंगे।

इतना कह कर अन्त में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस ले लें और इस मेरी मांग को पारित करने की कृपा करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति जी

श्री सभापति : आर्डर प्लीज • • •

श्री मनोहर सिंह : एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं, सांगानेर के बारे में, यह भीलवाड़ा से जुडा हुआ है, और नाहर साहब का क्षेत्र है ? वहां पर क्या कर रहे हैं ? यह बता दीजिये।

श्री भीखाभाई : सांगानेर को रीआर्गेनाईजेशन की स्कीम में शामिल कर लिया गया है।

श्री हंसराज आर्य : सभापति महोदय मैं जल प्रदाय विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ योजनाओं को शुरू किया है, परन्तु इसके बाद भी जो समस्या बाकी रह गई है, उसके लिए राज्य सरकार ने कोई प्लान तैयार किया है और यदि हां, तो वह कितनी धनराशि का होगा और क्या राज्य सरकार इसको अपने सामर्थ्य से पूरा कर सकेगी या भारत सरकार की मदद लेगी ?

श्री भीखाभाई : इस सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं और समय समय पर इसको दोहराया गया है और वह यह है कि राज्य सरकार ने एक प्रकार का फेअर कास्ट एस्टीमेट बनाया है यह एस्टीमेट गांव गांव के अन्दर बनाया गया है और भारत सरकार को भेज दिया है। राजस्थान में यह बना है, 70 करोड़ का। यह 66 के पहले का है। प्राइसेज जिस प्रकार से बढ़ती हैं, तो उस प्राइसेज के हिसाब से 66 से 71 तक की धनराशि भी इसमें जुड़ जायेगी। इस समस्या से जिस प्रकार माननीय सदस्य चिन्तित हैं, वहां मैं भी चिन्तित हूं। इस वर्ष दो करोड़ की योजना हम हाथ में ले रहे हैं। इसके लिये यह जरूरी है कि हमारा सर्वेक्षण आर्गेनाईजेशन मजबूत हो और अधिक से अधिक सर्वेक्षण का कार्य हो सके। ट्यूब वैल खोदने का काम अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के द्वारा होता है। मै समझता हू कि और भी आर्गेनाईजेशन यह काम करते हैं, जहां तक हमारी स्कीम है, पाइप डालने का उसके सर्वेक्षण का सवाल है यह हमारे विभाग के द्वारा ही होता है। दूसरा काम भी जो सर्वेक्षण का है वह भी हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है। इसलिये करना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में जनता ने जो हमसे अपेक्षा की है उसको पूरा करना है।

श्री हंसराज आर्य : आपका प्लान कितने का है और इस मंहगाई को देखते हुए क्या वह ठीक है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा है 70 करोड़ का है। भारत सरकार को भेज

(श्री भीखाभाई)

दिया है। वहां स्वीकृत हुआ है या नहीं, इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : ये 17 गांव हैं और 85 प्रतिशत पानी वहां पर खारा है। क्या राज्य सरकार या वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट उनको कैनाल के द्वारा पानी की सप्लाई करेगा।

श्री भीखाभाई : यस यस। लिफ्ट इर्रीगेशन चेनल का राज्य सरकार की तरफ से सर्वेक्षण हो चुका है। हमारा इरादा है कि इन गांवों को भी पीने का पानी दिया जाये।

श्री गोकुलप्रसाद : निश्चय है या इरादा है? इरादा तो बदल सकता है।

श्री भीखाभाई : निश्चय है।

श्री सभापति: आर्डर, माननीय सदस्य। आपने प्रश्न पूछ लिया है।

श्री हंसराज आर्य: एक समस्या बची है। यह जो आपने प्लान बनाया है उसको आप अपनी सामर्थ्य से पूरा कर देंगे या भारत सरकार से मदद मांगेंगे।

श्री सभापति : आपको और कोई पूछना है।

श्री भैंरोंसिंह।

श्री भैंरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह तो आपने स्वीकार कर लिया है, और जिलाधीश का पत्र देख लिया है और उस पत्र में वही बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस पत्र के सम्बन्ध में जांच करने के लिये आपने जिलाधीश को लिखा है या कोई टेकनीकल आफिसर नियुक्त किया है।

श्री भीखाभाई : जैसा मैंने कहा मैंने जो कुछ पढ़ा है उससे मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता है। जांच तो बाद की बात है। वह प्रश्न नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह : कलक्टर ने रिपोर्ट दे दी है इन्जीनियर्स के बयान लेने के बाद रिपोर्ट दे दी है। अब उसमें कौनसा क्लेरिफिकेशन रह गया है।

श्री भीखा भाई : मैंने भाषण दे दिया उसके बाद भी क्लेरिफिकेशन चाहते हैं उसी प्रकार से कलक्टर से कलेरिफिकेशन चाहा गया है।

श्री भैंरोंसिंह : आपके क्लेरिफिकेशन का मतलब यह हुआ कि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। इसलिये ही आपने कलक्टर को इन कागजातों को अपने पास रखने के लिये भेज दिया है!

श्री भीखाभाई : राज्य सरकार सक्षम है, काबिल हैं और कार्यवाही करने की योग्यता रखती है।

मेजर श्री फतहसिंह : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं और वह यह है कि ब्यावर नगर में भीमा जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और यह स्कीम कब से वहां पर चालू हो जायेगी। इसके सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहूंगा।

श्री भीखाभाई : ब्यावर नगर परिषद् की एक मुख्य योजना है, परन्तु क्योंकि राज्य सरकार ने विगत वर्षों में देखा कि यहां पर पानी की कठिनाई है, किल्लत है तो इस बात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस पर पुनर्विचार करते हुए यह तय किया है कि इसको अपने हाथ में लेना चाहिये और कुओं का सर्वे किया है उसमें कोई खराब नहीं निकला है। तीन, चार मील पर वाटर सोर्सेज और मिल सकते हैं और इस बात को देखा है और देखने के बाद इर्रीगेशन विभाग को लिखा है परन्तु उसने इन्कार कर दिया है। दूसरा एक और भी कुआ है रायपुर के अन्दर। उसके अन्दर भी तीन-चार जगह किया परन्तु वहां पर कोई सोर्स आफ वाटर नहीं मिल सका। आज इस बात पर मीटिंग हुई नगर परिषद् के चेयरमैन, मुख्य मंत्री और सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों की और उसमें यह तय पाया गया है कि पानी भोमियां से लाया जावे, चाहे जितना भी पानी हो उससे मदद मिलेगी। जवाजा के अन्दर लायेंगे और फिर दूसरा तालाब है उसको उसके अन्दर लायेंगे उसका नाम मुझे याद नहीं है। जवाजा की तरफ से आगे और एक तालाव आयेगा वहां से चेनल लेकर डालेंगे। इस प्रकार की योजना बनायी जा रही है और जल्दी ही सर्वेक्षण होकर काम पूरा हो जायेगा।

श्री सभापति : श्री बिरदा राम।

श्री बिरदा राम : सभापति जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि नून और निर्मणा में अकाल के समय सरकार ने मशीनों के द्वारा पानी दिया है परन्तु अब वहां से मशीन उठा ली गई है। वहां का पानी खारा है। यह जालोर जिले में है ढाई प्रतिशत भी जनता देने को तैयार है। क्या सरकार को मालूम है कि उस जगह की नल योजना कब तक बना जायेगी और लगाई जायेगी।

श्री भीखाभाई : जालोर जिले के लिये पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन देने का सवाल नहीं है। वहां पर क्षेत्रीय योजनाएं हैं और क्षेत्रीय योजनाओं में किसी धनराशि की आवश्यकता नहीं होती है। जल्दी ही इसका सर्वेक्षण करा कर इसका कार्य भी हाथ में लिया जायेगा।

श्री बिरदा राम : मंत्री महोदय ने भीनमाल में यह घोषणा की थी कि वहां पर टंकी बनाई जायेगी। वहां पर जो पानी जाता है वह आधा ही जाता है। इसलिए टंकी बनाना है वहां स्टेशन है और सरकार यह कब तक बनायेगी। सी.एम. साहब के साथ आप भी गये थे। आपने उसको देखा है। तो यह सरकार कब तक बनायेगी?

श्री विजयसिंह : वे तो सीरा पूड़ी खाने आये थे।

श्री भीखा भाई : मुझे अभी पता नहीं है। मैं जानकारी करके कह सकूंगा।

श्री रामजीलाल यादव : सभापति महोदय, जो शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की बस्तियों में टेप लगाने की योजना रखी है इसमें मैं जानकारी चाहूंगा। क्या आप रूरल एरियाज के अन्दर जहां शिड्यूल कास्ट्स के लोग रहते हैं उनमें टेप नहीं लगे हैं। उनको टेप लगाकर पानी दिया जाय।

श्री भीखाभाई : विभाग के पास साधन होंगे तब ही कर सकेंगे। समाज कल्याण

(श्री भीखाभाई)
विभाग ने हमको जो दिया है उससे हमने उन वस्तियों में नल डालने की कोशिश की है। भविष्य में राज्य सरकार ने इलैक्ट्रिफाई के लिए निर्देश दिये हैं कि जो हरिजन मोहल्ले है उनमें नल योजना के बारे में भी आदेश जारी करते हैं। उसके साथ मैं और भी आदेश जारी करना चाहता हूँ जैसे सीवर लाइन वर्क्स। इस बारे में हम एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर को लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, इससे भविष्य के लिए रास्ता खुला है और जो पीछे वाला है शनैः शनैः किस प्रकार हो सकेगा कोशिश करेंगे किस प्रकार ऐडजस्ट किया जा सके।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): निवाई लाइन कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री भीखाभाई : जल्दी होने वाली है।

श्री दिग्विजय सिंह : जल्दी कब तक हो जायेगी।

श्री भीखाभाई : इसी साल में दोनों पूरी हो जायेंगी। आपको यह होगा कि वोट ज्यादा मिले।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वोट के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा। वह जो कट मोशन मैंने दिया है, आपने पढ़ा होगा।

श्री भीखाभाई : मैंने आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया है और हमेशा समाधान करता रहता हूं और आगे भी करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है प्रश्न है चोरी की रिपोर्ट कलक्टर ने दी। मैं समझता हूं किसी ऐसे वैसे मामूली आदमी ने रिपोर्ट नहीं दी है। एक जिम्मेदार कलेक्टर ने इसकी रिपोर्ट दी मैं और रिपोर्ट को माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया आज 1971 चल रहा है। किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले क्योंकि वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है यह राज्य सरकार इस प्रकार चोरी के मामले को दबाना चाहती है, इसलिए मैं अपने कट मोशन के प्रस्ताव को सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत करता हूं। मन्त्री जी की लाचारी को समझता हूं, इसलिए ज्यादा इस मामले में नहीं कहना चाहता हूं। आप एन्क्वायरी क्यों नहीं कराते हैं। मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, एक सेकिन्ड मैंने निवेदन किया जो रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट इस प्रकार थी कि कई दूसरे फार्म बीच में पडते हैं। लम्बी नहर है 100 मील लम्बी है और साथ में प्रोजेक्स हैं वह सारे मिलाकर इस प्रकार होता है कि उस रिपोर्ट को देखना अभी सम्भव नहीं है इसलिए सभापति महोदय आपके माध्यम से मा. सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं वे अपनी बात यहां तक सीमित कर दें।

श्री विजयसिंह : केनाल में जो सुराख किया हुआ है उसके बारे में आपने क्या कहा....

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29 चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च 1972 को समाप्त-

(श्री सभापति)

होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,00, 45,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30 ए परिवार नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,69,51,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक 94 जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,51,19,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

जो पक्ष में हों वे हां कहें·····

श्री भैरोंसिंह : यह कौनसा आ गया ?

श्री सभापति : आप वाला 17 है । वह बाद में ले लूंगा ।

जो पक्ष में हों हां, कहें जो विपक्ष में हों वे ना कहें ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30 जन स्वास्थ्य के के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय । जोधपुर में जवाई से आने वाले पानी की चोरी को रोकने में असफलता तथा उसके निराकरण में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन के·····

श्री भैरोंसिंह : अनुमोदन नहीं अननु-मोदन ।

श्री सभापति : अननुमोदन के सम्बन्ध में माननीय भैरोंसिंह जी का जो कटौती प्रस्ताव है, प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जाय । जो पक्ष में हों वे हां कहें और जो विपक्ष में हों ना कहे ।

नां पक्ष की ओर से : हां की आवाज ।

हां पक्ष की ओर से : नो की आवाज ।

हां पक्ष : नोज हैव इट ।

ना पक्ष : एज हैव इट ।

(मा. सदस्यों की नोज हैव इट की ओर एज हैव एट की बार बार आवाजें) एक बार पुन: सदन के सामने प्रश्न रखता हूं कि माननीय सदस्य श्री भैरोंसिहजी ने जो मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30 जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत जो कटौती का प्रस्ताव दिया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(नोज हैव इट और एज हैव इट की बार बार आवाजें)

मेरे ख्याल से ना पक्ष जीता ।

श्री देवीदत्त गाडिया : सभापति महोदय हां पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नोज हैव इट।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उनसे जानना चाहता हूं कि आप क्या डिवीजन क्लेम करना चाहते है ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने डिवीजन क्लेम किया है। (शोरगुल व्यवधान) आज परीक्षा होगी।

(भारी शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : नाथूराम मिर्धा ने चोरी की है। नाथूराम मिर्धा को गिरफ्तार करो।

(शोरगुल, व्यवधान)

राजस्थान की जनता चुन चुन कर बदला लेगी।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ-अश्रव्य)

जगजीवन राम ने लाखों रुपयों की इनकम टैक्स की चोरी की है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

(9-31 बजे, विभाजन सूचक घण्टी)

श्री विजयसिंह : नाथूराम मिर्धा को गिरफ्तार करो।

(शोर गुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : उनसे त्याग पत्र लो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं पुनः एक बार मांग संख्या 17 जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में माननीय भैरोंसिंह जी जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री गिरधारी लाल व्यास : नोज हैव इट।

श्री देवीदत्त गाडिया : ऐज हैव इट।

अनेक माननीय सदस्य : (सत्ता पक्ष) नोज हैव इट।

अनेक माननीय सदस्य : (विरोध पक्ष) ऐज हैव इट।

श्री सभापति : लाबीज खाली की जायें।

श्री देवीदत्त गाडिया : आज जनतन्त्र की परीक्षा है। हमने संविधान की शपथ ली है। हम सब माननीय सदस्यों ने संविधान की शपथ ली है। नाथूराम मिर्धा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। उसने हजारों रुपये की चोरी की है।

(विभाजन)

विभाजन का परिणाम

नां पक्ष

(श्री भैरोंसिह का कटौती प्रस्ताव)

दिनांक 27–4–71

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	विभाजन सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अमीलाल यादव	25.	श्री हंसराज आर्य
2.	श्री कन्हैयालाल पटेल (पिड़ावा)	26.	श्री हीरालाल देवपुरा
3.	श्री कल्याणमल		
4.	श्री किशनलाल शर्मा नाथद्वारा		
5.	श्री गिरधारी लाल व्यास		
6.	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा		
7.	श्री जसराज		
8.	श्री बिरदाराम		
9.	श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा)		
10.	राव श्री धीरसिंह		
11.	श्री नथमल चोहला		
12.	श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन)		
13.	श्री पृथ्वीराज पटेल		
14.	श्रीमती प्रभा मिश्रा		
15.	श्री बलवन्त		
16.	श्री बृजसुन्दर शर्मा		
17.	श्री भीखाभाई		
18.	श्री मनफूल राम		
19.	श्री रघुनाथ विश्नोई		
20.	श्री रामचरण		
21.	श्री रोशनलाल		
22.	श्री शंकरलाल (जैतारण)		
23.	श्री श्रीनिवास शारदा		
24.	श्रीमती सुमित्रा		

हां पक्ष

श्री भैरोंसिह का कटौती प्रस्ताव

दिनांक 27

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
1.	श्री कृष्णकुमार गोयल
2.	महाराज श्री केसरीसिंह हाड़ा
3.	राजकुमार श्री दिग्विजयसिंह
4.	श्री देवीदत्त गाड़िया
5.	मेजर श्री फतेहसिंह
6.	श्री भैरोंसिह शेखावत
7.	श्री मनोहरसिंह मेहता
8.	श्री लाभचन्द बैद
9.	ठाकुर श्री विजयसिंह (मकराना)
10.	श्री श्रवणलाल

मतदान के पश्चात्

श्री सभापति : आर्डर प्लोज ! विभाजन का परिणाम इस प्रकार है । 'हां' पक्ष 10 'ना' पक्ष 26

अस्वीकृत

कटौती प्रस्ताव गिर गया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पानी चोर नाथू राम को गिरफ्तार करो ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : गलत ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पानी चोर नाथू राम को गिरफ्तार करो ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : गलत ।

श्री बिजय सिंह : नाथूराम मुर्दाबाद !

विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह नम्बर आपको ठीक मिला है 10 ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बहिर्गमन करते हुए तुम्हारा मुकाबला इसी से होगा ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है, मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 3..—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,75,47, 000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे ।

स्वीकृत

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए सधन्यवाद स्थगित की जाती है ।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9 बज कर 42 मिनिट पर बुधवार दिनांक 28 अप्रेल, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

परिशिष्ट 1

(अतारांकित प्रश्न संख्या 473 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य के भिन्न भिन्न नियोजन कार्यालयों में दिनांक 31–12–70 को नौकरी चाहने वालों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	नियोजन कार्यालय	दिनांक 31–12–70 को चालू रजिस्टर पर उपलब्ध आशार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	17,469
2.	अलवर	7,161
3.	बांसवाड़ा	1,306
4.	बाड़मेर	1,315
5.	भरतपुर	6,480
6.	भीलवाड़ा	4,323
7.	बीकानेर	7,518
8.	चित्तौड़गढ़	2,623
9.	चूरू	2,452
10.	डूंगरपुर	1,258
11.	जयपुर	20,719
12.	झालावाड़	1,573
13.	झुन्झुनूं	3,357
14.	जोधपुर	8,559
15.	कोटा	9,098
16.	नागौर	1,939
17.	पाली	2,966
18.	सवाई माधोपुर	5,398
19.	सीकर	2,810
20.	सिरोही	2,467
21.	श्रीगंगानगर	3,933
22.	उदयपुर	10,738
23.	वृत्तिक एवं कार्यकारी अनुभाग	2,633
	योग	1,23,695

परिशिष्ट 'ब'

[राजस्थान राज्य के भिन्न-भिन्न नियोजन कार्यालयों में दिनांक 31-12-70 को नौकरी चाहने वाले हरिजन, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के आशार्थियों की जिलेवार सूची]

क.सं.	नियोजन कार्यालय	हरिजन	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	842	2797	58
2.	अलवर	297	657	359
3.	बांसवाड़ा	26	42	255
4.	बाड़मेर	30	192	40
5.	भरतपुर	257	126	24
6.	भीलवाड़ा	156	482	47
7.	बीकानेर	754	236	19
8.	चित्तौड़गढ़	43	214	47
9.	चूरू	195	51	19
10.	डूंगरपुर	14	52	425
11.	जयपुर	768	972	369
12.	झालावाड़	46	207	53
13.	झुंझुनूं	182	336	29
14.	जोधपुर	416	992	82
15.	कोटा	415	802	218
16.	नागौर	41	240	2
17.	पाली	26	404	19
18.	सवाई माधोपुर	291	569	231
19.	सीकर	61	332	42
20.	सिरोही	79	432	188
21.	श्रीगंगानगर	45	297	8
22.	उदयपुर	72	879	2884
	योग	5062	11,211	5417

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 485 की सूची)

APPENDIX 'A'

LIST OF PERSONS WHO HAVE APPLIED FOR CONNECTIONS IN VILLAGE MAJRA, TEHSIL BEHROR

S.No.	Name of Applicant	Date of application.	Date of issue demand notice	Date of deposit of money.	Date of submission of 'L' Form.	Date of connection.	Reasons for not giving connection.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AGRICULTURAL PURPOSES						
1.	Shri Sukhlal Amilal	6-5-69	15-6-69	13-8-69	—	—	Application was cancelled as the 'L' form was not submitted by the consumer.
2.	Shri Amilal Yadav	28-7-70	15-12-70	11-1-71	11-1-71	—	The work could not be completed for want of supports.
3.	Shri Bhoney Lal	20-8-68	—	—	—	—	Gave in writing that he was not interested in taking the connection.

INDUSTRIAL PURPOSE.						
1. Shri Jag Ram	1-7-68	6-11-70	—	—	—	Security not deposited.
2. Shri Roop Chand	7-6-70	31-12-70	8-1-71	8-1-71	—	Sitting not completed.
LIGHT & FANS.						
1. Shri Hem Raj	6-12-68	31-12-70	—	—	—	Security not deposited.
2. Shri Hari Ram	-do-	-do-	—	—	—	-do-
3. Shri Roop Chand	5-12-71	31-12-71	8-1-71	8-1-71	—	The work could not be completed for want of supports.
4. Shri Hem Raj	24-12-70	-do-	-do-	-do-	—	-do-
5. Shri Khoob Ram	24.12.70	-do-	—	—	—	Security not deposited.
6. Shri Shri Gangaram	-do-	-do-	8-1-71	8-1-71	—	The work could not be completed for want of supports.
7. Shri Ram Richpal	-do-	-do-	-do-	-do-	—	-do-
8. Shri Ganesh Lal	-do-	-do-	-do-	-do-	—	-do-
9. Shri Gyarsilal	-do-	-do-	-do-	-do-	—	Security not deposited.
10. Shri Bhram Prakash	-do-	-do-	-do-	-do-	—	The work could not be completed for want of deposit of security.
11. Shri Balveer Singh	20-1-71	15-4-71	8-1-71	8-1-71	—	The work could not be completed for want of deposit of security.
12. Shri Deen Dayal	-do-	-do-	—	—	—	-do-

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Shri Gangaram	20-1-71	15-4-71	—	—	—	The work could not be completed for want of deposit of security.
14.	Shri Ghugh Ram	-do-	-do-	—	—	—	
15.	Shri Bishamber Dayal	-do-	-do-	—	—	—	
16.	Shri Suraj Bhan.	-do-	-do-	—	—	—	-do-
17.	Shri Manoharlal	-do-	-do-	—	—	—	-do-
18.	Shri Prabhu Dayal	-do-	-do-	—	—	—	-do-
19.	Shri -do-	-do-	-do-	—	—	—	-do-
20.	Shri Bishambar Dayal	-do-	-do-	—	—	—	-do-
21.	Shri Jagdish Prasad	-do-	-do-	—	—	—	-do-

Note :—The work of extension of L. T. Line could not be completed for want of supports. Now the supports have been transported and the work started.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 493 की सूची)

सूची "अ"

बंसौली परियोजना के लिए वर्ष वार स्वीकृत राशि एवं व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

नाम साल	रकम स्वीकृति बजट में	खर्च हुआ
1966–67	30000.00	61819.02
1967–68	200000.00	211599.00
1968–69	250000.00	172577.00
1969–70	188000.00	183024.00
1970–71	220000.00	250835.00
	11,58000.00	8,79,854.00

Page No 200

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न सं. 479 की सूची)

सूची

राजस्थान सरकार को सरकारी कोटे में लम्ब्रेटा तथा वेस्पा स्कूटर्स का कोटा सन् 1967 से फरवरी, 1971 तक निम्न प्रकार से प्राप्त हुआ :—

सन्	लम्ब्रेटा	वेस्पा
1967	40	50
1968	80	80
1969	80	80
1969 एडहोक ग्रान्ट	100	100
1970	80	80
1970 एडहोक ग्रान्ट	20	20
1971 फरवरी तक	20	20
	430	430

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 474 की सूची)

वर्ष 1970–71 में शीर्षक बिक्री कर में अंतिम कर वसूली की सूची

(रुपया लाखों में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	बिक्री कर
1.	मण्डल 'ए', जयपुर	12.50
2.	मण्डल 'बी', जयपुर	22.00
3.	मण्डल 'सी', जयपुर	9.85
4.	मण्डल 'डी', जयपुर	14.00
5.	विशेष मण्डल प्रथम, जयपुर	29.98
6.	विशेष मण्डल–द्वितीय, जयपुर	13.25
7.	अजमेर	16.00
8.	ब्यावर	7.13
9.	अलवर	13.09
10.	भरतपुर	8.50
11.	सीकर	11.72
12.	बीकानेर	9.88
13.	गंगानगर	11.93
14.	हनुमानगढ़	10.43
15.	मण्डल 'ए', जोधपुर	14.34
16.	मण्डल 'बी', जोधपुर	5.20
17.	पाली	10.90
18.	सिरोही	5.45
19.	नागौर	7.50
20.	गंगापुर सिटी	4.74
21.	मण्डल 'ए' व 'बी', कोटा	29.00
22.	उदयपुर	4.51
23.	भीलवाड़ा	11.00
24.	चित्तौड़गढ़	4.75
	कुल योग :	287.65

परिशिष्ट 'क'

सूची वृत्तवार बकाया राशि की स्थिति दिनांक 1–1–71 तक की

क्रम संख्या	वृत्त का नाम	बकाया राशि के आंकड़े
1	2	3
1.	अजमेर	11,66,191
2.	ब्यावर	3,41,765
3.	अलवर	5,38,933
4.	भरतपुर	12,47,311
5.	जयपुर 'ए'	17,79,063
6.	जयपुर 'बी'	35,95,296
7.	जयपुर 'सी'	7,12,065
8.	जयपुर 'डी'	17,94,325
9.	सीकर	7,74,228
10.	जयपुर विशेष प्रथम	12,05,689
11.	जयपुर विशेष द्वितीय	9,36,730
	योग अजमेर जोन	1,40,91,596
12.	बीकानेर	4,96,927
13.	गंगानगर	7,41,277
14.	हनुमानगढ़	5,74,416
15.	जोधपुर 'ए'	14,54,567
16.	जोधपुर 'बी'	2,62,437
17.	नागौर	2,54.566
18.	पाली	5,21,306
19.	सिरोही	2,88,177
20.	जोधपुर विशेष	4,79,031
	योग जोधपुर जोन	50,72,604
21.	भीलवाड़ा	4,27,211
22.	चित्तौड़गढ़	12,12,431
23.	कोटा 'ए'	8,07,082

Page No 203

1	2	3
24.	कोटा 'बी'	5,99,741
25.	गंगापुर सिटी	6,04.323
26.	उदयपुर	6,19,649
27.	कोटा विशेष	8,57,915
	योग कोटा जोन	51,28,652
28.	जयपुर एन्टी इवेजन	2,19,990
29.	कोटा एन्टी-इवेजन	1,34,824
	योग एन्टी-इवेजन	3,54,814
	कुल योग राजस्थान	2,46,47,666

Page No 204

परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 476 की सूची)

श्री बालसिंह सोढा विधायक, राज्य विधान सभा

प्रश्न (1) का उत्तर:—जैसलमेर जिले में थारपारकर नस्ल का पशु प्रजनन केन्द्र, ग्राम चावण में वर्ष 1964–65 से शुरू किया गया था इस केन्द्र पर वर्ष वार हुए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है । वर्ष 1970–71 की समाप्ति तक इस केन्द्र पर 17,90,517 का व्यय हो चुका है:—

1964–65	50,400
1965–66	1,43,325
1966–67	2,60,121
1967–68	2,81641
1968–69	2,70,953
1969–70	4,34,147
1970–71	3,49,930
	कोष—17,90,517

परिशिष्ट 7

(ता.प्र. सं. 494 की सूची)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेड़ता सिटी के छात्रकोष की बचत सत्र 68,69-70 का विवरण :

मद का नाम	1966	1969	1970
1. खेल शुल्क	4979.41	3790.69	3770.45
2. परीक्षा शुल्क	8091.42	9095.57	10511.20
3. पुस्तकालय शुल्क	——	657.42	135.30
4. उपहार शुल्क	2080.85	2215.80	2936.96
5. वाचनालय शुल्क	8423.53	9725.70	10748.29
6. छात्र संसद शुल्क	4025.56	4760.84	5358.55
7. पत्रिका शुल्क	2981.52	3740.02	3451.33
8. उद्योग शुल्क	2363.50	3696.85	5138.83
9. निर्धन छात्र कोष	——	603.75	897.75
10. विकास शुल्क	——	2942.50	5881.33
कुल योग:–	33915.84	41229.14	46836.99

परिशिष्ट 8 (प्र. प्र. सं. 482 की सूची)

Statement showing details of loan applications for grant of House Building Advances received by the various Sanctioning authorities from Low Paid Govt. Servants in the Years 1969-70 & 70-71.

S. No.	Sanctioning Authority.	Applications pending as on 1-4-1969	Fresh applications received in the Year 69-70 (1-4-69 to 31-3-70.)	Number of applications disposad off.	Number of Applications pending as on 1-4-70	Fresh Applications recived in the Year 70-71 (1-4-70 to 30-3-71.)	Number of applications disposed off.	Number of Applications remained pending on 1-4-71	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Apptts.(B)Deptt.	100	99	49	150	87	89	148	
2.	Registrar, Raj. High Court, Jodhpur	120	23	16	127	40	15	152	
3.	Collector, Jaipur	2172	335	1349	1158	225	213	1170	
4.	,, Bikaner	69	14	25	58	21	45*	34	Including 17 rejected.
5.	,, Tonk	6	4	4	6	18	12	12	
6,	,, S.Madhopur	The information furnished does not appear to be correct. Hence a back-reference has been made. A copy of the information furnished by is, however, enclosed.							
7.	,, Nagaur	4	4	—	8	—	—	8	
8.	,, Churu	10	9	4	15	12	—	27	
9.	,, Alwar	—	46	18	—%	20	12	—%	28 applications returned to the 8 respective departments.
10	,, Bundi	11	12	—	23	5	9	19	-do-
11.	,, Kota	171	24	9	86	88	13	261	(Including 13 applications on which 2nd & 3rd instalments are due.)

Page No 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Collector Pali	4	16	—	20	42	2	60	
13.	,, Jhalawar	—	9	7*	2	13	—	15	* Including 1 rejected.
14.	,, Barmer	39	17	3	35@	4	1	9	@Remaining 18 returned being incomplete.
15.	,, Chittorgarh	91	12	—	103	2	—	105	29 returned being incomplete.
16.	,, Sirohi	10	18	—	28	10	22£	16	£ Including 11 rejected.
17.	,, Jhunjhunu	8	21	—	29	4	1	32	
18.	,, Udaipur	369	68	30*	407	57	35	429	* Inluding 24 rejected.
19.	,, Bhilwara	39	23	15	62+	13	23	52	+ Only 1st instalment given. Hence all shown as pending.
20.	,, Jalore	—	—	—	—	—	—	—	
21.	,, Dungarpur	62	12	23	51	25	6	70	
22.	,, Ajmer	31	41	5	67	16	57$	26	$ Including 48 which being incomplete were returned.
23.	,, Bharatpur	62	19	11	70	23%	25	70	
24.	,, Banswara	34	23	—	57	7	—	64	
25.	,, Jaisalmer	—	26	—	26	6	+	32	
26.	,, Sikar	128	65	1	192	26	8	210	
27.	,, Jodhpur	243	50	38	255	37	18	274	
28.	,, Ganganagar	43	5	—	48	3	3	48	
								3343	

राजस्थान के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के गृह निर्माण सम्बन्धी ऋण हेतु प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धी सूचना

जवाब निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार क्रमश: निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	जवाब	विशेष विवरण नगर वाईज		
		सवाई माधोपुर	गंगापुर	हिण्डौन
1.	45	—	—	45
2.	100	55	19	26
3.	15	2	5	8
4.	74	44	14	16
5.	80	55	9	16
6.	28	9	8	11
7.	98	67	10	21

ह0
जिलाधीश
सवाई माधोपुर।

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 486 की सूची)

गत 23 वर्षों में तहसील हिण्डोली के खेराड़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग के माध्यम से निम्न कार्य करवाये गये है:—

1.	गुढा बांध	सन् 1958 में पूर्ण हुआ।
2.	बांध पेच की बावड़ी	सन् 1956 में पूर्ण हुआ।
3.	खोग्या एनीकट	सन 1969 में पूर्ण हुआ।
4.	बन्दा का खेड़ा तालाब का जीर्णोद्धार	,, ,,
5.	विजय गढ़ बांध	,, ,,
6.	बसोली एनीकट	कार्य चालू है।
7.	विजय गढ़ बांध	,, ,,
8.	गुढ़ा गोकुलपुरा लघु सिंचाई योजना	,, ,,

Page No 210

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 488 की सूची)

मध्यम सिंचाई योजनाएँ

सूची 'अ'

क्र. सं.	नाम बांध	तहसील	जिला	कमाण्ड एरिया (एकड़)
1	2	3	4	5
1.	जवाई नदी योजना	बाली	पाली	102000
2.	हेमावास	पाली	पाली	20533
3.	सरदार समन्द	सोजत	पाली	35000

लघु सिंचाई योजनायें

1.	सीबान्दी बांवली	बाली	पाली	3304
2.	गिरिन्नडा	रायपुर	,,	4006
3.	चोपरा	सोजत	,,	2370
4.	बकरी	सोजत	,,	212
5.	दान्तीवारा	बाली	,,	1960
6.	उंगटी	,,	,,	542
7.	सारण	खारची	,,	858
8.	राजपुरा	देसूरी	,,	1619
9.	मनोहारी	पाली	,,	500
10.	मुडाणा	देसूरी	,,	1556
11.	काना	,,	,,	1610
12.	डिंगोर	खारची	,,	246
13.	रायपुर लूनी	रायपुर	,,	5833
14.	मोठरी	बाली	,,	760
15.	बानियावास	खारची	,,	3152
16.	लाटारा	बाली	,,	760
17.	झुमबलिया			
18.	फुटिया	जैतारण	,,	163
19.	खारडा	पाली	,,	57745
20.	सादर	देसूरी	,,	1862
21.	बोरिन्डा	सांजन	,,	1080

Page No 211

1	2	3	4	5
22.	बोमोलाई	बाली	पाली	450
23.	बर	रायपुर	,,	950
24.	रघुनाथपुरा	बाली	,,	65
25.	लोरिया	पाली	,,	600
26.	नींवली बारमीन	पाली	,,	521
27.	गुलाब सागर	रायपुर	,,	150
28.	जोसरावास	खारची	,,	1000
29.	मगर तालाब	देसूरी	,,	250
30.	गुडा गोपीनाथ	,,	,,	90
31.	खान्डी	,,	,,	300 (पेटा काश्त)
32.	कौसेर	,,	,,	200
33.	सावी	पाली	,,	187 (पेटा कक्ष काश्त)
34.	बागोल	देसूरी	,,	283
35.	शिवनाथ सागर	बाली	,,	600
36.	बेलार	,,	,,	65
37.	सेली की नाल	,,	,,	1033
38.	मीरा (कुरकी)	खुतारपुरा	,,	512

सूची (ब)

सूची बांध वार विवरण खुशहाली कर जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर

क्र. सं.	नाम बांध	नाम तहसील	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र जिसमें खुशहाली कर देय है।		खुशहाली कर एक साथ जमा कराने पर	खुशहाली कर दस किस्तों में जमा कराने पर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5		6	7	8
(1)	जवाई बांध	बाली	34	1,15,270.00	एकड़	4,64,642.10	5,57,570.52	पाली जिले का 103-25 एकड़ तथा 4945 एकड़ तहसील आहोर जिला जालोर का
(2)	हेमावास	पाली	5	1,765.64	,,	68,900.24	86,025.76	
(3)	गिरिनन्दा	रायपुर	3	622.26	,,	23,945.78	29,878.42	

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. स. 502 की सूची)

पंचायत समिति, कठूमर में बकाया यात्रा बिलों की सूची

1. श्री रमेश चन्द्र, स. न., सालवाड़ी ।	40.33
2. श्री मंगलराम, स. न. पीपलखेडा ।	33.80
योग..	84.13

विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, अलवर।

पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर के बकाया मेडिकल बिल्स की सूची।

	रुपये पैसे
1 श्री बाबूलाल अवस्थी	5.65
2 श्री मांदराम शर्मा	4.05
3 श्री श्रीचन्द जैन	21.60
4 श्री उम्मेदी लाल जैन	8.00
5 श्री ईश्वरी प्रसाद	65.30
6 श्री कुञ्जी लाल	22.54
7 श्री ज्ञान चन्द जैन	99.57
8 श्री राधेलाल गुप्ता	103.85
9 श्री हरीराम शर्मा	57.81
10 श्री मोती सिंह तंवर	33.60
11 श्री गिधारी लाल	33.67
12 श्री अयोध्या प्रसाद	33.22
13 श्री मनोहर लाल	36.03
14 श्री छीतर मल	43.18
15 श्री पद्म चंद	10.20
16 श्री पुरुषोत्तम	83.34
17 श्री रामजीलाल जैन	20.40
18 श्री गंगाशरण खण्डेलवाल	14.36
19 श्री स्वरूपनारायण	36.99
20 श्री रामप्रकाश सिंह	5.76
21 श्री राधेलाल मित्तल	23.15
22 श्री हजारीलाल जैन	9.40
23 श्री कैलाशचन्द	45.95
कुल योग..	824.87

परिशिष्ट 12

(प्र. प्र. सं 504 की सूची)

सूची 'ब'

क्रम सं0	वर्ष	नाम वन मंडल	स्थान	वन उपज का ठेका	रकम	वन श्रमिक मंडल समिति जिनकी संघ मुन्तरित करेगा।
1	2	3	4	5	6	7
1.	1960-61	बांस	नाऊडेड वसई नम्बर 2	करथा	80,000।-	
2.	,,	जोटा	माशयलपुरा की	,,	53,000।-	
3.	,,	चितौड़गढ़	दाता कम्पा नं. 1 से 18	,,	39.000।-	
4.	1969-70	बारां	शाहबाद रेन्ज	शहद, मोम माप	500।-	
5.	,,	,,	नाहरएड रेन्ज	पत्ता तेन्दू	6,101,00	
6.	,,	झालावाड	बखतावर रेन्ज	,,	7,251,00	
7.	,,	,,	मामपुर रेन्ज	,,	10,000,00	
8.	,,	,,	भवानी रेन्ज	,,	5,001,00	
9.	1970-71	उदयपुर	लीलावर उमरियां नं. 5 कम्पा नं. 23, 24, 25,	बांस	35,000,00	अरावली वन सं. प्र. सो. लि.
10.	,,	,,	झामरी नं. 7 कम्पा. 7 22 से 26	,,	8,500.00	पाटिया वन श्र. सह. समिति
11.	,,	,,	झामरी नं. 8 कम्पा. नं. 27 से 31	,,	14,101.00	,, ,,
12.	,,	,,	बक्षा उमरिया	,,	56,700.00	माल[illegible]

Page No 215

1	2	3	4	5	6	7
			नं. 6 कम्पा. नं. 5,13,14,17,30			माए
13.	1970-71	उदयपुर	देवली नं. 6 क. बांस नं. 10,10 ए		21,000.00	ग्राम-सरा ,,
14.	,,	,,	बोरणा वार्ट नं. 7 कूप नं. 11,12,15 से 18,19ए, 22 से 28,31	,,	46,700.00	ग्राशा-पुरा ,, जोगी-वन ,,
15.	,,	,,	तोरणा पार्ट नं. 2 कूप नं. 5 कन्पा. नं. 10 से 13 ग्रोर 16 से 20	,,	33,300.00	निखोई ,,
16.	,,	,,	बोगाडा कम्पा. नं. 1 से 8 मामादेव कम्पा. नं. 1 से 5 कुम्भलगढ़ नं. 3	,,	9,400.00	गंवार ,,
17.	,,	,,	कोटडा ढाणा कुम्भलगढ़ नं. 6	,,	9,400.00	घाणे-राव ,,
18.	,,	,	मालगढ कम्पा. नं. 1 से 3 मानपुरा कम्पा. नं. 1 से 7 कुम्भलगढ़ नं. 5	,,	1,900.00	,, ,,
19.	,,	,,	बीरन क. नं. 1 से 5 व 9	,,	9,200.00	यह कूप नामभोगी समिति को ग्रावंटित किया गया था। समिति ने कार्य नहीं किया, ग्रतः

Page No 216

1	2	3	4	5	6	7
						संघ को दिया गया
20.	1970–71	उदयपुर	कोटड़ा से भगत तलाई छोटी का कुल सरकारी क्षेत्र	पैदावार	1,000।–	गंवारवन सह. समि.
21.	,,	,,	भूतपूर्व रूप नगर मय उद्रशय	,,	1,415।–	"
22.	,,	चितौड़गढ़	सामरिया रावडावा कम्पा नं. 1 से 11	कत्था	1,07,700।–	"
23.		बारां	पिप्रिया	"	22,300।–	" "
24.	,,	"	सिगरी सिमलोद मावदा दुर्जनपुरा पचतावरा		" 24,100.00	

सूची ए

सं.	डिवीजन	नाम ठेका	वर्ष	रकम ठेका	सेल्स टेक्स	जमा राशि		बकाया राशि	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10
1	उदयपुर	बांस बूथ लीलाधर उमरियां नं. 5 कम्पा. नं. 23,24,25	1970-71	35,900।-	2,513।-	–	–	35.900।-	2,513।-
2	,,	बांसाजावरी नं. 7 कम्पा नं. 22 से 26	,,	3,500।-	595।-	–	–	8,500।-	595।-
8	,,	बांसाजावरी नं. 8 कम्पा 27 से से 31	,,	141,01।-	987.07	–	–	14.101।-	987।-
4	,,	बांसामध्रा उमरिया नं. 6 कम्पा 5,13,14,17,30	,,	56,700।-	3,969।-	24,200	–	32,500.00	3,969.00
5	,,	बांसाबेवली नं. 6 कम्पा 10, 10 ए.	,,	2 1,000।-	1,470।-	–	–	21,000।-	1,470.00
6	,,	बांसातोरया पार्ट नं. 5 ग्रूप नं. 8 कम्पा नं. 11,12,15 से 18	,,	46,700.00	3,269,00	517.00	–	44,183,00	3,269.00

		19 से 22 से 28, 31							
7	,,	बांस।तोहवा पार्ट नं. 2 दूथ नं. 5 कम्पा नं. 10 से 13 और 16 से 30	,,	33,300।–	2,331.00	–	–	35,300।–	2,331.00
8	,,	बांस।घोधाड़ा कम्पा नं. 1 से 8 मामादेव कम्पा नं. 1 से 10।सेवाड कम्पा मं. 1 से 5 सम्पतगढ नं. 3	,,	9,400.00	€58,60	–	–	9,400.00	658.00
9	,,	बांस।कोटदा, डापा कुम्भलगढ नं. 6	,,	9,400.00	658.00	–	–	9,400.00	658.00
10	,,	बांसामानगढ कम्पा नं. 1 से 7, मुमनगढ 5 मानपुरा क. नं. 1 से 7	,,	1,900.00	133.00	–	–	1,900.00	133.00
11	,,	बांस।धोरम कम्पा मु. 1 ने 5 म. 9	,,	9,200.00	644.00	2,000.00	140,90	72,00,00	504.00
12	चितौडगढ	मत्था सामरिया रावहदा कम्पा. नं. 1 से 11	1970–71	1,07,700।–	–	–	–	1,07,700।–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	बांरा	बिरिया	1970-71	22,300.00	–	–	–	25,300.00	–
14	,,	सिगरी, सिमतोद मामदा दुर्जनपुरा पजलावडा	,,	24,100.00	–	–	–	24,100.00	–

नोट:—जैसे जैसे उत्पादित माल की बिक्री होती जाये अपनी जमा कराने का प्रावधान है, अतः खाना नं. 9 व 10 में बतलाई गई राशि अथवा नहीं रही जा सकती।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 27 अप्रेल, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
2	अंतिम से	9	श्रेणयों	श्रेणियों
,,	,,	4	स.	—
3	,,	13	फोरेन्सिक मेडिसन	फोरेन्जिक मेडिसन्स
10		1	उसको	उनको
10		5	रिकुइजीशन	रिक्वीजिशन
14	अन्तिम से	5	प्रचार	प्रसार
15		11	(श्री मती सुमित्रा सिंह)	(श्रीमती सुमित्रा)
16	अन्तिम से	8	ि।।	बिजली
18		2	रहेगी	रही
28		3	है पता	है तो पता
,,		11	कुओं का मुआवज़ा	कुओं के मुआवज़े
,,	अन्तिम से	1	थोध थोडा	थोडा
30	,,	5	ठेके पर	ठेकेदारों पर
34		4	सिंडर	सण्डी
,,		16	क्या यही है	क्या यह सही है
38	अन्तिम से	9	स्डिब-टेड	इम्पोर्टेड
42	,,	2	उपमंत्री, शि ।	उपमंत्री, शिक्षा
49		9	श्री अध्यक्ष :	—
55	शीर्षक		अनुपस्थित सदस्यों के	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,		7 व 8	अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाला गया	× × × ×
56	शीर्षक		तारांकित प्रश्नोत्तर	अनु. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
65	अन्तिम से	3	होने से प्रयोग न होने से प्रयोग में नहीं	होने से प्रयोग में नहीं
77	,,	11	बिजली	विलासी
101	शीर्षक		सथगन	स्थगन
102		3	लम्बन्ध	संबंध
,,		7	बक्त	वक्तव्य
,,	अन्तिम से	8	मनोहर सिंह मेहता	श्री मनोहर सिंह मेहता
105	शीर्षक		सदन की मेज पर रखा गया पत्र	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
106	,,		ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण
108		12	अन्गर्गत	अन्तर्गत
112	शीर्षक		9171	1971
115		20	कम दिया	कम कर दिया

1	2		3	4
116	अन्तिम से	12	अनुमोदन	अननुमोदन
129	शीर्ष		(श्री फूलचद वाफणा)	(श्री फूलचन्द वाफणा)
,,		13	श्री यशवन्त सिंह नाहर (नोहर)	श्री यशवन्तसिह नाहर (बनेड़ा)
131		6	यऊ	यह
132		17	ुआ	कुआ
136		2	डीनर	डीलर
148	अन्तिम से	4	पेडिएटिरिक	पेड्रियेटिक
166		4	कार्य	चर्चा
178	अन्तिम से	2	उषर	अपर
182		7	राज्य मंत्रागणी	राज्यमंत्राणी
184		4	तूं पी नूं कहता	तूं पी नू पी कहता
189		6	हर	पर
193	अन्तिम से	6	भ	मी
,,	,,	4	जग	जगह
,,	,,	1	सक	उसके
194		19	अफसोफ	अफसोस
195	अन्तिम से	4	प्लान योजना	योजना है
197	,,		से यह कालेज स्थापित किया था	से स्थापित किया था
199		4	सरी	सारी
,,		9	जो	जोर
200	अन्तिम से	7	श्री रमचन्द्र आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
201		12	स्की।	स्कीम
209		15	सड़ग	सड़क
,,	अन्तिम से		(जनस्वास्थ्य)	—
211		17	मोली कान्ड	गोली कान्ड
213		14	एडवाइज्ड	एवोडड
215	अन्तिम		—	भी नहीं है
217	,, से	6	पकड़ाता	पकड़ता
222		5	लाज भी	लाजमी
,,		9	इनीशियेटिगं	इनीशियेटिव
,,		18	लाइस	लाइफ
224		17	इसी म आज ट्रान्सफर न हो।	—
227		2	कन्ट्रीव्हूशन	कन्ट्री०्यूशन
227	अन्तिम से	14	भी आप जहां	भी जहां
,,	,,	7	उनको	उनका
228	,,	5	डीजीज	डीसीज
230	,,	8	लाया	लगाया
,,	,,	1	क्योंकि	क्यों
231	,,	7	जैंसे वाडे मे आक्नीजन	जैसे वार्ड में आक्सीजन
232		7	hers	here
,,	,,	9	Edwans	Edwina
,,	,,	10	frem	from

1		2	3	4
232	अन्तिम से	13	Toth	torn
234	,,	1	आवश्वासन	आश्वासन
235	,,	2	स्पेसियेटिस्ट	स्पेशियोलिस्ट
237	,,	3	पक्के	सर्के
,,	,,	10	डिस्टिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
239	,,	8	के बहुत	के लिये बहुत
241		4	अमियो वाइसिस	एमियोबायोसिस
,,		13	सभापति	श्री सभापति
244	अन्तिम से	3	जोड़कर	छोड़कर
252	,,	6	(घंटी)	(समय समाप्ति सूचक घंटी)
253	,,	7	व्ययस्था करके	व्यवस्था करनी चाहिये
255	,,	1	लाइन जाकर	लाइन ले जाकर
257	,,	1	न्दे	गन्दे
261	शीर्ष		(श्री गोकुल प्रलाद)	(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
,,		8	1 1।2 पहले	1 1।2 साल पहले
,,	अन्तिम से	3	नहीं तो	न ही
262	,,	11	वगदह	वगैरह
,,	,,	9	15 करोड 12 लाख।56 लाख	15 करोड़ 12 लाख 56 हजार
264		13	पश्चात्ताप	पश्चात्
,,	अन्तिम से	1	जलप्रद	जलप्रदाय
266	,,	16	पोकस	पोखर
,,	,,	5	लोरिंग	बोरिंग
266		6	आवश्यकता	आवश्यक
290		15	नेहरु	नाहरु
291	अन्तिम से	1	जना	योजना
301		12	है	हूं
321	अन्तिम से	2	में में	में
322	शीर्षक		1671	1971
323		5	डिस्ट्रिक्स	डिस्ट्रिक्ट
324		19	प्रोगाम्स	प्रोग्राम्स
325		13	इन्सेक्टिइड्स	इन्सेक्टिसाइड्स
,,		14	कौरन	फौरन
,,		17	प्रोगाम	प्रोग्राम
326		12	शेष तौर सीनियर	विशेष तौर पर सिनियर
327	अन्तिम से	5	भी	में भी
328		10	के नहीं	के अन्दर नहीं
329		4	पाया	आया
,,	अन्तिम से	7	हये	–
330		20	सामान	सामान्य
332	अन्तिम से	6	करना	रखना
333		11	कोटों	कोर्टों
,,	अन्तिम से	14	व्याक्त	व्यक्ति

1	2	3		4
334	अन्तिम से	10	पत्रईल	फाइल
,,	,,	3	सी. क्लास	सी. ए. क्लास
335	,,	2	फान्इनेस	फाइनेन्स
336		11	पत्रवली	फाइल
337		13	डिपार्टन्ट	डिपार्टमेन्ट
338		2	पी. स. सी	पी. एस. सी.
342	अन्तिम से	1	सदस्यों कुछ	सदस्यों ने कुछ
343		9	मत	गन
353	अन्तिम से	7	सन्सपेन्शन	सस्पेन्शन
368	,,	5	डाइवेर्ट	डाइवर्ट
,,	,,	4	जिजिये	[illegible]जिये
379		2	व्दय	व्यय
380	अन्तिम से		उसकी	उसको
386		1	श्री कृष्ण कुमर गोयल ! बहि गमन	श्री कृष्ण कुमार गोयल ! बहिर्गमन